राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तांत

अंक 1] सप्तम विधान सभा के प्रथम सत्र का 34 वां दिवस [संख्या 17

बुधवार,

दिनांक 6 अगस्त, 1980

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.1 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में आरम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोतर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री राजबहादुर।

भरतपुर स्थित घना पक्षी बिहार के चहुं-ओर पक्की दीवार का निर्माण

351. **श्री राजबहादुर (भरतपुर) :** क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के द्वारा केन्द्रीय सरकार की सहायता से भरतपुर स्थित प्रसिद्ध पर्यटक स्थल घना पक्षी विहार के चारों ओर जो पक्की दीवार निर्मित करानी थी उसका एक भाग अभी भी नहीं बना है, जिससे एक ओर वन पक्षियों और प्राणियों को सदैव खतरा बना रहता है और दूसरी ओर पड़ोस के खेतों को भारी नुकसान होता है ?

(2) यदि हां, तो सरकार उक्त दीवार को कब तक पूरा कराने का विचार रखती है।

वन मंत्री (श्रीमती कमला) : जी हां। इस पक्षी अभयारण्य के चारों तरफ एक सीमेंट की दीवार निर्मित करने का निर्णय कुछ वर्ष पूर्व लिया गया था तथा तद्नुसार इस दीवार की जो कुल लंबाई 28.39 किलोमीटर थी, उसमें से अब तक 23.99 किलोमीटर दीवार निर्मित हो चुकी है तथा शेष 4.40 किलोमीटर का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा। सीमेंट की कमी के कारण कुछ बाधा उत्पन्न हुई है परन्तु इस हेतु उपयुक्त व्यवस्था की जा रही है।

श्री राजबहादुर : आपने शीघ्र कहा है। क्या इस वित्तीय वर्ष में इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा ?

श्रीमती कमला : मैं सोचती हूं कि इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री जेठमल बरवड़।

मकराना क्षेत्र की ग्रेनाइट पत्थर आदि खानों को लीज पर देने की नीति

352. **श्री जेठमल बरवड (परबतसर) :** क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मकराना के पास ग्राम विदियाद के मोडी डूंगरी में ग्रेना-

(श्री जेठमल बरवड़)

इट पत्थर की खान निकली है ? यदि हां, तो इस खान का कार्य कब शुरू किया जायेगा और निष्कासन किस एजेन्सी के माध्यम से कराया जायेगा ?

(2) क्या मकराना के खनिज क्षेत्र में नई खानें लीज पर देने के संबंध में सरकार ने कोई नीति निर्धारित की है ?

(3) क्या मकराना की खानों पर अनुसूचित जाति के लोगों को खानों का पट्टा देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है और उसके अन्तर्गत क्या-क्या सुविधायें प्रदान की जायेंगी ?

उप-मंत्री, खनिज (श्री रामपाल उपाध्याय) : (1) जी नहीं, मोडी डूंगरी पर ग्रेनाइट नहीं मिला। यह बिदियार गांव के सुखाराम बाबा की डूंगरी पर मिला है और इस पर राजस्थान राज्य खनिज निगम द्वारा सर्वेक्षण कार्य जून, 1980 के अंतिम सप्ताह में प्रारम्भ कर दिया गया है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। अनुसूचित जाति के लोगों को संगमरमर के पट्टे देने की अलग से कोई योजना नहीं है।

श्री जेठमल बरबड : पिछले दो वर्षों में जो खानों की नीलामी की गई थी उन खानों के बारे में सरकार का विचार क्या है ?

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जैसा पूछा है, अभी सरकार ने निर्णय लिया है। जो कि कई दिनों से विचाराधीन था, 11 साल से विचाराधीन था, अब निर्णय लिया है। जो नवीन क्षेत्र हैं 100 बाई 100 के मीटर के उन पर एक हजार रुपये प्रति वर्ष निर्धारित किया है। दूसरे जो प्राचीन क्षेत्र हैं 60 बाई 20 मीटर के, जो मार्बल क्षेत्र में है, उनका 250 प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है।

श्री जेठमल बरबड़ : जो नई खानों का सर्वे कराया है उन जमीनों को क्या सरकार एक्वायर करके कुछ जमीन का उन लोगों, जो सदियों से खानों में काम करने वाले हैं, को पट्टा देने का विचार रखती है ?

श्री रामपाल उपाध्याय : अभी तो जैसा मैंने निवेदन किया ऐसा तरीका रखा गया है, फिर भी आपका विचार है तो यह विचार किया जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती कमला।

कडाना बांध के विस्थापितों को पुनर्वास अनुदानों का चुकारा

353. श्रीमती कमला भील (सागवाड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या कडाना बांध के विस्थापितों विशेष तौर पर आदिवासियों को पूर्णतया कडाना पुनर्वास द्वारा पुनर्वासित कर दिया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि पुनर्वास अनुदान कई व्यक्तियों को नहीं चुकाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(श्रीमती कमला भील)

(3) क्या यह सही है कि विस्थापित परिवारों को ऊबड़-खाबड़ एवं अनउपजाऊ जमीनें दी गई हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि विस्थापित विशेष तौर पर आदिवासियों के मंदिर वगैरह, जो इस बांध की डूब में आते हैं, का मुआवजा जिलाधीश डूंगरपुर के कार्यालय में कडाना पुनर्वास द्वारा जमा करवाया गया है और उनका निर्माण पुनर्वासित क्षेत्रों में नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उप मंत्री, सिचाई (श्री अब्दुल रहमान चौधरी) : (1) जी हां। कडाना बांध के डूब जलस्तर 419 से राजस्थान राज्य के लगभग 5940 परिवार प्रभावित होते हैं जिन्हें उनकी सम्पत्ति का मुआवजा चुका दिया गया है और पुनर्वास नार्म्स के अनुसार सुरक्षित पुनर्वास स्थानों पर कृषि भूमि तथा आवासीय भू-खंडों का आवंटन किया गया है। आवश्यक नागरिक सुविधायें भी प्रदान की गई हैं। अधिकांश विस्थापित पुनर्वास स्थलों पर जाकर वस गए हैं। कडाना बांध के बैक-वाटर से प्रभावित गलियाकोट के अतिरिक्त अन्य सभी ग्रामों में विस्थापित परिवारों को उनकी प्रभावित सम्पत्ति का मुआवजा चुका दिया गया है तथा सुरक्षित स्थानों पर आवासीय भू-खंडों का आवंटन कर दिया गया है। आवश्यक नागरिक सुविधाओं का निर्माण किया जा चुका है। किया जा रहा है। बैक-वाटर से प्रभावित गलियाकोट के कुछ को छोड़कर अन्य को मुआवजा चुका दिया गया है। 1708 विस्थापित परिवारों को विभिन्न पुनर्वास कालोनीज में आवासीय भू-खंडों का आवंटन किया गया है, कुछ परिवार पुनर्वास बस्ती में जाकर बस गए हैं।

(2) कडाना बांध का डूब जल स्तर 419 से प्रभावित सभी विस्थापित परिवारों को पुनर्वास सहायता का भुगतान कर दिया गया है। इसी प्रकार बैक-वाटर से प्रभावित गलियाकोट एवं अन्य ग्रामों में लगभग 585 विस्थापित परिवारों को छोड कर अन्य को पुनर्वास सहायता का भुगतान किया जा चुका है। शेष परिवारों को भी पुनर्वास सहायता का भुगतान शीघ्र किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा कृषि योग्य भूमि ही विस्थापितों को आवंटित की गई है।

(4) जी नहीं। कडाना बांध के डूब बैक-वाटर से प्रभावित मंदिरों का मुआवजा राज्य सरकार के नियमानुसार देवस्थान आयुक्त के खाते में मंदिरों के पुनर्निर्माण हेतु जमा कराया गया है। पुनर्वास बस्तियों में मंदिरों का निर्माण देवस्थान विभाग करायेगा।

श्रीमती कमला भील : मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि सुरक्षित पुनर्वास स्थानों पर उनको बसाया गया। मैं बता रही हूं कि पूर्ण रूप से उनको नहीं बसाया गया है। गलियाकोट में अभी भी लोग बैठे हुए हैं जिनको पुनर्वासित नहीं किया गया है।

दूसरे प्रश्न के उत्तर में आपने कहा, ऊबड़ खावड़ जमीन नहीं है। सारी ऊबड़ खाबड़ भूमि को समतल कराने की आपके पास कोई योजना है ?

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : जैसा मैं आपको बता चुका हूं करीब करीब सबको

(4)

(श्री अब्दुल रहमान चौधरी)
जमीन दी जा चुकी है और भू-खंड आवंटित किए गये हैं।

ऊबड़ खाबड़ जमीन के बारे में आपने बात कही है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में करीब 20 भू-खण्डों में 29146 एकड़ भूमि इसके लिये रखी गई थी उसमें से 3067 एकड़ खातेदारों को दी गई है और सिर्फ 10933 एकड़ जमीन काम में आई है। उनको अच्छी भूमि दी गई है। हो सकता है, ऊबड़ खाबड़ से मतलब है जिसमें थोड़े भी खड्डे हों, तो आम तौर से ऐसी भूमि होती है।

श्रीमती कमला भील : वहां की भूमि ऊबड़ खाबड़ है पहाड़ियों पर है, उसको देखते हुए सारी भूमि को समतल कराना आवश्यक है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है कि कुछ लोगों को अभी भी मुआवजा नहीं दिया गया है। कितने ऐसे लोग हैं जिनको मुआवजा नहीं दिया गया है? दूसरे, ऊबड़ खाबड़ जमीन की बात जो माननीय सदस्या ने कही है, राज्य सरकार ऊबड़ खाबड़ जमीन को समतल कराने की कोई योजना रखती है?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उत्तर तो आने दीजिए।

श्री बहादुर सिंह : साथ-साथ आ जायेगा।

श्री अध्यक्ष : भूल जायेंगे।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऊबड़ खाबड़ जमीन के बारे में जैसा मैं आपसे निवेदन कर चुका हूं कि खाली जमीन अच्छी देखकर दी गयी। उसके अलावा भी किसी व्यक्ति विशेष को जगह खराब या गड़बड़ मिली है तो उसके लिए जानकारी दें तो उसको देख लिया जायेगा।

इसके अलावा जो दूसरा प्रश्न है कि कितने लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया है। मुआवजा तो सम्पत्ति का करीब-करीब सब को दे दिया गया है। केवल 585 परिवारों को रीहेबिलिटेशन का नहीं दे पाये हैं। उसका कारण यह है कि वह नहीं मिल रहे हैं। कुछ लोग तो हिन्दुस्तान से भी बाहर गये हुए हैं। कुछ केसेज ऐसे हैं जिनके कागज पंचायत समितियों को भेज दिये हैं लेकिन वह ट्रेस आउट नहीं हो रहे हैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : जो आदिवासियों के मन्दिर थे उनको बनाने के लिये भी आपने देवस्थान को पैसा दे दिया तो क्या उनका निर्माण देवस्थान विभाग करायेगा या सार्वजनिक निर्माण विभाग करायेगा या सिंचाई विभाग करायेगा?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी आपको अवसर दे दूंगा।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देवस्थान को सारा पैसा दे दिया गया है। उनका निर्माण देवस्थान विभाग ही करेगा।

श्री बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, बडाना में डूब में आने वाले गांव मालेड़ के जो लोग विस्थापित हुए हैं उनके नाम से भूमि गांव बिनसका में अलाट हुई थी जिसके

(श्री बहादुर सिंह)
पट्टे मिल गये लेकिन उनकी जमीन खारिज कर दी गयी, वह विस्थापित आज भी भटक रहे हैं और झगड़ा हो रहा है। ऐसे विस्थापित और भी गांव में हैं। गांव माखेड़ के काश्तकारों की बात कही है उस सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय जानकारी हो तो बता दें। नहीं है तो जानकारी करके दे दें।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इस विषय में हमें जानकारी नहीं है। यह जानकारी है सबको मुआवजा दे दिया गया है। और किसी की शिकायत है तो आप बतायें। उसकी जानकारी प्राप्त कर ली जायेगी।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्रीमती कमला भील : अध्यक्ष महोदय, एक क्वेश्चन और है····

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि जिन लोगों को मुआवजा नहीं मिला उनकी संख्या 585 है। उनको इसलिए नहीं दिया है कि वह ट्रेस आउट नहीं हो रहे हैं, बाहर चले गये हैं। क्या सारे के सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर चले गये हैं? या कुछ उपलब्ध हैं या सारे ही बाहर चले गये हैं?

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : मैंने पहले ही निवेदन किया है कि उसमें 3 केटेगरी हैं कुछ लोग ऐसे हैं जिनके केसेस कोर्ट में चल रहे हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो ट्रेस आउट नहीं हो रहे हैं और तीसरे ऐसे हैं कि जो बाहर गये हुए हैं।

श्रीमती कमला भील : जो विस्थापितों के मन्दिर हैं उनका कब तक निर्माण करा दिया जायेगा?

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : इसका तो चार्ज देवस्थान को दे दिया गया है। उन्हीं के ऊपर है कि वह कब बनवाते हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। इससे सम्बन्धित प्रश्न थे वह मैंने पुछवा दिये हैं।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कडाना से प्रभावित लोगों के लिये सागवाड़ा में कार्यालय था। क्या उस कार्यालय को सरकार ने वहां से हटा लिया है? अगर हटा लिया है तो फिर 585 आदमी को मुआवजा देना बाकी है उनकी व्यवस्था किन के माध्यम से की जा रही है?

श्री अध्यक्ष : क्या वहां से कार्यालय हटा लिया गया है?

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : हां, हटा लिया गया है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री नन्दलाल मीणा : 585 लोगों की व्यवस्था कहां से होगी?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। अगला प्रश्न।

श्रीमती उजला अरोडा (जयपुर ग्रामीण) : मैं एक प्रश्न पूछना चाह रही थी। विस्थापितों को कितना पैसा दिया है, यह मंत्री महोदय बतायें···

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। माननीय सदस्या। आर्डर, आर्डर प्लीज !

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सांचौर के डाक्टर व कम्पाउण्डर के विरुद्ध शिकायतों पर कार्यवाही

354. श्री सुनील कुमार विश्नोई (सूरतगढ़) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि श्री अचला राम चौधरी, द्वितीय ग्रेड कम्पाउण्डर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सांचौर के विरुद्ध सन् 1973 में शिकायतें प्राप्त होने पर उनका स्थानान्तरण जिले के बाहर किया जाकर शिकायतों की जांच शुरू की गई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उनका तबादला वापस गत शासन में फिर सांचोर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कर दिया गया ? यदि हां, तो कब एवं क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उनके विरुद्ध फिर शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उस बारे में अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि डाक्टर के. सी. जैन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सांचौर के विरुद्ध झूठी मेडिकल इंजरी रिपोर्ट देने के बारे में तथा अन्य कई शिकायतें पहले भी सरकार को प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो उनके बारे में सरकार द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त डाक्टर की शिकायतों के बारे में पहले विधान सभा में प्रश्न के जवाब में सरकार द्वारा उनको शीघ्र निलम्बित कर उनके विरुद्ध जांच करने का आश्वासन भी दिया गया था ? यदि हां, तो कब एवं उस बारे में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (1) जी हां।

(2) जी हां। दिसम्बर, 78 में श्री हुकमाराम, एम. पी. की रुचि पर भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी के आदेशानुसार श्री अचला राम का स्थानान्तरण वापस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सांचौर किया गया।

(3) जी हां, दिनांक 16-7-80 को प्राप्त शिकायत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालौर को जांच हेतु भेजी जा चुकी है।

(4) जी हां। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा डा. के. सी. जैन के

(श्री बद्री प्रसाद गुप्ता)
एम. एल. सी कार्य के अधिकार निरस्त कर दिये गये हैं व प्रारम्भिक जांच जारी है।

(5) ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

श्री सुनील कुमार विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि यह जांच कब तक पूर्ण कर ली जायेगी और कब तक सजा दे दी जायेगी ? यह जांच कब शुरू हुई थी?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : 4-8-80 को आदेश दिये गये हैं। एंटीकरप्शन से शिकायत आई थी उस पर आदेश दिये गये हैं। जल्दी ही जांच करा ली जायेगी।

श्री सुनील कुमार विश्नोई : क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कब तक जांच करा ली जायेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : माननीय सदस्य ने सवाल किया है उसके बाद ही मैंने उसके लिए निर्देश दिये हैं कि इसकी जांच जल्दी कराई जाये।

श्री सुनील कुमार विश्नोई : जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक क्या उनको अपने स्थान से हटाया जायेगा ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : जांच के दौरान हटाना ठीक नहीं है क्योंकि जांच को भी डिसएडवान्टेज हो सकता है। मैं पालिसी बता रहा हूं। आम तौर से कोशिश की जाती है कि जांच के अन्दर वह किसी तरह की दखलन्दाजी नहीं दे।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस व्यक्ति के खिलाफ जांच है वह अपने ही स्थान पर रहेगा तो क्या वह जांच अधिकारी को प्रभावित नहीं कर पायेगा ? क्या इस तरह की परम्परा किसी भी विभाग में है ? जांच के दौरान जिसके खिलाफ जांच हो रही है उसको वहीं पर ही रखा जा सकता है ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : सबको डिसएडवान्टेज होता है इसलिए कोशिश यह होती है कि इन्डीपेन्डेन्ट आफिसर से जांच कराई जाये और जांच में किसी तरह की दखलन्दाजी नहीं हो।

श्री सुखलाल सैणचा (रायपुर) : यह श्री अचलाराम किस ग्रेड के कम्पाउन्डर हैं और कब से हैं ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : सन् 73 में उसका तबादला हुआ था। दिसम्बर, 78 में फिर वापस आ गया।

श्री सुखलाल सैणचा : कितने समय तक रहा ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : अब तो 14-4-79 से है।

श्री सुखलाल सैणचा : टोटल कितने समय तक रहा ? दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि राज्य सरकार की एक कम्पाउन्डर को एक ही स्थान पर कितने समय तक रखने की नीति है जब कि डाक्टर को दो साल के बाद हटा लेते हैं ?

(8)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसी कोई बात नहीं है। प्रशासनिक दृष्टि से और कोई शिकायत है तो ट्रान्सफर कर देते हैं वरना कोई बात नहीं होती है तो कन्टीन्यू भी करते हैं। बहुत से ऐसे डाक्टर हैं जो बीस-बीस साल से एक जगह हैं। कोई हार्ड एण्ड फास्ट रूल नहीं है। अगर कोई शिकायत होती है तो ट्रान्सफर भी कर दिया जाता है।

श्री सुनील कुमार विश्नोई : उनके खिलाफ शिकायत पर ट्रान्सफर हुआ था तो क्या यह सही है कि उनको उसी स्थान पर फिर लगाया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो मैंने कहा कि पहले जो स्वास्थ्य मंत्री थे उन्होंने लगाया था। 73 के बाद 79 में लगाया तो ऐसी बात नहीं है कि नहीं लगाया जा सकता।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 355

श्री तेजपाल।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 356

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत

करौली क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतीकरण

357. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या करौली क्षेत्र के कुछ स्थानों को ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत चुना गया है ? यदि हां, तो वे स्थान कौन कौन से हैं ? उन पर कब से काम चालू हो सकेगा और कितनी राशि व्यय होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मंत्री, विद्युत् (श्री अब्दुल रहमान चोधरी) : जी हां, करौली विधान सभा क्षेत्र के निम्नलिखित 5 ग्राम ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की विशिष्ट योजना (कृषि) एस.पी.ए. श्रेणी के अन्तर्गत विद्युतीकरण के लिये स्वीकृत किये गये थे।

1. बिचपुरी
2. बिरहटी
3. बावली
4. अरब का पुरा
5. टिकटपुरा

उक्त योजना के विद्युतीकरण का कार्य एक ग्राम टिकटपुरा को छोड़ कर पुरा कर दिया गया है। विद्युतीकरण का कार्य वर्ष 1979-80 में चालू किया गया था तथा योजना का कार्य काल 2 वर्ष का है। योजना की अनुमानित लागत 21.636 लाख रुपया है जिसमें करौली विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों के ग्राम भी सम्मिलित है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत करौली क्षेत्र के किन किन गांवों को चुना गया था ? क्या उस योजना के अन्तर्गत मासलपुर गांव, जो करौली क्षेत्र में आता है, को भी चुना गया था ? जो गांव

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)
चुने गये थे वहां पर क्या विद्युतीकरण का काम पूरा हो चुका है ? यदि नहीं, तो कब तक पूरा होगा और उस पर कुल कितना खर्च होगा ?

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत करौली क्षेत्र के जिन गांवों को चुना गया था वह पांच गांव थे। उनके बारे में मैंने आपको बता दिया।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : क्या मासलपुर को नहीं चुना गया था ? इसके बारे में आप जानकारी दें।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : इसकी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। वैसे करौली पंचायत समिति के अन्दर 236 गांव आते हैं जिनमें से 20 ग्रामों का विद्युतीकरण ...

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : कितने गांव बताये आपने 236 में से ?

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : अध्यक्ष महोदय, करौली पंचायत समिति क्षेत्र के अन्दर 236 ग्राम आते हैं जिनमें से 20 ग्रामों का विद्युतीकरण वर्ष 1978-79 के अन्त तक किया जा चुका था। माह जनवरी, 1979 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा करौली (ओ. एण्ड एम.) सब डिवीजन की एक विशिष्ट योजना कृषि/एस. पी. ए. स्वीकृत की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत पंचायत समिति, करौली के सात तथा पंचायत समिति हिन्डौन के तीन नये ग्रामों का विद्युतीकरण प्रस्तावित है। इनमें से करौली विधान सभा क्षेत्र के पांच गांव आते हैं वह मैंने आपको उत्तर में पहले ही बता दिया है, स्वीकृत योजना की अनुमानित लागत 21.636 लाख रुपये है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिला सवाई माधोपुर की करौली के सिवाय ऐसी कोई तहसील नहीं है जिसके गांवों में से 50 प्रतिशत में बिजली नहीं हो। अध्यक्ष महोदय, करौली विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 236 ग्राम आते है जिसमें से सिर्फ 20 गांव का ही विद्युतीकरण हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ 9 प्रतिशत गांव हैं जिनका कि विद्युतीकरण किया हुआ है। मैं राज्य सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार अगले तीन सालों में करौली क्षेत्र के अन्दर गांवों में से सवाई माधोपुर जिले की दूसरी तहसीलों के गावों के बराबर 50 प्रतिशत में विद्युतीकरण कर सकेगी ?

मुख्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : अध्यक्ष महोदय, करौली बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है। यह बात सही है, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया, वहां पर ग्रामीण विद्युतीकरण बहुत ही कम है। अधिक विद्युतीकरण आज तक क्यों नहीं हो पाया इसके लिये मैं कुछ नही कह सकता हूं लेकिन अब करौली क्षेत्र के विकास हेतु समुचित योजना बनाने हेतु राज्य सरकार सोच रही है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री गोकुलचन्द !

(10)

जवाई बान्ध के काश्तकारों पर लगाये गये तावान की वसूली

358. श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर) : (1) क्या जनवरी-फरवरी, 1977 में कांग्रेस सरकार ने जवाई बांध के काश्तकारों पर सिचाई विभाग के द्वारा लगाये गये नाजायज व नियम विरुद्ध तावान माफ कर दिये थे ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या 1977 में गत सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा जवाई बांध के काश्तकारों के नाजायज तावान को माफ किये जाने के आदेश निरस्त कर दिये ? यदि हां, तो किन कारणों से ? कृपया आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या अब सरकार गत सरकार द्वारा जारी किये गये आदेश को निरस्त कर जवाई बांध के काश्तकारों को राहत पहुंचाने के लिये पुन: 1977 में कांग्रेस सरकार के द्वारा जारी किये गये आदेश की भांति तावान वसूली माफ करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ? और नहीं, तो क्यों ?

उप मंत्री सिचाई (श्री अब्दुल रहमान, चौधरी) : (1) जी नहीं। कांग्रेस सरकार मन्त्रि-मंडल के द्वारा 23-4-77 को निर्णय लिया गया था कि जवाई बांध से सिंचित होने वाले नहरी क्षेत्र पर जो तावान लगाये गये हैं माफ किये जाते हैं। लेकिन इसकी क्रियान्विति से पूर्व ही निर्णय को राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य सरकार के आदेश दिनांक 23-5-1977 द्वारा क्रियान्विति रोक दी गई थी।

(2) जी नहीं।

(3) इस सम्बंध में अभी वर्तमान सरकार द्वारा विचार नहीं किया गया है।

श्री गोकुलचन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मंत्री महोदय से पूछा था। मैंने उसमें यह चाहा था कि जवाई बान्ध के सिंचित एरिया के कितने काश्तकारों पर तावान लगाया गया था ? अध्यक्ष महोदय, तत्कालिक सरकार ने उस तावान को माफ कर दिया था और उसके आदेश भी जारी कर दिये थे पर फिर भी उन आदेशों की पालना नहीं की गयी। राज्य सरकार ने जब स्पष्ट आदेश दे दिया था कि तावान नहीं लगाये जायें तो फिर क्यों लगाये गये ? मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा कि राज्य सरकार ने तावान माफ करने के आदेश कब दिये ?

दूसरा प्रश्न यह है कि यह आदेश निरस्त किस आधार पर किये गये थे ? क्या आदेश निरस्त किये जाने के लिये कोई जांच की गई थी और जांच के बाद में निरस्त किये गये ?

तीसरा प्रश्न जो जांच की गयी उसका आधार क्या था ? अब क्या राज्य सरकार कोई निर्णय ऐसा लेगी कि जवाई बांध के काश्तकारों से सिंचाई विभाग द्वारा तावान वसूल नहीं हो ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। पहले प्रश्न का उत्तर आने दें।

श्री सुखलाल सेणचा : अध्यक्ष महोदय, इसी से संबद्ध मेरा प्रश्न है। जवाई बान्ध के काश्तकारों से संबंधित है।

श्री अध्यक्ष : पहले प्रश्नकर्ता का उत्तर आने दीजिये।

(व्यवधान)

ऑर्डर, ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज !

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया यह तावान माफ करने का निर्णय कांग्रेस सरकार की केबिनेट ने लिया था। पर निर्णय लेने के बाद यहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। उसने उन आदेशों को रोक दिया। उसके बाद में जनता पार्टी की सरकार आई उसने भी उसी स्थिति को, स्टेट्स को मेन्टेन किया। इसीलिये यह आदेश क्रियान्वित नहीं हो सके। अब जो माननीय सदस्य ने कहा है उसके बारे में अभी तक राज्य सरकार ने कोई विचार नहीं किया है।

श्री गोकुलचन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं राज्य सरकार से यह प्रार्थना कर रहा हूं कि तावान के लगाये जाने के कारण जवाई बान्ध के काश्तकारों पर 13 लाख रुपये का गलत तावान लगाया गया है। कांग्रेस सरकार ने तावान माफ कर दिये और बाद में जनता सरकार ने वापस लगाये तो क्या जनता सरकार ने इसके लिये कोई जांच की थी और जांच के बाद आदेश को निरस्त किया था ? अगर जांच की गयी तो कब की गयी ? अगर जांच नहीं की गयी, तो क्या राज्य सरकार अब जांच करके उस निर्णय को वापस लागू करने का विचार रखती है ?

मुख्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : अध्यक्ष महोदय, जनता सरकार कोई जांच करके फैसला थोड़े ही करती थी वह तो अपने मनमाने ढंग से फैसला कर देती थी। यह आदेश जो निरस्त करने के थे वह भी इसी तरह से किये गये थे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज !

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक बहुत ही रेलेवेन्ट प्रश्न है।

मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग ने कितना तावान किन किन काश्तकारों पर लगाया ? यह किस सरकार ने लगाया ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अभी जो मुख्य मंत्री जी ने जवाब दिया ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ! कृपया व्यवधान नहीं डालें, माननीय सदस्य। कृपया शान्त रहें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं। कृपया आप

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)
इसका उत्तर मंत्री महोदय से दिलवा दें। इसमें लिखा है, अध्यक्ष महोदय, क्या जनवरी फरवरी, 1977 में कांग्रेस सरकार ने जवाई बान्ध के काश्तकारों पर सिंचाई विभाग के द्वारा लगाये गये नाजायज व नियम विरुद्ध तावान माफ कर दिये थे। मेरा प्रश्न यह है कि सिंचाई विभाग ने कितने तावान लगाये, किस किस पर लगाये और उस समय सरकार कौनसी थी ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्त रहिये, माननीय सदस्य। व्यवधान नहीं डालें, माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जवाब दिलाइये मंत्री महोदय से।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ! आर्डर प्लीज ! आप शान्त रहें, जवाब आ जायेगा।

(व्यवधान)

कृपया शान्त रहें। मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। वसूली योग्य कितनी राशि थी।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जवाई बांध से तावान की वसूली की रकम 13 लाख रुपया थी।

श्री अध्यक्ष: कितने काश्तकारों पर थी? आपके पास सूचना हो तो बता दें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कितने किसानों पर थी, अध्यक्ष महोदय, और वह किस सरकार ने लगाया था ? माफ करने वाली सरकार कौनसी थी ? किस की सरकार थी, अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष : सरकार तो कांग्रेस की थी।

(व्यवधान)

आॅर्डर, आर्डर प्लीज ! आर्डर ! माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। आर्डर !

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें !

प्रश्न काल में माननीय सदस्यों को सहयोग करना चाहिये। यदि कोई माननीय सदस्य जानकारी चाहते हैं तो शांति से प्रश्न रखें और जब जवाब आवे तो शांति से सुनें।

जिन किसानों पर तावान लगाया गया उनकी संख्या आपके पास उपलब्ध है क्या ?

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : इसकी जानकारी नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जैसा माननीय मंत्री महोदय ने कहा 13 लाख रुपया तावान वसूली का था। किसानों की संख्या आपको पता नहीं। कांग्रेस सरकार ने तावान लगाया। वे कौन से कारण थे, जिसके कारण तावान लगाया गया ?

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : जो गलत तरीके से पानी को लेते हैं और जो दूसरे कानूनों की खिलाफवर्जी करते हैं, पानी ज्यादा लेते हैं उन पर तावान लगता है। इस प्रश्न में है कि कांग्रेस सरकार के जमाने

13

(श्री अब्दुल रहमान चौधरी)
में तावान लगे। जैसा पहले बता चुका हूं इसे कांग्रेस सरकार ने माफ करने का कैबिनेट में निर्णय ले लिया था···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब और अलाऊ नहीं करूंगा। आर्डर प्लीज ! अगला प्रश्न।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पहले प्रश्न के उत्तर में कहा 13-4-77 को माफ करने का निर्णय लिया। क्या चुनावों को देखकर······

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! आर्डर प्लीज ! अगला प्रश्न।

श्री दिनेश राय डांगी (देसूरी) : आप तीन साल तक सोते रहे थे क्या ?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, शांति बनाये रखें। आर्डर, आर्डर, आर्डर !

मैं इस तरह से व्यवधान उपस्थित नहीं करने दूंगा। किसी माननीय सदस्य की कोई रेलेवेन्ट क्वेरी हो तो वह पूछा जा सकता है। समय काफी हो गया है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, 13-4-77 को तावान माफ करने का निर्णय कांग्रेस सरकार ने····

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर, माननीय सदस्य। प्रश्न काल का समय जा रहा है। आर्डर प्लीज !

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह क्यों लिया गया···

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाल पचेरवाल।

(व्यवधान)

कोई उत्तर नहीं आयेगा। अगला प्रश्न।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया×××हम उत्तर चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर ! अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। आर्डर प्लीज !

माननीय सदस्य, अलाऊ नहीं करूंगा।

(व्यवधान)

अंकित न हो।

\+ \+ \+

श्री दिनेशराय डांगी : अध्यक्ष महोदय, इनको सार्जेंट की मार्फत बाहर भिजवाइये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

आप माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि सदन की कार्यवाही में बार बार

×××माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(14)

(श्री अध्यक्ष)

बाधा उपस्थित न करें। जितने पूरक प्रश्न आवश्यक समझता हूं, उतनों की इजाजत दे देता हूं। कोई प्रश्न किस माननीय सदस्य ने पूछा है, किसी के ध्यान में नहीं है। कोर्ट में गेंद जैसे इधर से उधर उछाल देते हैं, इधर से उत्तर उछाल देते हैं, उधर से इधर उछाल देते हैं। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। आसन के साथ सहयोग करें ताकि अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर दिलाये जा सकें।

श्री गोपाल पचेरवाल !

(व्यवधान)

अंकित न हो।

× × ×

एक माननीय सदस्य : यह सदन को चलने नहीं दे रहे हैं, इनको बाहर निकाल दो।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाल पचेरवाल !

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने की अनुमति आप दे रहे थे, बीच में व्यवधान हो गया···

श्री अध्यक्ष : वह व्यवधान आपकी पार्टी वालों ने किया है। आर्डर प्लीज ! आप वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : प्रश्न यह है···

श्री अध्यक्ष : कोई उत्तर नहीं आयेगा, माननीय सदस्य। सदन का समय आप व्यर्थ में ही खराब कर रहे हैं। आर्डर प्लीज !

नेता प्रतिपक्ष (श्री भैरोंसिंह शेखावत): अध्यक्ष महोदय, आप बार बार कह रहे हैं, सदन का समय व्यर्थ हो रहा है। आखिर हम भी रेस्पांसिबल हैं आप बार बार कहते जा रहे हैं, समय व्यर्थ जा रहा है। वालीबाल खेली जा रही है। आपका यह कहना कि समय बरबाद हो रहा है, कहां तक उचित है।

श्री अध्यक्ष : आपने सुझाव दिया, धन्यवाद।

श्री गोपाल पचेरवाल !

लाखेरी अथवा केशोरायपाटन में मुन्सिफ कोर्ट की स्थापना

359. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) केशोरायपाटन निर्वाचन क्षेत्र के कितने न्यायिक मामले बूंदी स्थित न्यायिक अदालतों में विचाराधीन हैं ? कृपया थाना कापरेन, लाखेरी, केशोरायपाटन, गेन्डोली में मुकदमों की पृथक पृथक संख्या बतावें।

(2) क्या यह सही है कि लाखेरी या केशोरायपाटन दोनों में से किसी एक स्थान पर मुन्सिफ कोर्ट खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है तथा इस सम्बन्ध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बून्दी से जानकारी मांगी गई है ? यदि हां, तो कब और क्या ?

विधि मंत्री (श्री बद्री प्रसाद गुप्ता) : (1) केशोरायपाटन निर्वाचन क्षेत्र के 2590 मामले बूंदी न्यायालयों में विचाराधीन हैं। कापरेन, लाखेरी, केशोरायपाटन

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं हुआ।

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)
व गेन्डोली क्षेत्रों से सम्बन्धित दीवानी व फौजदारी मुकदमों की सूची संलग्न है। इन क्षेत्रों के क्रमश: 290, 788, 913 एवं 599 मुकदमे बूंदी न्यायालयों में विचाराधीन हैं।

(2) यह सही है कि केशोरायपाटन, लाखेरी में से किसी एक स्थान पर न्यायालय खोलने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिस पर राजस्थान उच्च न्यायालय से परामर्श किया गया था। यह सही है कि उच्च न्यायालय ने जिला एवं सैशन न्यायाधीश, बूंदी से सन् 1978 में जानकारी प्राप्त की थी किन्तु उच्च न्यायालय ने दिनांक 12-1-78 को वहां न्यायालय का औचित्य नहीं होने का मत व्यक्त किया था। विचाराधीन प्रकरणों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए उच्च न्यायालय से, बूंदी से एक न्यायालय स्थानान्तरित करने पर विचार करने हेतु पुनः निवेदन किया जायेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री गोपाल पचेरवाल : सरकार के पास इतने मामले विचाराधीन हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं। केशोरायपाटन में कभी मुन्सिफ कोर्ट थी ? यदि हां, तो वह कब तोड़ी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह कब तोड़ी, यह जानकारी आपने मांगी नहीं थी, इसलिए मेरे पास नहीं है।

पहले यह प्रस्ताव आया था कि वहां पर एक न्यायालय होना चाहिये उसको हमने हाई कोर्ट भेज दिया था। न्यायालय कहां होना चाहिये, इस पर हाई कोर्ट की राय होती है। फाइनल जो आदेश होता है गवर्नमेंट उसको केरी आउट करती है। केसेज को देखते हुए हाई कोर्ट से दुबारा निवेदन किया जायेगा इस पर पुनर्विचार करें।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, अदालत खोलने के लिये कितने केसेज का मापदण्ड है ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

किशनगढ़ में निर्माणाधीन नया ग्रिड स्टेशन

360. श्री केसरी चन्द चौधरी (किशनगढ़) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या किशनगढ़ में 132 के.वी. का नया ग्रिड स्टेशन बनाया जा रहा है ? यदि हां, तो पूर्ण निर्माण की क्या तिथि तय की गई थी !

(2) क्या समय पर यह स्टेशन पूर्णतया निर्मित हो गया ? यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं और कौन जिम्मेदार है।

उप मंत्री, विद्युत् (श्री अब्दुल रहमान चौधरी) : (1) जी हां, सन् 1977-78 की वार्षिक योजना बनाने के समय इस ग्रिड सब स्टेशन को चालू करने का लक्ष्य मार्च, 1979 तय किया गया था जिसे बाद में संशोधित कर दिसम्बर, 1980 कर दिया गया है।

(श्री अब्दुल रहमान चौधरी)

(2) सब स्टेशन के लिए भूमि की अवाप्ति एवं विविध उपकरणों के समय पर प्राप्त नहीं होने आदि मुख्य कारणों से इस ग्रिड सब स्टेशन को पूर्व निर्धारित समय पर चालू नहीं किया जा सका तथा इसके चालू होने के लक्ष्य को संशोधित कर दिया गया है।

श्री केसरी चन्द चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय विद्युत् मंत्री जी यह आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि अब जो नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसमें यह चालू हो जायगा ?

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : यह तो जवाब में ही आ गया है कि दिसम्बर, 1980 में चालू हो जायगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

विश्व बैंक से प्राप्त सहायता के संदर्भ में ग्रामों में जल प्रदाय की व्यवस्था

361. श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विश्व बैंक से सहायता के अन्तर्गत किन-किन जिलों में कौन कौन से ग्राम जल प्रदाय योजना चालू वित्तीय वर्ष 1980-81 में स्वीकृत किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त गांवों के चयन का आधार क्या रखा गया है ?

(3) गत पांच वर्षों में इस योजना के तहत कितने गांवों में जल प्रदाय योजना का लाभ मिला है ?

उप मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक (श्री रामपाल उपाध्याय) : (1) विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत 1980-81 में 10 जिलों में 845 गांवों हेतु विभिन्न प्रकार की जल प्रदाय योजनाएं प्रस्तावित की गयी हैं। इन योजनाओं की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति अभी तक प्रदान नहीं की गयी है। ग्रामों की जिलेवार सूची संलग्न है····

माननीय अध्यक्ष महोदय यह बहुत लम्बी सूची है····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्री रामपाल उपाध्याय : (2) ग्रामों के चयन के आधार की प्रति संलग्न है।

(3) क्योंकि परियोजना वर्ष 1980-81 से चालू की जा रही है अतः पूर्व में किसी ग्राम को लाभान्वित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, जो चयन का आधार बताया गया है वह सम्भवतः 500 से अधिक की जन संख्या का आधार है। 500 से अधिक की जन संख्या वालों को चयनित किया गया है लेकिन इस आधार को पूरा करने वाले काफी गांव रह गये हैं।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न को समझने

(श्री रामपाल उपाध्याय)
के लिए विश्व बैंक द्वारा जो योजना बनाई गई, उसकी पृष्ठभूमि देना आवश्यक समझता हूं। उसके आधार आपके जरिये से महानुभावों को बता दूं ताकि वह परिचित हो जायें। मैं निवेदन यह कर रहा था, पहले विश्व बैंक परियोजना 171 करोड़ की बनी थी जिसके आधार पर इस देश के सभी जिलों को सम्मिलित करने का प्रयास किया गया था। तत्पश्चात् तकनीकी दृष्टि से विश्व बैंक तथा भारत सरकार ने आवश्यक समझा कि यह समग्र रूप से क्षेत्र लिये जायं इ लिए समग्र रूप से लिये जाने के लिए जोधपुर, जयपुर, बीकानेर एवं कोटा इन क्षेत्रों को लिया गया।

अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जैसा आपने फर्माया कि 500 की जन संख्या वाले गांव लिए जाने चाहिए। यह आवश्यक नहीं है क्यों कि 171 करोड़ की धनराशि के बजाय केवल 100 करोड़ की धनराशि का प्रावधान रखा गया और उसमें से भी इस वर्ष केवल 8 करोड़ का प्रावधान है। जिन गांवों में आपने 500 की जन संख्या वाली बात बताई है उनके रहने के भी दो तीन कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि उस क्षेत्र में लवण की मात्रा कितनी है, दूसरे फ्लोराइट की मात्रा कितनी है और तीसरा यह है कि पानी की उपादेयता कितनी है। मैं समझता हूं इन्हीं कारणों से 500 से अधिक की जनसंख्या वाले सभी गांवों को सम्मिलित नहीं किया जा सका है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : जैसा अभी माननीय मंत्री महोदय ने कहा, विश्व बैंक ने 10 जिलों का चयन किया था तो अब ये चार जिले ही कैसे रह गये—जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और कोटा? 10 जिलों के लिये 54 करोड़ की योजना थी। 10 जिलों के दो हजार गांवों को पानी पहुंचाने की विश्व बैंक मे योजना बनाई थी। मैं पूछना चाहता हूं उस समय 10 जिलों का क्या आधार था—अब चार जिले ही कैसे रह गये? क्या सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर जिलों में पानी की कमी नहीं है? राजनैतिक दृष्टि से पिछली सरकार ने काम किया था तो क्या अब भी वही हो रहा है? क्या मुख्य मंत्रीजी इस पर प्रकाश डालने की व्यवस्था करेंगे?

श्री रेवत राम (डूंगरगढ़) : 10 जिलें कौन कौन से हैं, मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे?

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, जैसी माननीय सदस्य महानुभाव ने चिन्ता व्यक्त की है इसके बारे में मेरा निवेदन है कि सीमित राशि रही होगी। जैसा मैंने निवेदन किया लवण, फ्लोराइट आदि की मात्रा अधिक होगी, इस प्रकार के तकनीकी कारण रहे होंगे। मैंने पहले ही निवेदन किया है चार जिलों को लिया गया है।

एक माननीय सदस्य : यह तो सीवरेज और ड्रेनेज का मामला है।

श्री रामपाल उपाध्याय : जयपुर, जोधपुर, बीकानेर एवं कोटा चारों जिलों से लगते हुए सारे गांव इसके अन्तर्गत लिये हैं। 10 जिलों को इसलिये नहीं लिया गया क्योंकि उसमें धन का प्रावधान कम कर दिया गया है। सीवरेज का भी इसमें किया गया है। सीवरेज योजना में कोटा शहर को अलग कर दिया गया है बाकी सारी परि-

(श्री रामपाल उपाध्याय)
स्थितियों पर निर्भर करता है। अब मैं नहीं समझता हूं कि इस पर और विचार किया जाय।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : आपने जो सीवरेज की बात बताई है, वह तो अलग बात है। 54 करोड़ की जो पहले योजना रखी थी और 10 जिलों को चुना गया था, उसका क्या आधार था ? जहां सबसे कम पानी उपलब्ध है उन गावों को पहले क्यों नहीं लिया गया ? पिछली सरकार ने तो राजनैतिक कारण से चुने थे। अब कौनसा आधार रखा गया है जिस आधार पर चार ही जिलों को लिया गया है।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महानुभाव ने जो प्रश्न किये हैं उनके बारे में पूर्व में निवेदन कर चुका हूं। एक तो भारत सरकार यह चाहती थी कि एक समग्र रूप से हो, दूसरे तकनीकी रूप से जहां पर लवण व फ्लोराइट आदि की मात्रा अधिक होती है उन गांवों को नहीं लेते हैं। तीसरा यह है कि ज्यादा अच्छा होता यदि यह योजना 10 जिलों से अधिक जिलों में भी क्रियान्वित होती। यह खुशी की बात होती लेकिन धनराशि की अपर्याप्तता के कारण ऐसा किया गया है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : लवण की मात्रा और तकनीकी कारण तो अलग हैं, मन्त्री महोदय। विश्व बैंक ने तो दो हजार गांवों को पानी देने की योजना बनाई थी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

(व्यवधान)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : दो हजार का एग्रीमेंट है····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बहुत स्पेसिफिक बात है, जो सारे राजस्थान से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : यह लम्बा चौड़ा प्रश्न है। यदि आप इतनी विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो उनसे मिल लें····

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : इससे अधिक महत्व का और कौनसा प्रश्न होगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जायं। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए ?

(व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय दो हजार गांव राजस्थान भर में लिये जाने थे। राजस्थान के चार जिलों को क्यों चुना गया है ? दो हजार गांवों को लिये जाने की योजना थी। 200 विधान सभाई क्षेत्र से दो हजार गांव चुनने की योजना थी। अब यह कौनसी नीति अपनाई गई है···

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : गंगानगर जिले के साथ भेदभाव किया जाता है··

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष :- माननीय सदस्य, कोई व्यवस्था अपनायें तो सभी सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया जा सकता है।

मुख्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो बार बार सवाल कर रहे हैं वह बात किसी हद तक सही हो सकती है। राजनैतिक आधार भी रहा हो सकता है लेकिन अब हम इस बात की कोशिश करेंगे कि राजनीति से परे हट कर जल प्रदाय योजना को लागू करें।

नेता प्रतिपक्ष (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : मैं मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा, विश्व बैंक से जो 100 करोड़ की परियोजना स्वीकार हुई है उसमें विश्व बैंक कितना देगा, भारत सरकार कितना देगी और जितना भारत सरकार को मिलेगा उसमें से राजस्थान सरकार को कितना मिलेगा और राजस्थान सरकार ने बजट में कितना प्रावधान रखा है ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई अलग से प्रश्न नहीं है। एक मिनट, अगर आपकी अनुमति हो।

एक माननीय सदस्य : अनुमति है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रश्न तो और भी अलग से है।

इसका फार्मूला बताया जाय कि इस फार्मूले के अनुसार कितना विश्व बैंक से भारत सरकार को मिलेगा और भारत सरकार से राजस्थान की सरकार को कितना मिलेगा ? उस रुपये के लिए राजस्थान सरकार ने मैचिंग ग्रान्ट कितनी रखी है, प्रोविजन कितना रखा है ? जब तक यह जानकारी नहीं मिलेगी तब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होगी। यह मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, जैसा उन्होंने कहा कि राजनैतिक आधार पर गांवों का सलेक्शन किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि यदि आप गहराई से इसका अध्ययन करते तो आपको मालूम होता कि विश्व बैंक के एक्सपर्ट्स ने इसके बारे में रिपोर्ट दी, जैसा रिपोर्ट में था उसी आधार पर राजस्थान सरकार ने गांवों को सलेक्ट किया। आपको हर चीज में राजनीति ही दिखती है तो यह आपकी समझ की बात है।

एक माननीय सदस्य : एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट तो पुरानी सरकार ने लिखवा ली। वह कोई रिपोर्ट नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्यादा अच्छा होता कि ये सारी बातें इस प्रश्न में पूछी जातीं, फार्मूला क्या है, उसका प्रोविजन क्या है, उसमें दुरुपयोग, उपयोग, सदुपयोग हुआ है। तो सभी तरह की बातें आपके सामने निवेदन कर सकता था। जहां तक विश्व बैंक के एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट का प्रश्न है, दूसरी बात है। प्रश्नकर्ता अच्छी तरह से जानते हैं कि चाहे जलप्रदाय विभाग का मामला है, चाहे कृषि विभाग का मामला है चाहे अन्य किसी विभाग का मामला है, किस आधार पर, किन कारणों पर, किन तर्कों

(20)

(श्री रामपाल उपाध्याय)
पर गांवों का सलेक्शन किया गया, यह सारा राजस्थान जानता है।

श्री राजबहादुर (भरतपुर): अध्यक्षजी, जिस समय तक आधार स्पष्ट नहीं होगा कि किस आधार पर चयन हुआ, इस सम्बन्ध में जब तक सदन के सदस्यों को जानकारी नहीं दी जावेगी, तब तक सदन के सदस्यों को सन्तोष नहीं मिलेगा। यह विषय काफी गम्भीर है। जैसा आपने बताया कि इतनी विस्तृत जानकारी की आवश्यकता है कि जिसके बिना इस विषय में पूरा न्याय नहीं किया जा सकता। मैंने इस सम्बन्ध में अपना मोशन भी दिया था लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया। मैं यह पूछना चाहता हूं कि सीवरेज के लिये, जल प्रदाय योजना के लिए जब परियोजना को लागू किया तो मुख्य मुख्य, बड़े-बड़े शहरों को ही क्यों चुना? जहां छोटी छोटी समस्यायें हैं उनको क्यों नहीं चुना गया?

श्री अध्यक्ष: आपने इस प्रश्न को पढ़ा नहीं है।

श्री राजबहादुर: अगर आप उत्तर नहीं देना चाहें तो न दें लेकिन इस प्रकार की बात में न पड़ें।

श्री अध्यक्ष: श्री परसराम मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा: (भोपालगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है वह क्वेश्चन के आर्बिट में आता है या नहीं आता है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि विश्व बैंक से जो सौ करोड़ रुपया जल प्रदाय योजनाओं के लिये दिया गया था उसमें सीवरेज की योजना भी है या नहीं? दूसरा मेरा प्रश्न है कि वर्ल्ड बैंक के सामने राज्य सरकार ने भारत सरकार के मार्फत प्रोजेक्ट की बात रखी है, उसके बाद उन्होंने आउट ले किया है तो क्या आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट के फलस्वरूप सलेक्ट किये गये जिलों की जांच करने के लिये वर्ल्ड बैंक के एक्सपर्ट्स को दुबारा आमन्त्रित करना चाहते हैं?

श्री राजबहादुर: यह आर्बिट में कैसे आता है यदि पहला नहीं आता है तो?

श्री रामपाल उपाध्याय: माननीय सदस्य ने पूछा है उसके सम्बन्ध में निवेदन है कि 10 जिलों के लिए और 3 शहरों के लिए दोनों योजनाओं के लिए है सौ करोड़ रुपया है। सीवरेज योजना अलग से नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न: श्री समर्थ लाल।

राजगढ़ (अलवर) पंचायत समिति के ग्रामों का विद्युतीकरण

362. श्री समर्थ लाल (राजगढ़): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि पंचायत समिति राजगढ़ (अलवर) के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो इस योजना की स्वीकृति में कितना समय लगेगा?

उप मंत्री, विद्युत् (श्री अब्दुल रहमान चौधरी): पंचायत समिति राजगढ़ (अलवर) के लिये 128 ग्रामों के विद्युतीकरण की ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की एक "ओ. बी." श्रेणी की योजना मण्डल द्वारा दिनांक 21-6-80 को स्वीकृत कर दी गयी है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ओ. बी. श्रेणी क्या होती है ?

श्री समर्थ लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इस पर कार्य कब से शुरू हो जायेगा, इसका क्रियान्वयन कब से शुरू होगा ? क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस योजना का क्रियान्वयन कब से होगा ?

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : ओ. बी. श्रेणी का कोई खास मतलब भी नहीं है।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी: आपने 2-3 प्रश्न किये हैं, उसका उत्तर फिर दूंगा पहले आप रिपीट कर दीजिए।

श्री समर्थ लाल: मैंने यह पूछा है कि इस योजना पर कार्य कब से शुरू हो जायेगा, मौके पर कब क्रियान्वयन शुरू होगा ?

श्री अब्दुल रहमान चौधरी: दिनांक 21-6 को इस योजना की स्वीकृति दी गयी है अब काम शुरू होने ही वाला है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री सूरजपालसिंह

डिसपेन्सरीज में कम्पाउन्डर्स के स्थान पर डाक्टर्स का पदस्थापन करना

363. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सही कि मलेरिया विभाग में एम. बी. बी. एस. डाक्टर लम्बे समय से उप मुख्य चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य अधिकारी मलेरिया के पद पर कार्यरत हैं जब कि प्रशासनिक कार्य अधिक होने पर इस पद का कार्य मलेरिया विभाग का सहायक मलेरिया अधिकारी कर सकता है ? सरकार उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (मलेरिया) के पद पर एम. बी. बी. एस. डाक्टर की नियुक्ति ही क्यों उचित समझती है ?

(2) क्या यह सही ह कि कई डिस्पेन्सरीज में डाक्टर्स के अभाव में फर्स्ट ग्रेड एवम् सैकण्ड ग्रेड कम्पाउण्डर काम कर रहे हैं ? यदि हां, तो राज्य भर की विभिन्न डिस्पेन्सरीज एवं अस्पतालों में कार्यरत ऐसे कम्पाउन्डर्स की सूची सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा मंत्री (श्री बद्री प्रसाद गुप्ता): अध्यक्ष महोदय सहायक डाक्टर अधिकृत नहीं हैं, इसलिए उनको काम करने की इजाजत नहीं है। 70 डिस्पेन्सरीज में डाक्टरों का अभाव है, डाक्टरों का काम कम्पाउण्डर नहीं करते। फर्स्ट ग्रेड तो इसमें लगाये ही नहीं जाते हैं और सैकण्ड ग्रेड को काम करने का अधिकार नहीं है।

(1) जी हां, जब से मलेरिया विभाग बना है, तभी से एम.बी.बी.एस. डाक्टर कार्यरत हैं।

(2) जी नहीं।

(3) यह सारे भारतवर्ष की भारत सरकार द्वारा अपनाई गयी नीति के अनुसार है। राज्य सरकार जनता को अच्छी सेवायें देने के लिए भारत सरकार की नीति के अनुसार एम. बी. बी. एस. डाक्टर को ही इस पद के लिए उचित समझती है। जी नहीं।

शेष प्रश्न नहीं उत्पन्न होता।

श्री सूरजपाल सिंह : जो डिप्टी सी. एम. एच. ओ. मलेरिया के अन्दर लगाये गये हैं,

(22)

(श्री सूरजपाल सिंह)

उनका मुख्य काम क्या है ? मेरा प्रश्न सीधा-सादा है कि जब काम ही एडमिनिस्ट्रेटिव है तो एम.बी.बी.एस. डाक्टर को क्यों लगाया जाता है जब कि कई डिस्पेन्सरीज के अन्दर डाक्टर उपलब्ध नहीं हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, यह काम बहुत इम्पोर्टेन्ट है। मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम एक पालिसी है। इसके लिए खून की जांच की जाती है। वहां एम.बी.बी.एस. डाक्टर्स इसलिए लगाये जाते हैं क्योंकि बहुत माइन्यूट काम होता है, मच्छर कैसा है, किस किस्म का है। किटाणु की जांच करनी पड़ती है। जो सहायक अधिकारी है वे टैस्ट करते हैं और रिपोर्ट देते हैं, इसलिए वहां पर एम. बी. बी. एस. डाक्टर लगाये जाते हैं।

श्री सूरजपाल सिंह : डिप्टी सी.एम.एच.ओ. तो प्रशासनिक काम ही करता है। एम. एच. आई. और सी. पी. आई. जो हैं, यह उनकी सारी जांच करते हैं, तो एम. बी. बी.एस. का सारा काम एडमिनिस्ट्रेटिव ही रह जाता है। मेरा जो प्रश्न है वह बिल्कुल सीधा-सादा है। वहां केवल प्रशासनिक काम ही है। इसके अलावा कोई काम नहीं है। आप एक्सपर्ट के काम की बात कह रहे हैं तब क्यों नहीं उन एम.बी.बी.एस. की जगह फर्स्ट ग्रेड या सैकेंड ग्रेड कम्पाउन्डर्स क्यों नहीं लगा दिये जाते? डिप्टी सी.एम.एच.ओ. का केवल प्रशासनिक काम है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल टैक्निकल काम है, इसे टैक्निकली एक्सपर्ट व्यक्ति ही कर सकते हैं। मलेरिया के अन्दर सहायक मलेरिया अधिकारियों को ट्रेनिंग देकर लगाते हैं। बाद में प्रमोशन पाकर वे उस पद पर पहुंच जाते हैं। वह एम. बी. बी. एस. डाक्टर नहीं हैं। वह सिर्फ मलेरिया ट्रेंड हैं, टैक्निकल एक्सपर्ट हैं। फिर सारे हिन्दुस्तान का पैटर्न एक ही है। भारत सरकार का पैटर्न है। मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का सारा खर्चा भारत सरकार देती है इसलिए पैटर्न नहीं बदला जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

श्री दिनेशराय डांगी : अध्यक्ष महोदय, एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : पूछ लें।

श्री दिनेशराय डांगी : भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य ने जैसा कहा कि कई जगहों पर डाक्टर नहीं होते हैं फिर भी डिप्टी सी. एम. एण्ड एच. ओ. के पद पर एम. बी. बी. एस. लगा रखे हैं जब कि वहां पर उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। डी. एम. एच. ओ. पहले से ही वहां पर हैं वे इस काम को देख सकते हैं तो एम. बी. बी. एस. को लगाने की क्या आवश्यकता है। कई जगहों पर डाक्टर डेपुटेशन पर लगे हुए हैं जब कि खाली जगह पड़ी हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय मेरा प्रश्न सं. 364 स्थगित किया जावे। मेरे तीन चार प्रश्न पहले भी इस प्रकार से आने से रह गए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस तरह से प्रश्न स्थगित नहीं होते।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरे प्रश्न पहले भी रह चुके हैं। यह मेरा प्रश्न बहुत ही लोक महत्व का है।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, बीच में व्यवधान होने से मेरा प्रश्न आने से रह गया है। अध्यक्ष महोदय····

श्री अध्यक्ष : यही मैं भी निवेदन कर रहा हूं।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : मेरे पांच प्रश्न पहले भी रह चुके हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : अब प्रश्न स्थगित नहीं किये जा सकते। अफसोस है मुझे कि आपका प्रश्न नहीं आ सका।

(व्यवधान)

श्री सुखलाल सैणचा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सं. 374 स्थगित किया जावे। बगड़ी के सरपंच को वहां के एस. पी. ने गिरफ्तार कर रखा है····

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

विधि और नियमों के अन्तर्गत किसी और तरीके से लायें आप अगर आपको कोई कठिनाई है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

मोरीजा, बन्दोल की लोहे की खानें

355. श्री तेजपाल (चौमूं) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मोरीजा, बन्दोल की लोहे की खानों का कितनी बार सर्वेक्षण हुआ है? विभाग द्वारा खनन की सम्भावना की जांच पर कितनी राशि व्यय की गई है? कृपया रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या गत सरकार ने उक्त खानों पर मिनी इस्पात का कारखाना स्थापित करने का निर्णय लिया था?

(3) क्या सर्वेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखानुसार उक्त खानों पर दस हजार श्रमिकों को रोजगार मिलने की सम्भावना है? यदि हां, तो सरकार खदानों को कब चालू कर रही है?

उत्तर

(1) मोरीजा, बन्दोल की लोह अयस्क की खानों का सर्वेक्षण राज्य के खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा वर्ष 1954–55, 55–56 में किया गया। खनन विकास हेतु विस्तृत जांच कार्य छिद्रण (ड्रिलिंग) द्वारा वर्ष 1964–65 में किया गया जिस पर कुल व्यय रु. 1,89,433.17 हुआ है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

24

राजस्थान मुख्य नहर की बुर्जी के टूटने से प्रभावित काश्तकारों को मुआवजा

356. **श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह** (गुढ़ा मालानी) : क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान मुख्य नहर 350 बुर्जी के टूट जाने के फलस्वरूप आसपास की ढाणियों के क्षेत्र में पानी भर जाने के कारण क्षेत्र के काश्तकारों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा है ? ऐसे काश्तकारों की कितनी संख्या है ?

(2) क्या सरकार ने इन काश्तकारों के नुकसान का तखमीना बनवाया है ? ऐसे कुल कितने काश्तकार हैं जिन्हें मुआवजा दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नहर टूटी ही नहीं है अतः आसपास की ढाणियों के क्षेत्र में पानी भर जाने व काश्तकारों को अपने घरों को छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कृषि विभाग में आरक्षण नियमों की अनुपालना

316. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

क्या कृषि विभाग ने नियुक्तियों एवं पदोन्नतियों में आरक्षण नीति की पालना की है ? यदि हां, तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को कितने प्रतिशत लाभ पहुंचा ?

उत्तर

जी, हां। सन् 1979 की गणना के अनुसार निर्धारित योग्यता के आधार पर उपलब्धतानुसार अनुसूचित जाति व जन जाति के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को पहुंचे लाभ का प्रतिशत निम्न प्रकार है:–

	अधिकारी	कर्मचारी
अनुसूचित जाति	2 प्रतिशत	10 प्रतिशत
अनुसूचित जन जाति	1 प्रतिशत	7 प्रतिशत

जिला चित्तौड़गढ़ की कृषि उपज मंडियां

317. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

जिला चित्तौड़गढ़ में कितनी कृषि उपज मंडियां हैं ? क्या ये कृषि उपज मण्डियां अपने मुख्यालय पर ही कार्य कर रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

चित्तौड़गढ़ जिले में 7 कृषि उपज मंडी समितियां हैं। जी हां सभी सातों मंडी समितियां अपने अधिघोषित मुख्यालयों पर ही कार्य कर रही हैं।

जिला बूंदी के चिकित्सालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पद

318. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(श्री गोपाल पचेरवाल)

(1) राज्य में सन् 1978-79 तथा 1979-80 में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नई डिस्पेन्सरीज व रेफरल हॉस्पिटल्स खोले गये ? सूची सदन के पटल पर रखने का श्रम करें ।

(2) जिला बूंदी में स्वास्थ्य विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कितने पद कब से और क्यों रिक्त हैं ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति वर्ष 1980-81 तक के लिए स्थगित की हुई है ? यदि हां, तो क्या यह स्थगन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी है ?

उत्तर

(1) सन् 1978-79 तथा 1979-80 में स्वीकृत किये गये चिकित्सा संस्थानों का ब्यौरा इस प्रकार है :– [सूची संलग्न है]

वर्ष 1978-79

शहरी डिस्पेन्सरी	19
ग्रामीण डिस्पेन्सरी	31
[उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र] रेफरल अस्पताल	5

वर्ष 1979-80

शहरी डिस्पेन्सरी	9
ग्रामीण डिस्पेन्सरी	52
रेफरल अस्पताल [उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र]	5

वर्ष 1978-79 व 1979-80 में कोई नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोला गया है क्योंकि सभी 232 पंचायत समितियों में एक एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत थे ।

(2) जिला बूंदी में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कुल 8 पद निम्न स्थानों पर रिक्त हैं :—

1. बड़ाखेड़ा	4	1979 से रिक्त हैं ।
2. करवर	1	–यथा–
3. कोटा डैम	2	–यथा–
4. बूंदी अस्पताल	1	1980 से रिक्त है ।

वर्ष 1979–80 एवं 1980–81 में राज्य सरकार द्वारा लगाये प्रतिबन्धों के कारण रिक्त पदों की पूर्ति नहीं की जा सकती थी । अब नियुक्ति करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

(3) (i) जी हां	यह आदेश दिनांक 21-7-80 को वापस लिये गये हैं अब नियुक्तियां की जा सकती हैं ।
(ii) जी हां	

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

प्रतापगढ़ तहसील के चिकित्सालय

319. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़):–क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

तहसील प्रतापगढ़ में विभिन्न श्रेणी के कितने चिकित्सालय स्थित है ? क्या इन चिकित्सालयों में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार अधिकारी एवं कर्मचारी सेवारत हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जिला चित्तौड़गढ़ की प्रतापगढ़ तहसील के अन्तर्गत 5वीं श्रेणी के निम्न तीन चिकित्सालय कार्यरत हैं:–

1. जनरल अस्पताल प्रतापगढ़ 45 रोगी शय्याएं ।

(चिकित्सा मंत्री)

2. जनाना अस्पताल प्रतापगढ़ 30 शय्याएं।

3. क्षय निवारण केन्द्र प्रतापगढ़ 20 शय्याएं।

इन चिकित्सालयों में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार स्टॉक है।

लूणकरणसर-कुंभाना सड़क का निर्माण

320. श्री मालूराम लेघा (लूणकरणसर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या लूणकरणसर-कुंभाना सड़क का निर्माण कार्य सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कार्य कब तक सम्पन्न होगा?

उत्तर

जी हां।

उक्त सड़क मिल्क रूट स्कीम में 37.50 लाख रु. की लागत से मन्जूर हुई है। 0 से 10 कि. मी. का कार्य प्रगति पर है तथा इस वित्तीय वर्ष में पूरा होने की सम्भावना है। 10 से 25 कि. मी. के कार्य के लिये निविदायें प्राप्त की जा चुकी हैं तथा राज्य के विचाराधीन हैं। शीघ्र ही इस पर कार्यवाही की जायेगी तथा सड़क का यह भाग मार्च, 1982 तक पूरा होने की सम्भावना है।

लूणकरणसर-छत्तरगढ़ सड़क का निर्माण

321. श्री मालूराम लेघा (लूणकरणसर):–क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या सरकार को विदित है कि लूणकरणसर-छत्तरगढ़ सड़क के निर्माण से दो शहरी क्षेत्रों एवं उनके भीतरी हिस्सों का संबंध जुड़ेगा जिससे उक्त क्षेत्र के यातायात में वृद्धि के साथ रोजगार के नए साधन उपलब्ध होने में सहायता मिलेगी? यदि हां, तो सरकार का इस सड़क निर्माण के बारे में क्या विचार है?

उत्तर

छत्तरगढ़ राजस्थान कैनाल क्षेत्र में स्थित है एवं लूणकरणसर भी राजस्थान कैनाल क्षेत्र में स्थित है परन्तु लिफ्ट सिंचाई योजना क्षेत्र में है। छत्तरगढ से लूणकरणसर की दूरी लगभग 74 कि. मी. है। इस सड़क का एक हिस्सा (छत्तरगढ़ से कानोलाई), जिसकी लम्बाई 30 कि. मी. है उसके लिए 30 लाख की स्वीकृति प्लान मद से 1979-80 में की जा चुकी है एवं यह कार्य प्रगति पर है। इसी तरह लूणकरणसर से कुंभाना तक 32 कि. मी. की स्वीकृति रु. 25 लाख की मिल्क रूट्स के तहत हो चुकी है। बाकी करीब 12 कि. मी. का कार्य बाद में स्वीकृति मिलने पर करवाया जायेगा।

राजस्थान वित्त निगम द्वारा उद्योगों को प्रदत्त ऋण

322. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सन् 1977–78 से अब तक राजस्थान वित्त निगम द्वारा किस किस

(सुश्री पुष्पा जैन)

उद्योग के लिये कितना कितना ऋण स्वीकृत किया गया और स्वीकृत ऋण में से किस-किस उद्योग को कितना कितना ऋण बांटा गया और कब कब ? स्वीकृति की तिथि और वितरण की तिथि में जो अन्तराल रहा उसके क्या कारण हैं ?

(2) किन किन उद्योगों ने ऋण प्राप्त करने के बाद वित निगम एवं उद्योगपतियों के बीच तय हुई शर्तों का पालन किया है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उन दोषी उद्योगपतियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई जिन्होंने शर्तों का पालन नहीं किया ?

उत्तर

(1) निगम द्वारा वर्ष 1977-78 से 1979-80 तक कुल 4077 औद्योगिक इकाइयों को रुपये 54.19 करोड़ के ऋण स्वीकृत किये गये और 3027 औद्योगिक इकाईयों को 31.14 करोड़ रुपये वितरित किए गए। स्वीकृत ऋणों का अधिकांश भाग टैक्सटाइल, खनन, खाद्य एवं पेय पदार्थ, आधारभूत धातु एवं परिवहन उद्योगों को दिया गया है। चूंकि सम्पत्ति सृजन में समय लगता है और ऋण वितरण सम्पत्ति सृजन के साथ साथ ही होता है अतः ऋण स्वीकृति एवं वितरण में अन्तराल रहना स्वाभाविक ही है। उपरोक्त अन्तराल एक वर्ष के ऋण स्वीकृति से कम है।

(2) वर्ष 1977-78 में 194 औद्योगिक इकाईयों के अलावा ऋण प्राप्त करने के बाद निर्धारित शर्तों का पालन किया है।

(3) यदि कोई उद्यमी ऋण अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन करता है तो कार्यवाही मुख्यतः इस बात पर निर्भर करती है कि उल्लंघन किस प्रकार का है। यदि ऋण का पुनर्भुगतान की शर्तों का उल्लंघन होता है तो भुगतान न होने पर उद्यमी को नोटिस दिया जाता है एवम् भुगतान करने हेतु व्यक्तिगत सम्पर्क भी साधा जाता है। यदि उल्लंघन किन्हीं उचित कठिनाइयों के कारण हो तो अनुबन्ध की शर्तों में संशोधन भी किया जाता है जानबूझ कर किये गये उल्लंघनों में राज्य वित्त निगम अधिनियम की धारा 29 व 30 के अन्तर्गत औद्योगिक इकाई का कब्जा लेकर उसे बेच कर वसूली की जाती है।

चोरी के मामले में गिरफ्तार सांसी जाति के व्यक्ति का प्रकरण

323 श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व पुलिस अधीक्षक, टौंक श्री अरुण दूगड़ के कार्यकाल में चोरी के मामले में बागरिया या सांसी जाति के लोगों को गिरफ्तार किया गया था तथा उनको किसी मामले में मध्य प्रदेश की सरकार ने मांगा था ? यदि हां, तो उन्हें सौंपा गया या नहीं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त मामले की प्राथमिक जांच, शिकायत के आधार पर, अतिरिक्त महा निरीक्षक आरक्षि द्वारा की गई थी..? यदि हां, तो उस जांच में दोषी पाये जाने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(श्री हंसराज शर्मा)

(3) क्या यह सही है कि उस जांच रिपोर्ट के बाद भी किसी बड़े अधिकारी को अब तक कोई सजा नहीं दी गई है ? यदि हां, तो किस कारण से ?

(4) क्या यह सही है कि यह पत्रावली सरकार के पास है ? यदि हां, तो इस मामले में कब तक कार्यवाही की जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बागरिया व सांसी जाति के लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया था। कंजर जाति के लोगों को चोरी के सिलसिले में दबिश देकर पकड़ा था। मध्य प्रदेश पुलिस को उन्हें नियमित रूप से प्राप्त करने में वांछित कानूनी सहायता दी गई थी।

(2) जी हां, अपर पुलिस महानिरीक्षक, सी.आई.डी., क्राइम एण्ड इन्टेलीजेन्स ने जांच की। कार्मिक विभाग उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर रहा है।

(3) जी नहीं। विभागीय कार्यवाही चल रही है।

(4) जी हां, संबंधित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्मिक विभाग में कार्यवाही चल रही है।

ग्राम पंचायत डूंगला (चित्तौड़गढ़) के सरपंच के विरुद्ध मुकदमा

324. श्री नन्दलाल भीणा (प्रतापगढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि श्री वरदी चन्द मेहता, सरपंच, ग्राम पंचायत डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ के विरुद्ध पुलिस थाना डूंगला में दर्ज एफ.आई.आर. नं. 32 सन् 72 की पुलिस द्वारा जांच पूरी कर ली गई है ? यदि हां, तो क्या उनके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो मुकदमा न्यायालय में प्रस्तुत न करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उत्तर

जी हां, मामला पंचायत एवं विकास विभाग में विचाराधीन है।

राजस्थान नहर एवं लिफ्ट कैनाल क्षेत्र में चरागाह आदि स्थापित करना

325. श्री मालूराम लेघा (लूणकरणसर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही कि है राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राजस्थान नहर एवं लिफ्ट कैनाल क्षेत्र में धोरा स्थिरीकरण, गांवाई जंगलात एवं चरागाह स्थापित करने का सुझाव दिया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

जी हां।

कार्यों का विवरण संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

पंचायत समिति मनोहरथाना क्षेत्रान्तर्गत पक्की सड़कों का निर्माण

326. श्री भैरूलाल (मनोहरथाना): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने

(श्री भैरुंलाल)

की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, मनोहरथाना क्षेत्र से हरनावदा तक की इस 25 कि. मी. दूरी में कोई पक्की सड़क नहीं है जिसके कारण उक्त क्षेत्र की 8 ग्राम पंचायत क्षेत्र की जनता को अकलेरा से मनोहरथाना आने जाने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है?

(2) क्या सरकार इस क्षेत्र की जनता की सुविधार्थ उक्त क्षेत्र में पक्की सड़कों का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। इस क्षेत्र में 1500 से ज्यादा आबादी के गांवों को पक्की सड़क द्वारा जोड़ने के प्रस्ताव पर विचार रखती है। इन सड़कों को बनाने का कार्य बजट प्रावधान पर निर्भर करेगा।

चौमूं से चन्दवाजी मार्ग पर विभागीय कार्यों हेतु ठेका

328. श्री तेजपाल (चौमूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) चौमूं से चन्दवाजी मार्ग पर श्री ग्यारसीलाल ठेकेदार को कब से विभागीय कार्यों के ठेके दिये जा रहे हैं? अब तक उन्हें कितने रुपयों के ठेके दिए जा चुके हैं?

(2) श्री ग्यारसीलाल ठेकेदार के पुत्र श्री गिरधारी लाल गुप्ता के नाम विभाग की कितनी रकम बकाया है? उसकी वसूली के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) श्री ग्यारसीलाल को चौमूं चन्दवाजी सड़क पर कोई भी विभागीय कार्य नहीं दिया गया है।

(2) (अ) जिला खण्ड-प्रथम, जयपुर में पुराने व चालू कार्यों के तहत ग्यारसीलाल ठेकेदार के पुत्र श्री गिरधारी लाल गुप्ता के नाम 2,26,375/–रु. बकाया है।

जिन कार्यों के लिये बकाया है उनके फाइनल बिलों का निपटारा होना शेष है तथा फाइनल बिलों के भुगतान से इस बकाया राशि को वसूल कर ली जायेगी।

(ब) जिला खण्ड द्वितीय जयपुर में उक्त ठेकेदार के नाम 6907/– रु. बकाया है। यह कार्य प्रगति पर है और समय समय पर बिलों के साथ रकम की वसूली की जा रही है।

प्रतापगढ़ से नीमच सड़क का निर्माण

329. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या सरकार का प्रतापगढ़ से नीमच तक सड़क का निर्माण कराने का विचार है? यदि हां, तो इस सड़क के निर्माण में कितनी राशि व्यय होगी?

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

उत्तर

जी हां,

प्रतापगढ़ से नीमच सड़क के लिये अकाल राहत कार्यों के तहत एडवान्स प्लान के मद से 5.80 लाख रु. की स्वीकृति दी गई थी। इस सड़क की राज्य सीमा तक लम्बाई करीब 22 कि. मी. है। उपरोक्त स्वीकृति के काम पूरा करने के बाद करीब 25 लाख रु. की स्वीकृति की और आवश्यकता होगी।

माचाड़ी से सालोली सड़क का निर्माण

331. **श्री समर्थ लाल** (राजगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राजगढ़ तहसील में माचाडी से सालोली सड़क गत 8–10 वर्षों से अधूरी पड़ी हुई है? यदि हां, तो इस पर कितना कार्य पूरा हो चुका है एवं कितना कार्य शेष है तथा यह कार्य कब तक पूरा किया जावेगा?

उत्तर

जी हां,

इस मार्ग की कुल लम्बाई 7 कि. मी. है। सन् 1970 में इस सड़क के 4 कि. मी. बनाने की स्वीकृति हुई थी। उस समय स्वीकृत राशि के अनुसार 3.5 कि.मी. सड़क का कार्य पूर्ण हो चुका था। अब 3.5 कि.मी. का कार्य शेष है। फिलहाल 1500 से अधिक की आबादी के निर्धारित मापदण्ड में ग्राम सालोली नहीं आने के कारण शेष सड़क का निर्माण कार्य कराना सम्भव नहीं है।

धाभाई जी की हवेली, जयपुर में विद्युत् की नई वायरिंग

332. **श्री कुन्जी लाल** (बामनवास) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या धाभाई जी की हवेली में बिजली की नयी वायरिंग के लिए विभाग द्वारा अनुज्ञा दे दी गयी है? यदि हां, तो कब तक तथा क्या सभी क्वार्टर्स में वायरिंग करा दी गयी है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं।

सभी क्वार्टरों में नई वायरिंग कराने का प्रश्न ही नहीं उठता है, चूंकि इस कार्य के लिए कोई स्वीकृति नहीं है। इस भवन पर पंखे एवं ट्यूब लाइट लगाने की स्वीकृति 19000/– रु. की 25–5–79 को दी गई थी। इस स्वीकृति से संबंधित कार्य (बिजली के तार आदि सही करने का कार्य) करवाया गया है।

ढूण्ड नदी (जयपुर ग्रामीण) पर पुल निर्माण

333. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में बहने वाली ढुण्ड नदी पर पुल बनाने के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत हुई है?

(2) उक्त राशि कब प्राप्त हुई तथा पुल निर्माण की स्वीकृति कब हुई?

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

(3) अब तक पुल निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं करने के क्या कारण हैं ? अब कब तक कार्य प्रारम्भ किये जाने का इरादा है ?

उत्तर

(1) इस कार्य की स्वीकृति लागत 8.00 लाख रुपयों की है।

(2) यह राशि 1978 में प्राप्त हुई थी एवं इसकी स्वीकृति क्रमांक एफ.2(10) पी. डब्ल्यू/प्लान/ 1978–79 दिनांक 14–6–78 के द्वारा प्राप्त हुई थी।

(3) पुल निर्माण कार्य संवेदक को दिनांक 5–2–79 को आवंटित कर प्रारम्भ करा दिया था। लेकिन संवेदक द्वारा कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है। शेष कार्य अन्य संवेदक को आवंटित करने की कार्यवाही की जा रही है।

ग्राम कटालिया (पाली) के पास विचाराधीन सिंचाई योजना

334. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या पाली जिले के ग्राम कटालिया के पास कोई सिंचाई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसे कब तक मूर्त रूप दे दिया जावेगा ?

उत्तर

जी हां।

इसका तखमीना तैयार किया जा रहा है। उसके बनने के पश्चात् योजना यदि उपयुक्त हुई तो सरकार विचार करेगी।

सोजत व रायपुर में सिंचाई के साधन

335. **श्री सुखलाल सेंणचा** (रायपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पाली जिले में सोजत एवं रायपुर तहसीलों में कौन-कौन से बड़े बांध, कौन-कौन से सिंचाई की क्षमता रखने वाले तालाब व छोटे बांध बने हुए हैं ? उनकी क्षमता, नयी प्रस्तावित मौजूदा नहरों के विस्तार की योजना और उन जलाशयों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें, जिनका पानी नहरों के अभाव में पड़ा रहता है ?

(2) क्या यह सही है कि रायपुर-दीपावास बांध का पानी भारी मात्रा में नीचे सीपेज होता है ?

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम भूठा के एक सेठ ने कुआं बनाकर पिपलीया के पिछड़ी जाति के लोगों के खेतों की पिलाई की थी ?

(4) क्या यह प्रस्तावित है कि इस प्रकार की एक लघु सिंचाई योजना (लिफ्ट सिस्टम) के अनुसार भूठा, पिपलीया, बासिया मोहरा, रामपुरा, देवली आदि गांवों में असिंचित भूमि में पाइपों के द्वारा अलग-अलग गांवों में सीधी (24 इन्च) चौड़े में रायपुर, दीपावास बंधे के नीचे कुएं बनाकर सिंचाई हेतु पानी दिया जा सकता है।

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना पंचायतों या सहकारी समितियों के माध्यम से गांव वाले लेने को तैयार हैं ?

(सिंचाई मंत्री)

उत्तर

(1) सोजत व रायपुर तहसील के सिंचाई के बड़े व छोटे बांधों की क्षमता आदि संलग्न प्रपत्र 'अ' में अंकित है। सोजत तहसील का एक छोटा बांध देवली हुल्ला है जिसकी क्षमता 15 एमसीएफटी तथा 150 एकड़ भूमि सिंचित कर सकता है। इसकी नहर नहीं बनी हुई है। छोटा बांध होने से सिंचाई के समय तक मोरी के लेवल से पानी नीचे उतर जाता है जिससे केवल पेटा काश्त ही हो पाती है। नहर बनाने का कार्य अब प्रस्तावित है। रायपुर के गिरी बांध में नहरों के विस्तार हेतु तखमीना प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त नहरों के अभाव में किसी बांध का पानी बेकार नहीं पड़ा रहता है।

(2) रायपुर दीपावास बांध से भारी मात्रा में पानी सीपेज नहीं होता है।

(3) यह प्रश्न सिंचाई विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

(4) सिंचाई विभाग के अधीन रायपुर क्षेत्र में लिफ्ट सिंचाई की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

(5) लिफ्ट सिंचाई की योजना पंचायत या सहकारी समितियों के जरिए करने बावत सिंचाई विभाग के अधीन कोई योजना नहीं है।

(प्रपत्र 'अ' के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

गिराब-खड़ीन (बाड़मेर) जलदाय योजना

336. श्री अमीन खां (शिव) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या बाड़मेर जिला की गिराब-खड़ीन योजना सुचारु रूप से चल रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या गिराब-खड़ीन योजना को सुचारु रूप से चलाने के लिये बीच में खुड़ानी ग्राम में मीठा पानी है ? क्या खुड़ानी में नल कूप खोद कर इस योजना को सुचारु रूप से चलाने का सरकार विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां, वर्तमान में गिराब-खड़ीन योजना सुचारु रूप से चल रही है। किन्तु पिछली गर्मियों में योजना के अन्तिम छोर के ग्राम खड़ीन, चाडी चांडार व सतराउ गांवों को जल वितरण नहीं हो सका क्योंकि शुरू के ग्रामों में खपत अधिक थी तथा योजना के स्रोतों से अकाल के समय टैंकरों द्वारा भी पानी लिया गया था।

(2) इस सम्बन्ध में भू-जल विभाग से सर्वेक्षण हेतु कहा जा रहा है। ग्राम खड़ानी में अभी सतही जल ही प्राप्त किया गया है। भूमिगत जल के विषय में अभी सर्वेक्षण बाकी है जिसके होने के पश्चात् ही स्रोत में वृद्धि करने के प्रस्ताव पर विचार करना सम्भव होगा।

निवाई कस्बे के लिये समुचित पेयजल की व्यवस्था

337. **श्री महावीर प्रसाद जैन(टौंक)**– क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या निवाई कस्बे में वर्तमान में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था है ?

(2) यदि नहीं, तो इसके सुधार हेतु क्या कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो इस पर अनुमानित खर्च कितना होगा एवं यह योजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

उत्तर

(1) निवाई कस्बे को वर्तमान में डेढ लाख गैलन पानी प्रतिदिन वितरित किया जा रहा है। कस्बे की वर्तमान में जल की आवश्यकता 20 गैलन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के अनुसार लगभग 3.80 लाख गैलन है।

(2) निवाई कस्बे में जल आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु भूजल विभाग द्वारा सर्वेक्षण किया गया है। उनके द्वारा चयनित स्रोत स्थल पर परीक्षण हेतु नलकूप लगाने का प्रस्ताव है। पुनर्गठित योजना पर छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में 6 लाख रु. का व्यय प्रस्तावित है जो धन उपलब्धि के अनुसार योजनाकाल में उपलब्ध कराया जायेगा।

बूज नकली घाटी–नायला सड़क का निर्माण

338. **श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)**: क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

जमवारामगढ़ पंचायत में पड़ने वाली बूज नकली घाटी–नायला सड़क का निर्माण कार्य कब तक समाप्त हो जावेगा ? यह कार्य कब प्रारम्भ किया गया था तथा निर्माण कार्य में देरी के क्या कारण रहे हैं ?

उत्तर

जमवारामगढ़ पंचायत में पड़ने वाली नकवी घाटी नायला रोड का निर्माण कार्य मार्च, 81 तक सम्पूर्ण होने की सम्भावना है। यह कार्य 23-3-78 को प्रारम्भ किया गया था। संवेदक को आवंटित दिनांक 23-3-78 को किया गया था एवं कार्य अधूरा छोड़ने के कारण अन्य संवेदक को आवंटित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। इसी कारणवश कार्य में देरी हुई है।

निवाई से बोंली तक सड़क का निर्माण

339. **श्री महावीर प्रसाद जैन(टौंक)**: क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या निवाई से बोंली तक सड़क निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो विभाग की शर्तों के अनुसार यह कार्य कब तक पूर्ण हो जाना चाहिए था ? उपरोक्त सड़क का निर्माण कार्य अब कब तक पूरा हो जावेगा ?

उत्तर

जी हां। विभाग द्वारा टेन्डर में दी गई शर्तों के अनुसार यह कार्य 19-9-81 तक पूर्ण होना है। इस कार्य के उक्त समय तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

(34)

इन्द्रप्रस्थ क्षेत्र (कोटा) में स्थित उद्योग

340. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) श्री छीतरलाल आर्य (अटरू): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

कोटा नगर के इन्द्रप्रस्थ क्षेत्र में कौन कौन से उद्योग किस किस नाम से कार्यरत हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

कोटा नगर के इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत उद्योगों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

वार्डर पद पर चयनित व्यक्तियों की नियुक्तियां

341. श्री राम किशोर मीणा (सिकराय): क्या कारागृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जेल विभाग में वार्डर के पद हेतु मार्च, 80 में साक्षात्कार लिया गया था ? यदि हां, तो चयनित व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या उक्त साक्षात्कार में चयन समिति के सारे सदस्य उपस्थित थे ?

(3) क्या यह सही है कि चयनित अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्तियां नहीं दी गई हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

पंचायत समिति चाकसू की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

342. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या चाकसू पंचायत समिति की कोई ग्रामीण विद्युतीकरण योजना केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत की गई थी ?

(2) क्या वर्ष वार इसकी क्रियान्विति का लक्ष्य निर्धारित किया गया था ? यदि हां, तो क्या तद्नुसार लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयास किये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) जी हां, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा पंचायत समिति चाकसू के 189 ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु एक योजना माह मार्च, 1980 में स्वीकृत की गई थी।

(2) जी हां, इस योजना की क्रियान्विति के वर्षवार लक्ष्य योजना में प्रस्तावित हैं। प्रथम वर्ष में प्रस्तावित 76 ग्रामों में से 11 ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है। शेष के विद्युतीकरण का लक्ष्य के अनुसार प्रयास किया जा रहा है।

बागेरी बांध का सर्वेक्षण

343. श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या नाथद्वारा क्षेत्र के बागेरी बांध का सर्वेक्षण हुआ था ? यदि हां, तो सरकार कब तक इसका निर्माण कार्य प्रारम्भ करना चाहती है ?

उत्तर

बागेरी बांध का सर्वेक्षण नहीं हुआ। निर्माण कार्य करवाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) सर्व श्री गुलाबचन्द कटारिया, घनश्याम तिवाड़ी व 20 अन्य माननीय सदस्यों की ओर से जयपुर की इन्दिरा कालोनी में पथ परिवहन निगम के कुछ कर्मचारियों द्वारा एक युवती के साथ गत 3 अगस्त को किये गये बलात्कार की घटना के विषय में।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य: XXX

श्री अध्यक्ष : (2) श्री मेघराज तावड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर की नाथद्वारा तहसील के नापूवास क्षेत्र में फैल रही एक विशेष प्रकार की बीमारी से 6 व्यक्तियों की मृत्यु के विषय में।

(3) श्री समर्थलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से सिरसका गेम सैंक्चुरी को टाइगर प्रोजेक्ट बनाये जाने से हुई ग्रामवासियों को परेशानी तथा फसल नष्ट होने के विषय में।

(4) श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा जिले की ग्राम सेवा सहकारी समिति तलाब में 7-8 लाख रुपयों के गबन के विषय में।

(5) सर्वश्री चुन्नीलाल जेलिया व हंसराज शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई माधोपुर स्थित क्षय रोग निवारण केन्द्र का रोगियों का वार्ड आबादी के मध्य होने से उत्पन्न स्थिति के विषय में।

(6) सर्वश्री रामकिशोर मीणा व नाथू सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 3-4 अगस्त को ग्राम चांदूसा तहसील सिकराय में पड़ी सशस्त्र डकैती के विषय में।

(7) श्री रामरघुनाथ चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्री मुश्ताक पुत्र इशाक निवासी बड़ू जिला नागौर का अपहरण व उसकी हत्या के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री अध्यक्ष)

(8) श्री गोपाल पचेरवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला बूंदी की नगरपालिका लाखेरी के सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर किये गये समझौते की नगरपालिका द्वारा की जा रही उपेक्षा के विषय में।

(9) सुश्री पुष्पा जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से आमेर क्षेत्र में भारी वर्षा से उत्पन्न स्थिति के विषय में।

(10) सर्वश्री अनंग कुमार जैन व बालचन्द आर्यवीर, सदस्य, विधान सभा की ओर से झालावाड़ जिले में राजस्थान पथ परिवहन निगम की बसों की अव्यवस्था के विषय में।

(11) श्री नंदलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 30-7-80 को प्रतापगढ़ मंडी में ग्राम पंचायत सुहागपुरा के सरपंच द्वारा काम के बदले अनाज योजना में मजदूरों को दिये गये गेहूं की बोरियों को बेच देने के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों को राज्य सरकार के पास सूचनार्थ भेजा जा रहा है। मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है:—

(1) श्री दाऊदलाल जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई माधोपुर के जंगलों में अमेरिकन वैज्ञानिकों द्वारा हनुमान बन्दरों पर अनुसंधान करने के विषय में।

(2) श्री रामकुमार बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्रीमती फूला पत्नी शिवकरण जोगी, निवासी फागी की नसबन्दी और आपरेशन बिगड़ जाने से मृत्यु हो जाने के विषय में।

इन दोनों मामलों में सरकार की ओर से एक वक्तव्य दिया जावेगा। मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(3) श्री रतनलाल ताम्बी, सदस्य, विधान सभा की ओर से पुलिस कर्मचारियों की हड़ताल के फलस्वरूप बरखास्त किये गये कर्मचारियों को वापस राज्य सेवा में न लेने के विषय में।

प्राप्त तथ्यों से प्रकट होता है कि जोधपुर उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध राज्य सरकार की अपील विचाराधीन है और जयपुर उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय पर आगे की कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकार विचार कर रही है। अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

अब जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत हुए हैं, उनके मैं नाम बोल देता हूं। वे अपनी बात दो दो मिनट में कह दें।

श्री गोपाल पचेरवाल, बूंदी की नगरपालिका लाखेरी के सफाई कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में।

सुश्री पुष्पा जैन, आमेर के क्षेत्र में वर्षा और अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति।

सर्व श्री अनंगकुमार जैन और बालचन्द आर्यवीर, झालावाड़ जिले में राजस्थान पथ

(श्री अध्यक्ष)
परिवहन निगम की बसों की अव्यवस्था के विषय में।

श्री नन्दलाल मीणा, प्रतापगढ़ मंडी में ग्राम पंचायत सुहागपुरा के सरपंच के विषय में, और

श्री रतनलाल ताम्बी, पुलिस कर्मचारियों की बरखास्तगी के विषय में।

श्री गोपाल पचेरवाल।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर विचार

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव था उसके बारे में आपने यह व्यवस्था दी थी कि छः तारीख को वक्तव्य दिया जावेगा। उसके बारे में आपने कोई व्यवस्था नहीं दी। उपनिवेशन विभाग को...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुझे बहुत दुःख है, माननीय सदस्य, आपने आज की सूची को भी नहीं पढ़ा।

श्री देवीसिंह भाटी : सूची मुझे साढ़े दस बजे मिली है।

श्री अध्यक्ष : कृपया तैयारी करें।

श्री गोपाल पचेरवाल।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है कि गत महीनों में जयपुर नगर परिषद् के सफाई कर्मचारियों की लम्बे अर्से तक हड़ताल चली। मैं उसके कारणों में नहीं जाना चाहता कि उसमें सरकार दोषी थी या अधिकारी दोषी थे। इसी तरह से नगरपालिका लाखेरी के सफाई कर्मचारियों ने एक मांग पत्र पेश किया था मार्च में। श्रीमान, उस मांग पत्र पर दि. 27-3-80 को नगरपालिका के प्रशासक और कर्मचारियों के मध्य में समझौता हो गया। नगरपालिका के प्रशासन ने उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया था। उसके बाद निरन्तर नगरपालिका से, वहां के अधिकारियों से सफाई कर्मचारी आग्रह करते रहे, निवेदन करते रहे कि जब हमारी मांगों को मान लिया गया है, मांगों पर समझौता हो गया है तो प्रशासक उस समझौते की पालना क्यों नहीं करते। मांगों के अनुसार रुपया क्यों नहीं दिया जा रहा है।

(12.10 म. प.)

(श्री प्रद्युम्नसिंह, सभापति, पीठासीन)

समझौता होने के बाद उन्होंने दुबारा आग्रह किया तो एक अप्रेल को प्रशासक ने एक सप्ताह की अवधि मांगी। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह की अवधि में मैं आपकी मांगों को पूरा कर दूंगा। जो समझौता हुआ उस समझौते को लागू करने के लिये प्रशासन को इन्होंने एक सप्ताह का समय दिया कि इस एक सप्ताह में हमारी मांगे पूरी की जायें। एक सप्ताह निकल गया और अगस्त आ गया तो उन लोगों को 29 जुलाई से भूख हड़ताल करनी पड़ी। सोहनलाल भारती, जो अध्यक्ष हैं, भूख हड़ताल पर आज भी बैठे हैं। 29 जुलाई से भूख हड़ताल शुरू हो गई और बराबर चल रही है लेकिन जिला प्रशासन और नगरपालिका प्रशासन ने कोई ध्यान दिया नहीं है। प्रशासक समझौता करके मुकर जायें तो यह कहां का न्याय होगा। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आपके

(3cD)

(श्री गोपाल पचेरवाल)

अधिकारी जो समझौता करते हैं, उससे मुकर जायें और यह कह दें कि लोगों ने हमें सहयोग नहीं किया, इसमें एक रहस्य है। वहां जितने भी अधिकारीगण हैं, मैं समझता हूं वह सरकार से असहयोग कर रहे हैं, मंत्री जी से असहयोग कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान के मुख्य मंत्री हरिजन जाति के मुख्य मंत्री हैं वहां के अधिकारी जिला प्रशासन पर हावी है। राजस्थान का मुख्य मंत्री हरिजन है, वह राजस्थान का शासन नहीं चला सकता है। जो प्रशासन चला रहे हैं, उनका यह षड़यंत्र है। मैं राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगा एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति होने के नाते हरिजन मुख्य मंत्री से आग्रह करना चाहूंगा कि आप इन पर कन्ट्रोल करें। आपके अधिकारी आप से असहयोग कर रहे हैं। वह सोचते हैं कि राजस्थान का मुख्य मंत्री हरिजन है वह अधिकारियों पर शासन नहीं कर सकता है, कन्ट्रोल नहीं कर सकता है। अफसोस की बात है कि निरन्तर एक सप्ताह से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में, भरतपुर में भी भवानी मंडी में भी दो तारीख को समझौता हुआ। वहां भी लोगों को आम हड़ताल करनी पड़ी। यह मेरे पास सूचना आई है इस तरह से अधिकारी प्रशासन चला रहे हैं। मैं मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि वह इन लोगों पर काबू करें। हरिजनों की हमदर्दी की बात करते हैं, आज उन लोगों को मदद दें, उनको सहयोग दें। क्या आप भी उनकी बात नहीं सुनना चाहते हैं जिनकी बात आपके अधिकारीगण नहीं सुनना चाहते हैं? इस समस्या का किस तरह हल होगा? हर जगह राजस्थान में कोने-कोने में, चाहे भरतपुर ले लीजिये, कोटा ले लीजिये, झालावाड़ ले लीजिये, सफाई कर्मचारियों को हड़ताल करनी पड़ रही है। क्या इस खुशी में करनी पड़ रही है कि राजस्थान का मुख्य मंत्री हरिजन है? उनकी छोटी-छोटी मांगें हैं, जिनको अधिकारियों के लेवल पर निपटाया जा सकता है। राणावत पे कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने की बात है, उनकी वर्दियों की मांग है, उनकी छुट्टियों की मांग है, इनके लिए भी आन्दोलन करना पड़ता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा सरकार से कि · · · · ·

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैंने जिलाधीश को पत्र लिखा है, आपको भी लिखा है, इसमें अविलम्ब कार्यवाही करें। वहां के कलेक्टर को, वहां के प्रशासन को निर्देश दें, जो समझौता हुआ है, 27 मार्च को उसको लागू करें। जो भूख हड़ताल चल रही है, उसको समाप्त करायें, अन्यथा वहां पर और कोई आन्दोलन हो सकता है। आम हड़ताल करनी पड़ सकती है। आन्दोलन को उग्र कर सकते हैं। जनता का स्वास्थ्य खतरे में पड़ सकता है। इस सारी भावनाओं को आपके सामने रखते हुए मैं निवेदन करूंगा कि आप अविलम्ब राज्य सरकार को आदेश दें कि उनकी मांगें मानी जायें।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री गोपाल पचेरवाल : मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी से,

(श्री गोपाल पचेरवाल)

सरकार से कि वह अधिकारियों को कन्ट्रोल करे। मुख्य मंत्रीजी मुझे कहने में संकोच नहीं है, राजस्थान का मुख्य मंत्री हरिजन है फिर भी हरिजनों की घोर उपेक्षा हो रही है। जब जनता पार्टी की सरकार थी और माननीय भैरोंसिंह जी मुख्य मंत्री थे मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप अविलम्ब जहां-जहां आन्दोलन चल रहे हैं, हरिजनों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, जहां भी उनका इस तरह अपमान किया जा रहा है वहां दोषी अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लें, और उनकी मांगों को मनवाने का प्रयत्न करें।

श्री सभापति : कुमारी पुष्पा जैन।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय····

श्री सभापति : सभापति महोदय··

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका प्रमोशन ही किया है।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : यह अलग से प्रश्न है।

सुश्री पुष्पा जैन : सभापति महोदय, राजस्थान में भयंकर वर्षा और बाढ़ आने के शिकार आमेर विधान सभा क्षेत्र के कुछ गांव हुए हैं जैसा कि कल मैंने कटमोशन के समय इस सदन में बताया था। लेकिन समय अधिक न होने के कारण मैं अपने क्षेत्र के बारे में अधिक बात नहीं कह सकी थी। आज मैं आपके माध्यम से माननीय अकाल राहत मंत्री से व मुख्य मंत्रीजी से यह दरख्वास्त करना चाहूंगी कि आमेर विधान सभा क्षेत्र के कई गांव, जिनमें से कुछ के नाम लेना मैं मुनासिब समझूंगी राधा किशनपुरा पंचायत में बिचवाड़ी, बिगालिया, सिरसली, नांगल, हरमाड़ा, जोंडा, अखपुरा, मुण्डोता, नींदड, उदापुरा, लालचन्दपुरा, मंशारामपुरा, पेगड़ फतहपुरा, कसेडी, पर्णोरी, कालवाड़, हिम्मतपुरा, मुड़ियारामसर, गुनावता आदि-आदि, नुकसानशुदा गांव हैं। अभी अगर मैं सभी के विस्तार से नाम लेना चालू करूंगी तो शायद शाम हो जायेगी। सभापति महोदय, इन गांवों में, मुझे अफसोस के साथ सदन को सूचित करना पड़ रहा है, सब जगह अभी तक अधिकारी पहुंचे नहीं हैं, नुकसान का तखमीना नहीं बनाया गया है। खेत सारे पानी में डूबे हुए हैं। कच्चे मकान गरीबों के पानी में बह गये हैं और खेतों में तीन-तीन चार-चार फीट मिट्टी भर गई है। भाव सागर बांध में ऊपर तक पानी भरने से टूट गया है, जिससे कई गांवों में नुकसान हुआ है। गुनावटा में पीपल्टा नाले से हर साल पानी बहता है। मैं जब से विधायक रही, तब से चाहे जनता पार्टी की सरकार थी या अब कांग्रेस की सरकार है, मैं बराबर गुनावटा में नुकसानदेह पीपल्टा नाले के लिए दोनों सरकारों से गुजारिश करती रही कि इस पीपल्टा नाले को तकनीकी दृष्टि से दिखाकर बनवाया जाये। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगी, जनता पार्टी ने उसका तकनीकी मुआयना करवाया और अकाल राहत कार्यों में 1 लाख के करीब राशि मंजूर की। इस सरकार के आने के बाद यह कह कर कि तकनीकी दृष्टि से उचित नहीं है, अकाल राहत कार्य रद्द करके और नाले का कार्यक्रम

(सुश्री पुष्पा जैन)

बन्द कर दिया। माननीय मंत्री महोदया कमला जी की अध्यक्षता में अकाल राहत की मीटिंग हुई थी जिला स्तर पर माननीय जिलाधीश महोदय के कक्ष में तब मैने गुजारिश की थी कि इस पीपल्टा नाले पर ध्यान दीजिए। यह आदिवासियों का गांव है, इस पूरे गांव में मीणा जाति के लोग बसते हैं। अब जो कलेक्टर साहब हैं उनके बारे में तो मुझे नहीं मालूम लेकिन इनके पूर्व जो जिलाधीश महोदय थे उन्होंने उसका मुआयना किया था और उन्होंने वेदनाजनक शब्दों में कहा था कि वास्तव में इसकी हालत खराब है। माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं सदन में रोब डालने के लिये नहीं कह रही हूं, वास्तव में वह आदिवासियों का गांव है आपको सबसे ज्यादा उनसे हमदर्दी होनी चाहिए। आप सक्षम अधिकारी को भिजवाकर, इरिगेशन डिपार्टमेंट के एक्स. ई एन. अथवा अन्य किसी को भिजवाकर तकनीकी दृष्टि से उसको दिखवायें। इरिगेशन विभाग यदि सक्षम नहीं है तो किसी दूसरे विभाग से अथवा जिस रूप में आप उचित समझें आपकी सरकार है, आप उसको ठीक करवायें ताकि जो गरीब हैं, जिनको नुकसान हो रहा है, जो मिट्टी भरी हुई है, उन्हें चैन की सांस मिले।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जो लोग कुछ काम नहीं कर सकते हैं उनकी रोजी-रोटी का जरिया खतम हो गया है, उनको राहत मिले।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी गुजारिश यह करना चाहूंगी कि सरकार का पक्षपातपूर्ण रवैया है। आज सरकार वर्षा और बाढ़ में भेद कर रही है। एक गरीब का मकान बह गया है, चाहे वर्षा से बह गया हो, या बाढ़ से बह गया हो, उसके लिए क्या फर्क पड़ता है। सरकार यह कहे कि यह बाढ़ से नहीं वर्षा में बह गया है और इसका हम मुआवजा नहीं देंगे क्या यह उचित है? क्या यह सदन सीना ठोक कर कह सकता है कि यह वाजिब है? मैं समझती हूं, मानवीय दृष्टि से देखेंगे तो यह सरकार का अन्याय है नुकसान चाहे बाढ़ से हो या वर्षा से हो, वास्तव में नुकसान हुआ है तो वह मुआवजा पाने के लिए हकदार है। उसको मुआवजा देना चाहिए। इस प्रश्न पर सरकार को बड़ी गम्भीरता से सोचना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पुनः पुरजोर शब्दों से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाते हुए उन्हें आगाह करूंगी कि कई जगह काम इसलिए रुका पड़ा है कि तखमीना तैयार नहीं किया गया है। कहीं पटवारी नहीं है, कहीं गिरदावर नहीं है, कहीं तहसीलदार नहीं है। वे क्यों नहीं है इसका कारण पूछते हैं तो कहते हैं कि उनका स्थानान्तरण हो गया। उनकी जगह दूसरे अधिकारी आये नहीं हैं। जिलाधीश महोदय बड़ी मजबूरी में कहते हैं कि किसी न किसी की पोस्टिंग हो जाय फिर हम इसे कर देंगे। ठीक है वहां पोस्टिंग के लिए यदि आपको अपने आदमी नहीं मिलते हैं तो फिलहाल किसी दूसरे को भी उस नुकसान का जायजा लेने के लिए भेज सकते हैं। यथाशीघ्र जो सहायता बरसात से पीड़ित गरीब किसानों को दिलवा सकते हैं वह दिलवावें, यह उनका हक है और आपका कर्तव्य है।

(सुश्री पुष्पा जैन)

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री अनंग कुमार।

श्री अनंग कुमार जैन : सभापति महोदय, झालावाड़ जिला रोडवेज के लिहाज से शत-प्रतिशत राष्ट्रीयकृत है। काफी अर्से पूर्व इस जिले का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है और पूरे जिले में राजस्थान रोडवेज की गाड़ियां चल रही हैं।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की क्या हालत है यह किसी सदस्य से छिपी हुई नहीं है। लाखों का घोटाला है और दिन प्रति दिन 1–2 लाख का नुकसान होता रहा है। झालावाड़ जिले में करीब 70 बसें रूटों पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से चलाई जाती हैं लेकिन 70 में से मुश्किल से 40–45 बसें ही चलती हैं, 25 रूटों पर कोई बस नहीं चलाई जाती है।

माननीय सभापति महोदय, इस प्रश्न पर कई बार मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन किया गया। झालावाड़ जिले की जनता ने बहुत तरह के माध्यमों से, पत्र के माध्यम से, तार के माध्यम से यातायात मंत्री महोदय को सूचित किया है। झालावाड़ डिपो में काफी घोटाला है। बसें समय पर नहीं चलती हैं। डिपो मैनेजर की जब इच्छा होती है बसों को कैंसिल कर देते हैं। जनता को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। झालावाड़ से पिड़ावा जाने वाली जो 10 बसें हैं वे पिछले दो महीनों से बन्द हैं। झालावाड़ से पिड़ावा की दूरी 65 किलोमीटर है। करीब 300 गांवों के व्यक्ति इस रूट से रोजाना अपने कार्य से झालावाड़, पाटन आते जाते रहते हैं। झालावाड़ जिला मुख्यालय है जहां सारे न्यायालय स्थित हैं। पाटन तहसील सेंटर है। सारे लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। झालावाड़ से पिड़ावा जाने के लिये एक ही रूट पर 10 बसें कम कर दी जाना वहां की जनता के साथ भारी अन्याय है। सभापति महोदय, साढ़े सात बजे, नौ बजे, साढ़े ग्यारह बजे, डेढ़ बजे और दो बजे जो बसें पिड़ावा से झालावाड़ चलती हैं वे बन्द कर दी गई हैं। इसी प्रकार 11½ बजे, 2½ बजे, 3½ बजे, 4½ बजे और 5½ बजे जो पांच बसें झालावाड़ से पिड़ावा चलती हैं वे बसें एक साथ बन्द कर दी गई हैं जिसके कारण जनता को बड़ा कष्ट है। लोग समय पर अदालत नहीं पहुंच सकते जिससे अदालतों से वारन्ट गिरफ्तारी जारी किये जाते हैं। लोगों को हर्जाना भुगतना पड़ता है। गिरफ्तार होकर कोर्ट में आना पड़ता है जिससे वहां के ग्रामीण, जो करीब 300 गांवों के लोग हैं, समय पर अपने कार्य से झालावाड़ नहीं पहुंच सकते, झालावाड़ से आगे नहीं पहुंच सकते।

माननीय सभापति महोदय, जब झालावाड़ जिले का सम्पूर्ण रूप से राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है तो राजस्थान रोडवेज की ओर से पूरी व्यवस्था होनी चाहिये। अगर बसों की व्यवस्था नहीं है तो तत्काल सरकार की ओर से बसें बढ़ाई जानी चाहिये। लेकिन सरकार के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

लोगों ने तार के द्वारा माननीय मुख्य मंत्री महोदय से, यातायात मंत्री महोदय से,

(42)

(श्री अनंग कुमार जैन)

निवेदन किया लेकिन इसके बारे में कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय को, यातायात मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि कम से कम एक ही रूट पर दस बसें कर्टेल नहीं की जायं। यदि उनके पास बसों का इंतजाम नहीं है, तो वहां पर जो 70 बसें चलती हैं अलग-अलग रूट्स पर वह कर्टेल की जायं ताकि इस रूट के लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े और जनता को असुविधा न हो।

इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री नन्दलाल मीणा।

श्री बालचन्द आर्यवीर : सभापति महोदय, मेरा भी है।

श्री सभापति : क्या आपका नाम है ? नये तथ्य लायेंगे क्या ?

श्री बालचन्द आर्यवीर : मैं अभी आया हूं।

माननीय सभापति महोदय, हमारा झालावाड़ जिला पिछड़ा हुआ जिला है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि झालावाड़ जिले में जो प्राइवेट बस रूट हैं बाकी रूटों का तो राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है लेकिन जो कच्चे रूट हैं उनको भी राष्ट्रीयकरण में ले लिया गया है। इससे गांव वालों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र का डग-पिड़ावा रूट है वह बिल्कुल कच्चा रूट है और पूरा ग्रामीण क्षेत्र है वहां रोडवेज की बस की कोई व्यवस्था नहीं है। वह बिल्कुल पिछड़ा एरिया है। वहां के रूटों को राजस्थान रोडवेज में ले लेने से लोगों को बहुत ही परेशानी है और उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो इस प्रकार के रूट हैं उनको रोडवेज से निकाला जाय और जो प्राइवेट बस वाले हैं, उन प्राइवेट बस मालिकों को परमिट दिये जायं। आज रोडवेज की यह स्थिति हो रही है कि कर्मचारी केवल मात्र तनख्वाह से संबंध रखते हैं और जो गांव के बस स्टोपेज हैं वहां बिल्कुल बस नहीं रोकते। इससे गांव वालों को आवागमन की बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक घटना आपको सुनाना चाहता हूं जो कंडक्टर इन बसों में चलते हैं वे बदमाश होते हैं। एक घटना मैं अपने क्षेत्र की सुनाना चाहता हूं। एक वैद्य जो मेरा आना चाहते थे। उन्होंने कंडक्टर को 5) रु. दिये। इस प्रकार की स्थिति आज हो रही है कि जब उसने वापस पैसे मांगे तो उसकी बात अनसुनी करके उसको निर्ममतापूर्वक पीटा गया और धक्के देकर बस से उतार दिया गया।

तो मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि झालावाड़ जिले में निगम की बसों की अव्यवस्था हो रही है। वहां बसें समय पर नहीं चल रही हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

कि जो कच्चे रूट हैं वह निगम से निकाल कर प्राइवेट बस वालों को दिये जायं ताकि गांव वालों को सुविधा हो सके। प्राइवेट बस मालिक सुविधा देते हैं और निगम के कंडक्टर, ड्राइवर बिल्कुल बसों को रास्ते में नहीं रोकते हैं इसलिये मेरा इतना ही निवेदन है कि झालावाड़ जिले में राजस्थान रोडवेज को जहां बसें बेकार पड़ी हैं...

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री बालचन्द आर्यवीर : बसें एक एक महीने तक खराब पड़ी रहती हैं। उनको चलाने की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः मैं आपके माध्यम से यातायात मंत्री जी से, मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां की व्यवस्था को सुधारें।

श्री सभापति : श्री नन्दलाल मीणा।

श्री नन्दलाल मीणा : सभापति महोदय, प्रतापगढ़ तहसील में सुहागपुरा के सरपंच 8-7-80 को प्रतापगढ़ के बाजार में गये और काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत जिस अनाज का श्रमिकों को भुगतान किया जाना था उस अनाज का श्रमिकों को भुगतान नहीं किया और 102 बोरियां गेहूं की बाजार में बेच दीं। जैसा कि मैंने सदन में पूर्व में भी निवेदन किया था ऐसी वारदातें, घटनाएं घटती हैं, भुगतान समय पर नहीं होता और ऐसा लगता है कि जिनके हाथों में नियंत्रण की व्यवस्था है वे गरीब मजदूरों को भुगतान नहीं करते हैं या कटौती करके भुगतान करते हैं। जब तक जनता पार्टी का शासन राजस्थान में था सुहागपुरा के सरपंच की हिम्मत इस तरह की कार्यवाही करने की नहीं हुई थी। सुहागपुरा का सरपंच कांग्रेसी है, कांग्रेसी होने के नाते राजस्थान में जैसे ही कांग्रेस का शासन आया उसने 102 बोरी गेहूं श्री मोतीलाल व्यापारी के माध्यम से प्रतापगढ़ की मण्डी में बेचा। यह सूचना एस. डी. ओ. प्रतापगढ़ को दी गई। उसने एन्फोर्समेन्ट आफिसर को भेजा। वह मौके पर पहुंचा। सभापति महोदय, इसका पंचनामा हुआ परन्तु जैसा कि अभी निवेदन किया है वहां के प्रभावशाली कांग्रेसी इस मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेसी सरपंच गरीब जनता का शोषण करते हैं। ऐसे मामले को सदन में प्रश्न के जरिए उठाते हैं, तो उसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। वे लोग जयपुर शहर में घूम रहे हैं।

उदयपुर जिले में डबोक गांव है। वहां के सरपंच को बाजार में 30 बोरियां बेचते हुए जनता ने पकड़ा है। सभापति महोदय, वह सरपंच पंचायती राज मंत्री महोदय से मिला। उन्होंने इस केस को रफा दफा कर दिया है। मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान करके यह जो 102 बोरी बेचने का मामला है, एन्फोर्समेन्ट आफिसर ने इस केस को पकड़ा है, मुझे शंका है कि कहीं इस केस को भी रफा दफा न कर दिया जाए। इसको रफा दफा किए जाने के प्रयास चल रहे हैं। वहां मजदूरों को भुगतान नहीं हो रहा है इसके पीछे एक कारण तो यह है। दूसरा कारण एक और है, सभापति महोदय, अब तक मैं यह निवेदन करता आ रहा हूं कि आदिवासी इलाके में मजदूरों का भुगतान नहीं हो रहा है। कल हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के साथी ने भी कहा था। आज राजस्थान पत्रिका पढ़ी तो आश्चर्य हुआ,

(१५)

(श्री नन्द लाल मीणा)

हम यह आशा कर रहे थे कि राजस्थान सरकार मजदूरों का भुगतान करना चाहती है। सेबला सरपंच के बारे में सरकार की ओर से स्पष्टीकरण आया था। यह आश्वासन दिया गया था कि भुगतान की कार्यवाही शीघ्रता से की जा रही है। आज राजस्थान पत्रिका में पढ़ा है कि राजस्थान के 9 जिले जो अभावग्रस्त हैं उनको राज्य सरकार ने 10 हजार मैट्रिक टन अनाज का आवंटन किया है। एक सरकारी आदेश के अनुसार अजमेर, भीलवाड़ा, बाड़मेर, बांसवाड़ा, कोटा, डूंगरपुर और पाली को एक हजार मैट्रिक टन, जोधपुर को ढाई हजार और टोंक को 500 टन अनाज आवंटित किया गया है। सभापति महोदय, चित्तौड़गढ़ जिला इन सब जिलों के बीच में स्थित है। यह आदिवासी इलाका है। पिछड़ा हुआ इलाका है। पहाड़ी इलाका है। यह अकालग्रस्त घोषित है परन्तु अनाज का एक भी दाना इस जिले के लिए आवंटित नहीं किया गया है। मेरा आरोप है कि यह कांग्रेस हुकूमत, खासकर पंचायत राज मंत्री राजनैतिक आधार पर जनता जनार्दन के साथ सलूक कर रहे हैं। सदन के अन्दर जो घोषणा की गई है उसके अनुसार, सभापति महोदय, मैं आपसे व्यवस्था चाहूंगा, आसन से यह व्यवस्था चाहूंगा• • •

(व्यवधान)

श्रीमती शांति पहाड़िया : सभापति महोदय, 40 बोरी चीनी महुवा में पकड़ी गई है। वहां के लोगों ने वहां के सरपंच को पकड़ा है। वह जनता पार्टी का सरपंच है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, जो पाप करेगा वह सजा पाएगा। जिसने गलत काम किया है उसको पकड़ो। वह मरेगा। गलत काम मत करो।

(व्यवधान)

श्री सभापति : मैं बीच में नहीं बोलने दूंगा।

सुश्री पुष्पा जैन : सभापति महोदय, मैं कुछ कहना चाहती हूं। माननीय सदस्या ने यह सूचना दी है कि किसी सरपंच के पास से 40 बोरी चीनी पकड़ी गई है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है जब सरकार आपके हाथ में है तो किस ने मना किया है उसे पकड़ने के लिए। सैंया भये कोतवाल तो अब डर काहे का।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री नन्द लाल मीणा : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि सुहागपुरा में 102 बोरियां पकड़ी गई हैं। वहां पर आदिवासी भूख से बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं। इस सरकार ने चार-चार महीने तक कड़कती धूप में काम कराया है, उन्होंने पसीना बहाया है लेकिन उनको मजदूरी नहीं चुकायी जा रही है• •

श्री सभापति : अब समाप्त करें।

श्री नन्दलाल मीणा : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सारे आदिवासी इलाके

(श्री नन्द लाल मीणा)

में 3-5-80 से भुगतान नहीं हुआ है। प्रतापगढ़ क्षेत्र में चार हजार मजदूरों का चुकारा बकाया है। पंचायत राज मंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि वे मजदूरों का भुगतान करना चाहते हैं ? वे किस ढंग से करना चाहते हैं। वे तो मजदूरों को तबाह करना चाहते हैं। आप इस पर व्यवस्था दें, यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री सभापति : श्री रतनलाल ताम्बी।

मैं आपसे यह निवेदन कर दूं कि यह मामला पार्टली सब जुडिस है। अतः आप इस पहलू को ध्यान में रखते हुए ही निवेदन करने का कष्ट करें।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : सभापति महोदय, आपने जो जानकारी दी है उस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन कर दूं कि हाई कोर्ट से इसका फैसला हो चुका है।

श्री सभापति : Please sit down.

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : इसी पर मैं निवेदन कर रहा हूं ...

श्री सभापति : मैं आपको अलाऊ नहीं करूंगा। उसके बाद अलाऊ करूंगा।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अभी इस मामले पर आपने जो फर्माया है उस संबंध में ...

श्री सभापति : आसन को इस बात की जानकारी है।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मैं आपकी उस जानकारी को दुरुस्त करना चाहता हूं। इस मामले पर हाई कोर्ट का फैसला हो चुका है। जिन पर आरोप लगाये गये थे वे बरी कर दिये गये हैं।

श्री सभापति : श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी : सभापति महोदय, मई, 1979 में जनता पार्टी के प्रशासन में राजस्थान के नॉन-गजेटेड कर्मचारियों ने, छोटे-छोटे कर्मचारियों ने अपनी कुछ समस्याओं, मांगों के लिए एक आन्दोलन किया था। लोकतन्त्र और दूसरी आजादी की बात करने वालों ने लोक प्रशासन के हित में उनकी बात को सुनना तो दूर रहा, उन पर डंडे बरसाये गये, बेरहमी से उनके साथ मारपीट की गयी और कुछ बड़े अफसरों ने बदले की भावना से उनको बरखास्त कर दिया। उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। चित्तौड़गढ़ के एक रामलाल महात्मा नामक कर्मचारी थे। उनको निम्बाहेड़ा में लॉक अप किया गया। उनको ऐसा खराब खाना दिया गया, सड़ा खाना दिया गया कि वे बीमार हो गये। अभी तक वे बीमारी से परेशान हैं। सारे राजस्थान में 27 कर्मचारी प्रभावित हैं। उन्होंने इस मामले में राज्य सरकार के बरखास्तगी के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की। उच्च न्यायालय ने उनकी अपील स्वीकार की है। राष्ट्रपति शासन के दौरान जो पिछले प्रशासन के लोग थे, उन्होंने प्रयत्न कर के उच्च न्यायालय की खंड पीठ में अपील करवाई है। मेरे पास इसकी पूरी जानकारी नहीं है परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे सारे कर्मचारी बेकसूर हैं। उनके सामने आज रोटी-रोजी की समस्या है। वे

(46)

(श्री रतन लाल ताम्बी)

बेरोजगारी की स्थिति में है। राज्य सरकार से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बदले की भावना से कुछ बड़े अफसरों ने यह कार्यवाही की है, छोटे-छोटे कर्मचारियों को बरखास्त किया है। गलत ढंग से बरखास्त किया है। मेरा यह निवेदन है कि उन कर्मचारियों के सामने रोटी रोजी की समस्या है, उनके सामने आज भुखमरी और बेरोजगारी का सवाल है। इस मामले पर आप मानवीय दृष्टिकोण से गंभीरतापूर्वक विचार करें। अगर हाई कोर्ट में कोई अपील विचाराधीन है तो मैं राज्य सरकार से आग्रह करूंगा कि वे उस मामले को उठा लें। उनके खिलाफ चल रही कार्यवाही को न्यायालय से उठा कर उनके साथ न्याय किया जाना चाहिए। मेरी यह निश्चित मान्यता है कि उनके खिलाफ बदले की भावना से कार्यवाही की गई है, उनके साथ अन्याय हुआ है। उस अन्याय को आप न्याय में परिणत करके छोटे कर्मचारियों के साथ न्याय करिये। सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत राज्य सरकार को अनुरोध करना चाहूंगा कि न तो पूरी जानकारी प्राप्त की गई है और न कोई कार्यवाही हुई है। एकतरफा कार्यवाही हुई है जिसको राठोड़ी कह सकते हैं। सामन्तशाही तौर तरीके से कार्यवाही हुई है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि इन पुलिस वालों के साथ राज्य सरकार न्याय करे। अगर यह मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन भी है तो भी मानवीय दृष्टिकोण से उस पर विचार करने की मांग मैं करता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : सभापति महोदय, एक स्थगन प्रस्ताव इस सदन में दिया गया था इन्द्रा कालोनी जयपुर में एक युवती के साथ बलात्कार हुआ। उस स्थगन प्रस्ताव पर बोलने की इजाजत दी जाये। यह बहुत ही अहम विषय है। महिलाओं से सम्बन्धित है इसलिए इस सदन में उठाना जरूरी है।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्या, आसन से सहयोग करें।

माननीय सदस्या, आपके स्थगन प्रस्ताव के बारे में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। उसके ऊपर निर्णय बाद में लिया जायेगा। उसको रिजेक्ट नहीं किया गया है।

विरोधी दल के माननीय नेता, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो परम्परायें रही हैं, उनके अनुसार मैं इस सवाल के ऊपर आपको अनुमति देने में असमर्थ हूं। राज्य सरकार से जवाब प्राप्त होने पर ही आसन निर्णय लेगा। तत्पश्चात् ही आपको कुछ कहने का अधिकार होगा। अतः आपसे निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न को आज उठाने की तकलीफ न करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : सभापति महोदय, आपने जो व्यवस्था दी उसके विरोध में मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन शायद आपको जानकारी है कि यह प्रश्न कल उठाया गया था, एडजोर्नमेंट मोशन कल दिया गया था। ऐसा कोई मामला नहीं है कि वायरलैस से जानकारी करायी जाये या स्पेशल मैसेंजर के द्वारा जानकारी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

करनी है। जयपुर की घटना है इसलिये मैंने आपसे निवेदन किया कि सरकार को कोई वक्तव्य देना चाहिये। कल भी मैंने आपके माध्यम से निवेदन किया था, इस सदन में इस सरकार को कोई वक्तव्य देना चाहिये। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे इम्पोर्टेंट मसलों पर भी सरकार अपनी ओर से किसी प्रकार की सतर्कता नहीं दिखाती। अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था के अनुसार तो सरकार को 24 घण्टे में उत्तर देने का अवसर दिया जाता है। कल से अब तक 24 घण्टे तो निकल चुके है। आप ही की व्यवस्था के अनुसार है, सभापति जी। आपकी व्यवस्था के विरोध में नहीं है। जनता के साथ अन्याय हो रहा है। उसकी अभिव्यक्ति करके इस सदन में इस विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाये इसलिए इस सम्बन्ध में दो शब्द कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : विरोधी पक्ष के माननीय नेता महोदय, आसन द्वारा जो व्यवस्था दी गयी है पूर्व में उसे मैं पुनः दोहराना चाहता हूं, सरकार से तथ्य आ जाने चाहिए फिर ...

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सरकार से जानकारी आयेगी ही नहीं।

श्री सभापति : आप इस बात को कैसे मान कर चलते हैं कि सरकार से जानकारी नहीं आयी या नहीं आयेगी। बहुत से प्रश्नों की जानकारी आयी है, सदन में उसको पढ़ कर सुनाया भी है।

(व्यवधान)

आप आसन की बात भी सुनिए।

मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न को नहीं उठायें। सरकार से जानकारी करने के बाद ही आपको अवसर मिलेगा। इसलिए आपसे आग्रह करूंगा कि आप आसन से सहयोग करें। इस बारे में आपकी जो भावनायें हैं वह मैं अध्यक्षजी तक पहुंचा दूंगा। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस प्रश्न को उठाने की कृपा न करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी आज्ञा है मैं उसी के अनुसार काम करूंगा। जितना आप सहयोग चाहते हैं वह आपको मिलेगा पर हम सहयोग सरकार से चाहते हैं, आपके माध्यम से चाहते हैं। आपको स्मरण होगा, सदन को भी जानकारी होगी कि आज से लगभग 7–8 दिन पहले कई माननीय सदस्यों ने राजस्थान में कहां-कहां बलात्कार की घटनायें हुई हैं, उनका विस्तृत ब्यौरा इस सदन के अन्दर रखा था। हम यह आशा करके चलते थे कि सरकार और नहीं तो कम से कम सही स्थिति तो इस सदन में रखेगी। आपके भी ध्यान में है और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय को भी ध्यान है परन्तु इतना सब कुछ होने के बाद भी सरकार मौन धारण करके बैठी है सरकार के मौन का परिणाम यह निकल रहा है कि जितने भी असामाजिक तत्व हैं वे यह सोचने लगे हैं कि सरकार इस प्रश्न पर निष्क्रिय है। इस कारण से आये दिन इस प्रकार की घटनायें होती हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं से न कोई विरोधी पक्ष की नेकनामी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

होती है और न कोई सरकारी पक्ष की नेकनामी होती है। मैं यह कहूँगा कि इस प्रकार की घटनाओं में न विरोधी पक्ष के लोग इन्वाल्व होते हैं और न सरकारी पक्ष के लोग इन्वाल्व होते हैं। ये असामाजिक तत्व न आपके साथ रह सकते हैं और न हमारे साथ रह सकते हैं। इनको तो जिस शक्ति के साथ डील किया जाये आज उस शक्ति की आवश्यकता है। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि सरकार इस संबंध में सतर्क नहीं है। अभी जयपुर में जिस प्रकार की घटना हुई, सभापति महोदय, आप मेरे साथ चलें, रास्ते में चलें, मेरे साथ बाहर होकर आयें और सुनें कि बाहर किस तरह लोग फब्तियां कसते हैं, सरकार के विरोध में, हमारे विरोध में इस तरह की घटनायें हो जायें उसकी कोई चर्चा नहीं हो, सरकार जानकारी दे नहीं तो आप अन्दाजा लगा लीजिये कि जनता में कितना आक्रोश व्याप्त हो सकता है। आखिर जनता में व्याप्त आक्रोश की अभिव्यक्ति करने का अधिकार इस प्रांगण में ही है, और कहीं नहीं है। इस पर मैं ज्यादा समय लेने की बात नहीं करूंगा। अब तो सरकार भी तैयार होगी वक्तव्य देने के लिये इसलिये माननीय सदस्या कुछ कहना चाहती हैं उन्हें कहने की अनुमति दी जाये। फिर आप जो भी व्यवस्था देंगे उसको हम स्वीकार करेंगे।

श्री सभापति : विरोधी पक्ष के माननीय नेता महोदय, मैं न आपके बोलने के अधिकार को चुनौती देता हूं और न रोकना चाहता हूं। मेरा तो नम्र निवेदन यह है कि आसन के द्वारा जो व्यवस्था दी गयी है मैं उसी के ऊपर कायम हूं। सरकार की तरफ से उत्तर आने के बाद अध्यक्ष जी उस पर निर्णय लेंगे तत्पश्चात् आपको बोलने का अवसर मिलेगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा, जहां तक मेरी जानकारी है 2 दिन हो गये हैं, एक दिन के अन्दर ऐसी कोई विपत्ति नहीं आने वाली है...

(व्यवधान)

माननीय सदस्या, स्थान ग्रहण करिये...

(व्यवधान)

माननीय सदस्या, शान्त रहें।

मैंने आपके नेता की बात बड़े धैर्यपूर्वक सुनी है। आप मेरी बात नहीं सुनना चाहती हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं जो आसन ने व्यवस्था दी है उसके अनुसार सरकार का उत्तर आ जाने दीजिये। मैं आपकी भावनाओं को अध्यक्ष जी तक पहुंचा दूंगा। निश्चित रूप से उस पर आपको बोलने का अवसर मिलेगा। सरकार के गृह मंत्री भी बैठे हैं और मंत्री भी उपस्थित हैं। आपकी बातों को उन्होंने नोट किया होगा, निश्चित रूप से....

एक माननीय सदस्य : वह नोट नहीं कर रहे हैं।

श्री सभापति : आप यह कैसे मान कर चल रहे हैं कि वे नोट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इस बात को नोट कर लिया होगा कि 20 माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव दिया है। सरकार ने नोट किया होगा।

(श्री सभापति)
अतः मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि · · ·

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय वक्तव्य देने को तैयार हैं।

श्री सभापति : मैं वक्तव्य देने को माननीय मंत्री को भी इजाजत नहीं दूंगा। अभी अध्यक्ष जी नहीं हैं। मैं आपकी भावनाओं को अध्यक्षजी तक पहुंचा दूंगा। अध्यक्षजी आज अगर कोई समय निश्चित करना चाहेंगे और सरकार तैयार होगी तो · · · · · ·

(व्यवधान)

आप स्थान ग्रहण करें, जोशी जी।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर सरकार कोई वक्तव्य देना चाहेगी तो अध्यक्ष जी से इस बारे में बात करके, समय निश्चित करके निश्चित रूप से आज ही वक्तव्य दिलाया जायेगा। आप · · ·

एक माननीय सदस्य : उनसे आप पूछ लीजियेगा। वह वक्तव्य देना चाहते हैं।

श्री सभापति : क्या पूछूं। आप अपनी तरफ से ही अन्दाजा लगा रहे हैं कि सरकार वक्तव्य देना चाहती है। अतः मैं निवेदन करूंगा कि · · · ·

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप इतने शर्माते क्यों हैं, पूछ लीजिये।

श्री सभापति : न तो मैं आपसे शर्माता हूं और न और किसी से शर्माता हूं। इस मामले में · · ·

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज !

एक माननीय सदस्य : आपके समय में खेतड़ी काण्ड हुआ था उसके बारे में आपने · · ·

श्री सभापति : मैं सदन के अन्दर व्यवस्था बनाये रखना चाहता हूं। आप बीच में बोल कर अव्यवस्था फैला रहे हैं।

माननीय राजबहादुर !

श्री राजबहादुर : बहुत विनम्रता के साथ मैं कहना चाहूंगा कि सरकार के विचार और नीति पर हम कोई आक्षेप नहीं कर रहे हैं। सरकार के विचार नेक ही होंगे, यह मैं नहीं कहूंगा यह तो साबित हो जायेगा। लेकिन वस्तु स्थिति क्या है। इस प्रकार के गम्भीर प्रश्नों पर यहां स्थगन प्रस्ताव आते हैं, उन पर चर्चा नहीं होती है। यह कोई छोटा मोटा प्रश्न नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि हाउस की वोइस को किसी न किसी तरह बन्द कर दिया जाता है। चाहे वह 24 घंटे के नियम की पालना का ग्राउन्ड हो या और कुछ हो। कुछ भी नहीं कहा जा सकता है जब तक कि उसकी रिपोर्ट न आ जाए या कोई जवाब न आ जाये। इस तरह हाउस की वोइस को गैग करना लगता यह इन्डाय-रेक्टली या डायरेक्टली हो · · ·

श्री सभापति : मैं आपकी भावनाओं से अध्यक्ष महोदय को अवगत करा दूंगा। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

सुश्री पुष्पा जैन : सभापति महोदय, यह महिलाओं से सम्बन्धित मामला है। इस तरह के कई मुद्दे पहले भी उठाये जा चुके हैं, इस सदन के अन्दर। बेहतर यह होता

(50)

(सुश्री पुष्पा जैन)

कि कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती और सरकार स्वयं यहां पर वक्तव्य देती। जिस तरह से सरकार ने इस सम्बन्ध में नेग्लीजेन्सी दिखायी और अभी तक भी जवाब देने को आतुर नहीं दिख रही है तो यह आवश्यक हो जाता है कि तमाम राजस्थान की तरफ से, तमाम राजस्थान की महिलाओं की तरफ से हम अपनी आवाज यहां बुलन्द करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं बहुत ही विनम्र शब्दों में कहना चाहूंगी कि यह ठीक है यहां पर जो माननीय महिला सदस्यायें हैं वे गिनती में कम हैं लेकिन इसके मायने ये नहीं कि · ·

श्री सभापति : माननीय सदस्या, आसन ग्रहण करें।

सुश्री पुष्पा जैन : इसका मतलब यह नहीं है कि राजस्थान की 50 प्रतिशत महिलाओं की आवाज को दबा दिया जाय।

श्री सभापति : न आपकी आवाज दबाने की आसन की इच्छा है और न महिलाओं की आवाज दबाने की इच्छा है। मैं तो आपसे सहयोग की अपेक्षा कर रहा हूं। आसन विरोध पक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के प्रति बराबर का व्यवहार करता है।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : महिलाओं की आवाज में आपकी आवाज शामिल नहीं हो जाये।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप अपनी बात को सरकार का जवाब आने के बाद अच्छी तरह से कह सकेंगी। इसलिये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप आसन से सहयोग करें, माननीय सदस्या, जिससे कि आसन विरोध पक्ष और सत्ता पक्ष के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह कर सके। आसन बहुत उदार है।

सुश्री पुष्पा जैन : सभापति महोदय, आसन ने जो आदेश दिये हैं, उनको मैं मानती हूं। लेकिन सरकार यदि यह भी कह देती कि हम इतने समय में जवाब दे देंगे तो भी हम बैठ जाते। सरकार ने आपके माध्यम से यह भी नहीं कहा है। सरकार को जवाब दे देना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। आप हम से सहयोग करने की बात कह रहे हैं। मैं आपके प्रति आदर रखती हूं। मैं इजाजत चाहूंगी बोलने की क्योंकि समाज के ऐसे अहम मसले पर सदन की आवाज दबाना हमारे प्रति अन्याय होगा, सभापति महोदय।

श्री सभापति : माननीय सदस्या !

एक माननीय सदस्य : दो मिनट दे दें।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, व्यवस्था दे दी गई है। आप बोलेंगी तो और भी कुछ माननीय सदस्य कहना चाहेंगे। उससे कोई पर्पज सर्व नहीं होगा। आसन भी यह चाहता है जो इस प्रकार की दुखद घटनाएं हैं, उनकी पुनरावृत्ति न हो और सरकार भी इनके प्रति जागरूक हो। मैं यह पुनः निवेदन करूंगा कि आप आसन को सहयोग करें ताकि दूसरा विषय लिया जाय।

(51)

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सभापति महोदय, आप दूसरा विषय ले रहे हैं।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्या, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्रीमती उजला अरोड़ा : वह लड़की भी यहां है। थाना भी यहां है यह महिला सदस्या हैं। दो मिनिट की बात है सरकार उत्तर क्यों नहीं देती है। उनको यहां बुलाकर भी जानकारी ले सकते हैं। मैं आपकी बात मानने के लिए तयार हूं। पर आप उनको ताड़ना क्यों नहीं देते हैं। हम तो आपकी बात मानने को तैयार हैं पर आप उनको ताड़ना देकर समय क्यों नहीं लेते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्या। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव।

श्री जीतमल जैन !

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी !

(व्यवधान)

माननीय सदस्या, मैं असमर्थ हूं। मैं पुन: निवेदन कर रहा हूं कि आप आसन से सहयोग करें।

सुश्री पुष्पा जैन : यह हमारे अधिकारों के प्रति ज्यादती हैं।

श्री सभापति : आसन आपके अधिकारों की रक्षा करेगा। ऑर्डर प्लीज !

सुश्री पुष्पा जैन : यह पहला केस ही नहीं है, एक साल में 106 घटनाएं बलात्कार की हो चुकी हैं। अधिकांश घटनाएं आपके शासन काल में हुई हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्या !

सुश्री पुष्पा जैन : यह कानून और व्यवस्था का प्रश्न है। इतनी संख्या में लोग यहां पर बैठे हुए हैं। वह महिलाओं की इज्जत और उनकी सुरक्षा के लिए अपने मन में हम से कुछ उम्मीद रखते हैं। उनको चला जाना चाहिये, इस्तीफा देकर चला जाना चाहिये, बड़े रोब से बैठे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, आप स्थान ग्रहण करें।

सुश्री पुष्पा जैन : महिलाओं की सुरक्षा और उनकी इज्जत के लिए हमें इस सदन में सरकार को सजग भी न कर पाएं तो फिर क्या फायदा है हमारे यहां पर बैठने का।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, मुझे मजबूर होकर कहना पड़ेगा अंकित न हो।

सुश्री पुष्पा जैन : × × ×

श्रीमती शान्ति पहाड़िया : माननीय सभापति महोदय, यह महिलाओं का अपमान करती हैं सदन में अखबार में छपने के लिये। महिलाओं को आसन का अपमान करते हुए शर्म आनी चाहिए।

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : माननीय सदस्या, यह क्या कह रही हैं। क्या यह महिला सदस्या के रूप में इसी प्रकार कार्य करेंगी। हम सोच रहे थे कि इस राज्य को अभिमान होगा कि राजस्थान में एक ऐसा मुख्य मन्त्री आया है जिसकी पत्नी भी सदन की सदस्या है। वह सिर्फ मुख्य मंत्री जी के

(सुश्री पुष्पा जैन)

घर की गृह मंत्री नहीं इस राज्य के गृह मंत्री के रूप में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर सकेगी लेकिन अफसोस आज वह बलात्कार जैसे जघन्य अपराध पर अपराधियों की पैरवी करके हमारी आवाज को दबाना चाहती हैं।

(व्यवधान)

और वह महिलाओं के बारे में इस प्रकार कह रही हैं।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज ! माननीय सदस्या, स्थान ग्रहण करें।

सुश्री पुष्पा जैन : लेकिन सभापति, महोदय, वह बड़ी गर्व से खड़ी होकर कह रही हैं कि हम अखबारों में नाम करने के लिए ऐसी बातें सदन में ला रहे हैं। मुझे लगता है कि महिलाओं की इज्जत पर हमला हो ऐसे सन्जीदा मसलों की अहमियत का अहसास नहीं।

श्री सभापति : स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्या।

सुश्री पुष्पा जैन : हमें यह अधिकार है··

श्री सभापति : अंकित नहीं हो।

सुश्री पुष्पा जैन : × × ×

श्रीमती उजला अरोड़ा : यदि हमारी आवाज अंकित नहीं होगी तो हम यहां पर किस लिए बैठे हैं। हम पूरे राजस्थान के लिए·····

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर प्लीज !

आप स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्या।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं आप से आग्रह करती हूं। आप क्यों नहीं बैठ जाते हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आसन पैरों पर है।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर प्लीज !

(व्यवधान)

माननीय सदस्या, आप स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री नारायण सिंह : जब आसन की ओर से बार बार कहा जा रहा है तो इनको बैठ जाना चाहिए।

श्री सभापति : माननीय नारायण सिंह जी, आप कहां महिलाओं के बीच में आ रहे हैं। स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज !

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है। ऑर्डर प्लीज ! आप कैसे + + + रही हैं।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह+++ कहना ठीक नहीं है।

श्री सभापति : मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं। आप स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं आसन से निवेदन करूंगी, आप आसन ग्रहण करें।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज !

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप हमारा आग्रह मान लीजिए। मुझे बोलने दीजिए।

श्री सभापति : आप मेरी बात सुन लें। मैंने आपकी बात सुन ली है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ऐसा लगता है, सभापति महोदय, आप घर पर भी महिलाओं की बात नहीं सुनते हैं।

श्री सभापति : आप कृपया विराजें। आगे चर्चा लाभदायक हो सकती है। आप कार्यवाही आगे चलने दें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, बैठे बैठे बात नहीं करें।

मैं आप से निवेदन कर रहा हूं। इस बारे में अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे दी है। इसके बारे में सरकार का उत्तर आने दीजिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कब उत्तर आयेगा ?

श्री सभापति : माननीय सदस्या, आसन की व्यवस्था है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप आगे

श्री सभापति : मैं निवेदन कर रहा हूं। सरकार का उत्तर आ जाने दीजिए। मैं अध्यक्ष महोदय को आपकी भावनाओं से अवगत करा दूंगा। आसन प्रयत्न करेगा, शीघ्र उत्तर आ जाये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आज दिला दीजिए।

श्री सभापति : शीघ्र वक्तव्य आये, मैं इसका प्रयत्न करूंगा। थोड़ा धैर्य रखिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : 'शीघ्र' की कोई परिभाषा नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, आप आसन को पाबंद नहीं कर सकती हैं।

(व्यवधान)

Not to be recorded

XXX

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : आप माननीय सदस्यों को समय नहीं दे रहे हैं। सरकार का आज ही वक्तव्य आना चाहिए। वायरलैस से इसकी जानकारी ली जा सकती है। यह जयपुर का मामला है।

श्री सभापति : प्रगतिशील दल के माननीय नेता महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करूंगा, आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मोहनलाल मोदी : आप सरकार को मजबूर करें, कि आज सरकार वक्तव्य दे।

(व्यवधान)

श्री हंसराज शर्मा : इस बारे में बलात्कार का

+++अभिव्यक्ति अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री हंसराज शर्मा)

समय भी निश्चित कर दिया जाय । क्योंकि···

(व्यवधान)

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि यह मसला बहुत अहम मसला है, रोज अखबारों में इसके समाचार आ रहे हैं, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है । केन्द्रीय सरकार ने भी विधेयक बनाने की बात कही थी, उसकी अवधि भी समाप्त हो गई है । राजस्थान में भी पिछले एक महीने में 106 घटनायें हुई हैं जिनमें से केवल 50 घटनाओं की जांच हुई है जिसमें परसों की घटना भी शामिल है ! इस सबके बावजूद भी सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है । अभी माननीय सदस्या ने कहा कि यह शर्म की बात है कि ऐसे मसले को सदन में लाया जाय । यह और भी शर्म की बात है कि कोई सरकार सोती रहे और बलात्कार होते रहें. . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्री महोदय, इस बारे में वक्तव्य दे सकेंगे ? सदन को सूचित कर सकेंगे . . .

श्री खेतसिंह राठौड : माननीय सभापति महोदय सन् 77 से पहले जनता पार्टी, जिसमें ज्यादा लोग जनसंघ के थे, ने परिवार नियोजन का नाम लेकर अखबारों में खूब प्रचार करवाया, अब इन्होंने बलात्कार का विषय लिया है ।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोडा : आप विषय पर बोलिये ।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : और इस कोशिश में है कि सारे भारत में ऐसा माहौल बनाया जाय ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज ! कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य । माननीय श्री परसराम जी मदेरणा ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति जी, जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने दिया है, आसन ने यह व्यवस्था दी है कि सरकार को अविलम्ब इसके तथ्यों की जानकारी करनी चाहिए । इसके बाद प्रश्न वक्तव्य देने का उपस्थित हो जायेगा । फिर आसन यह निर्णय ले सकेगा कि वह राज्य सरकार को आदेश दे कि वह स्टेटमेंट दे या नहीं दे, यह व्यवस्था आसन देगा । आप सरकार को निर्देश दें कि तुरन्त इसकी जानकारी दें । इसके बाद आसन को निर्णय लेना है । क्या निर्णय लेना है । सरकार स्टेटमेंट देना चाहती है या नहीं चाहती है, यह प्रश्न सरकार के हाथ में नहीं है, यह आसन के हाथ में है । इसलिए आप अपने माइण्ड अप्लाई करके व्यवस्था दीजिये । सरकार को सूचना दी जा चुकी है, इसलिए आसन सरकार को निर्देश दे कि जो काल अटेन्शन मोशन माननीय सदस्यों ने दिया है. उस पर स्टेटमेंट दिया जाय, या नहीं दिया जाय । अध्यक्ष महोदय, इसका निर्णय करेंगे । उसकी सूचना सदन को दे दी जाय ।

श्री नाथूसिंह : मैं व्यवस्था सम्बन्धी बात बता रहा हूं। 1978–79 में, सभापति महोदय, 'हिन्दुस्तान' में एक समाचार निकला। उस समय खेतड़ी में जो घटना हुई, चाहे झूठी ही थी, लेकिन

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज !

श्री नाथूसिंह : उस मामले को संसद में उठाया गया, इस सदन में भी उठाया गया…

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : एक दिन में सरकार को वक्तव्य देना चाहिए, आज चार दिन हो गये।

(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय गृह उपमन्त्रीजी, मैं यह चाहूंगा कि आप तीन बजे तक उत्तर भेज दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव श्री जीतमल जैन !

श्री रघुवीरसिंह कौशल : सभापति महोदय, चूंकि सरकार बलात्कार को रोकने में अशक्त है, इसलिये बलात्कार की घटनाओं के सम्बन्ध में समय निश्चित कर दिया जाय।

श्री सभापति : आप सदन का समय नष्ट करने की चेष्टा नहीं करें, माननीय सदस्य, आप जैसे वरिष्ठ माननीय सदस्य से इस प्रकार के पाइन्ट आफ आर्डर की उम्मीद नहीं की जा सकती।

(व्यवधान)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अलवर स्थित भारत एलम्स एण्ड केमिकल्स द्वारा विषैली गैस छोड़ने के कारण फसल को क्षति।

"ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत श्री जीतमल जैन, श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा अलवर स्थित भारत एलम्स एण्ड केमिकल्स फैक्ट्री द्वारा विषैली गैस छोड़ने के कारण फसलें नष्ट होने से उत्पन्न स्थिति की ओर उद्योग मन्त्री का ध्यान आकर्षित करें।"

माननीय श्री जीतमल जैन!

श्री जीतमल जैन (अलवर) : माननीय सभापति महोदय, अलवर के औद्योगिक क्षेत्र में भारत एलम्स एण्ड केमिकल्स नाम की एक फैक्ट्री स्थित है जो गन्धक तेजाब और खाद का उत्पादन करती है। जब से यह फैक्ट्री क्रियाशील हुई है प्रत्येक वर्ष किसी न किसी प्रकार की दुर्घटना इसके द्वारा छोड़ी हुई गैस के कारण होती रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, काल अटेन्शन मोशन पर पहले सरकार की तरफ से वक्तव्य आना चाहिए, और · · ·

श्री सभापति : विरोधी दल के माननीय नेता महोदय, यह परम्परा रही है पिछले दिनों आसन द्वारा यह व्यवस्था दी गई है कि पहले माननीय सदस्य, जिनका मोशन है, बोल लेते हैं, फिर मंत्री जी का वक्तव्य आ जाता है।

(56)

(श्री सभापति)

फिर एक-दो प्रश्न और पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने उनको बोलने का अवसर दिया है।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। पहले भी जब काल अटेन्शन मोशन आया तो मैंने सदन के अन्दर निवेदन किया था कि पहले वक्तव्य देना चाहिए। काल अटेन्शन मोशन के बारे में सदन की यह परम्परा रही है कि काल अटेन्शन मोशन रखते हुए पिछले 27-28 साल में कभी भी भाषण नहीं हुआ। केवल अटेन्शन ड्रा कर देते हैं। पहले मिनिस्टर का वक्तव्य आना चाहिए। पहले भी यही परम्परा रही है। एक आध बार कभी कोई एक्सेप्शन पिछले 2–3 साल में हो गया हो तो हो सकता है, मैं सदन में उपस्थित नहीं रहा होऊं। किन्तु उसको सदन की परिपाटी नहीं मान करके पहले मंत्री का वक्तव्य आना चाहिए। मंत्री महोदय के वक्तव्य के बाद सिर्फ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, डिबेट तो हो नहीं सकती। यह जो लम्बा चौड़ा भाषण शुरू कर रहे हैं, इस प्रकार का भाषण तो काल अटेन्शन में तो पूर्व में रखते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य 2-2 मिनट में अपनी बात समाप्त कर देंगे। उसके बाद मंत्री महोदय का वक्तव्य आ जायेगा। इस सदन में एक दो अवसर ऐसे भी आये हैं जब माननीय सदस्य बोल चुकने के बाद मंत्री महोदय का वक्तव्य आया है। मैं कोई नई परम्परा कायम नहीं कर रहा हूं। जो पिछले दिनों में हुआ है, उसके अनुरूप माननीय सदस्यों को 2-2 मिनट बोलने का अवसर दे रहा हूं।

माननीय मंत्री महोदय !

श्री परसराम मदेरणा : इसका मतलब यह है कि माननीय सदस्य 2-2 मिनट बोल कर मिनिस्टर की अटेन्शन काल करेंगे। फिर मिनिस्टर का स्टेटमेंट आने के बाद में अवसर दिया जायेगा प्रश्न पूछने का। इस प्रकार की जो आप व्यवस्था कर रहे हैं यह गलत है। इसतरह से दो-दो दफा अपोर्चुनिटी मिलेगी। यह नहीं होकर पहले मिनिस्टर का स्टेटमेंट आ जाय; उसके बाद माननीय सदस्य जो कुछ कहना चाहें वह कह दें।

श्री सभापति : माननीय जीतमल जी जैन।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पहले हमेशा इस प्रकार से हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : व्यवस्था आ चुकी है। आप बैठ जाइये।

श्री सभापति : माननीय मुख्य सचेतक जी, माननीय मंत्री जी, मैं परम्परा से बंधा नहीं हूं। मैंने माननीय सदस्य को काल कर लिया है। सदन में ऐसा एक-दो अवसरों पर, जैसा भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, एक्सेप्शनल केसेज में हुआ है। This is the special case and therefore I have called him.

श्री जीतमल जैन : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि पिछले तीन वर्षों के अन्दर लगातार इस फैक्ट्री के द्वारा जो गैस छोड़ी जाती रही है उसके परिणामस्वरूप आसपास के गरीब किसान और काश्तकारों और उनकी फसल को नुकसान होता है, यह बड़े दुर्भाग्य का विषय है। जिस समय फैक्ट्री एस्टेब्लिस करने की इजाजत दी गई थी उस वक्त इस बात का सम्बन्धित

(श्री जीतमल जैन)

विभागों ने बिल्कुल ध्यान नहीं रखा कि फैक्ट्री किस स्थान पर लगाई जाये ताकि इससे होने वाले वाटर पोल्यूशन से एवं उसके द्वारा छोड़ी जाने वाली गैस के कारण आस-पास के काश्तकारों की खेती को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे।

सन् 1977 में भी इस प्रकार की घटना घटी थी इस समय काश्तकारों का लगभग 37 हजार रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया गया था किन्तु फैक्ट्री का मालिक यह कह कर बच निकला कि टैक्निकल गलती के कारण से कुछ पाइप लीक हो गये उसके कारण यह नुकसान हुआ है। हम इसकी चिमनी को ऊंचा करने जा रहे हैं ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना नहीं हो। इस समय गांव वालों को मुआवजा मिलना था लेकिन किसी प्रकार से प्रशासन और गांव वालों के बीच में समझौता हो गया। गांव वालों ने बड़ी उदारता दिखाई और कहा कि जितने पैसे का नुकसान हुआ है उतने पैसे से गांव वालों के लिये आप स्कूल की बिल्डिंग बनवा दीजिये। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जितना पैसा उस बिल्डिंग में लगना था उतना पैसा इस उद्योगपति ने बिल्डिंग के अन्दर नहीं लगाया। इस बार फिर घटना घटी है और आस पास के तीन-चार गांवों गूंदपुर, मजीठ, खानपुर, झाटेड़ा की लगभग सात सौ बीघा जमीन पर जो खेती ज्वार की और....

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

तिल्ली की गई थी वह सारी की सारी फसलें नष्ट हो गयी। सभी प्रकार की फसलें नष्ट हो गई और जो पके हुए पेड़ हैं, वह पेड़ तक भी झुलस गये हैं।

इतना ही नहीं पशु जीवन पर भी इसका असर पड़ा है। यह घटना घटी 29 जुलाई को, उसके बाद से अब तक 15 भैंसें गरीब किसानों की मौत के घाट उतर चुकी हैं। इतना ही नहीं मानव जीवन पर भी इसका असर हुआ है। जो गैस छोड़ी जाती है उसके परिणाम स्वरूप लोगों को खांसी का रोग हो जाता है, आंखों में से पानी आने लगता है, खांसी पैदा हो जाती है।

सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि 29 तारीख को घटना घटित हुई। 29 तारीख को गूंद-पुर गांव के लोग जिलाधीश महोदय से मिले तो जिलाधीश ने जिस प्रकार का दुर्व्यवहार उनके साथ किया, वह वास्तव में बड़ा अशोभनीय है। उन्होंने वहां जाने से मना कर दिया। जब मैं राज्य सरकार के मंत्री से मिला तब उनके आदेश के बाद जिलाधीश महोदय पिछली दो तारीख को....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

... गांव के अन्दर पहुंचे।

सभापति महोदय, केवल एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।

उसके बाद वह गांव में पहुंचे। तो जिस प्रकार का जिलाधीश महोदय का व्यवहार गांव वालों के साथ था, उससे वास्तव में ऐसा लगता है कि हम प्रजातन्त्र के युग में न रह कर एक सामन्तशाही युग में रह रहे हैं। गांव वाले अपना दुःख दर्द जिलाधीश महोदय को सुनाना चाहते थे। किन्तु जिलाधीश उनका दुःख दर्द सुनने के स्थान

(श्री जीतमल जैन)

पर गालियां दे रहे थे, झिड़क रहे थे कि आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। इस प्रकार का जिलाधीश महोदय का जो दुर्व्यवहार है वह वास्तव में भर्त्सना के योग्य है। 29 तारीख को घटना हुई और आज 6 तारीख हो गयी है लेकिन कलेक्टर महोदय ने अभी तक गिरदावरी करवा कर यह अनुमान नहीं लगाया है कि वास्तव में इस घटना से कितना नुकसान हुआ है ताकि गरीब किसानों के नुकसान का जायजा लिया जा सके और सरकार द्वारा मुआवजे की राशि उद्योगपति से वसूल की जाकर गरीबों को दी जा सके। वहां जितने भी किसान हैं उनके पास 2-2 बीघा जमीन से लेकर 10 और 12 बीघा जमीन है।

मैं एक और बात निवेदन करना चाहता हूं कि अगर प्रति वर्ष इस प्रकार की घटना घटती रही, प्रति वर्ष गरीब किसानों का इस प्रकार से नुकसान होता रहा तो सरकार को यह सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से किसानों को इस प्रकार के नुकसान से बचाया जा सकता है। मेरा निवेदन है कि निश्चित रूप से टैक्निकल जानकारी लेकर या तो उद्योग बन्द किया जाये या उसके आसपास की जो जमीन है उसको एक्वायर करके गांव वालों को उचित मुआवजा देकर उस जमीन को उद्योग क्षेत्र के अन्दर जोड़ दिया जाये।

यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : चतुर्वेदी जी, कुछ नये तथ्य सामने लायेंगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस विषय पर पूरी चर्चा कर ली। मैं तो केवल एक दो बातें निवेदन करना चाहता हूं। दो बीघा से लेकर 10 बीघा तक जमीन वाले किसान बहुत छोटे किसान हैं। 20 से 75 प्रतिशत तक उनकी फसल नष्ट हो गयी। इस कारण एक प्रश्न चिन्ह सारे किसानों के सामने आ गया किन्तु बड़े आश्चर्य की बात है कि सरकार के अधिकारियों ने इतने समय तक उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि छोटे किसानों को अविलम्ब राहत दिलाई जाये। 1977 में तो स्कूल की बिल्डिंग बनाने के बहाने स्थिति सामान्य हो गयी थी किन्तु वह भी तब हुई जब सारे किसान चल कर आये थे। मैं अपील करना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय को कि तुरन्त गिरदावरी कराइये। इसमें देरी नहीं हो। किसी प्रकार की देरी किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। अगर कुछ दवाओं का प्रयोग करके उनकी फसल को वापस ठीक करने का प्रयत्न किया जा सकता है तो वह करवाया जाये।

तीसरा मेरा निवेदन यह है कि जो फैक्ट्री है उसका जो वेस्ट निकलता है, जो वेस्ट वाटर निकलता है वह रिट्रीट नहीं किया हुआ है। इस कारण उससे नुकसान होता चला जा रहा है। इन सब बातों की इण्डस्ट्री डिपार्टमेंट पूरी जानकारी करे। सभी प्रकार के सभी एतिहात बरतने के लिए फैक्ट्री को पाबन्द किया जाय। इस प्रकार की व्यवस्था की जाये ताकि यह बात रिपीट नहीं हो। इस प्रकार की स्थिति का रिपीटिशन

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

नहीं हो, ऐसी व्यवस्था की जाय। इस प्रकार की व्यवस्था अविलम्ब करने के लिए आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : उद्योग मंत्री जी।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मेरे क्षेत्र की एक दो बात बतलाना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मेरा आपसे निवेदन है कि···

श्री जयकृष्ण शर्मा : एक मिनट मंत्री जी को ध्यान दिला दूं।

श्री सभापति : आपको पूरक प्रश्न पूछने की इजाजत दूंगा। माननीय उद्योग मंत्रीजी।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी (उप-मंत्री, उद्योग) : सभापति महोदय, भारत एलम्स एण्ड केमिकल्स लि. मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, अलवर में लगी हुई है। इस उद्योग को भारत सरकार द्वारा 39,600 मैट्रिक टन प्रति वर्ष के हिसाब से सल्फरिक एसिड तथा 66 हजार मैट्रिक टन प्रति वर्ष के हिसाब से सिंगल सुपर फास्फेट उत्पादन का इंडस्ट्रियल लाइसेंस दिया गया था। यह उद्योग वर्तमान में चालू है। इस फैक्ट्री की चिमनी से निकलने वाली जहरीली गैस से आसपास के खेतों की फसलें, पशुधन, मानव जीवन पर खराब असर पड़ने की शिकायतें पहले भी वर्ष 1978 में प्राप्त हुई थीं। जहरीली गैस से होने वाले नुकसान के सम्बन्ध में जिलाधीश, अलवर द्वारा उद्योग विभाग, कृषि विभाग, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि., चिकित्सा अधिकारियों एवं राजस्थान जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों से स्थानीय ग्रामीणों के साथ जांच करवाई गई थी। उस समय जहरीली गैस के असर को रोकने के लिए चेयरमैन, राजस्थान जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड, जयपुर द्वारा दी गई रिपोर्ट की रूपरेखा को जिलाधीश, अलवर ने फैक्ट्री के मैनेजमेंट को अमल करने के लिए भेजा था। इस रिपोर्ट में दिए गए सुझावों के मुताबिक चिमनी से निकलने वाली गैस को चिमनी से अधिक ऊंचाई पर छोड़ने के लिए 18 हजार मीटर प्रति घंटे की गति वाला एयर कम्प्रेसर लगाया गया है। यह कम्प्रेसर 132 फीट ऊंची चिमनी से गैस के निकलते ही उसे आगे पूर्ण ऊष्ण कर देता है जो गैस को ऊपर जाने में मदद करता है।

एक माननीय सदस्य : इस लाइन को दुबारा पढ़ो।

एक माननीय सदस्य : मेरा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पुरजोर निवेदन है कि अच्छी तरह बोलें ताकि हमें समझ में तो आए।

श्री सभापति : आप सब समझ रहे हैं, आप बहुत समझदार हैं। माननीय मंत्री महोदय।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : इस रिपोर्ट में दिए गए सुझावों के मुताबिक चिमनी से निकलने वाली गैस को चिमनी से अधिक ऊंचाई पर छोड़ने के लिए 18 हजार मीटर प्रति घण्टे की गति वाला एयर कम्प्रेसर लगाया गया है। यह कम्प्रेसर 132 फीट ऊंची चिमनी से गैस के निकलते ही उसे

(60)

(श्री अब्दुल रहमान चौधरी)
आगे पूर्ण ऊष्ण कर देता है जो गैस को ऊपर जाने में मदद करते हैं...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : क्या कर देता है ?

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : इसके अलावा फैक्ट्री मैनेजमेंट में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए 55 लाख रुपये की लागत से डबल कन्वर्शन/डबल एब्जोर्प्शन तकनीकी में बदल दिया गया है। इस तकनीकी के बदलने से सल्फर डाई आक्साइड गैस का उत्पादन 2 हजार पी. पी. एम. से 200 पी. पी. एम. कर देता है। जो यू. एस. एस. और अन्य विकसित देशों के अन्तर्राष्ट्रीय...

श्री बंसीलाल पटवा : यह पी. पी. एम. क्या होता है।

श्री सभापति : स्थान ग्रहण करें।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : पार्टीकल्स पर मिलियन।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनुसार है। डबल कन्वर्शन/डबल एब्जोर्प्शन की प्रणाली उत्तर भारत में केवल इसी फैक्ट्री में ही चालू है। इस प्रणाली से संभावित वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण पर काफी नियंत्रण रहता है। फैक्ट्री के प्रबन्धकों द्वारा गैस के निकास में कमी करने के लिए कुछ और तकनीकी विशेषज्ञों के सुझाव आने पर फैक्ट्री के प्रबन्धकों ने इस विषय में और सुधार करने का आश्वासन दिया है।

मौके का निरीक्षण और विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारियों की रिपोर्ट के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि गैस से पशु और मानव जीवन को कोई खतरा नहीं है। लेकिन बारिश के मौसम में फैक्ट्री की चिमनी से निकलने वाली गैस ऊपर जाकर बरसने वाले पानी के साथ मिल जाती है व उसे पानी से कुछ एरिया की फसलों के क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना बताई गई है। सम्भवतः इस गैस से फसलों के क्षतिग्रस्त होने की वजह का आधार अन्य असरदार कारणों के न होने के कारण ही सम्भावना व्यक्त की गई है। यह फैक्ट्री पिछले 2 वर्ष से कार्यरत है और आस-पास के इलाकों में क्रानिक कैसेज का न होना यह बतलाता है कि इतनी ऊंचाई पर गैस का निकलना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह नहीं है।

इस वर्ष फसल की हानि की जानकारी मालूम करने के लिए इससे प्रभावी गांवों की माह अगस्त में खास गिरदावरी करने के लिए आदेश जिलाधीश, अलवर द्वारा दिए जा रहे हैं। इस गिरदावरी के पूरा होने पर ही जो फसलों का नुकसान होने की सम्भावना बताई गई है उसके बारे में पूरी जानकारी मिल सकेगी एवं इसके बाद ही राज्य सरकार जिन लोगों को इससे नुकसान होना पाया जायगा उनकी क्षतिपूर्ति फैक्ट्री से करवाने का राज्य सरकार पूरा प्रयास करेगी।

श्री सभापतिः माननीय जयकृष्ण शर्मा।

श्री जयकृष्ण शर्मा (रामगढ़) : सभापतिजी, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात रखी, वह बात

(श्री जयकृष्ण शर्मा)
बिल्कुल सही है। चूंकि मेरा वही निर्वाचन क्षेत्र है, जिसमें ये गांव पड़ते हैं, जिनका जिक्र किया है, कमालपुरा और घाटोली, उसके पास एक गांव और है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यही नहीं कि गैस के छोड़ने से नुकसान होता हो बल्कि जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया है उसका पानी बहकर रामगढ़ की तरफ जाता है उसके अन्दर कुछ ऐसे मिनरल्स मिल जाते हैं कि उस पानी को कमालपुरा और घाटोली के मवेशी जब पीते हैं तो मौके पर ही मर जाते हैं। मैंने स्वयं देखा है और डेढ़ साल पहले उस संबंध में उस समय के उद्योग मंत्री को लिखा था परन्तु मुझे बड़ा अफसोस है कि उन्होंने इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की। उस समय के जो उद्योग मंत्री थे उन्होंने उस कारखानेदार को बुला लिया और उसके बाद न मालूम क्यों कारखानेदार से बात न कह कर केवल वहीं का वहीं रफा-दफा कर दिया। यह ऐसी चीज है कि अलवर के आस-पास के गांवों की फसल को नुकसान ही नहीं बल्कि वहां के लोगों को भी नुकसानदेह होगा। मवेशी नाम की चीज इलाके में रहेगी नहीं। इसलिए जो पानी निकलता है उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। कहीं वह अंडरग्राउंड चला जाए जिससे मवेशियों को पीने के लिए नहीं मिल सके। साथ ही आस पास की गैस को और भी ऊंचा छुड़वाने की व्यवस्था करें, नहीं तो कारखाने को ही बंद किया जाए और जंगल में शिफ्ट किया जाए जिससे आस-पास के 15-20 गांवों पर असर नहीं हो। सभापति महोदय, 15-20 गांवों की जमीन का प्रश्न है, आज कहां तो किसान को जमीन मिलेगी, कहां वे बसेंगे, कहां उनको मकान मिलेंगे? कारखाना यदि गलती के कारण लग गया है उसका कोई इलाज नहीं है तो कारखाने को जल्दी से जल्दी बंद किया जाए और कहीं एकांत में इसको शिफ्ट किया जाए। डेढ़ साल जब शासक दल में रहे तब तो उनको चिन्ता नहीं हुई, आज उनको चिन्ता हुई। मुझे इस बात की खुशी है, इस बात का अफसोस नहीं, आज भी खुशी है कि उनको चिन्ता तो हुई। विरोधी पक्ष में बैठने वाले को मुबारकबाद देता हूं कि आज उनको चिन्ता हुई और यह प्रश्न उन्होंने सदन में रखा। इसलिये, सभापति महोदय, मैं उद्योग मन्त्री और खास तौर से राजस्थान सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस ओर शीघ्रातिशीघ्र ऐसे कदम उठाये जिससे कि अलवर और उसके आस-पास वाले गांवों में इससे बीमारी नहीं फैले और जो लोग वहां रहते हैं व वहां जो मवेशी हैं उन्हें मरने से बचाया जा सके। ऐसा मेरा सुझाव राज्य सरकार को है।

श्री सभापति : जीतमल जी, अब आप कोई प्रश्न मन्त्री महोदय से करना चाहें तो कर लें।

श्री जीतमल जैन : सभापति महोदय, मन्त्री महोदय ने जो अपना वक्तव्य दिया और उसमें उन्होंने यह कहा कि पोल्यूशन नहीं हो इसके लिये चिमनी को और अधिक ऊंचा कर दिया गया है, उसकी ऊंचाई को बढ़ा दिया गया है। ऐसा करने से अब कोई आगे दुर्घटना नहीं घटेगी। लेकिन जो मेजर्स वहां पर लिये गये हैं मैं समझता हूं यह मेजर्स पर्याप्त नहीं होंगे। आगे और इसके लिये राज्य सरकार कोई विचार कर रही है

(श्री जीतमल जैन)

क्या जिससे कि इस प्रकार की दुर्घटनायें न हों।

सभापति महोदय, इसके अलावा एक बात और निवेदन करना चाहता हूं जो मेडिकल रिपोर्ट आई है, वह मेडिकल रिपोर्ट, सभापति महोदय, बिलकुल झूंठ है। मैं यह निश्चित तौर पर कह सकता हूं वहां पर बीमारी फैली है और मवेशी मरे हैं। सभापति महोदय, मैं खुद वहां उस दिन उपस्थित था जिस दिन यह घटना घटी थी। सभापति महोदय, मेरी मेडिकल आफिसर से बात हुई उससे पता लगा कि फैक्ट्री का पानी बह कर आता है, अन्य पानी में मिल जाता है जो मवेशी उस पानी को पीते हैं उन पर उसका असर पड़ता है। इसलिये, सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी मेडिकल एक्सपर्ट से जांच करायी जानी चाहिये।

इसके अलावा रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि पहले मैंने इस प्रश्न को सदन में कभी नहीं उठाया और अब जब जनता पार्टी की सरकार चली गई है और मैं विरोधी पार्टी में आकर बैठा हूं मैंने इसके बारे में प्रश्न उठाया। इस सन्दर्भ में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस समय के, आज से डेढ़ दो साल पहले के अखबार उठाकर देख लें, मैंने सदन में यह मामला उठाया है। सारे मामले पर तत्कालीन जो उद्योग मंत्री थे उनको पोल्यूशन बोर्ड ने जो रिपोर्ट दी उसकी क्रियान्विति के बारे में कहा था।

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मन्त्री) : सभापति महोदय, मैंने दोनों ही तरफ के माननीय सदस्यों ने जो जानकारी दी उसको सुना है। मैं उनको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राज्य सरकार इसके बारे में पूरी जानकारी करेगी और जांच करने के बाद जो भी उपयोगी कदम होंगे उठायेगी।

श्री सभापति: कोलोनाइजेशन मिनिस्टर साहब का वक्तव्य।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : गिरदावरी के संबंध में क्या आदेश दिया, यह बता दें।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : सभापति महोदय, चिमनी को ऊंचा करने से कितना पोल्यूशन कम होगा ? यह बात तो मेरी समझ में आती नहीं है। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि उस इन्डस्ट्री के अन्दर से कुछ कैमिकल्स पानी में पोल्यूट हो जाते हैं उस पानी को मवेशी या वहां की जनता पीती है उससे बीमारियां फैलती हैं। उन बीमारियों से बचने के लिये राज्य सरकार क्या उपाय कर रही है ?

दूसरे उप मन्त्री महोदय ने यह बात कही कि एअर कम्प्रेशर को 18 हजार फीट ऊपर कर दिया है जिससे उसकी गैस ऊपर ही चली जायेगी और वह नीचे असर नहीं करेगी। पर दुर्भाग्य से कहिये या बदकिस्मती से कहिये वहां बरसात आ गई, बरसात आ जाने से वह गैस नीचे आ गई और फिर बरसात का पानी गैस से पोल्यूट हो गया, उसके कारण सारा पोल्यूशन हो गया। इसलिये कम्प्रेशर, जो ऊंचा किया गया है, तो बरसात के कारण काम नहीं आया। अब तो आप कोई ऐसी व्यवस्था करावें कि जो गैस है वह बादलों के ऊपर चली जावे जिससे कि बरसात हो भी तो उसका पानी पोल्यूट

(श्री परसराम मदेरणा)
नहीं हो। इस संबंध में हमारे जो सांइटिस्ट हैं वह मदद कर सकते हैं। चूंकि हमारी साइन्स काफी डवलप हो चुकी है वह कोई उपाय ऐसे निकाले जिससे कि गैस ऊपर चली जाय और उसका असर नहीं पड़े तो इसका हल निकल सकता है बाकी तो यह समाप्त नहीं हो सकता है।

श्री सभापति : उपनिवेशन मन्त्री जी।

एक माननीय सदस्य : मेरा निवेदन है कि····

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें। कृपया शान्त रहें।

शासकीय वक्तव्य

उपनिवेशन विभाग की बीकानेर की कोलायत तहसील के भूमिहीन काश्तकारों की जमीन खारिज करना तथा नया आवंटन न करना

श्री सभापति : कोलोनाइजेशन मन्त्री जी का वक्तव्य। माननीय मन्त्री जी।

श्री रामपाल उपाध्याय (उप मन्त्री कोलोनाइजेशन) : राजस्थान नहर क्षेत्र में बीकानेर जिले की राजस्व तहसील कोलायत के उप निवेशन घोषित गांव सन् 1976-77 से पूर्व उपनिवेशन विभाग के संकाय क्षेत्र में नहीं थे, उन गांवों को उपनिवेशन विभाग के संकाय क्षेत्र में 1976-77 में लिया गया। उन गांवों में उस समय सिंचाई सुविधा नहीं थी तथा चक प्लान भी प्राप्त नहीं हुए थे। इसलिये उस क्षेत्र में स्थित बारानी भूमियों के अस्थाई आवंटन एवं नवीनीकरण के सम्बन्ध में आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के प्रस्ताव अनुसार राज्य सरकार ने बीकानेर जिले की राजस्व तहसील कोलायत के उन गांवों, जो कि पूर्व में जैसलमेर जिले में स्थित थे, के सम्बन्ध में आदेश क्रमांक एफ. 3(54) राज/उप/76, दि. 2-7-76 से आदेश दिये थे कि उप-निवेशन क्षेत्र की कोलायत तहसील में उन काश्तकारों, जिनका नाम समरी सैटलमेन्ट में है, के रिन्यूअल की आवश्यकता नहीं है और उन लोगों को उनके कब्जे की भूमि पर काश्त करने दिया जावे। अन्य काश्तकार, जो भूमि हीन हैं, उसी गांव के हैं उनको 50 बीघा तक बारानी भूमि अस्थाई काश्त पर दी जावे। इसी प्रकार बीकानेर जिले की राजस्व तहसील कोलायत के जो देहात उपनिवेशन क्षेत्र घोषित हैं परन्तु जैसलमेर जिले में नहीं होकर प्रारम्भ से ही बीकानेर जिले में सम्मिलित हैं उसमें से सम्वत् 2003 के सर्वे व मिसल बन्दोबस्त में जो काश्तकार अंकित हैं उन्हें रिन्यूअल की आवश्यकता नहीं है और उनको उनके कब्जे की भूमि पर काश्त करने दिया जावे। उसी गांव में शेष भूमिहीन कृषकों को नियमानुसार 50 बीघा भूमि का नवीनीकरण किया जावे। इस सम्बन्ध में राज्यादेश एफ. 3(54) राज/उप/76, दिनांक 29-9-76 द्वारा जारी किए गए हैं।

उपरोक्त आदेशों से स्पष्ट है कि जिन कृषकों का नाम सैटलमेन्ट रेकार्ड में दर्ज है उनको रिन्यूअल कराने की आवश्यकता नहीं है और उनके पट्टे खारिज होने का प्रश्न ही नहीं है। इसके विपरीत राज्य सरकार ने धारा 15 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 में संशोधन के नाम 15 अक्टूबर, 1955 को राजस्व विभाग के चालू वार्षिक रजिस्टर में बतौर खुदकाश्त होल्डर ओक्यूपेन्सी टिनेन्ट

(64)

(श्री रामपाल उपाध्याय)

मोरूसीदार या खातेदार कृषक की हैसियत से दर्ज हैं तो उनको खातेदारी कृषक के अधिकार दे दिये जावेंगे। जो कृषक इस प्रकार के कृषक राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं हैं परन्तु वह वास्तव में खातेदार अथवा अधिभोगी काश्तकार (ओक्यूपेन्सी टिनेन्ट) अथवा मोरूसीदार अथवा अन्य काश्तकार था जिसको विरासत व क्रय करने के अधिकार थे तो वह एक वर्ष के भीतर-भीतर अपने क्षेत्र के सहायक जिलाधीश अथवा सक्षम अधिकारी के न्यायालय में प्रार्थना-पत्र देकर अपने अधिकार घोषित करा सकता है।

जिला बीकानेर के उपनिवेशन क्षेत्र के गांवों में अस्थाई कृषि हेतु राजकीय भूमि का आवंटन राजस्थान उपनिवेशन (टेम्प्रेरी कल्टीवेशन लीज) कन्डीशन्स, 1955 के तहत किया जाता है। इन शर्तों के तहत वे ही व्यक्ति भूमि आवंटन करा सकते हैं जिनका बोनाफाइड काश्तकारी पेशा है जिसको टैम्प्रेरी लीज पर भूमि दी जा रही है। वह उस गांव व तहसील के रहने वाले हैं इनको निर्धारित प्रार्थना-पत्र में भूमि आवंटन के लिए प्रार्थना-पत्र देना होता है अस्थाई काश्त के लिए भूमि एक समय में पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिये नहीं दी जा सकती है। राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में अस्थाई कृषि के लिये भूमि एक वर्ष के लिये ही दी जाती है।

इन शर्तों के तहत भूमि लेने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक है कि आवंटन के बाद एक माह में कब्जा ले और भूमि बारानी हो तो समस्त आवंटित भूमि को काश्त करे और सिंचित हो तो कम से कम आवंटित भूमि की आधी में काश्त करें। अस्थाई काश्त के लिये भूमि आवंटन पाने वाले व्यक्ति के लिए यह भी लाजमी है कि लीज मनी, वाटर रेट, भू-राजस्व आदि का समय पर भुगतान करे।

बीकानेर जिले की उपनिवेशन तहसील में 6528 व्यक्तियों को 198204 बीघा भूमि अस्थाई तौर पर वर्ष 1980-81 के प्रारम्भ तक आवंटित थी। इन आवंटियों में से 1951 व्यक्ति अनुसूचित जाति के आवंटिती हैं एवं 4937 व्यक्ति अन्य हैं। इनमें से क्रमशः 50996 बीघा तथा 147208 बीघा भूमि आवंटित है।

वर्तमान वर्ष में अब तक कुल 6528 आवंटितियों में से 4272 आवंटितियों का नवीनीकरण किया जा चुका है जिनमें से अनुसूचित जाति के 1158 व्यक्ति एवं अन्य 3115 आवंटिति सम्मिलित हैं इनको क्रमशः 26816 बीघा भूमि तथा 86889 बीघा भूमि का नवीनीकरण किया जा चुका है। इस वर्ष नवीनीकरण के दौरान जांच पर प्रारम्भिक आवंटन गलत पाये जाने के कारण 6528 आवंटितियों में से 116 व्यक्तियों का अस्थाई आवंटन निरस्त किया गया जो 4442 बीघा भूमि का था। बाकी बची हुई 2139 मामलों में नवीनीकरण की कार्यवाही जेरकार है।

जिन मामलों में अस्थाई भू-आवंटन खारिज किया गया है उसके कारण यह हैं कि जिन लोगों को आवंटन किया गया था वे बोनाफाइड भूमिहीन नहीं थे और उस गांव के पड़ौस के गांव के रहने वाले नहीं थे।

दूसरा कारण है कि वे उस जिले के रहने वाले नहीं थे। राज्य सरकार के

(श्री रामपाल उपाध्याय)

निर्देशानुसार अस्थाई आवंटन केवल उस गांव के रहने वाले निवासियों को ही किया जाता है।

तीसरा कारण यह है कि कुछ व्यक्तियों ने पूर्व में धारण अधिक भूमि होते हुए भी अस्थाई भू-आवंटन करा लिया उसे निरस्त कर दिया गया है।

चौथा कारण यह है कि अस्थाई आवंटितियों, जिन्होंने अस्थाई आवंटन की शर्तों का पालन नहीं किया था-के मामलों में भी खारिजी की कार्यवाही की गई है।

बीकानेर जिले की उपनिवेशन तहसील कोलायत नं. 1, 2, 3 और 4 में आवंटन नवीनीकरण नवआवंटन एवं निरस्तीकरण की स्थिति निम्न प्रकार है :

कोलायत उपनिवेशन तहसील नं. 1 :

वर्ष 80–81 के प्रारम्भ में कुल 1802 व्यक्तियों को 59480 बीघा भूमि अस्थाई तौर पर आवंटित थी इनमें से 419 आवंटिती जिन्हें 14746 बीघा भूमि आवंटित थी अनुसूचित जाति के हैं। 1382 व्यक्ति जिन्हें 44734 बीघा भूमि आवंटित है अपर जाति के हैं। अब तक कुल 836 अस्थाई आवंटितियों को धारण की हुई 24417 बीघा भूमि का नवीनीकरण किया जा चुका है। जिन आवंटितियों को नवीनीकरण किया गया है उनमें से 295 आवंटिती अनुसूचित जाति के एवं 541 अन्य जाति के हैं, जिनको क्रमशः 9251 बीघा एवं 15116 बीघा भूमि का नवीनीकरण किया जा चुका है। उपनिवेशन तहसील कोलायत नं. 1 में इस दौरान में अब तक कुल 19 व्यक्तियों को 878 बीघा भूमि का अस्थाई आवंटन किया गया है। इसमें से 8 व्यक्ति अनुसूचित जाति के एवं 11 अन्य जाति के हैं। इनको आवंटित रकबा क्रमशः 238 एवं 340 बीघा है। इस तहसील के पूर्व वर्षों के आवंटितियों में से 62 व्यक्तियों का अस्थाई आवंटन नियमानुसार नहीं होने के कारण खारिज किया गया है।

कोलायत तहसील नं. 2 :

उपनिवेशन तहसील कोलायत नं. 2 में वर्ष 80-81 के प्रारम्भ में 461 व्यक्तियों को 15445 बीघा भूमि का अस्थाई आवंटन हुआ है। इन आवंटितियों में 154 व्यक्ति अनुसूचित जाति के एवं 307 अन्य वर्ग के हैं जिनको क्रमशः 5293 तथा 10152 बीघा भूमि आवंटित थी। अभी तक 204 आवंटितियों की धारित 5825 बीघा भूमि का नवीनीकरण किया जा चुका है। जिन अस्थाई आवंटितियों का नवीनीकरण हुआ है उनमें 55 आवंटिती अनुसूचित वर्ग के हैं तथा 149 आवंटिती अन्य वर्ग के हैं जिनको क्रमशः 1631 एवं 4194 बीघा भूमि का नवीनीकरण किया गया है। इस तहसील में 14 व्यक्तियों को 431 बीघा भूमि का नवीन आवंटन किया गया। इन आवंटितियों में से 3 अनुसूचित जाति के हैं एवं 11 अन्य वर्ग के हैं जिनको क्रमशः 73 बीघा एवं 358 बीघा भूमि आवंटन की गई है। इस तहसील में 47 आवंटितियों का आवंटन नियमानुकूल नहीं होने के कारण खारिज किया गया है।

उपनिवेशन तहसील कोलायत नं. 3 :

इस तहसील में कुल 22 व्यक्तियों को 7354 बीघा भूमि अस्थाई रूप से आवंटित

(66)

(श्री रामपाल उपाध्याय)

हैं। आवंटितियों में से 70 व्यक्ति अनुसूचित जाति के एवं 191 व्यक्ति अन्य वर्ग के हैं जिनको क्रमशः 2525 बीघा एवं 4829 बीघा भूमि आवंटित है। इनमें से 63 व्यक्तियों की धारण की 2034 बीघा भूमि का नवीनीकरण किया जा चुका है। जिन अस्थाई आवंटितियों का नवीनीकरण किया गया है उनमें 25 अनुसूचित जाति के एवं 38 अन्य वर्ग के हैं। इस तहसील में नवीनीकरण एवं नये आवंटन की कार्यवाही अभी चालू है। इस तहसील में अभी तक किसी आवंटिती का अस्थाई आवंटन खारिज नहीं किया गया है।

उपनिवेशन तहसील कोलायत नं. 4 :

इस तहसील में कुल 1180 व्यक्तियों को 35899 बीघा भूमि आवंटित है। इन आवंटितियों में से 375 अनुसूचित जाति के हैं और 705 व्यक्ति अन्य वर्ग के हैं जिनको क्रमशः 12567 तथा 23332 बीघा भूमि आवंटित है। अभी तक 854 व्यक्तियों के धारण की 26980 बीघा भूमि का नवीनीकरण किया जा चुका है। जिन अस्थाई आवंटितियों का नवीनीकरण किया गया है उनमें अनुसूचित वर्ग के 358 आवंटिति हैं तथा 496 आवंटिति अन्य वर्ग के हैं जिनका नवीनीकरण किया गया है। भूमि क्रमशः 11342 बीघा एवं 15638 बीघा है। उक्त तहसील में अब तक 7 व्यक्तियों को 298 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है। नव आवंटितियों में 4 अनुसूचित जाति के एवं 3 अन्य जाति के हैं जिनको क्रमशः 178 एवं 120 बीघा भूमि आवंटित की गई है। उपनिवेशन तहसील कोलायत नं. 4 में नवीनीकरण के वक्त 34 व्यक्तियों का अस्थाई आवंटन नियमानुकूल नहीं होने के कारण खारिज किया गया है।

श्री सभापति : श्री देवीसिंह जी.

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : सभापति महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव है उसमें यह निवेदन किया गया था कि भूमिहीन काश्तकारों को पूर्व में जमीन आवंटित की गयी उस वक्त उपनिवेशन आयुक्त का सक्षम अधिकारी वहां भूमि आवंटित करने जाता है। वहां प्रार्थना-पत्र भूमिहीन काश्तकार द्वारा दिया जाता है उसकी जो भी शर्तें होती हैं मौके के ऊपर उनका निरीक्षण करने के उपरान्त आवंटन किया जाता है। सभापति महोदय, उनको आज से दो साल चार साल के बीच में हर साल आवंटन किया गया है। सभापति महोदय, हर वर्ष उनका आवंटन नवीनीकरण किया गया है। सभापति महोदय, यह प्रावधान है कि आवंटन के बाद हर साल असिस्टेन्ट कोलोनाइजेशन कमिश्नर, डिप्टी कोलोनाइजेशन कमिश्नर और कमिश्नर कोलोनाइजेशन वहां जाकर आवंटन की फाइलों का निरीक्षण करता है। मेरी यह समझ में नहीं आता कि जब यह प्रावधान है कि तहसीलदार जमीनों का आवंटन करता है उसके उपरान्त उनकी जांच की जाती है तहसीलदार के द्वारा और उसके बाद में असिस्टेन्ट कोलोनाइजेशन कमिश्नर के द्वारा और कोलोनाइजेशन कमिश्नर के द्वारा तो पहली बात तो यह है कि उसी समय खारिज क्यों नहीं कर दी गई ? दूसरी बात उनके अधिकारी वहां मुआयना करते हैं तो उसी समय खारिज क्यों नहीं कर दी गयी ? उस किसान को भुलावे में

(श्री देवीसिंह भाटी)

देकर, कि तुम भूमिहीन की परिभाषा में आ गये हो, 50 बीघा जमीन आवंटन की गयी। उसके उपरान्त वह गरीब काश्तकार उस बंजर जमीन को सुधारने के लिए लेवल करता है और हजारों रुपया लगाकर ट्रैक्टर से काश्त करता है। चार साल बाद उसको कहते हैं कि तुम उस परिभाषा में नहीं आते हो इसलिए तुम्हारी जमीन खारिज की जाती है। सभापति महोदय, यह ठीक है कि यह नई सरकार है किन्तु जो प्रशासनिक अधिकार दे रखे हैं, उसके द्वारा क्या किसानों को मारा जाये? अगर परिभाषा में नहीं आता तो उसको आवंटित क्यों की गई? कोलोनाइजेशन कमिश्नर मर गये थे क्या? उस किसान के बच्चे नहीं? क्या उसके ऊपर से पैसे आते हैं? सरकार की तरफ से घोषणा होती है कि भूमिहीन किसानों को जमीन दी जायेगी किन्तु जब प्रार्थना-पत्र देते हैं तो जो उस परिभाषा में आते हैं उनको जमीन दी जाती है। आई.ए.एस. अधिकारी, आर.ए.एस. अधिकारी को जानकारी रहती है, किसान को कुछ मालूम नहीं होता, इस कारण आवंटन खारिज कर दिया जाता है। यह मेरी समझ में नहीं आता।

सभापति महोदय, मुझे जनता ने प्रतिनिधि चुन कर भेजा है ताकि मैं उनकी बात इस सदन में कह सकूं। सभापति महोदय, जो जमीन दी जाती है उस पर खर्चा करते हैं। बाद में उसको खारिज कर देते हैं। आज साल भर बाद यह लिस्ट दी है कुछ आदमियों की, इतने आदमियों की खारिज कर दी गई है। सभापति महोदय, आखिर मैं यह निवेदन करूं, मंत्री महोदय विराज रहे हैं, सरकार कोई न कोई आश्वासन दे। गरीबों का नुकसान नहीं होना चाहिये। सभापति महोदय, मंत्री महोदय फर्मायें उसके बाद जो मुझे पूछना है वह मैं पूछूंगा।

श्री सभापति: आपको जो कुछ कहना है अभी कह दें। वाद-विवाद का अवसर नहीं दूंगा। आपको जो प्रश्न पूछने हैं, एक दो, तीन अभी पूछ लें।

श्री देवीसिंह भाटी: सभापति महोदय, मैं इस सदन का नया सदस्य हूं, मुझे पूरी जानकारी नहीं है किस प्रकार प्रश्नोत्तर होता है।

श्री सभापति: मैंने आपको जानकारी दे दी। 1, 2, 3 जो प्रश्न पूछने हैं, पूछ लीजिये।

श्री देवीसिंह भाटी: मैंने बात कही, कम से कम उसका उत्तर तो मिलना चाहिये। आज किसान मर रहे हैं। मंत्री महोदय विराज रहे हैं, अगर ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा? किसानों को कुछ जवाब दें। उसने हजारों रुपये जिस जमीन पर लगाये उसको खारिज कर दिया।

श्री सभापति: आपने अपनी बात कह दी। कृपया बात समाप्त करें। माननीय मंत्री महोदय।

श्री परसराम मदेरणा: सभापति महोदय, मैं उप मंत्री जी से यही जानना चाहूंगा कि तहसील 1, 2, 3, 4 में, जैसा इन्होंने अपने वक्तव्य में उल्लेख किया है, 145 आवंटितियों का आवंटन खारिज किया गया। 145 आवंटितियो में से किसी ने इस आवंटन के खारिज के जो आदेश हुए हैं उनके खिलाफ कोई अपीलेट कोर्ट में अपील

(68)

(श्री परसराम मदेरणा)

की है और अगर अपीलेंट कोर्ट में उन्होंने अपील कर दी है तो मैटर सबजुडिस है। कोई भी मैटर सबजुडिस है तो इस सदन में उस पर चर्चा नहीं हो सकती।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय।

श्री रामपाल उपाध्याय : सभापति महोदय, मैंने अपने वक्तव्य में सारी बातों की स्थिति स्पष्ट कर दी है। फिर भी माननीय सदस्य महानुभाव द्वारा पूछे गये प्रश्न के बारे में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो अस्थाई आवंटन हुए हैं, एक वर्ष बाद उनके नवीनीकरण की आवश्यकता होती है नियमानुसार। नवीनीकरण के लिये जो आवश्यक योग्यतायें हैं उनको देखकर नवीनीकरण किया जाता है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं बहुत से आवंटितियों ने नवीनीकरण का आवेदन-पत्र नहीं दिया है, बहुत से आवंटितियों ने राजस्थान के बोनाफाइड्स हैं या नहीं हैं इसके बारे में नहीं बताया है, किसी ने यह नहीं बताया कि खेतिहर हैं या नहीं हैं। सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार जब इसकी जांच की जाती है तो माननीय सदस्य महोदय को निवेदन करूं कि एक वर्ष के लिये की जाती है और बाद में उसे सक्षम अधिकारी द्वारा देखा जाता है। आपकी इस बात से मैं पूर्णतया संतुष्ट हूं कि अधिकारियों को आवंटन करने से पहले सब चैक कर लेना चाहिये जिससे कि बिना पढ़े लिखे किसानों को किसी तरह का कष्ट न हो। इस बारे में सरकार अधिकारियों को निर्देश देगी। लेकिन आपसे निवेदन करूं, जैसा आपने कहा कोलोनाइजेशन कमिश्नर आदि के बारे में, मैंने निर्देश कर दिये हैं कि भविष्य में इस तरह की व्यवस्था हो ताकि किसानों को इस बात का कष्ट न हो। साथ में यह भी अनुरोध करता हूं, जो अस्थाई रूप से आवंटन चाहते हैं, उन कृषक भाइयों से आपकी मार्फत अनुरोध करता हूं तथ्यों की गलत सूचना नहीं दें।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई।

श्री देवी सिंह भाटी : मैं यह चाहता हूं, जब हजारों रुपया लगाया जाता है तो आखिर वह किस बात की जांच करते हैं? कमिश्नर जांच करते हैं। अनपढ़ किसान के लिये कहा जाता है गलत सूचना न दें। हो सकता है उसने जानबूझकर दी हो या गलत सूचना दी हो तो जब जांच करते हैं, जांच करने के बाद जमीन का आवंटन होता है तब देख लें। 3, 4 साल बाद यह कहा जाता है उसका सबूत नहीं है ....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त करें।

श्री देवी सिंह भाटी : मैं यह कहता हूं यह आश्वासन दिया गया था कि जो जमीनें आवंटन की गई हैं वह खारिज नहीं की जायेंगी। 70 की अलाट की हुई जमीनों के 10 साल के बाद आवंटन खारिज किये जा रहे हैं। सभापति महोदय, जैसा मंत्री महोदय ने कहा कि हर साल नवीनीकरण हो सकता है। चार चार साल तक हुआ तो फिर चार साल के बाद आखिर किसान कहां जायें? जमीनों के ऊपर हजारों रुपया लगता है कम से कम उसका मुआवजा तो दे सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री देवीसिंह भाटी)

सरकार द्वारा स्पष्ट घोषणा तो की जाये····

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई। आप मेरी बात सुनने का कष्ट करें। बहुत विस्तृत रूप से मंत्री महोदय को सदन की मार्फत कह दिया। आपसे निवेदन करूं उनके उत्तर से आप यदि सन्तुष्ट नहीं हैं तो उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर बता दें, निश्चित रूप से सुनेंगे।

श्री देवीसिंह भाटी : इस शासन को सबसे बड़ा मानता हूं, सभापति महोदय। जो अधिकारी बैठे हैं, जो कमिश्नर हैं, कौन जिम्मेदार हैं? इसके लिये क्या कर रहे हैं? उनको सस्पेन्ड किया जाये, उनके खिलाफ जांच की जाये। क्यों उन्होंने ऐसा किया?

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदय, मैंने निवेदन किया है। मैंने और भाई देवीसिंह जी ने 8 दिन पहले निवेदन किया है, राज्य सरकार का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है। पशु मर रहे हैं। पशुपालन विभाग द्वारा 16 हजार टीके भेजे गये, 16 हजार टीके कभी के समाप्त हो गये···

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। मैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करूंगा। आफहेण्ड व्यवस्था देने में असमर्थ हूं। अध्यक्ष महोदय तक आपकी बात पहुंचाऊंगा।

अनुदान की मांगें

मांग संख्या 40–राजकीय उपक्रम, मांग संख्या 42–उद्योग, मांग संख्या 43–खनिज

परिवर्तित वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्ययक) 1980-81 अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

राजकीय उपक्रम मंत्रीजी।

श्रीमती कमला (राजकीय उपक्रम मंत्री): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि मांग संख्या 40–राजकीय उपक्रम के संबंध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4 करोड़ 14 लाख 46 हजार रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

श्री सभापति : उद्योग मंत्री जी।

श्रीमती कमला (उद्योग मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि मांग संख्या 42-उद्योग के संबंध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 8 करोड़ 41 लाख 75 हजार रुपये तक की राशि, जिसमें लेखा अनुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

श्री सभापति : खनिज मंत्री जी।

श्रीमती कमला (खनिज मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि मांग संख्या 43–खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 10,72,53,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखा अनुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(70)

मांग संख्या 40 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक राजकीय उपक्रम के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय.

1. श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना): राजकीय उपक्रमों में व्याप्त अव्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

2. डॉ. उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण)
श्री शीतलमल जैन (अलवर): राजकीय उपक्रम विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

3. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा),
श्री नाथूसिंह (बांदीकुई),
श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन),
श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर),
श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा): राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में विनियोजन किये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

4. श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): बीकानेर में सार्वजनिक उपक्रम के अभाव पर चर्चा के लिये।

5. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): राजकीय उपक्रमों में होने वाले घाटों को रोकने के उपायों पर चर्चा के लिये।

6. श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम): राजकीय उपक्रमों में व्याप्त अव्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये।

7. श्री बनवारी लाल (धौलपुर),
श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल): राजकीय उपक्रमों की हालत सुधार कर उन्हें गतिशील बनाये जाने हेतु चर्चा के लिये।

8. श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद): राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की अनुपयोगी बसों के स्थान पर नई बसें लगाने तथा बसों में लगाये जाने वाले टायर, ट्यूब व अन्य सामान हेतु विनियोजित की जाने वाली राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

9. श्री जेठमल (परबतसर): राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों की अव्यवस्था एवं नई बसें रूटों पर नहीं लगाने हेतु निगम में विनियोजित की जाने वाली राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

10. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी):
श्री माधवसिंह दीवान (सोजत): राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में विनियोजित की जाने वाली राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

11. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय): पूर्वी राजस्थान व विशेष तौर से जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में कोई राजकीय उपक्रम न होने से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

12. राजकीय उपक्रमों के कार्यों में बढ़ रहे असंतोष पर चर्चा के लिये।

13. श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा): राजकीय उपक्रम लगातार घाटे में चलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

14. श्री लच्छूराम (मण्डावा): अलसीसर पंचायत समिति क्षेत्र में ऊन उद्योग के प्रसंग में कोई पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान न रखने पर चर्चा के लिये।

15. श्री उम्मेदसिंह (हिन्डौन) : नमक क्षेत्रों के अलाटमेन्ट में अनियमितता पर चर्चा के लिये।

16. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : राजकीय उपक्रम विभाग की उचित देखभाल के अभाव में जालौर स्थित लिगनाइट कारखाने में काफी नुकसान हो रहा है इस पर चर्चा के लिये।

17. बड़े उद्योगों को गांवों में लगाये जाने हेतु चर्चा के लिये।

18. प्राइवेट सैक्टर में चलने वाले अधिकांश कारखानों में लाभ होता है व राजकीय उपक्रम में नुकसान होता है इसकी जांच के लिये एक समिति गठित करने बाबत चर्चा के लिये।

19. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : उपभोक्ता उद्योग के पूंजीगत परिव्यय के अलाभकारी होने पर चर्चा के लिये।

20. श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : राजकीय उपक्रमों में बढ़ रहे घाटे से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

21. श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना): राजकीय उपक्रमों में होने वाली अनियमितता पर चर्चा के लिये।

22. श्री नानालाल (राजसमन्द) : सार्वजनिक क्षेत्र में, रेलमगरा तहसील में ऊनी कताई मिल लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

23. सार्वजनिक क्षेत्र में, राजसमन्द तहसील में सीमेन्ट प्लान्ट लगाने हेतु चर्चा के लिये।

24. डा. हरिसिंह (फुलेरा) : लवण व्यापार की योजना को और अधिक सक्रिय बनाये जाने हेतु चर्चा के लिये।

25. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली): करौली क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र में कोई उद्योग स्थापित नहीं किये जाने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

26. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक): टोंक शहर में सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. श्री ईश्वरलाल सैनी (पिड़ावा): राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में विनियोजित की जाने वाली राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

28. गंगानगर शुगर मिल्स में विनियोजन हेतु कोई प्रावधान नहीं रखने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

29. श्री समर्थलाल (रामगढ़) : सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किये गये निगमों में विनियोजित राशि का उचित लाभ नहीं मिलने से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये।

30. श्री सूर्यकुमार (नैनवा) : बूंदी जिले में सीमेन्ट फैक्ट्री की स्थापना कराई जाने के बारे में चर्चा के लिये।

31. श्री अमराराम (पचपदरा) : नमक क्षेत्र जो बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गये उन क्षेत्रों के मालिकों को 25% छूट या सहायता दिलाने हेतु चर्चा के लिये।

मांग संख्या 42 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय,

1. श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना): मकराना के संगमरमर उद्योग की ओर राज्य सरकार द्वारा लापरवाही बरतने पर चर्चा के लिये।

2. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी),
श्री माधवसिंह दीवान (सोजत): भिलाड़ा में सीमेंट का छोटा व बड़ा प्लान्ट व जोधपुर में ट्रैक्टर व मर्सीडीज का बड़ा कारखाना खोलने हेतु चर्चा के लिये।

3. डॉ. उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण),
श्री जीतमल जैन (अलवर): उद्योग-पतियों को उद्योग स्थापित करने में उचित सुविधा प्रदान न कराये जाने पर चर्चा के लिये।

4. उद्योग विभाग द्वारा समय पर कच्चे माल के परमिट न दिये जाने से होने वाले उत्पादन के ह्रास पर चर्चा के लिये।

5. श्री हीरा लाल आर्य (पीपल्दा),
श्री नाथूसिंह (बांदीकुई),
श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन),
श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर),
श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा): लघु उद्योगों को प्राथमिकता एवं प्रमुखता देकर राजस्थान की बेकारी को मिटाया जाय इस हेतु चर्चा के लिये।

6. श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उद्योग स्थापित करने हेतु उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिये सुविधायें उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

7. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): सीकर में ऊन का बड़ा उद्योग लगाने पर चर्चा के लिये।

8. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर-पश्चिम): ग्रामोद्योग स्थापित करने हेतु दिये जाने वाले कर्ज की प्रणाली को सरल बनाया जाकर जनसाधारण को राहत दिलाने हेतु चर्चा के लिये।

9. श्री जीतमल जैन (अलवर): लीलेण्ड कारखाना अलवर में लगाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

10. अरावली स्वचालित वाहन लि. में तालाबन्दी से उत्पन्न कठिनाइयों के कारण आर. आई. एम. डी. सी. को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

11. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल): जालौर जिले में उद्योग धन्धे विकसित करने में राज्य सरकार की घोर उपेक्षा बरतने पर चर्चा के लिये।

12. श्री शिवदान सिंह (जैतारण): चूने के भट्टों को कोयला आवंटन किये जाने में व्याप्त भारी भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

13. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): तहसील प्रतापगढ़ में औद्योगिक विकास की आवश्यकता बाबत चर्चा के लिये।

14. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): इन्द्रगढ़ में सीमेन्ट उद्योग लगाने एवं लघु उद्योग स्थापित करने हेतु सस्ती दर पर

(श्री हीरालाल आर्य)
ऋण उपलब्ध किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

15. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : जनता सरकार द्वारा बनाई गई उद्योग नीति का सख्ती से अमल किये जाने पर चर्चा के लिये।

16. केशवराय पाटन क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने पर चर्चा के लिये।

17. जिला बूंदी लघु उद्योग लगाने हेतु प्रस्तुत आवेदन-पत्रों पर उद्योग अधिकारी द्वारा पंजीयन न करने पर चर्चा के लिये।

18. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): गलीचा उद्योग हेतु विभाग द्वारा ब्रह्मपुरी जयपुर में एक प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. श्री भैरूंसिंह गूर्जर (खारची) : मारवाड़ जंक्शन जैसी महत्वपूर्ण जगह पर उद्योग धन्धे लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. श्री केशरी चन्द चौधरी (किशनगढ़) : लघु उद्योगों व हाथ करघा उद्योगों की समस्याओं से इनके पनपने में हो रही कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

21. श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (भीम) : उद्योग विभाग में कार्य सम्पादन में होने वाली शिथिलता पर चर्चा के लिये।

22. श्री बनवारी लाल (धौलपुर) :
श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) : उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने हेतु आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

23. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : उदयपुर क्षेत्र के औद्योगिक विकास की गति बढ़ाने तथा वहां के संसाधनों का पूरा-पूरा उपयोग किया जाये इस हेतु चर्चा के लिये।

24. श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद): नसीराबाद में विपुलता से उपलब्ध चीनी मिट्टी व मोडल पर आधारित उद्योग लगाने बाबत चर्चा के लिये।

25. श्री छोगाराम बाकोलिया (सिरोही): सिरोही जिले में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार पर चर्चा के लिये।

26. श्री जेठमल (परबतसर) : परबतसर नगर में पावरलूम लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

27. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) :
श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : सवाई माधोपुर में रासायनिक खाद का कारखाना लगाये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

28. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय): राज्य की औद्योगिक नीति की अस्पष्टता पर चर्चा के लिये।

29. सिकराय क्षेत्र में उद्योग न लगाने से व्याप्त जन असंतोष पर चर्चा के लिये।

30. ग्रामीण उद्योग धन्धों की ओर विशेष ध्यान नहीं देने पर चर्चा के लिये।

31. श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : उद्योग विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

32. श्री लच्छूराम (मण्डावा) : अजसीसर पंचायत समिति क्षेत्र में ग्राम और लघु उद्योगों के सम्बन्ध में पर्याप्त प्रावधान न रखने पर चर्चा के लिये।

33. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): टोंक स्थित चमड़े के कारखाने में लक्ष्य के अनुसार उत्पादन नहीं हो रहा है एवं उसमें भयंकर घोटाले हैं, इस पर चर्चा के लिये।

34. डीडवाना में लाखों रुपयों का सोडियम सल्फेट खुले में पड़ा है व उससे भारी आर्थिक क्षति हो रही है इस पर चर्चा के लिये।

35. हाथकर्घा उद्योग के तहत सुल्तानपुर, कोडसुवा व सांगोद में चल रहे हाथ कर्घाओं को विभाग द्वारा प्रोत्साहन न देने पर चर्चा के लिये।

36. खादी ग्रामोद्योग में हुए घोटाले एवं अनियमितता पर चर्चा के लिये।

37. श्री नरपत राम बरबड़ (सूरसागर) : जोधपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास करने हेतु चर्चा के लिये।

38. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : ग्राम और लघु उद्योगों का विकास जितना होना चाहिये उतना नहीं हुआ है इस पर चर्चा के लिये।

39. श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : राज्य में लघु उद्योगों को कच्चा माल सुगमता से तथा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

40. राज्य के वर्तमान औद्योगिक विकास को बेरोजगारी की समस्या से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. श्री तेजपाल (चौमूं) : मोरीजा में लोहे का मिनी स्टील प्लान्ट स्थापित किये जाने पर चर्चा के लिये।

42 श्री नानालाल (राजसमन्द): उद्योग विभाग द्वारा राजसमन्द रेलमगरा तहसील में खनिज उद्योग को पनपाने हेतु आवश्यक सुविधायें उपलब्ध न कराये जाने पर चर्चा के लिये।

43 श्री फतेसिंह (कुशलगढ़) : राज्य सरकार कुशलगढ़ क्षेत्र में उद्योग धन्धे खोलने में असफल रही इस पर चर्चा के लिये।

44. डा. हरिसिंह (फुलेरा) : फुलेरा निर्वाचन क्षेत्र में कुटीर एवं लघु उद्योगों को पनपाने हेतु उचित सहायता नहीं दिये जाने बाबत चर्चा के लिये।

45. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली): करौली क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा उपेक्षा बरतने पर चर्चा के लिये।

46. श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर): सवाई माधोपुर में स्थित जयपुर उद्योग को सरकार द्वारा अधिग्रहण कराने बाबत चर्चा के लिये।

47. सवाई माधोपुर क्षेत्र में नये उद्योग लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): प्रतापगढ़ के विकास के लिये आधारभूत कार्यक्रम बनाकर उद्योग स्थापित करने हेतु चर्चा के लिये।

49. श्री ईश्वरलाल सेनी (पिड़ावा) : राजस्थान वित्त निगम में विनियोजित राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(75)

50. श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन): झालावाड़ जिले को उद्योग की दृष्टि से विकसित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

51. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक): टोंक में हाथ कर्घा उद्योग लगाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

52. श्री रामनारायण डूंडी (बिलाड़ा): बिलाड़ा क्षेत्र में खनिज पर आधारित उद्योग लगाने बाबत उद्योग विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

53. स्थानीय आवश्यकता अनुसार छोटे उद्योग लगाने हेतु चर्चा के लिये।

54. श्री समर्थलाल (राजगढ़): अलवर जिले में लोलेण्ड कारखाना लगाने की सम्भावनाओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

55. श्री अमराराम (बाड़मेर): उद्योग स्थापित करने में बाड़मेर जिले की उपेक्षा की जाने के बारे में चर्चा के लिये।

56. श्री कैलाशचन्द मेघवाल (अजमेर पूर्व): लघु उद्यमियों को अनुदान हेतु अजमेर को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित किया जाये इस पर चर्चा के लिये।

57. श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़): सलेदीपुरा (सीकर) में उद्योग लगाने हेतु चर्चा के लिये।

मांग संख्या 43 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 43 मुख्य शीर्षक खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय :

1. श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : खनिज विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

2. श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना): मकराना की खानों को व्यवस्थित ढंग से चलाने में सरकार की अर्थव्यवस्था की चर्चा के लिये।

3. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी):
श्री माधव सिंह दीवान (सोजत): बोरूंदा से अरवडा तक प्राप्त चूना के पत्थर के क्षेत्र को सैकड़ों बेरोजगार व्यक्तियों को अलाट कर सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

4. डा. उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण):
श्री जीतमल जैन (अलवर): राजस्थान के खनिज बहुल क्षेत्रों का विभाग द्वारा खनन सर्वेक्षण न कराये जाने पर चर्चा के लिये।

5. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा),
श्री नाथूसिंह (बांदीकुई),
श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन),
श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर),
श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा): खनिज सम्पदा के उत्खनन हेतु विभाग द्वारा मशीन आदि उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

6. श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): बीकानेर क्षेत्र की खनिज सम्पदा हेतु व्यापक सर्वेक्षण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

7. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): खनिजों के विकास एवं खनिज क्षेत्र आवंटन की कार्यप्रणाली में सुधार हेतु चर्चा के लिये।

(76)

8. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण राज्य की भूमि में असंख्य अमूल्य रत्न भण्डार होने पर भी राज्य सरकार को कोई लाभ नहीं होता उस पर चर्चा के लिये।

9. श्री शिवदान सिंह (जैतारण): चूने की खानों की लीज देने में होने वाली अनियमिततायें बाबत चर्चा के लिये।

10. श्री भंवरलाल शर्मा (हवा महल): ब्रह्मपुरी में गेटोर के पीछे स्थित पत्थर की खानों में उत्खनन हेतु आधुनिक यन्त्र विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : खानों के आवंटन में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

12. खनिज विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

13. श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम) : खनिज विभाग की अकर्मण्यता से खनिज विदोहन व सर्वेक्षण नहीं हो पा रहा है, इस पर चर्चा के लिये।

14. श्री भैंरू सिंह गुर्जर (खारची) : खारची तहसील के सिरियारी क्षेत्र की पहाड़ियों में खानों का सर्वे कराने हेतु चर्चा के लिये।

15. श्री बनवारी लाल (धौलपुर), श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) : प्रदेश की खनिज सम्पदा के व्यापक विदोहन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर): भामर कोटड़ा खान की दुर्दशा के बारे में चर्चा के लिये।

17. उदयपुर डिवीजन के खनिज भण्डारों का व्यापक सर्वे करवा कर उनका योजना बद्ध तरीके से विदोहन कराने हेतु चर्चा के लिये।

18. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद): नसीराबाद के समीपवर्ती इलाके में खनिज पत्थर की खानों व हीरे की उपलब्धता हेतु खनिज सर्वेक्षण करने हेतु चर्चा के लिये।

19. श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) : राजस्थान में खनिज सम्पदा के उपयोग एवं उस पर आधारित उद्योगों को विकसित करने हेतु चर्चा के लिये।

20. श्री छोगाराम बाकोलिया (झुन्झुनू): सिरोही जिला के टंगस्टन वोलास्नाइट खनिज का राजस्थान इन्डस्ट्रीज एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन के द्वारा अधिग्रहण करने पर चर्चा के लिये।

21. श्री जेठमल बरवड (परबतसर): खानों का कार्य करने वालों को नई खानें आवण्टित कराने तथा खान एरिया का सम्पूर्ण विकास खान विभाग के द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

22. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय): सिकराय क्षेत्र में उपलब्ध खनिजों का विदोहन किये जाने हेतु चर्चा के लिये।

23. प्रान्त में उपलब्ध खनिजों का योजनाबद्ध विदोहन कराने हेतु चर्चा के लिये।

24. श्री मेघराज तावड (गोगुन्दा): खनिज विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

25. श्री बिहारी लाल पारीक (पिलानी): अभ्रक की खानों के व्यापक विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. श्री दाऊदयाल जोशी (नीमोद): खनिज विभाग के पट्टे देने में होने वाली अनियमितताओं व व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिये कोई प्रभावी कदम उठाने बाबत चर्चा के लिये।

27. विभाग द्वारा खानों में कार्य करने वालों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु कोई ठोस कार्य नहीं किया इस पर चर्चा के लिये।

28. इन्द्रगढ़ के पास अरावली की पहाड़ियों में सीमेंट बनाने का पत्थर भारी तादाद में है इस प्रयोजन हेतु सर्वेक्षण कराये जाने बाबत चर्चा के लिये।

29. बूंदी जिले के ग्राम लाखेरी के पास लोह डूंगरी का खनिज हेतु सर्वे कराने के लिये चर्चा के लिये।

30. श्री नरपतराम वरबड़ (सूरसागर): जोधपुर के खनिजों के सर्वे की समस्या के बारे में चर्चा के लिये।

31. श्री हरिसिंह (कुम्हेर): राजस्थान के खनिज पदार्थों का व्यापक सर्वे करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

32. श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): राज्य की खानों में उत्पादन बढ़ाने के लिये आधुनिक मशीनें उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

33. श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना): राजस्थान की खनिज सम्पदा का योजनाबद्ध तरीके से खनन न होने में हो रही हानि पर चर्चा के लिये।

34. श्री फतेसिंह (कुशलगढ़): राज्य सरकार कुशलगढ़ ग्रामीण क्षेत्र में नये के पत्थर की खानों का सर्वे कराने में असफल रही इस पर चर्चा के लिये।

35. श्री देवेन्द्रसिंह (बनेड़ा): खनिज विभाग में हुये घोटालों की जांच हेतु चर्चा के लिये।

36. डा. हरिसिंह (फुलेरा): खनिज सम्पदा के सर्वे हेतु फुलेरा निर्वाचन क्षेत्र की उपेक्षा किये जाने पर चर्चा के लिये।

37. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली): करौली की पत्थर की खानों की रायल्टी की वसूली में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

38. श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर): खनिज विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से पीड़ित व्यक्तियों को राहत नहीं मिलने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

39. राज्य में प्राप्त खनिज सम्पदा के समयबद्ध विदोहन कराने हेतु चर्चा के लिये।

40. श्री ईश्वरलाल सैनी (पिड़ावा): खनिज विभाग द्वारा दिये जाने वाले खानों के ठेकों में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

41. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक): टोंक जिले में खनिज सम्पदा का सर्वेक्षण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(78)

42. श्री समर्थलाल (राजगढ़) : राजगढ़ तहसील की पहाड़ियों का सर्वे कराके मास्टर प्लान बनाने के क्रम चर्चा के लिये।

43. श्री रामनारायण डूंडी (बिलाड़ा): राजस्थान में खनिजों के विपुल भंडारों के होते हुये भी विभाग द्वारा उनका पूरा उपयोग नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

44. श्री अमरा राम (बाड़मेर) : खड्डी की खानों के लिये दिये गये परमिट में हुयी अनियमितताओं से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

व्यवस्था का प्रश्न

कटौती प्रस्तावों की संख्या के अनुसार समय का बंटवारा

श्री सभापति : श्री राम रघुनाथ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : प्वाइन्ट ए पाइन्ट आफ आर्डर।

सभापति महोदय, कल जो व्यवस्था हुई थी, उस व्यवस्था में समय का विभाजन पार्टियों के हिसाब से किया था। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं जितने माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव दिये हैं उनकी संख्या के अनुसार समय का विभाजन होना चाहिये। यह बहुत गलत है कि 143 लोगों में 32 को समय दिया गया 3 घण्टे तो 32 में से भी 30 ने लिये और बाकी को समय मिलेगा 32 मिनट····

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं आपकी भावना से माननीय अध्यक्ष महोदय को अवगत करा दूंगा। कल भी जिस प्रकार समय का बंटवारा हुआ था, उसके मुकाबले विभिन्न पार्टियों के सदस्यों को अधिक ही समय मिला है। आज मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं जिस प्रकार समय का आवंटन किया गया है उसके कोई रिजिड रूल्स नहीं है, कहीं फ्लेक्सिबिलिटी भी हो सकती है लेकिन दल के सदस्यों की संख्या भी देखनी पड़ेगी। विभिन्न पार्टियों की संख्या कितनी है उसको ध्यान में रखकर ही अध्यक्ष महोदय ने समय का आवंटन किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आसन रिजिड नहीं है फ्लेक्सिबल है।

आप चलिये।

मांग संख्या 40, 42 व 43 पर विचार

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : सभापति महोदय, आज की जो मांग प्रस्तुत की गई है उसमें मेरे जो कटौती प्रस्ताव हैं मैं राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान में परिवहन सेवाओं का जो राष्ट्रीयकरण किया गया वह जनता की सुख-सुविधा के लिये किया गया था ताकि जनता को ज्यादा सुख-सुविधा प्राप्त हो सके। मैं निवेदन करूंगा··

(2.04 म.प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभापति, पदासीन)

···आज परिवहन व्यवस्था की यह हालत है कि न तो समय पर रवाना होती है और न समय पर पहुंचती है। रास्ते में बसें कहीं ठहर जाती हैं तो कहीं ठहरती ही नहीं हैं। जिस सुख-सुविधा के लिये यह कार्य किया था, मैं निवेदन करना चाहता हूं उस

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

सुख-सुविधा की ओर ध्यान दिया जाय ताकि जनता को भी राहत मिले। कहीं ड्राइवर और बस कन्डक्टर सवारियों के साथ गाली गलोच करते हैं, कहीं पर उनको बैठने नहीं देते हैं, कहीं पर सवारियां जरूरत से अधिक भर लेते हैं और जब बसेज भर जाती हैं तो धक्का मुक्की करते हैं। इस व्यवस्था को सुधारने के लिये भी मेरा आपसे निवेदन है।

राज्य परिवहन की बसें चल रही हैं उनमें एक्स्ट्रा स्टेपनी की व्यवस्था भी नहीं है। एक्स्ट्रा टायर के अभाव में बसें जहां खराब हो जाती हैं, वहीं पर रुकी रहती हैं। बरसात से बचने के लिये बसों में त्रिपाल की कोई व्यवस्था नहीं है। जो सामान यात्री ले जायेगा वह खराब हो जायेगा। जब पूरे राजस्थान का राष्ट्रीयकरण कर लिया तो इतनी व्यवस्था करना आपका फर्ज बनता था। जो मुसाफिर सफर करता है उसका सामान न भीगे और वह आराम से सफर कर सके, ऐसी व्यवस्था तो कम से कम कीजिये। रास्ते में बस जा रही है और कहीं टायर पंक्चर हो जाता है तो उनके पास जैक नहीं होता है जिससे वे टायर लगा सकें। सभापति महोदय, परिवहन के ड्राइवरों को यह भी पता नहीं रहता है कि कहीं छोटी मोटी गलती के कारण बस में खराबी हो जाती है तो उसको कैसे ठीक किया जाय। डीजल मे हवा भर गई है तो उसको निकाल कर बस चला सकें, इसका ज्ञान भी उन्हें नहीं है। वह बस को रोक कर खड़े हो जाते है। इन छोटी छोटी कमियों से जनता को भारी असुविधा होती है। आपका प्रशासन इन छोटी कमियों, असुविधाओं को भी सुविधा में परिवर्तित नहीं कर सकता है तो फिर राष्ट्रीयकरण का कोई अधिकार नहीं रह जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है जो सुविधायें आप उपलब्ध कराना चाहते हैं उसको तो कम से कम ठीक कराया जाय।

एक तरफ आप बसों के चेसिस नहीं खरीद रहे हैं और उनको लिख कर दे देते हैं कि पैसों का प्रबन्ध नहीं है तो आपको मालूम है उससे आपको कितना नुकसान होता है। जो कम्पनी चेसिस दे रही है उस पर आज की तारीख में 10 हजार, 12 हजार, 15 हजार का ब्लैक है। जब चेसिस अलाट होते हैं और आपने मांगे हैं तो पैसों का प्रबन्ध वहां से करना है, यह दूसरी बात है लेकिन पैसों का प्रबन्ध करके आपको खरीद लेने चाहिये। इससे आपको बसें ज्यादा मिलेंगी और जो आपके नाम से ब्लैक होता है वह भी रुकेगा।

सभापति महोदया, इसके अतिरिक्त एक नयी डिनोमिनेशन टिकट की प्रणाली चलाई है, पहला निवेदन तो यह है कि यह प्रणाली लागू कैसे की? आपने क्या देखा जो यह प्रणाली लागू करना चाहते थे? इससे आपको फायदा होगा या नुकसान होगा, यह पता नहीं। किसी अधिकारी ने आंख मींच कर यह आदेश निकाल दिया वे अपना इलाज करवाने यू. एस. ए. गये थे। वहां पर यह प्रणाली चल रही थी। सभापति महोदय, वहां के लोगों के रहन सहन में, आचार-विचार में बड़ा अन्तर है। यहां तो यह होड़ लगी रहती है कि टिकट न लें और बिना टिकट ही सफर कर लें। मेरा निवेदन है वहां से यह प्रणाली यहां ले आये। 50-60 लाख रुपये की मशीन यहां आ गई, वह कई दिनों तक लगी नहीं। ब्याज और उसके लगाने में

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

एक करोड़ रुपया खर्च हो गया। आपके डिनोमिनेशन टिकट कहां छपते हैं उनकी सीरीज का पता नहीं। रोज अखबार में पढ़ते हैं आज इतने लाख के टिकट चोरी चले गये और इतने हजार के टिकटों का पता नहीं इसलिये मेरा निवेदन है कि इस प्रणाली को बन्द कर दीजिये और जो दूसरी प्रणाली है उसको नियमित रूप से चलाइये।

मैं निवेदन करना चाहता हूं अगर टिकट कटे हुए हैं डिनोमिनेशन के तो आप खुद जा कर देख लीजिये, मंत्री महोदय किसी को भेज कर पुछवा लीजिये कि इस बस में कितने टिकट कटे हैं तो उसका पता नहीं लगेगा। बस में कितनी सवारियां हैं, यह तो पता लग जायगा लेकिन कितने पैसों के टिकट बिक रहे हैं, कहां से सवारियां चढ़ी हैं और कहां उनको उतरना है इस बात का कोई पता नहीं लग पायेगा। नम्बर पन्च करते हैं तो उसको कोई चैक नहीं कर सकता है। आपको पता ही लग नहीं सकता है कि कितने पैसेन्जर हैं और कितने टिकट कटे। इसमें बड़ा घोटाला है। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह बहुत बड़ी चोरी का एक तरीका है। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस प्रणाली को बन्द करके कोई ऐसी प्रणाली अपनाइये जिससे नुकसान न हो।

सभापति महोदया, इसके अतिरिक्त आपके स्टाफ के कर्मचारी फ्री चलते हैं। किसी भी बस में आप देख लीजिये 10, 15, 20 फ्री होंगे। मैंने अनुमान लगाया है आप का प्रतिदिन इससे 30 हजार रु. का नुकसान होता है। इस प्रकार एक साल में जो मुफ्त में चलते हैं अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए उससे एक करोड़ का सालना नुकसान होता है। मेरा निवेदन है जो स्टाफ है, उनको नियमित कर दीजिये चाहे उनके पास बनवा दीजिये या किसी और तरह से कर दीजिए। वह बिना टिकट न चलें तो आपको रोडवेज से एक करोड़ का सालाना लाभ अलग से मिल सकता है।

इसके अतिरिक्त जो वहां के यूनियन के अधिकारी हैं उनको विधायकों से भी ज्यादा सुविधायें उपलब्ध करा दी हैं। आज दुनियां भर में किसी भी यूनियन में ऐसे अधिकार नहीं है कि वे काम नहीं करेंगे। वह और उनका परिवार किसी भी बस में बैठकर जा सकता है, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। उनका पूरा परिवार जहां जाय वहीं बस में आराम से सफर कर सकता है। एक तो किसी भी प्रकार का काम न करने का अधिकार और दूसरा सफर करने का असीमित अधिकार किसी भी यूनियन में नहीं देखा। मेरा निवेदन है क्या आप इससे रोडवेज को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। सभापति महोदय, इसको बहुत बारीकी से देखा जाय और जितना नुकसान हो रहा है। उसको मिटाने की कोशिश की जाय। बसों में कन्डक्टरों का आप पैनल बनाते हैं, दुनियां भर से कन्डक्टर ले रहे हैं। जो कन्डक्टर्स आपके लिए हुए हैं उनमें से कोई 25 सवारियों तक ले जाते हुये पकड़े जायें तो अपराध नहीं है, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है। एक तरफ एक पैसे की भी कोई चोरी करता है, कोई चपरासी अगर एक रुपया ले लेता है तो एन्टी करप्शन वाले उसको बख्शते नहीं हैं दूसरी तरफ आपने यह नियम लागू कर दिया है कि 25 सवारियां किसी कन्डक्टर की बस में अगर बिना टिकट पकड़ी गयीं

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

तो उसका कोई कसूर नहीं है। तो यह कैसी व्यवस्था है आपकी। यह सबसे बड़ा आपका उपक्रम है, इसमें आपकी 1800 बसें हैं, 300 बसें आपकी खराब पड़ी हैं, उनकी मरम्मत समय पर होती नहीं। उसके बाद में आपको प्राइवेट आपरेटर्स की बसें लेनी पड़ती हैं, प्राइवेट आपरेटर्स की बसें लेते हैं, वह आपसी मेल-मिलाप से अच्छे-अच्छे रूट्स पर चलती हैं और आपकी बसें चलती हैं कच्चे रूट पर। उनमें टूट-फूट होती है, तो समय पर उनकी मरम्मत नहीं होती। एक एक की जगह तीन-तीन, चार-चार ड्राइवर्स चलाते हैं। एक ड्राइवर जब बदल कर जाता है तो दूसरा उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। एक ड्राइवर ठीक करने के लिए देता है तो दूसरा आता है, बिना ठीक किये उसको दे दी जाती है। यह बहुत छोटी-छोटी आपकी गलतियां हैं। आप परिवहन को सुधारना चाहते हैं, जनता को राहत देना चाहते है, सुविधा उपलब्ध कराना चाहते हैं तो इनको आप सुधारिये अन्यथा आप घाटे में आयेंगे ही। जनता भी बहुत क्षुब्ध है और बड़ा शोर है कि रोडवेज की बसों से समय पर नहीं पहुंच सकते हैं और यात्रियों की जान हमेशा जोखिम में रहती है।

इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहता था कि कुचामन में नमक का उत्पादन होता है, डीडवाना में भी होता है, वहां पर एक सेठ थे तोतलाराम, उनकी जमीन 500 एकड़ थी, जो उनको सरकार से आवंटित थी, वह सरकार ने अवाप्त कर ली। साल भर से वह जमीन पड़ी है, आवंटित ही नहीं की गई। एक तरफ तो गरीब, पिछड़े हुये लोग यह चाहते हैं कि अगर उनको एकाध ऐसा प्लाट अलाट हो जाय तो वे अपना जीवन यापन कर लें, जीविका का निर्वाह करें दूसरी तरफ वह प्लाट पड़े हैं। हम चाहते हैं कि आप उनको आवंटित करें ताकि आपको भी आय हो और गरीब लोगों को जीवन यापन का साधन प्राप्त हो।

यही हाल है सोडियम सल्फेट की खान का। उसकी हालत इतनी खस्ता है कि आपको उससे आय होने वाली नहीं है। मैनेजर उसका अभी अभी एन्टी करप्शन में पकड़ा गया। मुझे जानकारी मिली एक प्रश्न के उत्तर में, चूंकि हमें सूचना नहीं मिली है एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट से इसलिए उसको निलम्बित नही किया गया। दुनिया भर के अखबारों में आ गया, दुनिया भर में लोगों ने रिप्रजेन्टेशन दे दिया कि यह भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ा गया है, इसको निलम्बित कीजिए। उस अधिकारी का करेक्टर क्या था। वहां जितने भी प्राइवेट उद्योगपति थे उस समय उनसे मिला हुआ था। अपने यहां तो प्रोडक्शन करता नहीं और उनको हर तरीके से प्रोत्साहित करता था कि वे अपने यहां ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें, ज्यादा से ज्यादा लाभ उठायें। आपका जो इस तरह का इतना बड़ा उद्योग लगा हुआ है, उसकी तरफ आप ध्यान नहीं देते और मशीनों की खस्ता हालत से और मशीनरी के नाजायज तरीके के उपयोग से आपको नुकसान हो रहा है और लोग फायदा उठा रहे हैं। यह बहुत ही शर्मनाक चीज है।

यही हाल आपके चर्म उद्योग टौंक का है। टौंक चर्म उद्योग में जो भूतपूर्व अध्यक्ष

82

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

महोदय थे, उन्होंने मजे-मजे में विलायत का दौरा कर लिया, विदेश घूम आये, हजारों रुपये उन्होंने विदेश के दौरे में खर्च कर दिये। आप मुझे बताइये कि अध्यक्ष का यह कौन सा काम था कि वह चमड़ा बेचने के लिए विदेश जाय? चमड़ा बेचने के लिए किसी मैनेजर को भेजते। क्या आपका विदेशों में कोई सम्पर्क भी है या नहीं, क्या विदेश में आपके माल की डिमाण्ड भी है या नहीं है, इस बात को स्टडी करते, कोई आपकी योजना होती, उस योजना के अन्तर्गत कोई आपका आदमी जाता, तो यह बात समझ में आती कि हमारे यहां चमड़े का उद्योग चल रहा है उसका जो प्रोडक्शन है, उसको निकालने के लिए हमें बाहर जाना पड़ रहा है। वे चले गये और आनन-फानन में विदेश घूम घामकर आ गये और वहां पैसे का एडजस्टमेन्ट हो गया। न उसकी स्वीकृति है, न उनको कोई ऐसा अधिकार था इसलिए उन अध्यक्ष से पैसा वापस वसूल कराइये और जो सरकार को मुफ्त में घाटा हो गया है उसको वसूल कीजिए।

इतना ही नहीं, टेलीफोन लगा, टेलीफोन तो हर अध्यक्ष के यहां लगना चाहिए, उनके यहां टेलीफोन का महीने में 4-4, 5-5 हजार रुपये का बिल आता है। उस टेलीफोन का उपयोग तो चमड़े की बिक्री के लिए होना चाहिए था, वह टेलीफोन कनसर्निंग आफिसर के यहां होना चाहिए था। अगर स्थानीय टेलीफोन हो तो और बात है। चमड़ा तो बिक रहा है कलकत्ता और मद्रास में और टेलीफोन हो रहा है बाड़मेर में, जैसलमेर में, बम्बई में, यू.पी में। कहीं तो आप देखिये। इस तरह के जो खर्चे हैं नाजायज, जहां आय का तो आसरा नजर नहीं आता और खर्चा होता जा रहा है इस पर आप थोड़ी सख्ती से देखकर ब्रेक लगाइये।

यदि हाल आपकी ऊन की मिल का है। ऊन की मिल बहुत लम्बे अर्से से घाटे में जा रही थी। वह आपने किसी निजी उद्योगपति को दे दी यह सोच कर कि कुछ लाभ होगा। तो निजी उद्योगपति पैसा कमा रहा है। आपकी वहां पर जो लाखों रुपये की ऊन पड़ी थी, उसका आपने क्या किया? आपने लाखों रुपये की ऊन को रद्दी में...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय-सभापति महोदय, मैं 5 मिनट और निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सभापति: समय तो 7 मिनट का ही दिया जा रहा है।

श्री राम रघुनाथ चौधरी: मैं तो अकेला बोलने वाला हूं। मेरी पार्टी में और कोई नहीं है।

श्री सभापति: आप अकेले बोलने वाले हैं अपनी पार्टी में?

श्री राम रघुनाथ चौधरी: सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह मिल उद्योगपति को दे दी तो आपकी उस लाखों रुपये की ऊन का क्या हुआ? आज उद्योगपति अपनी मशीनें चला रहा है। आपकी एक मशीन चला रहा है, और उस तरह की दूसरी मशीनें पड़ी है, उस मशीन के पुर्जे खोल-खोल कर अपनी मशीनें चला रहा है और अपना घर बना रहा है। अपना खर्चा कुछ नहीं लगा

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

रहा है जब कि उसकी अण्डरटेकिंग यह थी कि वह सारी मशीनों को दुरुस्त रखेगा। जब आप टेक ओवर करेंगे तो खचड़ा कारखाना आपको दे देगा। वह लाखों रुपये कमा कर चला जायेगा और आप घाटे ही घाटे में रहेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि जितने भी उपक्रम हैं उनकी ओर आप ध्यान दीजिए ताकि आपको लाभ हो सके। साथ ही निजी उद्योगपति को चलाने के लिए देने के कारण मजदूरों को बेरोजगार बनाकर उनके साथ जो अन्याय किया है, उसकी तरफ भी ध्यान दीजिए।

इसके साथ ही मैं राजस्थान इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट इन्वेस्टमेन्ट कार्पोरेशन के बारे में आपको निवेदन करूंगा। इसके लिए 5 करोड़ रुपये थे। आपने 9 करोड़ रुपये और देना तय किया उसके फरदर इन्वेस्टमेन्ट के लिए किन्तु प्लान ही नहीं है, हमें आपने कुछ बताया ही नहीं है कि आपका यह रुपया कहां खर्च करेंगे, आपकी योजना क्या है, क्या आप करने जा रहे हैं और आगे इसका क्या हाल होगा? इसका हाल यह है कि आपने इण्डस्ट्रियल एरिया जो बनाया है उसमें जो विकास होना चाहिए था वह नहीं हुआ। वहां आज पानी नहीं है, सड़कें नहीं हैं। तो आप जब इतना बड़ा खर्चा करने जा रहे हैं और इतना बड़ा उद्योग आपने हाथ में लिया है तो जो भी आपकी योजना बन रही है उसको समय पर समाप्त कीजिए और जितनी हानि हो रही है, उसकी तरफ भी ध्यान रखिये।

इसके साथ मेरा निवेदन है कि कुटीर उद्योग को बढ़ाने के लिए गांवों में उद्योगों को अधिक से अधिक आप बढ़ायें ताकि जो बेरोजगारी गांवों में है और जिन लोगों में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है उसको मिटा पायें और बेरोजगारों को धन्धे पर लगा पायें। उद्योग लगा पायें तो उनसे उनका जीवन यापन भी होगा और आपको मदद मिलेगी, साथ ही बेरोजगारी मिटेगी।

इसके साथ ही आपका राजस्थान लघु उद्योग निगम की तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह एक बहुत बड़ा उद्योग है। जितने भी आर्टीजन हैं, जितने भी छोटे मोटे कलाकार हैं वे अपनी चीजें बनाकर आपको बेचते हैं। पर आपके लघु उद्योग निगम ने आज तक कितने आर्टीजन्स के कुटीर उद्योग खुलवाये या उनसे सामान खरीदा यह कहीं स्पष्ट नहीं है। आपका निगम व्यापार में लगा हुआ है, चीजें खरीदता है, चीजें बेचता है, बहुत अच्छी बात है। आपके बड़े-बड़े शो रूम हैं लेकिन कहीं आर्टीजन्स का सामान नजर नहीं आता। आर्टीजन्स बेचारे टूटते नजर आ रहे हैं, उनको कोई मदद उससे नहीं मिल रही है। अगर कोई चीज बनाकर ले जाता है तो बहुत ही कम दामों पर खरीद ली जाती है जब कि उनको अच्छा दाम मिलना चाहिए और नो प्रोफिट नो लास के आधार पर व्यापार होना चाहिए ताकि जो खरीददार और आर्टीजन्स हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, ज्यादा से ज्यादा आमदनी हो। लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है।

इसके साथ ही आपसे निवेदन है कि हैण्डीक्राफ्ट एण्ड हैण्डलूम कार्पोरेशन आफ इण्डिया है उससे जितने भी आपके लघु उद्योग निगम हैं, उनका सम्बन्ध है। हमारे

(84)

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

राजस्थान वालों का कोई सम्पर्क ही नहीं है, वे अपना व्यापार अलग से कर रहे हैं, अलग-अलग विदेशों के अन्दर वे एक्सपोर्ट कर रहे हैं और राजस्थान से सामान लघु उद्योग की मार्फत नहीं खरीद कर डायरेक्ट खरीद रहे हैं क्योंकि लघु उद्योग का कोई सम्पर्क ही नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं दिल्ली गया था। दिल्ली जाने पर मुझे अवसर मिला था। उनका जो एम्पोरियम है, वह देखकर आया था। सभापति महोदया, मैंने देखा था कि बाड़मेर, उदयपुर, जैसलमेर, राजस्थान के विभिन्न इलाकों की चीजें उनके पास हैं। मुझे पता चला कि आर्टीजन्स से डायरेक्ट लेते हैं। एक-आर्टीजन वहां पर अपनी चीजें बेच रहा था। तो इसके लिए तो सम्पर्क होना चाहिए लघु उद्योग वालों के साथ। एक कारण बताया उन्होंने कि हम क्या करें, हम जब उनको आर्डर देते हैं चीज खरीदने के लिए तो वे इतने आर्डर पूरे ही नहीं कर पाते। यह भी जानकारी मिली कि उन्होंने गलीचा खरीदने के लिए कहा था। उन्होने मांग पूरी नहीं की तो उनको भी मजबूर होकर चूंकि राजस्थान की बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जो बाहर जाती हैं, अपना दफ्तर खोलना पड़ा। आज हालत यह है कि हैण्डीक्राफ्ट एण्ड हैण्डलूम कार्पोरेशन आफ इण्डिया का राजस्थान में दफ्तर है, वह आज खुद आर्टीजन्स से सीधे चीजें खरीद कर दिल्ली ले जाते हैं और बाहर ले जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ, सभापति महोदया हमने जो हमारा निगम खोल रखा है वह बिल्कुल व्यर्थ है, बेकार है और जितना खर्च करते जा रहे हैं उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। आपकी मार्फत मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इसको बारीकी से देखें ताकि आर्टीजन्स को ज्यादा से ज्यादा इमदाद और मदद मिले।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसके साथ ही मैं खनिज के लिए निवेदन करना चाहता था कि झामरकोटड़ा में मैं रहा, राक फास्फेट वहां निकालते हैं, हमने खूब निकाला, जनता सरकार ने भी खूब प्रोफिट दिखाने के लिए खूब निकाला। लेकिन, सभापति महोदया, उसका ओवर बर्डन इतना हो गया। हमने ओवर बर्डन हटाया ही नहीं, अगर ओवर बर्डन हटायेंगे तो लाखों रुपये का नुकसान हो जायेगा जब कि हमारे पास इतना यन्त्रीकरण हैं। जितना हमने फास्फेट निकाला था उसमें ओवर बर्डन था। इसका मतलब यह हुआ कि अब जिस अर्से तक ओवर बर्डन कम नहीं होगा मुनाफा नहीं मिल सकता है। इसके अलावा मैटीरियल का ग्रेड भी ठीक नहीं है। क्या करते हैं कि जो बहुत हाई ग्रेड का मैटीरियल है और जो बहुत खराब मैटीरियल है, दोनों को मिक्स करके एक फिक्स्ड ग्रेड का मैटीरियल बाहर भेजा जाता है जिसमें अच्छी आय होती है। इसका मतलब यह है कि जब तक ओवर बर्डन कम नहीं होगा और साथ ही राक फास्फेट के ग्रेड का डिफरेंस नहीं मिटेगा तब तक यह सारा प्रोजेक्ट नुकसान में जाएगा।

इसके साथ ही मैं निवेदन करूं कि उनके पास वैइंग मशीन भी नहीं है। वहां से माल

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

निकाल कर रेलवे स्टेशन पर ले जाते हैं और रेल के डिब्बों में लोड कर देते हैं। रेल के डिब्बों में लोड होकर के कितना माल गया, ट्रकों से कितना माल भेज दिया गया इसकी कोई जानकारी नहीं है क्योंकि आपके पास वेईंग मशीन नहीं है। वह रेल का डिब्बा कहीं पर जाकर वे होगा तब कहीं जाकर आपके पास सूचना आयेगी और तब पता चलेगा कि कितना माल गया। यह कितनी बड़ी गलत बात है और खेदपूर्ण स्थिति है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है आपका फिर भी आपके पास वेईंग मशीन नहीं है ताकि जो आपका माल बाहर जाता है उसको तोल सकें।

इसके साथ ही नागौर जिप्सम का भी बहुत बुरा हाल है। मुझे सूचना मिली है, मुझे इस समय तारीख तो याद नहीं है लेकिन मुझे सूचना मिली है, माननीय सभापति महोदया, एक पूरी ट्रेन जिप्सम की भरी जोधपुर चली गई उधार और कहीं भी पूरे डिपार्टमेंट में एण्ट्री नहीं है। कहीं पर भी एण्ट्री नहीं है कि जिप्सम के कितने डिब्बे कहां भेजे गए और किस को भेजे। उस अधिकारी को आज तक सस्पेन्ड नहीं किया गया है। उसकी शिकायत हुई है। मेरे पास दुर्भाग्य से इस समय तारीख नहीं है, तारीख का कागज कहीं खो गया है। वैसे तारीख भी उपलब्ध है, अगर माननीय मंत्री महोदया चाहेंगी तो तारीख बता दूंगा। पूरी रेल, कम से कम आठ दस वैगन लोड करके बिना किसी एन्ट्री के, बिना किसी आॅर्डर के भेज दिये।

इसी तरह से मैं डेगाना टंगस्टन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। यही हाल डेगाना टंगस्टन का है जहां से मैं आता हूं। मैं वहीं का चुनिन्दा सदस्य हूं, वहीं से आता हूं, वहां यह हालत है तो और भी आपके उपक्रम हैं उन की भी यही हालत होगी। वहां जितने मजदूर लगा रखे हैं, वहां पर पांच सौ मजदूर हैं उनके प्रमोशन का खयाल नहीं है। जूनियर को प्रमोशन दे दिया मैनेजर ने अपनी मर्जी से और सीनियर लोग बैठे हुए हैं। थोड़ा बहुत पुकारा तो लोगों ने दबोच दिया। यूनियन वाले मारपीट करते हैं मनमाने ढंग से चन्दा वसूल करते हैं। तो ये छोटे छोटे मैनेजर और सहायक मैनेजर हैं वे वहां के जागीरदार और सामन्त हो गए हैं। आज इतनी बुरी तरह से वे मजदूरों को चूस रहे हैं कि देखा नहीं जाता है। अगर कोई मंत्री महोदय चैलेन्ज करते हों तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वे डेगाना आ जायं। मैं उनके साथ चल कर इस बात को साबित करके दिखा सकता हूं कि वहां के मैनेजरों ने गरीब लोगों की कितनी दुर्दशा कर रखी है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

अन्त में मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रेनाइट का जो पत्थर है वह जालौर में अवेलेबल है और आपने मशीन लगाई है जोधपुर में। यह तो आज तक सुना जाता था कि जहां ग्रेनाइट मिले वहीं पर मशीन लगाई जाय ताकि रा-मैटीरियल दूर नहीं ले जाना पड़े। सभापति महोदया रा-मैटीरियल दूर ले जाने में खर्चा बहुत आता है, फिनिश्ड मैटीरियल छोटा होता है, क्योंकि उसमें वेस्टेज निकल जाता है। उसके बजाय सारा मैटीरियल जोधपुर ले जाकर उसकी कटाई, चिराई, सफाई हो और जो वेस्टेज हैं उन सब को ले जाने में ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

आता है। यह व्यापार करने के दृष्टिकोण से भी बिल्कुल गलत हो गया है। इसका मतलब यह हुआ कि अभी मकराना में ग्रेनाइट निकलने वाला है इसलिये एक ग्रेनाइट की मशीन आप वहां लगाइये। अगर मार्केट ढूंढने की दृष्टि से लगाते हैं तो बिगेस्ट मार्केट स्टोन का तो मकराना में है। चाहे जैसलमेर का हो, उदयपुर का हो, चाहे भीलवाड़ा का हो, कहीं का हो, कोटा का हो, सारा पत्थर मकराना आता है, वहां कटता है, पोलिस्ड होता है। ग्रेनाइट की मशीन भी मकराना में लगायें ताकि मकराना में इंटरनेशनल मार्केट उपलब्ध हो सके।

श्री खेतसिंह राठौड़ : डेगाना और भी अच्छी जगह है।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : डेगाना में खिये लेकिन डेगाना टंगस्टन का सेंटर है। जहां से आपको आर्म्स एण्ड एम्यूनेशन्स में मदद मिलती है। आपकी गोष्ठियां वगैरह वहां होती हैं और यह सब चलता है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि आप अगर किसी योजना को बनायें तो यह देख कर बनायें कि रा-मैटीरियल कहां अवेलेबल है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अन्त में, सभापति महोदय, यही कह रहा था कि जालौर का विकास अगर करना था तो जोधपुर में जो मशीन लगाई है, कटाई की, चिराई की, पोलिशिंग की, वह जालौर में लगनी चाहिए थी। वहां नहीं लगा कर जोधपुर में लगाई है। तो चाहिए तो यह कि मकराना में लगायें जहां ग्रेनाइट का बहुत बड़ा भण्डार है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : माननीय श्री बुलाकीदास कल्ला।

(अनुपस्थित)

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय ने मेरे को पहले समय दिया था कि आज मेरे को पहले बोलने का मौका मिलेगा।

श्री सभापति : आपकी तरफ से आपके पार्टी के जो माननीय सदस्य बोलना चाहें उनके नाम आप दे दें। आपका नाम मेरे पास सूची में नहीं है। मैं आपको बाद में मौका दे दूंगी।

श्री बुलाकीदास।

(अनुपस्थित)

श्री बनवारीलाल।

(अनुपस्थित)

श्री श्रीराम गोटेवाला।

(अनुपस्थित)

श्री हरिसिंह (महुवा)।

(अनुपस्थित)

श्री नानालाल।

(अनुपस्थित)

श्री हरिसिंह (फुलेरा)।

(अनुपस्थित)

श्री अमराराम।

(श्री सभापति)

(अनुपस्थित)

श्री शिवदानसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री मोहनलालजी, आप बोलिये।

श्री मोहनलाल मोदी : सभापति महोदया, मैंने खनिज के बारे में कुछ कटौती प्रस्ताव...

श्री दाऊदयाल जोशी : बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस के एक भी सदस्य इतने महत्वपूर्ण मौके पर उपस्थित नहीं हैं। जिनके नाम आपने पढ़े वह उपस्थित नहीं होने के कारण आपके न चाहते हुए भी माननीय सदस्य को अवसर प्राप्त हुआ। यह दुर्भाग्य है कि बजट जैसे महत्वपूर्ण मामले पर विचार के वक्त सदन में कांग्रेस के मेम्बर उपस्थित नहीं रहें। आखिरकार केवल पचास रुपया भत्ता बनाने मात्र के लिए यहां आते हैं...

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): सभापति महोदया, राजस्थान में खनिज के अतुल भण्डार हैं। हिन्दुस्तान में राजस्थान अपना एक प्रमुख स्थान रखता है। खनिज विभाग का जो प्रगति विवरण दिया गया है उसमें उन्होंने आय तो बढ़ा दी। यह आय किस तरह से बढ़ी है, यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। रायल्टी की रेट बढ़ी है वह रायल्टी की रेट बढ़ने से आय बढी है या राक-फास्फेट, जो झामरकोटड़ा का जो उत्पादित माल है, पर पिसे हुए माल पर दो सौ रुपया प्रति टन की रेट बढ़ाई है उससे आय बढ़ी है? इस आय के बढ़ने से देश का उत्थान नहीं होगा। इस प्रान्त का उत्थान तभी होगा जब आप उत्पादन बढ़ायेंगे। उत्पादन के आंकड़े मैं आपके सामने पेश करता हूं कि उत्पादन बढ़ने के बजाय घटा है। आप देखिये, झामर कोटड़ा को ही आप ले लीजिए, 76–77 के अन्दर 5.7 लाख टन का उत्पादन हुआ, 77–78 में 5.6 लाख टन का उत्पादन हुआ, 78–79 में 5.36 लाख टन का उत्पादन हुआ और 79–80 में जा करके 4.04 लाख रहा। यह उत्पादन की स्थिति है और भी आप दूसरे मिनरल देखिए। जब उत्पादन नहीं होगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। 78–79 की रिपोर्ट है उसके अनुसार लाइम स्टोन का उत्पादन बताया है 78 के अन्दर 708.09 हजार टन और 79 में 775 हजार टन। तो बहुत थोड़ा डिफरेंस इसमें हुआ है। इसी तरह के और भी बहुत से मिनरल हैं। पेज 25 पर उन्होंने बताया है लाइम स्टोन का उत्पादन। यह 77 के अन्दर बताया है 2958.7 हजार टन, 78 के अन्दर हो गया 2839.6 हजार टन और 79 के अन्दर 2520.7 हजार टन उत्पादन रह गया। मेगनेसाइट का 78 के अन्दर उत्पादन 1300 हजार टन था और 79 के अन्दर 1187.4 हजार टन रह गया। इसी तरह से आप क्वार्ट्ज को लीजिए। क्वार्ट्ज का 76 के अन्दर उत्पादन हुआ 42 हजार टन, 77 के अन्दर 40 हजार टन, 78 के अन्दर 29.5 हजार टन रहा और 79 में जाकर 27.5 हजार टन ही रह गया। राक फास्फेट का उत्पादन भी जो 77 के अन्दर 627.9 हजार टन था वह आ करके 79 के अन्दर रह गया 515.3 हजार टन। इसी तरह

(श्री मोहनलाल मोदी)

से स्लेट स्टोन का उत्पादन जो 77 में 101.6 हजार टन था वह 78 में 73.9 हजार टन रह गया और 79 के अन्दर 69 हजार टन रह गया। इसी तरह से सल्फर और पायराइट को लीजिए, यह 78 के अन्दर 6700 हजार टन था, 79 में घट कर 4494 हजार टन रह गया। इस तरह से हर एक प्रोडक्शन में घटोतरी हुई है। इसका कारण क्या है ? सबसे बड़ा एक कारण है, आज जो हमारा खनिज विभाग है वह माइन्स आनर्स प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये न किसी प्रकार की सलाह देता है, न किसी प्रकार का मशविरा देता है। आप देखिये कि पहले छोटे माइन्स ओनर को विभाग की तरफ से कई मशीनें किराये पर दी जाती थीं। उसमें माइन्स विभाग को कुछ घाटा हो गया इसलिये उसने छोटे-छोटे माइन्स आनर्स को मशीनें किराये पर देना बन्द कर दिया। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं, उत्पादन बढ़ाने के लिये इस प्रकार का बजट में प्रावधान करना चाहिये। जहां-जहां छोटे-छोटे माइन्स आनर्स हैं, उनको सारी सुविधायें देनी चाहिए। कम्प्रेशर हैं, ड्रिल मशीनें हैं, इस तरह की जो मशीनरीज माइन्स आनर्स को हम देते थे, वह उनको देनी चाहिये।

आज सीमेण्ट के बारे में विचार चल रहा है कि सीमेंट के मिनी प्लान्ट लगायेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मिनी सीमेंट प्लान्ट लगाने चाहियें। जो माइन्स आनर्स है उनको आप प्राथमिकता क्यों नहीं देते हैं ? यह उनके जिम्मे लगाइये कि आप 2 साल, 3 साल के अन्दर मिनी सीमेन्ट प्लांट लगायें इसके बजाय दूसरे लोगों को परमिट देते है। परमिट देने के बाद वह अधिकारी रिपोर्ट देते हैं कि डिपोजिट कम है। मेरा निवेदन है कि आप माइन्स आनर्स को प्राथमिकता दें।

मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सड़कों के बनाने का प्रावधान है। क्या सड़कें जो हमारे उद्योग व माइन्स के मंत्री हैं, उनके एरिया में ही बनती हैं ? मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि सीकर जिले में आज तक माइन्स विभाग की तरफ से कहीं भी एक किलोमीटर सड़क नहीं बनी है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो ऐसी जगह हैं, कच्चे रास्ते हैं, जहां ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है, वहां सड़कें बननी चाहिए। सड़क पर ज्यादा से ज्यादा रुपया खर्च करना चाहिये ताकि सड़कों का संरक्षण बढ़े।

गवर्नमेंट को एक पालिसी निर्धारित करनी चाहिये। माइन्स आनर्स को ज्यादा से ज्यादा सुविधा दे कर इनके प्रोडक्शन को बढ़ाने पर जोर देना चाहिये। हमारा जियोलोजिकल विभाग उदयपुर में है। वह हमारे उदयपुर क्षेत्र में कोई सलाह-मशविरा देने की किसी प्रकार उनको जरूरत महसूस नहीं करता है। मैं कहना चाहता हूं कि माइन्स में अच्छे-अच्छे टैक्निकल स्टाफ को रखना चाहिये। वह टैक्निकल स्टाफ इस काम के लिये रखना चाहिये कि वह माइन्स आनर्स की मदद करे। आज क्या है, मदद करने के बजाय उनको डेमेज करने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उत्पादन बढ़ाने के लिये ज्यादा से

(श्री मोहन लाल मोदी)

ज्यादा सुविधाएं राज्य सरकार को देनी चाहिये।

राज्य सरकार के पास रेवेन्यू बढ़ाने का एक सीधा-सा माध्यम है। रायल्टी बढ़ा दें, रेट्स बढ़ा दें, उससे रेवेन्यू बढ़ सकती है। लेकिन उससे उत्पादन नहीं बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ाने का एक ही तरीका है, आप ज्यादा से ज्यादा सुविधा दें, ज्यादा से ज्यादा मशीनरी सप्लाई करें। मशीनें किराये पर दें। दूसरी बात माइन्स उद्योग में शामिल नहीं है। उद्योग में शामिल नहीं होने से आज माइन्स ओनर्स को किसी प्रकार का लोन नहीं मिल पाता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माइन्स को उद्योग के अन्दर शामिल किया जाये जिससे कि माइन्स ओनर्स को ऋण मिल सके, लोन मिल सके, जिससे वह ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने की व्यवस्था करें।

मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार ने एक कॉपर प्लेट का 100 टन का परमिट फतेहचन्द नाम के एक व्यक्ति, जो कि हमारे भूतपूर्व उद्योग मंत्री, सूर्यनारायण चौधरी का खास आदमी है, को परमिट 10 रुपये टन की रायल्टी ले कर के दे दिया। सरकार को उसका आक्शन करना चाहिये। आपको उसकी जांच करनी चाहिये और दोषी आदमियों को दण्ड देना चाहिये। किस तरह से परमिट दिया गया। कॉपर प्लेट राज्य सरकार की सम्पत्ति है। सिर्फ रायल्टी लेकर इसका परमिट दे दिया, आपने उसकी जांच नहीं की। वह कितना माल ले गया? मैं समझता हूं वह 100 टन के बजाय कम से कम वह 500 टन माल ले जा चुका है। यह कॉपर प्लेट बवाई में बहुत पुराना पड़ा हुआ है और काफी मात्रा में है उसका आपको आक्शन करना चाहिए।

सलेदीपुरा के अन्दर खाद का कारखाना लगाने के बारे में लोगों ने निवेदन किया है। मैं राज्य सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां काफी डिपाजिट है। वहां पर सारी बातों की सुविधा है। इसलिये खंडेला, कामठ के आसपास प्राथमिकता देकर खाद का कारखाना लगाना चाहिये।

एक मैं समझता हूं आपकी टाइप की मिस्टेक होगी। आपने इसके अन्दर 78 के अन्दर मारबल का 205 हजार टन का प्रोडक्शन बताया है और 34580 मजदूर दैनिक औसत संख्या लिखी है, जब कि 79 के अन्दर मारबल का उत्पादन 225 हजार टन है और मजदूरों की संख्या 5 हजार है। मैं समझता हूं यह कोई टाइप की मिस्टेक है। इतनी बड़ी गलती आपके विभाग की है। यह विभाग की रिपोर्ट हमारे पास है। अगर गलती नहीं है, सही है तो यह बहुत बड़ा डिफरेन्स है, इसका क्या कारण है, इसकी जांच करनी चाहिये।

एक मैं यह निवेदन करना चाह रहा था कि रोड्स के मामले में तो मैंने निवेदन कर दिया है। रोड्स में ज्यादा से ज्यादा धन राशि खर्च करनी चाहिये। साथ ही साथ बिजली की व्यवस्था भी करनी चाहिये। इसको प्राथमिकता देनी चाहिये ताकि माइन्स के ऊपर प्राथमिकता के आधार पर बिजली पहुंच सके। सभापति महोदय, माइन्स पर काम चलता रहता है तो वह ज्यादा गहरी

(श्री मोहन लाल मोदी)

हो जाती है। उसमें पानी आ जाता है। उस पानी को निकालने के लिये सिवाय बिजली के कोई साधन नहीं रहता है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, राज्य सरकार प्राथमिकता के आधार पर उनको बिजली के कनेक्शन दिलाये। जहां पर बिजली नहीं पहुंची है, वहां बिजली की व्यवस्था कराये।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर में कुल मारबल के प्लाट्स दिये गये। वह न किसी प्राथमिकता के आधार पर दिये गये। जावर में प्लाट्स दिये गये हैं। जावर उदयपुर में कोई जगह है। वहां यह प्लाट्स अनियमित तौर पर दिये गये। न किसी से एप्लीकेशन ली गई, और न उनको प्राथमिकता के आधार पर प्लाट्स दिये गये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो पट्टे दिये गये हैं मारबल के उनकी जांच करायें। जो गलत दिये गये हैं, उनको कैंसिल करा कर बाकायदा एडवरटाइज करा कर उनको दिये जायें।

पिछले दिनों जनता सरकार ने लाइम स्टोन के छोटे-छोटे पट्टे देने के लिये एप्लीकेशन मांगी। उन्होंने यह कहा कि एक एक मील के लाइम स्टोन के पट्टे देंगे। हजारों लोगों ने दरख्वास्तें दे दीं, लेकिन उनको यह कह कर रोक दिया गया कि हमारी सीमेंट का प्लान्ट लगाने की योजना है इसलिये हम पट्टे नहीं देंगे। तो सीमेंट का प्लान्ट लगाने की योजना पहले से थी, तो फिर उनका दो चार हजार रुपया क्यों खर्च कराया गया? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले को दुबारा देखा जाये। अगर यह राज्य सरकार की पालिसी है कि एक एक मील के प्लाट्स दिये जायें तो मेरा निवेदन करना है कि जिन लोगों की पहले से एप्लीकेशन्स हैं, उनको कन्सीडर किया जाये।

बलेश्वर के बारे में मैंने निवेदन किया, बहुत बड़े कापर के भंडार हैं, इसलिये वहां पर कापर या और कोई कारखाने लगाने की योजना बनानी चाहिये। मैं अधिक समय न लेकर एक निवेदन करना चाहता हू कि माइन्स का उत्पादन बढ़ाने के लिये विशेष रूप से हमारी राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिये।

श्री सभापति : श्री माधव सिंह।

श्री माधवसिंह दीवान : क्या माधवसिंह फर्माया ?

श्री सभापति : नहीं-नहीं। पहले राम सिंह।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : सभापति महोदय, मैंने मांग संख्या 40, 42 और 43 पर कटौती प्रस्ताव दिये हैं। इन सभी पर तो विस्तार से मैं अपने विचार नहीं रख सकूंगा। लेकिन राजकीय उपक्रम के संबंध में इतना निवेदन करना चाहूंगा कि जो पब्लिक अण्डरटेकिंग का महकमा है, राज्य सरकार की पब्लिक अन्डरटेकिंग है, यह शत-प्रतिशत सही है कि सभी घाटे में हैं। ये घाटे में क्यों हैं? जितने उपक्रमों के अन्दर घाटा हो रहा है वह किन कारणों से घाटा हो रहा है? इस पर राज्य सरकार जब तक गहनता से विचार नहीं करेगी तब तक कभी भी इस घाटे की पूर्ति नहीं हो सकती। जब तक किसी बीमारी की जड़ में नहीं जायेंगे तब तक उसका इलाज होना मुश्किल है।

(श्री रामसिंह विश्नोई)

इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस घाटे की ओर दिलाना चाहता हूं। कई उपक्रम वर्षों से अच्छे चल रहे थे लेकिन जैसे ही पब्लिक अण्डरटेकिंग में लिये गये तब से घाटे में जा रहे हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि जितने भी पब्लिक अण्डरटेकिंग हैं उनकी एक उच्च स्तरीय समिति बना कर जांच करवाई जावे। जिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण घाटा हो रहा है उसकी कैसे पूर्ति हो इसका हल निकालें। ऐसी कार्यवाही करनी चाहिये कि भविष्य में वे अच्छे हों।

मैं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर माननीय मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जो उपक्रम करोड़ों रुपये साल की आमदनी का जरिया है वह आज प्रति वर्ष 5 करोड़ के घाटे की ओर अग्रसर है। माननीय सभापति महोदय, एक प्राइवेट बस आपरेटर एक बस से साल भर में एक लाख की आमदनी कर सकता है तो जिस उपक्रम में दो हजार बसेज हैं वह पांच करोड़ रुपये प्रति वर्ष के घाटे में पहुंचे उसका क्या हाल होगा भविष्य में इसकी चिन्ता राज्य सरकार को होनी चाहिये।

आज करीब 16-17 हजार अधिकारी, कर्मचारी इस पर तैनात हैं लेकिन, माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि करीब दो हजार कर्मचारी, जो फोर्थ क्लास हैं, चपरासी हैं, कण्डक्टर हैं, ड्राइवर हैं, बेकार बैठे हैं। या तो गाड़ियां खराब हैं इसलिये उनके पास काम नहीं है, या एक्सेस ले लिये गये, इसकी वजह से बेकार हैं। इतने आदमियों को प्रतिवर्ष लाखों करोड़ों रुपये बैठे बैठे देना पड़ता है तो एक तरफ तो गरीब आदमी अकाल के कारण भूखे मरते हैं उनको मजदूरी देने का प्रावधान नहीं है और दूसरी तरफ दो दो हजार आदमियों को बिना किसी काम के हजार हजार, पांच-पांच सौ दे कर के प्रोत्साहन देते हैं। ये दो हजार आदमी प्रति वर्ष, प्रति दिन हमारी सरकार के सिर पर सवार बैठे हैं।

दूसरा मेरा सुझाव है, जयपुर में सिटी बसें चल रही हैं। 80 लाख का प्रति वर्ष का घाटा सिटी बसेज की वजह से है। मैं नहीं कहता कि यह सुविधा खतम कर दी जाय लेकिन इससे 80 लाख का, एक करोड़ का घाटा प्रति वर्ष विभाग को पहुंचता है। इसकी पूर्ति के लिये राज्य सरकार का फर्ज है या तो प्राइवेट बसें लगाई जायं। जैसी व्यवस्था कोटा में है, अजमेर में है, जोधपुर में है इसी तरह की व्यवस्था यहां की जानी चाहिये। अगर यह सेवा प्राइवेट बस मालिकों को दे देंगे तो निगम के 1 करोड़ के घाटे की पूर्ति हो जायेगी। यह बिना मतलब का घाटा सिटी बसेज दे रही हैं इसलिये इसकी दूसरी व्यवस्था की जानी चाहिये।

तीसरा मेरा सुझाव है कि नेशनलाइज कर रहे हैं उसमें आप लोग अच्छी सर्विस दे नहीं सकते लोगों को, पूरी सवारियां उठा नहीं सकते। आपकी गाड़ियां हजारों की तादाद में बेकार पड़ी हैं। तो मेरा निवेदन है, मेरा सजेशन है, मेरा सुझाव है कि 60-70 ऐसे नेशनलाइज्ड रूट्स हैं जो घाटे में चल रहे हैं उनको बन्द कर के वह रूट प्राइवेट बस आपरेटरों को दिये जाने चाहिये।

(श्री रामसिंह विश्नोई)

दूसरा मेरा निवेदन है, सभापति महोदय, घाटे की सबसे बड़ी वजह यह है कि इस निगम को करीब 1 करोड़ 20–25 लाख रुपये प्रति वर्ष राजकीय ऋण के चुकाने पड़ते हैं। इसको उतारने का क्या तरीका है इसके लिये आप उच्च स्तरीय समिति बना कर निर्णय लें अन्यथा यह कभी भी उतरना नहीं है और घाटे की पूर्ति होना संभव नहीं है।

मेरा यह निवेदन है कि इस 5 करोड़ के घाटे वाले राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की अच्छी व्यवस्था की जाय। मद्रास, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा में जिस प्रकार से व्यवस्था है, सवारियों को ज्यादा सहूलियतें देते हैं, अच्छे रूप में चल रहे हैं उनकी तरह हमारे यहां भी व्यवस्था होना चाहिये।

हिन्दुस्तान में जो दूसरे राज्य हैं उनमें रोडवेज का जो किराया है, मैं नहीं कहता कि यहां किराया ज्यादा लिया जाय लेकिन किराये में कुछ वृद्धि की जानी चाहिये ताकि घाटे की पूर्ति कर सकें। 5 करोड़ के घाटे में से 1 करोड़ रुपये के ऋण में कमी कर सकते हैं, एक करोड़ की सिटी बसों की अच्छी व्यवस्था कर के कमी कर सकते हैं। इस प्रकार 5 करोड़ के घाटे की पूर्ति के लिये तुरन्त आपने कदम नहीं उठाये तो आप जनता को अच्छी सहूलियत नहीं दे सकेंगे।

अब मैं उद्योग धन्धों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे जोधपुर में सीमेंट का उद्योग लगाने की बहुत बड़ी गुंजाइश है। ब्यावर से लगा कर बिलाड़ा तक 100 मील की पट्टी है। 50 से 100 मील की पट्टी में चूने का विपुल भण्डार है। हिन्दुस्तान का उच्च कोटि का चूना वहां पर है। इसके उद्योग वहां पर लग सकते हैं। सीमेंट का कारखाना वहां पर लग सकता है मेरे ख्याल से, मैं राज्य सरकार से, मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि ब्यावर, बर, सेंदड़ा, बिलाड़ा आदि में 3-4 सीमेंट की फैक्ट्री लग सकती हैं। सीमेंट की मांग को देखते हुए आज गांवों में आप सीमेंट की पूर्ति नहीं कर सकते। बड़े बड़े शहरों में सीमेंट की पूर्ति के लिए सीमेंट के कारखाने बनते हैं। मैं समझता हूं कि जब तक छोटे कारखानों की स्थापना नहीं करेंगे जगह जगह पर, तब तक सीमेन्ट मांग की पूर्ति नहीं हो सकती। इसलिये मेरा निवेदन है कि अगर प्राइवेट पार्टियां लगाने के लिये तैयार न हों तो सरकार की ओर से कुछ तवज्जह दी जाकर सीमेन्ट के छोटे छोटे कारखाने लगाने चाहियें ताकि मांग की पूर्ति की जा सके और जनता को सुविधा हो।

दूसरे, दूंदाड़ा गांव की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, वहां जिप्सम बहुत अच्छी तरह का निकलता है लेकिन 5-7 साल से एक ही पार्टी को लीज दी हुई है। आपने उसको जमीन दिला दी 5-7 साल से, फिर उसकी लीज रिन्यू की नहीं। उसने 100-200 बीघा जमीन ले ली, वहां कुआ खोद लिया और खेती करता है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि जमीन जिस मकसद से दी गई, उसकी अगर पूर्ति नहीं हो रही है तो जमीन वापस ली जानी चाहिये। वहां खड़ी अच्छी किस्म की निकलती है। इससे दूसरे उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। यही मेरी मांग है। यही कहते हुए मैंने जो मांगें रखी हैं, मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उनका उत्तर दें।

श्री सभापति : श्री माधवसिंह !

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : सभापति महोदय, राजकीय उपक्रम के बारे में मेरे कटौती प्रस्ताव हैं। उस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं, राजकीय उपक्रम हैं या जो राजकीय उद्योग हैं उनका मकसद क्या है ? क्या ये उपक्रम, उद्योग सिर्फ नौकरी देने के लिए हैं या इसके अलावा इनका कोई फायदा भी सरकार को मिलता है ? क्या इन से कोई फायदा स्टेट गवर्नमेन्ट या स्टेट ट्रेजरी को मिलता है या सिर्फ ये अपने आदमियों को नौकरी दिलाने या उनको प्रमोशन देने के लिए हैं। जहां कहीं भी जिस किसी उपक्रम को देखें तो वहां पर घाटा ही घाटा है। इसके अलावा इन उपक्रमों से कोई फायदा हो रहा है ? क्या ये सरकारी दफ्तर हैं, इन्डस्ट्री हैं प्रतिष्ठान हैं ? जो सरकारी दफ्तरों का रवैया होता है वही इन उपक्रमों का रवैया है। किसी को काम करने की फिक्र नहीं है। उपक्रम को फायदा होगा या नहीं, यह किसी को फिक्र नहीं है। यहां पर किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि इन उपक्रमों में कोई काम हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। चाहे किसी को आप चेयरमेन बना देते हैं। कृपया आप इनकी डिटेल्स में जाकर देखें–सारे के सारे जो कार्पोरेशन हैं, उपक्रम हैं, उनका वर्किंग आपको सेट करना चाहिए। उनको सही रूप से आपको गाइडेन्स देनी पड़ेगी और वहां पर सही आदमी को लगाना पड़ेगा।

दूसरी जो प्राब्लम है वह यह है कि इन उपक्रमों में इनके आदमियों का ही प्रमोशन होता है और प्रमोशन होते होते वे जनरल मैनेजर के पद तक पहुंच जाते हैं। इससे आगे उनका कोई प्रमोशन नहीं होता है। इस प्रकार से उनकी ठेकेदारी हो जाती है। वे कोई काम नहीं करते हैं। जिस तरह से पिछली सरकार ने एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, लेक्चरार के ट्रान्सफर का निर्णय लिया था यानि जोधपुर विश्वविद्यालय से उदयपुर विश्वविद्यालय में किसी भी लेक्चरार की शिकायत आने पर तबादला किया जा सकता था, इस प्रकार का एक निर्णय लिया था, उसी तरह का कानून बनाने की आप क्या हिम्मत कर पाएंगे ? इन उपक्रमों में जो बड़े बड़े अधिकारी पट्टेदार हो गये हैं, अगर वे काम नहीं करते हैं तो उनको एक उपक्रम से हटाकर दूसरे उपक्रम में स्थानान्तरित कर दें, तो इससे उनको डर होगा। चर्म उद्योग वाले को एग्रो इन्डस्ट्री में ट्रान्सफर कर दें। नौकरी से नहीं निकालें तो ट्रान्सफर हो सकता है। आप इस तरह का कानून बना पाएंगे तो मैं समझता हूं कि इनका वर्किंग इम्प्रूव हो सकता है।

ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की एडवाइजरी कमेटीज बनी हुई हैं। एम. एल. एज. भी इसके मेम्बर होते हैं। परन्तु साल भर में इनकी दो-तीन मीटिंग्स भी नहीं होती हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। नैनवा से आने वाले माननीय सदस्य अपनी सीट पर सो रहे हैं अभी भी।

श्री सभापति : ऊंघ रहे हैं सो नहीं रहे हैं....

श्री रामसिंह विश्नोई : ये संस्कृत में मनन कर रहे हैं।

(94)

श्री माधवसिंह दीवान : सभापति महोदय, इसी तरह से स्टेट टेनेरीज है। चमड़े का भाव आज बढ़ गया है। जूता काफी महंगा हो गया है परन्तु कच्चे चमड़े का भाव कम है और जो रिपोर्ट देखते हैं तो इसमें 25 लाख का घाटा है। कोई इनको नहीं पूछता है कि यह लास क्यों हुआ है ? या तो आप ऐसे उद्योगों को बंद कर के किसी मैनेजमेन्ट के सुपुर्द कर दें या ऐसी एडवाइजरी कमेटी बनावें ताकि वह इनके वर्किंग को चेक कर सके। यह कब तक चलेगा।

दूसरी तरफ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में लाइम स्टोन है और वह 99.8 पर्सेंट प्योर है। केमिकल ग्रेड के अन्दर वह आता है। पचास साल से वहां पर इसका खनन कार्य चालू है। जो लाइम स्टोन है वह सोजत में है और चला जाता है कोटा, क्योंकि वहां पर इसकी इन्डस्ट्री है। जहां पर लाइम स्टोन पैदा होता है वहां का मजदूर बेकार है और उस से दूसरे एरिया के मजदूरों को फायदा मिल रहा है। कुछ पर्सेंट कोटा चला जाता है और कुछ पर्सेन्ट दूसरी जगह पर चला जाता है। इस तरह की नीति बनावें कि जिसकी 20–25 साल से लाइम स्टोन की मोनोपोली है, उस पर प्रेसर डाला जावे कि वह वहां पर इन्डस्ट्री डाले और इन्डस्ट्री नही डालता है तो उसकी लीज कैन्सिल कर दें। यह शुरू कर दिया जाए ताकि जो उद्योगपति इन्ट्रेस्टेड हों, वे वहां पर आकर लीज लें और उस पर बेस्ड इन्डस्ट्री लगावें। मैंने एक प्रश्न पूछा था कि जो 15 स्क्वायर किलो मीटर का एरिया आवंटित किया गया है उसमें से कितने एरिया में खनन् कार्य होता है। इसका जो जवाब आया है उसमें यह कहा गया है कि केवल 0.1 पर्सेन्ट एरिया में खनन कार्य होता है बाकी मोनोपोली मेन्टेन करने के लिए दिया हुआ है। पिछली सरकार ने यह आदेश दिए थे कि एक स्क्वायर किलोमीटर से अधिक किसी को पट्टा नहीं दिया जाएगा। यह आश्वासन इस सदन के अन्दर दिया गया था परन्तु आज तक इसके ऊपर डिपार्टमेन्ट ने कोई कार्यवाही नहीं की है। मैंने कई बार ए. ई. एन. और माइनिंग इन्जीनियर को 10 बार कहा कि एरिया के अन्दर मार्किंग किया जाए परन्तु यह जो बड़े बड़े मोनोपाली वाले हैं वे डिपार्टमेन्ट को काम नहीं करने देते हैं। किसी तरह का दबाव डलवा कर या ला कर डिपार्टमेन्ट पर ऐसा दबाव डालते हैं कि वे कार्य नहीं करते हैं। लीज होल्डर्स को बाउण्ड्री पिलर्स लगाने चाहिए परन्तु कोई पिलर नहीं लगाये जाते हैं, कोई मार्किंग नहीं होता है। इस कारण जो खातेदार होते हैं, जिनके खेत होते हैं, उनकी जमीन पर वे एन्क्रोचमेन्ट कर लेते हैं, उनके खेत को काट लेते हैं। वे अपने पैसे का दबाव डाल कर उस बात को दबा देते हैं। इसलिए मेरी मंत्री महोदय से गुजारिश है कि आप ऐसे इन्डस्ट्रियलिस्ट, जो कि वहां इन्डस्ट्री लगाने में इन्ट्रेस्टेड हैं, जो यह चाहते हैं कि वे वहां पर लाइम स्टोन पर बेस्ड इन्डस्ट्री लगावें, को प्रिफरेन्स दे कर लीज दी जाए या फिर जो लीज होल्डर्स हैं, 50 साल से बैठे हैं उन पर कम से कम यह दबाव डाला जाए कि वे वहां पर इन्डस्ट्री लगावें।

सभापति महोदय, जहां तक राजस्थान में उद्योगों का सवाल है, राजस्थान में इसकी काफी पोटेन्शियलिटी है। बड़े उद्योगों की बात है, सार्वजनिक क्षेत्र में सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के बहुत ही कम उद्योग हमारे यहां पर लगे

(श्री माधव सिंह दीवान)

हैं। जो काफी जरूरी थे उन को छोड़ कर जैसे कापर का खेतडी में है और जिंक का उदयपुर में, ये उद्योग किसी दूसरी जगह पर नहीं खोले जा सकते थे इसलिए ही वह अपने हिस्से में आए हैं। मुख्य मंत्री सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट में काफी समय तक रहे हैं। हम आशा करते हैं कि वे इस बात की कोशिश करगे कि ज्यादा से ज्यादा सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट के उद्योग राजस्थान में लगें ताकि राजस्थान के खनिजों का विकास हो, प्रदेश के मजदूरों को फायदा मिल सके और राजस्थान की इकोनोमी आगे बढ़ सके।

सभापति महोदय, जब भी पावर कट होता है तो सारा का सारा बर्डन उद्योगों पर पड़ता है। 50 से 75 पर्सेन्ट कट उद्योगों पर किया जाता है। ऐसे समय में उद्योगों को लेबर को पेमेन्ट करना पड़ता है और उनका प्रोडक्शन का माल पड़ा रहता है। इस तरह उद्योगपतियों को जो इन्सेन्टिव मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है और वे नुकसान में रहते हैं। उनको यहां पर उद्योग लगाने में हिचकिचाहट होती है। पावर कट होता है तो दो-तीन महीने प्रोडक्शन बंद रहता है। नये उद्योगपति राजस्थान में आवें इसके लिए जरूरी है कि राजस्थान में भी हरियाणा की तरह एक विन्डो स्कीम हो ताकि उद्योग लगाने के लिए भूमि, ऋण, फाइनेन्स, रेगुलराइजेशन आदि सारी सुविधाएं उनको एक जगह पर मिल जाएं। जब तक हमारे यहां भी इस तरह की फेसिलिटी नहीं होगी तब तक जो नये उद्योग लगाने वाले हैं वे हमारे यहां नहीं आएंगे। जब दूसरे स्टेट्स में उनको फायदा मिलता है तो वे क्यों आकर के राजस्थान में उद्योग लगावेंगे। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप उद्योगपतियों को नये उद्योग लगाने के लिए इन्सेन्टिव दें, एडवान्टेज दें ताकि राजस्थान की इकोनामी बढ़े। इसके साथ ही मैं अपने कटौती प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री सभापति : श्रीमती उजला अरोड़ा!

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण) : सभापति महोदया, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान राजस्थान के उपक्रम की ओर दिलाना चाहूंगी। हमारे यहां खनन् क्षेत्र में जो पट्टे आवंटित होते हैं उनमें इतनी अनियमितता होती है कि वे उद्योग पनप नहीं सकते हैं। पट्टों के वितरण में स्पेशली इस बात का ध्यान रखा जाए कि वह सही आदमी को मिल सकें और सही टाइम पर लोगों को मिल जाएं।

इसके साथ ही मैं यह कहना चाहती हूं कि सोडियम सल्फेट के उत्पादन की मात्रा बहुत कम है। इसका उत्पादन बढ़ाया जा सकता है।

ऊनी मिल बीकानेर में है। हमारा ऊन का उत्पादन 44 पर्सेन्ट है। मैं कहना चाहूंगी कि यह मिल मालपुरा, जहां कि भेड़ केन्द्र है, में भी लगाया जा सकता है। इसके साथ ही यह चूरू में भी लगाया जा सकता है। इस क्षेत्र का सर्वे करवाया जाना चाहिए जिससे कि इस उपक्रम को बढ़ाया जा सके।

हमारी स्टेट टेनेरीज है इसकी ओर मैं विशेष ध्यान दिलाना चाहूंगी। कुछ तबके ऐसे हैं जो चमड़े की रंगाई के लिए प्रसिद्ध हैं, चमड़े के कार्य में काफी रुचि रखते हैं। इन लोगों का सहयोग इसमें लिया जाना

96

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

चाहिए। जो भी नये कारखाने लगें उनमें ऐसे तबके के लोगों को लगाया जाए। इस उद्योग को अधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

हमारे यहां से जो टाइगर और शेर की खाल प्राइवेट तौर पर बंगलोर रंगने जाती है। मैं कहना चाहूंगी कि यह खाल का कार्य हमारे यहां पर हो चुका है। आप इस काम को यहां फंशीन में ले कर इसमें इन उद्योगों को ले सके तो बहुत अच्छा होगा।

मैं यह कहना चाहूंगी कि जब से रूट्स का राष्ट्रीयकरण किया गया है और राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम बनाया है तब से ही यह घाटे में चल रहा है। यह बताया गया था कि जन सहयोग लेंगे। रोडवेज की गाड़ियां समय पर नहीं पहुंचती हैं। साथ ही गाड़ियों की कन्डीशन इतनी खराब है कि लोग उनको देख कर हंसते हैं। सीट नहीं है खिड़की ठीक नहीं है। टाइम पर गाड़ी के पहुंचने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है और फिर गाड़ियों की संख्या इतनी कम है कि उनको बढ़ाया जाना जरूरी है। मैं समझती हूं कि इस पर सरकार निश्चित रूप से कोई ध्यान दे और जितनी गाड़ियों की व्यवस्था कर सकती है वह करे और बाकी जैसा अभी कर रहे है प्राइवेट गाड़ियों को अनुबंधित करे और उनके माध्यम से काम चलाये। मैं कहना चाहती हूं कि इसको ठीक किया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदया, प्राइवेट उद्योग में ज्यादा लाभ होता है, वे उद्योग ज्यादा लाभांश देते हैं जबकि जो सरकारी उद्योग है उनका लाभांश बिल्कुल कम है। उनमें लोग आते है केवल तनख्वाह बांटने, काम नहीं करते हैं। मैं कहना चाहूंगी कि हमारे कारखानों का लाभांश ज्यादा हो इसके लिए इस तरह से अधिकारियों और कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया जाये कि वे कारखाने लाभ दें। वे काम पर आते हैं और चले जाते हैं इसकी भी जांच की जानी चाहिए। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगी कि वे इस सम्बन्ध में कुछ प्रयास करें जिस से कि हमारे ये उपक्रम घाटे के बजाय लाभ में जायें। मैं यह कहना चाहूंगी।

इसके बाद मैं उद्योगों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी। हमारे यहां पर सवाई माधोपुर में सीमेंट की फैक्ट्री बंद पड़ी है। इस कारण जितने बेकार लोग बैठे हैं उनकी ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। उससे बहुत क्षति हुई है। हमारे इवोल्यूशन सिस्टम का एक ब्ल्यू प्रिंट तैयार किया गया था उस पर काम किया जाना चाहिये। वह उद्योगपति बाहर से, कलकत्ता, मद्रास, आसाम से यहां पर आना चाहते हैं। यहां के उद्योगपतियों ने वहां जा कर के बड़े बड़े कारखाने और फैक्ट्रियां लगायी हैं। जब कि हमारे यहां बेरोजगारी बढ़ रही है हमारे यहां के पैसे से बाहर कारखाने लग रहे हैं और हमारा पैसा बाहर चला जाता है।

मैं समझती हूं कि पिछले दिनों एक सम्मेलन उन लोगों का भी बुलाया गया था जो बाहर हैं, वे लोग आये भी थे। उन्होंने हां भी की थी। उस पर ब्ल्यू प्रिंट भी तैयार हुआ था। तो क्या सरकार उसके अनुसार कार्य करेगी और उन लोगों का आह्वान

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

करेगी जिससे कि वे यहां पर आकर काम करें। परन्तु 6 महीने से यह दिखायी दे रहा है कि लोग यहां पर आये और निराश होकर के चले गये। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगी कि वे उद्योगपतियों को पुनः आकर्षित करके बुलायें। हमारे विश्वकर्मा जैसे क्षेत्र में अनेक कारखाने बंद पड़े हैं उनको चालू किया जाय। यहां पर कच्चे माल का आवंटन सही नहीं होता है। कच्चे माल का समय पर आवंटन नहीं होने के कारण यहां के कारखानों को बहुत बड़ी क्षति हुई। पिछले 6 महीनों में कारखानों की जो गति कम हुई है उसका कारण पिछले समय में बिजली की कटौती भी रहा है। मैं कहना चाहूंगी कि इजराईल के अन्दर जिस प्रकार से सोलर इनर्जी के माध्यम से काम किया गया है हमारे यहां भी उस का सर्वेक्षण कराया जाना चाहिये या फिर और किसी तरीके से ऊर्जा का वैकल्पिक प्रबन्ध किया जाना चाहिये जिससे कि इन कारखानों को गति दी जा सके और कारखानों का उत्पादन अधिक से अधिक हो सके।

उद्योगों को ठीक समय पर बिजली नहीं मिली तो निश्चित रूप से उत्पादन कम होगा, मजदूरों को परेशानी होगी और राज्य सरकार को भी क्षति होगी। उसको भी पैसे का अभाव हो जायेगा।

कुटीर उद्योगों का भी अपने आप में एक अहम महत्व है। लेकिन हमारे यहां कुछ समय से कुटीर उद्योगों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं कहना चाहती हूं कि छोटे उद्योगों को पनपाया जाये। जयपुर में हीरे और पन्ने की कटाई का जो धन्धा है वह घर-घर पर में होता है। बाहर निर्यात के लिये उनकी कुछ सुविधायें उपलब्ध करायी जायं जो उनको अभी वर्तमान में नहीं मिल रही हैं तो निश्चित रूप से ये उद्योग पनपेंगे, पैसा भी बाहर से आयेगा और जो लोग अभी बेरोजगार हैं उनकी बेरोजगारी भी मिटेगी।

जिस तरह से जापान और स्विटजरलैण्ड में छोटे छोटे कारखाने घरों में चलते हैं उसी तरह से यहां पर उपकरण उनको दिये जायें और किसी तरह से भी सर्वेक्षण करा के घरों में उत्पादन की क्षमता बढ़ायी जाये जिससे मैं समझती हूं कि घरों में बैठी हुई औरतों और पुरुषों को रोजगार मिलेगा।

माइन्स के बारे में भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि खानों का जो पूर्ण रूप से सर्वेक्षण किया जाना चाहिये वह अपने यहां बिलकुल नहीं हुआ है। हमारे यहां कितने ही ऐसे खनिज पदार्थ हैं जो सौ प्रतिशत तक उपलब्ध होते हैं और कितने ही ऐसे खनिज पदार्थ 75 प्रतिशत हमारे यहां पर उपलब्ध होते हैं। यदि खनिजों का सर्वे पूरा करा लिया जाता है तो पैसे की समस्या नहीं आयेगी। यहां पर कहा जाता है कि पैसे की कमी है। घाटे का बजट पेश किया है। भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री चन्दनमल वैद ने माइन्स पर आधारित बजट पेश किया था। खनिज पर आधारित बजट पेश किया था। मैं कहना चाहूंगी कि हमारे यहां पर रॉक फास्फेट का शतप्रतिशत भण्डार है। मैं कहना चाहूंगी कि अगर बेल्जियम से लायी जाने वाली मशीनरी, शोध संयंत्र यहां लगा लिया जाता तो क्वालिटी के अन्दर सुधार होता और निश्चित रूप से बाहर से मंगाये जाने

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

वाले राक फास्फेट को मंगाने की जरूरत नहीं पड़ती। उससे पैसे की भी बचत होती और हम राजस्थान की ही नहीं पूरे भारत वर्ष की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते थे। साथ ही राजस्थान को भी पैसा इतना अधिक मिलता कि अन्य कामों के लिये गलत साधनों से, टैक्स लगा कर या गलत चीज बेच कर, शराब जैसी चीज बेच कर पैसा इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिये मैं आपसे कहना चाहूंगी कि इस रॉक फास्फेट के लिये बैल्जियम से संयंत्र मंगा कर इसकी क्वालिटी और क्वान्टिटी दोनों बढ़ायी जानी चाहिये जिससे कि हमारे यहां जो पैसे की कमी है उसकी पूर्ति हो सके।

इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहूंगी कि हमारे यहां शहरी क्षेत्र में जो पहाड़ियां हैं, वह शहरी सौंदर्य का प्रतीक होती हैं। जयपुर शहर की गुलाबी रंगत को पहाड़ियां अधिक बढ़िया बनाती हैं। जो पहाड़ियां हैं उनका पत्थर अधिक और अच्छा मजबूत होता है जो पानी भी नहीं सोखता है। मेरे क्षेत्र में ऐसी बहुत सी पहाड़ियां हैं। यदि इस तरह के पहाड़ों को काट दिया जायेगा तो जयपुर शहर की गुलाबी सुन्दरता कुरूपता में बदल जायेगी। इसलिए पहाड़ियां पीछे से काटी जानी चाहिये। जिससे खान के खनिजों में भी कोई कमी नहीं आये और जयपुर की सुन्दरता में भी कमी नहीं हो। मैं यह कहना चाहूंगी कि रायल्टी की चोरी होती है इसलिए रायल्टी के लीकेज को रोका जाना चाहिये जिससे कि ज्यादा पैसा मिल सके।

साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि मेरे क्षेत्र जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में एक राहोली गांव है वहां पर जो पहाड़ हैं, उसके पत्थर से कली जो निकाली जाती थी वह बड़ी पक्की कली होती थी और बहुत प्रसिद्ध थी। परन्तु भट्टे उसके बन्द करा दिये गये। हमने उदयपुर के कमिश्नर से भी काफी पत्राचार वगैरह किया था परन्तु उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यदि इस कली के भट्टों पर दुबारा काम चालू हो जाये तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा और एक अच्छी चीज का उत्पादन भी बन्द नहीं होगा।

इसी तरह से एक नयी चीज़ और देखी है मैंने बासना में। बासना मेरे जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में एक पंचायत है। यहां पहाड़ों से बहुत अच्छी किस्म का सफेद पत्थर निकलता है, यदि वहां पर परीक्षण किया जाये तो वह काफी उपयोगी हो सकता है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि ध्यान देकर के इन चीजों को सामने लावें। साथ ही जो झामर-कोटडा और मकराना की खानों में पानी भरा हुआ है जिससे मजदूर काम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। संगमरमर अपना एक महत्व रखता है। मैं कहना चाहती हूं कि वहां तक जो सड़क माइन्स तक सीधी जाती है उसको जल्दी पूरा करना चाहिये और माइन्स को क्षति पहुंचाने वाले पानी को निकाला जाना चाहिये।

(8.9 म.प.)

(श्री प्रद्युम्नसिंह, सभापति, पदासीन)

व्यवस्था का प्रश्न

स्थगन प्रस्ताव पर शासकीय व्यक्तव्य

सुश्री पुष्पा जैन : मुझे आसन की तरफ से यह आश्वासन दिया गया था कि आज 3 बजे मेरे स्थगन प्रस्ताव पर सरकार वक्तव्य देगी। क्या मैं उम्मीद करूं कि सरकार वक्तव्य देगी ?

श्री सभापति : माननीय सदस्या मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे निश्चित रूप से कल सरकार की तरफ से वक्तव्य देने का कष्ट करें।

(व्यवधान)

आप स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य।

श्री रामपाल उपाध्याय (उप मंत्री गृह): सभापति महोदय, जैसा आपने निदेश दिया है निश्चित रूप से कल सरकार द्वारा स्थगन प्रस्ताव पर वक्तव्य दिया जायेगा।

मांग संख्या 40, 42 व 43 पर विचार

श्री अध्यक्ष : श्री बुलाकीदास कल्ला।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अनुदान की तीनों मांगों के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं।

भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है और मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देशों में निजी, सार्वजनिक और संयुक्त क्षेत्रों के अन्तर्गत उपक्रम लगाये जाते हैं लेकिन रेगुलर लगाये जाते हैं। अर्ध विकसित देश के विकास के लिये और आर्थिक विकास में बढ़ती हुयी सरकार की भूमिका को ध्यान में रखते हुये राजस्थान में और भारत के अन्य प्रान्तों में सार्वजनिक उपक्रम के ऊपर महत्व दिया गया है। उसी के आधार पर राजस्थान में भी सार्वजनिक उपक्रम खुलने शुरू हुये। आजादी के लगभग 15 वर्षों के बाद बीकानेर में एक राजकीय वूलन मिल राज्य सरकार ने स्थापित की थी। लेकिन, श्रीमान् उस राजकीय वूलन मिल को कुछ वर्षों के बाद ही प्राइवेट संस्था को, प्राइवेट लोगों के हाथों में किराये पर दे दिया गया है। पिछले दो वर्षों के अन्दर वहां लगातार हड़तालें हुईं और मजदूरों का शोषण हुआ। वह सही ढंग से काम नहीं कर रही है। हम वर्षों से सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि बीकानेर एशिया में ऊन की सबसे बड़ी मंडी है। लगभग 50 करोड की ऊन बीकानेर डिवीजन, जिसमें चूरू और गंगानगर भी शामिल हैं, से ऊन दूसरे प्रान्तों को ही नहीं दूसरे देशों को भी जाती है। ऐसे डिवीजन हैडक्वार्टर के ऊपर राजकीय उपक्रम नहीं खुले हैं। इसके आधार पर वूलन मिल खोली गयी थी वह भी कुछ वर्षों के बाद प्राइवेट लोगों को दे दी गई। उसकी हालत बहुत दयनीय है। वर्तमान बजट में संचार एवं अनुसरण हेतु 21 हजार और उसके प्रबन्ध के लिये 68 हजार की राशि की व्यवस्था की गयी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सार्वजनिक मिल को आप वापस सरकार के हाथों में लें।

इसके अतिरिक्त देहरादून वूल कम्बल, मांडेला कम्बल नागपाल वूल कम्बल और कलकत्ता और चंडीगढ़ के जो वूल कम्बल हैं उनमें सारी ऊन बीकानेर से जाती है लेकिन अफसोस है कि जो बीकानेर सारे भारत को और एशिया को ऊन का कच्चा माल भेजता है वहां ऊन का कोई सार्वजनिक उपक्रम नहीं है। महोदय, इसमें कोई भारी पैसा लगने वाला भी नहीं है केवल 3-4 करोड़ के करीब ही इसके लिये काफी है जिससे कि न केवल बीकानेर बल्कि चूरू गंगानगर के लगभग 5 करोड लोगों को रोजगार मिल सकता है और उसके ऊपर आधारित सहायक उद्योग लग सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं उद्योग मंत्री से आपके माध्यम से कि बीकानेर में सार्वजनिक उद्योगों का

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

अभाव है और ऊन की वहां बहुतायत है। इसलिये बीकानेर में ऊन कम्बल का कारखाना लगाया जाना चाहिये।

इसके अतिरिक्त जिप्सम, केल और चमड़े की भी वहां बहुतायत है। बीकानेर से 3.25 लाख टन जिप्सम प्रति वर्ष सिन्दरी, राजस्थान के इलाकों में ही नहीं बल्कि नेपाल और बंगलादेश को भेजा जाता है जिससे कि लगभग 11 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। कुल मिलाकर 1 करोड़ 83 लाख रुपये की जिप्सम बीकानेर से बाहर भेजा जाता है लेकिन उसके बावजूद कोई करखाना बीकानेर में नहीं है।

30 वर्षों तक बीकानेर कच्चे माल के रूप में 2 करोड़ की जिप्सम प्रति वर्ष उत्पादित करता रहा है और यह सिंदरी में जाकर रासायनिक खाद के कारखाने में इस्तेमाल होता है। श्रीमान, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि बीकानेर के लोगों के लिये रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है इसलिये सार्वजनिक उपक्रम का अभाव होने के कारण जिप्सम के ऊपर आधारित खाद का कारखाना सार्वजनिक क्षेत्र में बीकानेर में खोला जाये जिससे बीकानेर में उद्योगों का विकास हो सके और सार्वजनिक उपक्रम के अन्तर्गत हजारों लोगों को रोजगार मिल सके।

श्रीमान, सड़कों के लिये और परिवहन के ऊपर वर्तमान बजट में 2 करोड़ 15 लाख रुपये की राशि रखी गयी है। ये राजकीय उपक्रम राज्य का एक बहुत बड़ा उपक्रम है किन्तु इससे मिलने वाली सुविधाओं और बसों की दशा इतनी दयनीय है कि उसकी चर्चा कई माननीय सदस्य कर चुके हैं। बीकानेर में बस स्टेण्ड की बात बीकानेर के भूतपूर्व राज्य मंत्री ने की थी, आश्वासन दिया था और इसके लिये भूख हड़ताल भी हुई थी कि बीकानेर में एक बस स्टेण्ड बनाया जाये लेकिन आज भी वहां अस्थायी बस स्टेण्ड बना हुआ है। उसकी हालत इतनी दयनीय है कि एक बार कोई भला आदमी वहां चला जाय तो उसकी हालत खराब हो जायेगी, उसको एलर्जी हो जायेगी और वह बीमार हो जायेगा। वहां सुविधाओं का नितान्त अभाव है। वह शहर के मध्य में स्थित है। ऐसी हालत के कारण कई बार बसें दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं। मैं इसलिये आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बीकानेर में एक उचित स्थान पर बस स्टेण्ड बनाया जाना चाहिये।

श्रीमान, मांग संख्या 42 के ऊपर मैं अपने यह विचार निवेदन करना चाहता हूं कि उद्योग स्थापित करने हेतु उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु राजस्थान में सुविधा का अभाव है। मि. टिम्बर, जो हावर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मारवाड़ी फ्राम ट्रेडर्स टू इन्डस्ट्रियलिस्ट में इस बात की व्याख्या की है कि मारवाड़ी लोगों ने केवल भारत के विभिन्न प्रान्तों महाराष्ट्र, बंगाल, आसाम, गुजरात आदि में ही जाकर उद्योग नहीं लगाये हैं बल्कि एशिया और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में उद्योग लगाते चले जा रहे हैं। लेकिन अफसोस है कि राजस्थान में अपने प्रान्त में उद्योग नहीं लगा रहे हैं। इसका कारण यह है कि यहां भारी असुविधायें हैं। प्रशासनिक कठिनाइयां ज्यादा हैं और राज्य सरकार की तरफ से पर्याप्त मात्रा में सुविधायें

(श्री बुलाकीदास कल्ला) नहीं मिलती है जिसके कारण वे राजस्थान से बाहर जाकर उद्योग लगाते हैं। श्रीमान, उद्योग लगाने के लिये पर्याप्त भूमि, पानी बिजली और कच्चा माल समय पर लाइसेंस मिल जाये तो अपने उद्योग राजस्थान में लगाने को तैयार हैं। मैं उद्योग विभाग से संबंधित मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कई बार प्रशासनिक कारणों से नौकरशाही के हावी होने के कारण ऐसी स्थिति हो जाती है कि लायसेंस मिलने में 3-4 साल लग जाते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि बीकानेर वूलन मिल के लिये और स्पिन्डल्स के लिये दो दो वर्षों तक लायसेंस नहीं मिलते हैं। इस सम्बन्ध में राजस्थान के अधिकारी भी कई बार परेशान हो जाते हैं क्योंकि टैक्सटाइल कमीशन स्पिन्डल्स के लायसेंस समय पर प्रदान नहीं करता। इसमें परिवर्तन होना चाहिये ताकि जो स्पिडल्स के लायसेंस लेना चाहते हैं उनको वे मिल सकें और उद्योगों का विकास हो सके।

बीकानेर में जितनी कोयले की मांग है उसकी तुलना में 11% कोयला ही बीकानेर को मिलता है। इससे वहां के लोगों को लकड़ी जलानी पड़ती है। बीकानेर तो वैसे ही रेगिस्तानी इलाका है। रेगिस्तान का एक ओर विस्तार हो रहा है दूसरी ओर प्रतिदिन 500 टन लकड़ी जलती है जिससे रेगिस्तान की बढ़ोतरी हो रही है। यह बहुत ही चिन्ताजनक विषय है। इस ओर भी राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। लकड़ी जलना बन्द होनी चाहिये और कोयले की मांग की पूर्ति होनी चाहिये।

श्रीमान्, बीकानेर में सीमेन्ट की मांग एक तिमाही की 500 टन है। इसकी तुलना में केवल 200 टन सीमेन्ट ही मिलती है जबकि राजस्थान में प्रतिदिन 5000 टन सीमेन्ट बनती है फिर भी बीकानेर की एक तिमाही की पूर्ति भी नहीं होती है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बीकानेर के औद्योगिक विकास के लिये सीमेन्ट और कोयले की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिये। नहीं तो कई बार सीमेंट के अभाव में उद्योग खण्डहर के रूप में दिखाई देने लग जाते हैं और उद्योगों का समय पर विकास नहीं हो पाता है। प्रशासनिक प्रक्रिया और नियमों को सरल किया जाना भी बहुत आवश्यक है।

श्रीमान, ऋण सुविधायें भी समय पर नहीं मिलती हैं जिसके कारण से भी उद्योग अपने विकास की ओर अग्रसर नहीं हो सकते हैं। सचिवालय के पास एक उद्योग भवन का निर्माण हो रहा है। डिवीजन हैडक्वार्टर पर भी एक इन्डस्ट्रियल काम्प्लेक्स बनाया जाना चाहिये। ऐसा विभाग बनाया जाना चाहिए जो सारी सुविधायें उद्यमियों को और छोटे छोटे व्यापारियों को एक स्थान पर दे सके। राजस्थान स्टेट इन्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन, जिसको रीको के नाम से जाना जाता है, और राजस्थान इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन के अन्तर्गत प्रशासनिक अधिकारी लगाये जाते हैं उनका प्रशासनिक कार्यों में तो इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन श्रीमान, प्रशासनिक अधिकारी उद्योगों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं इसलिये जब तक विशेषज्ञों को और जानकारी रखने वालों तथा अन्वेषण करने वालों को इन उद्योगों में नहीं रखेंगे राजस्थान के उद्योगों का विकास नहीं होगा।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

इसलिए यदि राजस्थान में उद्योगों का विकास करना है तो इस प्रकार के कार्पोरेशन्स में विशेषज्ञों को लगाया जाना चाहिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरी एक मांग रह गई है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखें। आपने 10 मिनट ले लिये हैं। मैं यह निवेदन कर दूं कि आप समय का ध्यान रखते हुए सभी कटौती प्रस्तावों पर बोल लीजिये। जो सूची मुझे प्राप्त हुई है, उसमें मुख्य सचेतकजी ने कहा है कि हमारे सदस्यों को सात मिनट से अधिक समय नहीं दिया जावे, यह मैं आपको सूचित कर रहा हूं। आप शीघ्र समाप्त करें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, राजस्थान लघु उद्योग निगम केवल जयपुर और कुछ बड़े शहरों तक ही सीमित है, इसका विस्तार किया जाना चाहिए। बीकानेर में भी राजस्थान लघु उद्योग निगम के माध्यम से लघु उद्योगों के विस्तार के कार्यक्रम बनाये जाने चाहिएं। बीकानेर क्षेत्र में जो खनिज सम्पदा है उसका सर्वेक्षण कराये जाने की आवश्यकता है। वहां पर जो विभागीय खनिज लेबोरेटरी है वह निष्क्रिय पड़ी है। बीकानेर क्षेत्र में पैट्रोल मिलने की काफी सम्भावना है, इस सम्बन्ध में सैण्ट्रल एरिड जोन से रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश हुए हैं उनमें भी यह सम्भावना बताई गई है कि वहां पैट्रोल मिल सकता है। बीकानेर क्षेत्र में पेट्रोलोजिकल लेबोरेटरी की आवश्यकता है वहां जिप्सम और सेल्यूलाइट तथा लिग्नाइट भी काफी मात्रा में मिलता है, और लूणकरणसर, जामसर, कानासर और उसके आसपास जो जिप्सम मिलता है उसका क्षेत्र धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसके आस पास के क्षेत्र का व्यापक सर्वे कराया जाना चाहिए जिससे कि उसके आसपास के क्षेत्रों में प्राप्त खनिज को प्राप्त किया जा सकता है।

श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक इन चीजों का सर्वेक्षण नहीं होगा, बीकानेर की जो खनिज सम्पदा है, वह भू-गर्भ में ही रह जायगी और राजस्थान की जो विकास की सम्भावनायें हैं वे कमजोर हो जायेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री मेघराज ! माननीय सदस्य, 10 मिनट में समाप्त कर लीजिये।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : जी हां, मेरे कटौती प्रस्ताव राजकीय उपक्रम के बारे में है। सभापति महोदय, सब से पहले मैं परिवहन निगम की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह बात अन्य माननीय सदस्यों ने भी कही है कि गड़बड़ी है, अव्यवस्था है, बसों की अच्छी व्यवस्था नहीं है। कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि प्राइवेट बसेज चलायी जानी चाहिए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकरण बन्द करने की बात नहीं होनी चाहिए। सरकार को विशेष ध्यान देकर इसमें जो कमियां हैं, भ्रष्टाचार हैं, उनको कम करना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री सभापति : Don't disturb, please.

श्री मेघराज तावड़ : सभापति महोदय, इस उद्योग में जितनी गड़बड़ियां हैं वह सब ऊपर के बड़े अफिसरों द्वारा की जाती हैं। यहां पर पहले भी प्रश्न उठा था कि बहुत सी बसें बेकार पड़ी हैं। ऐसा क्यों है ? जहां पर एक रूट पर पांच छः बसें चलती थीं वहां पर एक ही बस जाती है और चार बसें पड़ी रहती हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, यह कहा जाता है कि हमारे पास टायर नहीं हैं। टायर खरीदने वाले जो अधिकारी हैं, वे कम्पनियों से सांठ-गांठ करके खराब टायर ले लेते हैं। परिणाम यह होता है कि नये टायर होते हुए भी एक दिन में खराब हो जाते हैं। वह टायर ड्यूरेबल नहीं होते हैं। मतलब पंक्चर हो जाते हैं। इसमें ड्राइवर और कण्डक्टर का दोष निकाला जाता है लेकिन यह दोष बड़े अधिकारियों पर लगाया जाना चाहिए। साथ ही जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं उनको हटाया जाना चाहिए तथा उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। अभी जैसा कि पूर्व में बोलने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए।

सभापति महोदय, लघु उद्योगों के बारे में भी मेरा कटौती प्रस्ताव है, दो मिनट उनके लिए भी बोलना चाहूँगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे देश में और प्रदेश में जिस तरह से गरीबी है और बेकारी है वह गरीबी और बेकारी दूर करने के लिये सरकार को सबसे पहले ग्रामीण इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में लघु उद्योग धन्धे लगाने चाहिए। जिस इलाके में जिस तरह का मैटीरियल हो वहां पर उसी तरह के उद्योग धन्धे खोले जाने चाहिए। जिन इलाकों में किसी प्रकार का धन्धा नहीं है, आस-पास कोई बड़ा शहर नहीं है, खेती के अलावा और कोई धन्धा नहीं है, अकाल की स्थिति है, अनावृष्टि की स्थिति है, लोग भूखों मरने लगते हैं, वहां पर छोटे उद्योग धन्धों को प्रोत्साहन देकर उनको वहां पर लगाये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। उनमें जो त्रुटियां हैं, जो उलझन हैं वह सरल की जानी चाहिए जिससे कि उद्योग लगाने वाले अपना ऋण समय पर ले सकें। एक छोटी सी बात है कि भूमि विकास बैंक जो पैसा देता है, उसको लेने का इतना लम्बा प्रोसीजर है जिसे वे पूरा नहीं कर पाते। दो हजार रुपये अन्त्योदय योजना के तहत मिलते थे, विकास आयुक्त और डॉक्टर तथा ग्राम सेवक से तस्दीक कराने में ही उसके 500 रुपये खर्च हो जाते थे, इस तरह से वह 1000/- रुपये लेकर घर जाता था। उसका इस प्रकार से अन्त्योदय नहीं होता। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि ऐसे गांवों में सर्वे कराया जावे। जहां-जहां जिस तरह का मैटीरियल है वहां पर वैसा ही धन्धा चालू किया जाना चाहिए। उदयपुर में कई प्रकार की खानें हैं। एक गांव है बाबरखां, वहां पर संगमरमर की खानें हैं। वहां पर भ्रष्टाचार है उसको समाप्त किया जाना चाहिए। एक-एक आदमी की दस-दस और बारह-बारह एप्लीकेशन्स एक साथ लग गई, सारा एरिया

(104)

(श्री मेघराज तावड़)

एक ही नाम से एक ही ठेकेदार के नाम से कैसे मिल गया ? उसको इतने पट्टे कैसे मिल गये ? श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा इस ओर ध्यान देकर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए जिन्होंने एक ही आदमी को 10-12 पट्टे दिए और उनके पट्टे केन्सिल करने चाहिएं।

सभापति महोदय, मेरा प्रस्ताव विद्युतीकरण के बारे में भी है। इसके बारे में भी मैं दो शब्द कहना चाहूंगा। अभी अखबारों में पढ़ने को मिला कि सरकार की तरफ से कहा गया है कि पूरे राजस्थान के ग्रामीण इलाकों का पांच साल में विद्युतीकरण किया जायेगा। श्रीमान्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विद्युतीकरण में इतना भ्रष्टाचार है, एक-एक मीटर पर सौ सवा सौ रुपया लगता है। सरकारी मीटर पड़े रह जाते हैं और दूसरे प्राइवेट लगा जाते हैं। इस तरह से सरकारी खजाने को घाटा होता है। तो, श्रीमन्, मैं चाहूंगा कि यह जो मीटर की व्यवस्था है, यह भी ठीक की जाये।

इसके अतिरिक्त जो यूनिट रीडर्स होते हैं, वह भी समय पर पहुंचते नहीं हैं और गलत तरीके से रीडिंग ले लेते हैं। इसमें भी सुधार किया जाना चाहिए।

मैं यही बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री गोविन्द सिंह !

श्री गोविंद सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : आदरणीय सभापति जी, मैं आपकी आज्ञा से राजकीय उपक्रम...

श्री समरथलाल : सभापति जी, आपकी नजर इधर भी होनी चाहिए।

श्री सभापति : मेरी नजर चारों तरफ है।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मैं सदन में अपने कटौती प्रस्ताव के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि जो राजकीय उपक्रम सरकार चला रही है उसमें एक विशेष बात है, जिसकी वजह से एक घाटे की व्यवस्था देखने में आती है। उसकी मूल वजह यह है कि जो उपक्रम को चलाने वाले वरिष्ठ अधिकारी या प्रशासन अधिकारी हैं, वह अधिकारी उस उपक्रम के बारे में तो स्पेशलिस्ट नहीं हैं। मुझे जानकारी नहीं है कि जो टैक्निकल जानकारी रखने वाले व्यक्ति हैं, वह उनके अधीनस्थ काम करते हैं। काम करने वालों को अधिकारियों की अज्ञानता की वजह से जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है। इस कारण काम करने की जो भावना होती है वह मर जाती है। मैं समझता हूं कि जो उपक्रम के मुख्य अधिकारी हैं, वह तो कम से कम स्पेशलिस्ट होने चाहिए ताकि उस उपक्रम की, उस अन्डरटेकिंग की मूल बातों को अच्छी तरह से समझ सकें।

सभापति महोदय, जो रोडवेज का उपक्रम हमारे यहां चल रहा है उस रोडवेज के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि रोडवेज में सुधार के बड़े आसार हैं। कुछ सुधार की व्यवस्था हम कर सकें तो जो घाटे का उपक्रम चल रहा है उसमें सुधार हो सकता है। अभी जो आगारों में बसें हैं, उनके रख रखाव, मैन्टिनेंस के सम्बंध में ध्यान नहीं दिया जाता है। काफी स्टाफ इस सम्बंध में लगा भी हुआ है। बसों

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

के समय के ऊपर नहीं आने की वजह से और बसों की कमी होने की वजह से बसों के ऊपर दबाव ज्यादा रहता है। नतीजा यह होता है कि वह बसें समय से पूर्व कन्डम होकर वर्कशाप में पहुंच जाती हैं। बसों की नियमित सफाई और देखभाल के लिये कार्यक्रम होना चाहिए, उनकी साफ-सफाई और देखभाल उसके अनुसार की जानी चाहिए और जो छोटी-छोटी कमियां होती हैं, जो छोटी-छोटी रिपेयर्स होती हैं, उनको शीघ्र दूर किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, अजमेर में रोडवेज का सैन्ट्रल वर्कशाप है उसके लिये एक यूनिट अभी वहां पर लगाई गई जब कि वहां पर 3 यूनिट लगाने का प्रावधान था। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, सभापति जी, उस वर्कशाप के विस्तार का आपका जो कार्यक्रम है उसको पूरा करने के लिए उचित धन की व्यवस्था अपने बजट में करने की कृपा करें।

अजमेर का जो बस डिपो है उसके ऊपर भी काफी दबाव है। वहां बसों के खड़े होने की व्यवस्था में भी बहुत कमी है। अजमेर के जो अधिकारी हैं, उन्होंने एक उप-डिपो बनाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

...मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो सब-डिपो अजमेर के पास बन रहा है उसमें काफी स्थान है। वहां पर बसों के खड़े होने के लिए शैड बना हुआ है। जो उप-डिपो बनाने का प्रस्ताव है वह नसीराबाद में बनाया जाये।

अजमेर जिले के मार्गों के ऊपर, सभापति महोदय, बसों की बड़ी अव्यवस्था है। स्थिति यह है कि बहुत से यात्री बसों की छतों के ऊपर चढ़ कर यात्रा करते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, सभापति जी, अजमेर जिले में और अजमेर के वर्कशाप में जो बसों की व्यवस्था है, उसे पूर्ण करने की कृपा करें।

अभी कुछ दिनों से अजमेर में जो डिपो मैनेजर हैं उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ आन्दोलन चल रहा है। मैंने इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय को लिखित में भी आवेदन किया है कि वे इस सम्बन्ध में कार्यवाही करें ताकि वहां जो हड़ताल का वातावरण बना हुआ है वह जल्दी दूर हो।

सभापति महोदय, नसीराबाद के आस-पास फास्फर और की बहुत फैक्ट्रियां हैं। यह सारा रा-मैटीरियल नसीराबाद के आसपास खनन करके अहमदाबाद, हरियाणा और कलकत्ता वगैरह भेजा जाता है। वह इनको कोट करते हैं। मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि नसीराबाद या अजमेर, जहां मुनासिब हो, वहां सर्वे कराया जाय और कोई उद्योग लगाने के लिए कार्यवाही करें। इस संबंध में जल्दी से जल्दी निर्णय लें ताकि जो धनराशि हमें मिलनी चाहिए वह जल्दी मिले।

नसीराबाद के पास राजगढ़ एक छोटा सा कस्बा है, वहां हीरे की खानें हैं लेकिन वह सालों से बन्द पड़ी हुई हैं। हीरे के रूप में अर्थ व्यवस्था में काफी मदद मिल सकती है या उससे फारेन करेन्सी मिल सकती है। वह जमीन के नीचे दबे हुए हैं।

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

सभापति जी, ब्यावर में एक सीमेन्ट का कारखाना लगाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से, सभापति महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस कारखाने के लिये जो सुविधा आवश्यक हो वह जल्दी से जल्दी और बड़ी मात्रा में प्रदान करें ताकि यह कारखाना जल्दी चालू हो सके और ब्यावर में जो उद्योग सीमेन्ट पर आधारित हैं उनको पूरा माल मिल सके।

इसके साथ साथ, सभापति महोदय, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि नसीराबाद एक बड़ा शहर है वह काफी उद्योग लगाने की क्षमता रखता है। लेकिन इंडस्ट्रियल एस्टेट नहीं होने की वजह से कोई उद्योग पनप नहीं पा रहा है। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूँ कि वह अपने विभाग के द्वारा वहां पर इंडस्ट्रियल एस्टेट की स्थापना करने की व्यवस्था करें ताकि यह क्षेत्र भी तरक्की कर सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, जब हमारी सरकार थी और हरिदेव जी जोशी मुख्य मंत्री थे तब अजमेर जिले को एक साल के लिये औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया गया था। वह सुविधा समाप्त हुए तीन साल हो चुके हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उद्योग की होड़ में अजमेर जिला पीछे रहता जा रहा है इसलिये हमारी जो मांग है वह बहुत आवश्यक है कि अजमेर औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र होने की मंत्री महोदय घोषणा करें ताकि अजमेर का जो पिछड़ापन है वह दूर हो सके और औद्योगीकरण की होड़ में अजमेर पीछे रहता जा रहा है वह आगे जा सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री समर्थलाल।

श्री समर्थलाल (राजगढ़) : सभापति महोदय, आपने जो मुझे समय दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री बनवारी लाल : मेरा सब से पहले कटौती प्रस्ताव था।

श्री सभापति : आपका नाम पुकारा गया था, आप अनुपस्थित थे।

श्री बनवारीलाल : समय देने की कृपा करेंगे या नहीं?

श्री सभापति : मैं विचार करूंगा।

श्री समर्थलाल : सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर जो उपक्रम और निगम चालू किये थे उनके पीछे एक उद्देश्य था और वह यह था कि एक व्यक्ति को जो लाभ होता है, वह लाभ एक व्यक्ति को न होकर राजस्थान की सारी जनता को हो। लेकिन यह राजस्थान की जनता का दुर्भाग्य है कि उसे लाभ नहीं मिलता। ये उपक्रम हैं या कुकर्म हैं, यह तो सरकार जाने। उपक्रम इसी पार्टी की सरकार ने शुरू किए थे और इसी पार्टी की सरकार के सामने इसके कार्यक्रम हैं या कार्यकलाप हैं। इन निगमों की जो रिपोर्ट्स हैं उनको पढ़ने से आभास होता है कि अभी तक इनके द्वारा राज्य को और राज्य की जनता को जो इनके पीछे उद्देश्य

(श्री समर्थ लाल)

था लाभ का वह नहीं मिल पाया। इसलिए यह सदन की चिंता का विषय होना चाहिए, सरकार की चिंता का विषय होना चाहिए और इस पर सरकार को कोई कारगर कदम उठाने चाहिए।

सभापति महोदय, बसों के बारे में, उनकी हालत के बारे में और राजस्थान के अन्दर जनता को यह बसें या रोडवेज का डिपार्टमेंट कितनी सुविधायें दे रहा है, इस बारे में सभी माननीय सदस्य जानते हैं। राजस्थान रोडवेज के अन्दर जहां तक मेरी जानकारी है सन् 1968-69 में शायद थोड़ा बहुत लाभ हुआ था। उसके बाद राजस्थान रोडवेज में लगातार हानि होती जा रही है। जब इस प्रकार इन निगमों में हानि होती जा रही है, जनता को भी यह निगम जो सुविधायें देते हैं उनसे लाभ नहीं हो रहा है और जनता को भी उसके द्वारा सुविधायें नहीं दे पा रहे हैं तो इस बारे में सरकार को कोई कारगर कदम उठाने चाहिए।

अब, सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान खनिजों की ओर ले जाना चाहता हूं। हमारे राजस्थान की भूमि पर जो कुछ भी खनिज सम्पदा थी उसके द्वारा जो आमदनी होती थी उस आमदनी से हम राजस्थान की जो गरीब जनता है उसका विकास कर रहे थे। अब हमने यह जानकारी कर ली कि जो भूमि से ऊपर खनिज सम्पदा थी मैं ऐसा मानता हूं, उसका चैप्टर एक प्रकार से खतम है। इसलिए भूमि के अन्दर या पहाड़ों के अन्दर जो कुछ भी हमारी खनिज सम्पत्ति छिपी हुई है उसके बारे में हमें बड़े गौर से विचार करना पड़ेगा। मैं सरकार से इस बारे में कहूंगा कि हमारे राजस्थान में जितनी भी पहाड़ियां हैं उनका सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए और पूरे राजस्थान का मास्टर प्लान बनाना चाहिए। मैं अपने इलाके की ओर भी अपने कटौती प्रस्ताव के द्वारा सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, राजगढ़ एरिया में छोटी-छोटी पहाड़ियां हैं उनके अन्दर जो अनेक प्रकार का खनिज है, उसका खनन हो सकता है। उसके अन्दर सीमेंट का पत्थर भी है और चुनाई के काम में आने वाला पत्थर भी है। इसके अलावा दूसरे प्रकार के पत्थर भी हैं। अमूल्य पदार्थ उन पहाड़ियों से निकाल सकते हैं। अगर उनका सर्वेक्षण कराया जाए और उसके आधार पर एक मास्टर प्लान बना कर एक योजनाबद्ध तरीके से उनका खनन किया जाए तो मैं मानता हूं कि राजस्थान के लिए और राजस्थान की गरीब जनता के विकास कार्यों के लिए हम अतुल धन इकट्ठा कर सकते हैं।

दरिबा में हिंदुस्तान का काफी बड़ा प्रोजेक्ट है जहां ताम्बा निकलता है। लेकिन जहां पर भी ये प्रोजेक्ट्स होते हैं उन प्रोजेक्ट्स के अन्दर से जो कुछ रा-मैटीरियल निकलता है उसका स्मेल्टिंग वहीं होना चाहिए या आसपास होना चाहिए। दुर्भाग्य है कि राजगढ़ में बहुत बड़ा प्लांट है लेकिन स्मेल्टिंग प्लांट राजगढ़ में स्थापित न करके खेतड़ी में किया है। वहां उसका स्मेल्टिंग किया जाता है। क्या कारण है कि रा-मैटीरियल को इतना दूर ले जाते हैं। इतना बड़ा खर्च किया जाता है, एक प्रकार से यह विभाग का दिवालियापन है। राजगढ़ जयपुर

(श्री समर्थ लाल)
से जुड़ा हुआ है, रेलवे लाइन्स से जुड़ा हुआ है तो फिर इसका स्मेल्टिंग प्लांट राजगढ़ में क्यों नहीं स्थापित किया गया ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विभाग ने जो किसी कारणवश अव्यवस्था कर रखी है उसको मिटाया जाए और स्मेल्टिंग प्लांट राजगढ़ में स्थापित किया जाए।

अब मैं सरकार का ध्यान उद्योगों की ओर ले जाना चाहूंगा। हमारे राज में अब तक कम उद्योग लगे हैं उनका उल्लेख सदन में कई बार आ चुका है। हमारे यहां उद्योग लगाने का प्रोसेस है वह लम्बा है, मुझे स्वयं तजुर्बा है कि एक छोटा सा उद्योग लगाने के लिए 3-3, 4-4, 5-5 वर्ष का समय लग जाता है। इतने लम्बे प्रोसेस में सरकार को कमी करनी चाहिए। इसके अलावा वित्त निगम से उद्योग लगाने के लिए जो कर्जा मिलता है उस कर्जे को लेने का प्रोसेस है वह भी थोड़ा लम्बा है इसलिए उसको भी कम किया जाना चाहिए।

तो, सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जमीन के अन्दर धन सम्पत्ति छिपी हुई है उसको हम निकालें, उसका सर्वेक्षण करवायें और उसके बाद उसकी योजना बनायें। उस योजना के आधार पर परिश्रम के साथ उस काम को किया जाए और राजस्थान की गरीब जनता के विकास में सारे धन को लगाया जाय, यही मैं कहना चाहता था।

श्री सभापति : श्री बनवारीलाल।

श्री बनवारीलाल (धौलपुर) : सभापति महोदय, आपने जो समय दिया उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। आप बार-बार घड़ी को देखते हैं उसका भी मैं ध्यान रखूंगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर क्या कारण है कि राजस्थान उद्योगों के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है ? यहां के बड़े बड़े उद्योगपति अन्य प्रान्तों में कारखाने लगा रहे हैं, काफी पैसे वाले अन्य प्रान्तों में जा रहे हैं, उनका अन्य प्रान्त फायदा उठा रहे हैं तो क्या कारण है कि राजस्थान में कोई उद्योग नहीं लग रहा है। क्या इस बारे में आपने गौर किया ? वास्तव में कारण यह है कि उन्हें वे फैसेलिटीज नहीं मिल पाती हैं जो अन्य प्रांतों में मिलती हैं इसके अलावा फैक्ट्रीज लगाने के लिए, उद्योग लगाने के लिए हमारा जो प्रोसेस है वह इतना कठिन है कि उन्हें सहूलियतें नहीं मिल पाती हैं। अगर वे अन्य प्रान्तों में जायें जैसे हरियाणा है तो वहां पर उनको उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन देते हैं, वहां पर उनको जमीन के बारे में, चाहे लोन के बारे में, चाहे अन्य जो भी प्रक्रियायें होती हैं उन्हें पूरा करने के लिए सुविधायें दी जाती हैं जिससे काफी उद्योगपति व बिजनेसमैन अट्रैक्ट होते हैं।

दूसरे, सभापति महोदय, जो उद्योग लगाए जाते हैं वह हमारे राजस्थान में पोलिटिकल दृष्टिकोण को देखते हुए लगाये जाते हैं। सभापति महोदय, मेरी यह मान्यता रही है राजस्थान के अन्दर जितना भी इन्डस्ट्रिलाइजेशन हुआ है उसमें पोलिटिकल आधार मेन रहा है। वास्तव में, सभापति महोदय, जहां इन्डस्ट्रीज लगनी चाहिए वहां तो इन्डस्ट्रीज लगाई नहीं जाती हैं पर उन जिलों में ये इन्डस्ट्रीज लगाई जाती हैं जहां उनकी जरूरत नहीं है या जो जिले इन्डस्ट्रियली

(श्री बनवारी लाल)
बैकवर्ड नहीं हैं। सभापति महोदय, उन जिलों को इन्डस्ट्रियली बैकवर्ड घोषित किया गया है जो कि वास्तव में इन्डस्ट्रियली बैकवर्ड नहीं हैं। सभापति महोदय, 26 में से 6 जिलों को इन्डस्ट्रियली बैकवर्ड घोषित किया है। भीलवाड़ा को बैकवर्ड घोषित किया गया है। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या धौलपुर भीलवाड़ा से ज्यादा इन्डस्ट्रियली डवलप है? फिर क्या कारण था कि भीलवाड़ा को तो आपने इन्डस्ट्रियली बैकवर्ड घोषित कर के वह सभी रियायतें उद्योगपतियों को दिला दीं जो कि बैकवर्ड जिला घोषित किये जाने पर उद्योग लगाने के लिए इन्डस्ट्रियलिस्ट को दी जाती हैं। आपने धौलपुर को बैकवर्ड जिला क्यों नहीं घोषित किया? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि भविष्य में जो भी उद्योग लगाये जावें वह उन जिलों में लगाये जायें जो कि इन्डस्ट्रियली अनडवलप्ड हों। इसके साथ-साथ मैं यह भी उद्योग मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पाण्डे कमेटी ने भी यह सिफारिश की थी कि उन्हीं जिलों को इन्डस्ट्रियली बैकवर्ड घोषित किया जाय जो कि वास्तव में अनडवलप्ड हैं। उन्होंने यह भी सिफारिश की थी कि इन्डस्ट्रीज के बारे में री-सर्वे करवाया जाय।

सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि धौलपुर इन्डस्ट्रियली बहुत ही बैकवर्ड है हालांकि वहां पर कई इन्डस्ट्रीज लगने का स्कोप है। वहां पर आपको पानी काफी मात्रा में मिल जायेगा, वहां पर बिजली की 132 के. वी. लाइन भी है। इसके साथ-साथ छोटी और बड़ी रेलवे लाइन भी हैं। इतना ही नहीं उसके आसपास बहुत बड़े-बड़े इन्डस्ट्रियली डवलप्ड व बड़े-बड़े शहर आगरा और ग्वालियर भी हैं। इसलिए मैं मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा और साथ में यह सुझाव भी देना चाहूंगा कि धौलपुर को आप इन्डस्ट्रियली बैकवर्ड जिला घोषित करें ताकि वहां पर जो लोग इन्डस्ट्रीज लगाना चाहें वह लगा सकें। वरना, सभापति महोदय, जो सुविधायें इन्डस्ट्रियली बैकवर्ड होने से इन्डस्ट्रियलिस्ट्स को मिलती हैं वह उन्हें नहीं मिल पाती हैं। जिससे वहां कोई उद्योग लगाना चाहते हुए भी नहीं लगाते हैं। सभापति महोदय, मैं उदाहरण देना चाहता हूं इन्डस्ट्रीज लगाने में कितना राजनैतिक हाथ होता था। सभापति महोदय, हमारे धौलपुर में जे. के. इन्डस्ट्रीज वाले अपनी इन्डस्ट्री लगाना चाहते थे वहां पर जे. के. वालों ने जमीन भी एक्वायर कर ली थी, उसका पहले सर्वे भी कर लिया था, लाइसेंस भी उसके लिए मिल गया था लेकिन उस समय के जो इन्डस्ट्रीज मिनिस्टर थे वह नहीं चाहते थे कि वहां पर इन्डस्ट्री लगे। सभापति महोदय, फैक्ट्री मालिक चाहते थे पर अनफोरचुनेटली उस समय हमारे मुख्य मंत्री बरकतुल्ला खां साहब की डेथ हो जाने से वह इन्डस्ट्री धौलपुर नहीं लग कर कांकरोली में शिफ्ट हो गयी। आज कांकरोली में वह इन्डस्ट्री रो रही है क्योंकि वहां उन लोगों के सामने सभी प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं। उस वक्त तो पोलिटिकल प्रेशर लगा कर कांकरोली में इन्डस्ट्री लगा ली पर अब वहां वह उद्योग घाटे में जा रहा है। इसलिए मेरा यह निवेदन है, सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी से कि

(श्री बनवारी लाल)

भविष्य में जो भी जिले इन्डस्ट्रियली बैकवर्ड घोषित किये जावें वाकई में जो इण्डस्ट्रियली अनडवलप्ड हों उन्हें ही घोषित किया जाय। धौलपुर को इन्डस्ट्रियली बैकवर्ड जरूर घोषित किया जाना चाहिये। सभापति महोदय, अगर पोलिटिकल बेसिस मान कर इन्डस्ट्रियली बैकवर्ड नहीं घोषित किये जाते तो मैं समझता हूं कि राजस्थान का बहुत विकास होता। सभापति महोदय, जे. के. वालों ने जब सर्वे कर लिया था, लाइसेन्स उन्हें मिल गया, जमीन ले ली गयी थी सभी फोर्मेलिटीज पूरी हो चुकी थीं फिर क्या कारण था कि वह इन्डस्ट्री धौलपुर में नहीं लग कर कांकरोली में लगी? इसलिये, सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप राजस्थान का सही मायने में इन्डस्ट्रियली विकास देखना चाहते हैं तो आपको पोलिटिक्स से ऊपर उठ कर उन जिलों को बैकवर्ड घोषित करना चाहिये जो कि वास्तव में आज तक अनडवलप्ड रहे हैं। वहां पर उद्योग लगाने के लिए उद्योगपतियों को सहूलियतें अधिक से अधिक दें।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां पर इन्डस्ट्री नहीं लगने का एक कारण यह भी है कि हमारे यहां पर स्किल्ड लेबर नहीं है। मेरा निवेदन है कि यहां पर राज्य सरकार ऐसे संस्थान कायम करें जिसमें लेबर तैयार किये जा सकें। मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार को ट्रेनिंग सेंटर खोलने की आवश्यकता है। अगर हमारे यहां पर स्किल्ड लेबर मिल जायेगा तो हमें शहर से स्किल्ड लेबर नहीं बुलाना पड़ेगा।

सभापति महोदय, अब मैं थोड़ा सिनेमा के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि सिनेमा को भी उद्योग में शामिल किया जाना चाहिए। आज सिनेमा उद्योग को उद्योग में शामिल नहीं किये जाने से सिनेमा उद्योग के लोगों को बहुत सी दिक्कतें आती हैं। अगर सिनेमा मालिक कोई सिनेमा का कन्सट्रक्शन कराना चाहते हैं तो उनको राज्य सरकार द्वारा रियायती दरों पर लोहा, सीमेन्ट आदि दिलाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। सभापति महोदय, सिनेमा उद्योग से राज्य सरकार को बहुत फायदा होता है।

एक माननीय सदस्य : आपके तो सिनेमा बना हुआ है न।

श्री बनवारी लाल : मेरे तो सिनेमा है। मैंने तो सिनेमा बना लिया है। अब नया सिनेमा बनाने नहीं जा रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : राजाखेड़ा में बनाने के लिए।

श्री बनवारीलाल : हां राजाखेड़ा में बनाने का कोई सोच सकता है।

सभापति महोदय, अब मैं थोड़ा राज्य सरकार का ध्यान राजकीय उपक्रमों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। सभापति महोदय, हमारे जितने राजकीय उपक्रम हैं वह सभी फेल हो गए हैं। चाहे आप टेनरीज को ले लें, चाहे धौलपुर हाईटेक को ले लें, चाहे रोडवेज को ले लें जितने भी राजकीय उपक्रम हैं सभी घाटे में जा रहे हैं। सभापति महोदय, राज्य सरकार निगम बना कर जनता को जो

(श्री बनवारीलाल)
सुविधायें देना चाहती थी वह तो दे नहीं पा रही है उल्टे इन निगमों में भयंकर रूप से लोस हो रहा है। इसलिए मेरा, सभापति महोदय, मुख्य मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि जो निगम घाटे में जा रहे हैं उनको प्राइवेट सैक्टर में दे देना चाहिए। सभापति महोदय, जब यह उपक्रम प्राइवेट सैक्टर में चल रहे थे तब तो यह लोसेज में नहीं जा रहे थे फिर बाद में क्या कारण है कि यह लोसेज में जा रहे हैं? सभापति महोदय, मेरा यह सुझाव है कि अननेसेसरी बर्डन सरकार पर न डालते हुए इन्हें तुरन्त प्राइवेट सैक्टर में दे देना चाहिए। सभापति महोदय, कुछ समय पहले माननीय सदस्य कह रहे थे कि रोडवेज को प्रतिदिन दो लाख रुपये का घाटा हो रहा है। आखिर इस घाटे का क्या कारण है यह देखने की जरूरत है।

सभापति महोदय, रोडवेज के बारे में एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि जब जनता पार्टी की सरकार आयी थी तो उसने पोलिटिकल कारणों से वहां एसोसियेशन कायम की जिससे दो सौ ड्राइवर कन्डक्टरों को मुफ्त में तनख्वाह देने की शुरुआत हुई। वह लोग रोडवेज में नेतागिरी करते हैं। मेरा निवेदन है कि इसको तुरन्त समाप्त किया जाय। साथ में पुनः यह भी निवेदन है कि इस राजकीय उपक्रम को प्राइवेट सैक्टर में दे दिया जावे।

सभापति महोदय, अब मैं थोड़ा खनिज के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, खनिज विभाग की जो रिपोर्ट आई है उसको मैंने देखा है। उसमें आपने बताया है कि खनिज विभाग के द्वारा राज्य सरकार को काफी लाभ हुआ है। यह सही है कि राज्य सरकार की आय बढ़ी है लेकिन आपने वह आय जो बढ़ायी है यह आय आपने आमदनी के रूप नहीं बढ़ायी है। आपने तो खानों की रायल्टीज बढ़ा कर आमदनी बढ़ायी है। इससे कोई फायदा नहीं है। मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि खानों के विकास की ओर राज्य सरकार ध्यान दे। सभापति महोदय, हम अगर देखेंगे तो पता लगेगा कि जो प्रोडक्शन खान का बढ़ना चाहिए वह नहीं बढ़ा है। जिन खानों को जो फेसिलिटीज मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही हैं। मैं आपसे निवेदन कर दूं हमारे धौलपुर में सैण्ड स्टोन की माइन्स है वहां से यह सैण्ड स्टोन देश विदेशों में जाता है। आपने रायल्टी तो उसकी बढ़ा दी पर उन खानों के जो लीजी हैं जो लाइसेन्सी हैं उन्हें आपने क्या सुविधा दी? मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि धौलपुर का एक ऐसा एरिया है जहां कि डकैतियां बहुत होती हैं। वहां एक क्रिमिनल एरिया है। वहां पर खान मालिकों को प्रोटेक्शन देने के लिए आपने क्या किया? सभापति महोदय, धौलपुर में जो इन खानों के लीजी हैं उन्हें दो तरफा रेन्ट देना पड़ता है, एक तो राज्य सरकार को दूसरा वहां के डकैतों को। मेरा यह निवेदन है कि डेडरेन्ट डकैतों को दिया जाता है इसके लिए आवश्यक कदम उठाये जायं। मेरा निवेदन है कि इसके लिए आप लीज वालों को सुविधायें दें और उनको संरक्षण दें।

सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जब आप किसी को लीज पर खान दें तो आपको कम से कम सभी

(श्री बनवारीलाल)
जगह से क्लीयरेंस करा देना चाहिए । वरना वन विभाग वाले खान वाले लीजी लोगों को परेशान करते हैं । सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जब भी खान के लिए टेन्डर निकाले जायं तो पहले जैसा कि मैंने कहा, सभी तरफ से क्लीयरेंस हो जाना चाहिए ताकि दूसरे विभाग वाले इसमें रोड़े नहीं अटकायें ।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इन खानों को आप रोड्स से जुड़वाइये ताकि वह लोग अपने प्रोडक्शन को बाहर ले जा कर ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी बेच सकें । इससे राज्य सरकार को लाभ होगा तथा उन लोगों को भी सुविधायें मिलेंगी ।

श्री सभापति : श्री चुन्नीलाल ।

श्री चुन्नीलाल (खंडार) : सभापति महोदय, उद्योग विभाग के बारे में जो आज सदन में मांग चल रही हैं उस पर मेरे भी कटौती के प्रस्ताव हैं । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा जिला सवाई माधोपुर उद्योगों की दृष्टि से राजस्थान के दूसरे जिलों से बहुत ही पिछड़ा हुआ है सवाई माधोपुर में बहुत ही बेरोजगारी है । बेरोजगारी से लोग बहुत ही परेशान हैं । सभापति महोदय, सवाई माधोपुर में एक सीमेन्ट की फैक्ट्री है जो कि बहुत ही पुरानी है । वह सीमेन्ट फैक्ट्री एशिया में मानी हुई सीमेन्ट फैक्ट्री है । लेकिन आज उस फैक्ट्री की हालत बहुत ही खराब है । अगर उसकी स्थिति की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो मैं समझता हूं कि वह फैक्ट्री बन्द हो जायेगी । वहां के मजदूर बहुत ही परेशान हैं । वहां का वातावरण बहुत ही खराब हो रहा है । कुछ समय पहले हमने सुना था कि उस फैक्ट्री को राज्य सरकार अपने हाथ में ले रही है पर अब इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है । मेरा निवेदन है कि उसको राज्य सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिये और उसका उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिये ।

दूसरा सुझाव मैं राज्य सरकार को यह भी देना चाहता हूं कि सवाई माधोपुर जिले में करौली एक क्षेत्र है जहां पर भी सीमेन्ट की फैक्ट्री लग सकती है । सभापति महोदय, कैलादेवी के मन्दिर के पास सन् 70-71 में सर्वे भी किया गया था । वहां पर सभी तरह की फैसिलिटीज हैं । मेरा निवेदन है कि वहां पर सीमेन्ट की फैक्ट्री लगायी जाये ताकि सवाई माधोपुर जिले के बेरोजगारों को रोजगार मिल सके और सीमेन्ट का उत्पादन भी बढ़ सके ।

सभापति महोदय, तीसरा सुझाव मैं उद्योग विभाग के बारे में यह देना चाहता हूं कि सन् 67 में सवाई माधोपुर में तैल शोधक कारखाना लगाने के लिये सर्वे भी हो चुका था पर बाद में वह कारखाना सवाई माधोपुर में न लग कर मथुरा में लगाया गया । सभापति महोदय, जस्ते की फैक्ट्री भी वहां लगायी जा सकती है ।

तीसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि सवाई माधोपुर में खाद का कारखाना लगाने के लिये सर्वे भी हुआ है । मेरी राज्य सरकार से यह मांग

(श्री चुन्नीलाल)

है कि खाद का कारखाना सवाई माधोपुर में ही बनाया जाना चाहिये। वहां पर, सभापति महोदय, पानी काफी है, रेलवे की छोटी और बड़ी दोनों ही लाइनें हैं, सड़कें भी हैं। तो मेरा यह निवेदन है कि खाद का कारखाना सवाई माधोपुर में लगाया जावे जिससे कि सवाई माधोपुर का विकास हो तथा वहां के लोगों को रोजगार भी मिले।

बस इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत!

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : सभापति महोदय, चाहे उद्योग हो, चाहे राज्य के उपक्रम हों, इनको जिस नजर से हम देख रहे हैं, राजस्थान में इनकी गति या इनकी स्थिति संतोषजनक नहीं मानी जा सकती। हालांकि उद्योग और राजकीय उपक्रम यह दोनों राज्य की आय के लिए रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए लेकिन वह नहीं हो कर घाटे का सौदा बन गये हैं। हमें इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों है। मैं सोचती हूं कि इसके दो तीन कारण हो सकते हैं। एक तो हमें हमारी पालिसी में भी कुछ फर्क लाना पड़ेगा। हमारी जो व्यवस्था है उसमें भी सुधार किया जाना चाहिए। तीसरे जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है उसको भी मजबूत बनाना चाहिए।

सभापति महोदय, जहां तक उद्योग का सवाल है इन्फ्रास्ट्रक्चर के मामले में राजस्थान पिछड़ा हुआ है। जो हमें कोयले का और स्टील का कोटा मिले उसी के अनुपात में उसकी बढ़त की जानी चाहिए। एक तो राज्य सरकार को चाहिए कि सेन्टर से ज्यादा से ज्यादा हम स्टील और कोयले का कोटा लें। दूसरे एक और नये उद्योग चल रहे हैं और दूसरी ओर पावर का कट हो रहा है। नयी इन्डस्ट्रीज जो कायम हो रही हैं उनके ऊपर यह कट आने की वजह से नये उद्योग वहां के वहीं ही रह जाते हैं और आगे नहीं बढ़ सकते हैं। भविष्य में कभी यदि पावर कट आये तो मेरा सुझाव है कि जो नये उद्योग हों, कम से कम तीन साल पुराने वालों को ले लें, उनके ऊपर पावर कट नहीं होना चाहिये। जो पुराने उद्योग हैं यदि उनके ऊपर पावर कट होगा तो उनको वह संभाल सकेंगे और पावर कट को झेल सकेंगे। जैसे बड़ा वृक्ष है कुछ दिन यदि उसको पानी नहीं मिले तो वह चल सकता है लेकिन छोटा पौधा होता है तो उसे एक दिन भी पानी नहीं मिलेगा तो वह कुम्हला जाता है। हमें इस दृष्टि से ही देखना चाहिये।

दूसरे जहां तक राजकीय उपक्रम का सवाल है वहां दो तीन बातें विशेष तौर से हैं। एक तो जो उनके हैड होते हैं उनका जल्दी जल्दी तबादला हो जाता है। आई. ए. एस. आफिसर्स होते हैं उनके हैड उनका जल्दी जल्दी तबादला हो जाता है। होना यह चाहिये कि जो लोग ऐसे कामों में लिये जायें वह वही लिये जायं जो कि बिजनेस का ज्ञान रखते हों और उसमें उनका रुझान हो। मैं आई.ए.एस. या आर.ए.एस. के खिलाफ नहीं हूं लेकिन मैं यह कहना चाहती हूं कि जिनको विशेष रुझान हो ऐसे व्यक्तियों को हैड बना कर ऐसे उपक्रमों में लगाया जाना चाहिए। कुछ

(११५)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

दिनों काम करते हैं और फिर तबादला हो जाता है। उपक्रम के साथ जो उनका अपनत्व होना चाहिए वह अपनत्व नहीं बैठ सकता। जब कि प्राइवेट उद्योग होते हैं उनमें आदमी जम कर रहता है तो उसका अपनत्व हो जाता है। जिस किसी को भी उपक्रम में हैड की जगह लगाया जाये उसका भविष्य भी उपक्रम के साथ जुड़ जाना चाहिये। जो सक्सेसफुली चला सकें, नफे में चला सकें, इसी के आधार पर उनका भविष्य जोड़ा जाना चाहिए ताकि एक लगन के साथ इसको अपना मान कर करें। लेकिन जो आफिसर्स वहां आते हैं वह आज तो वहां हैं और कल तबादला हो जायेगा और दूसरी जगह चले जायेंगे। अधिकारी उस मामले को, बिजनेस को पूरा समझ ही नहीं पाता है उसके पहले ही उसका तबादला हो जाता है। इसलिए उनकी तरक्की उस के काम के साथ जोड़ी जानी चाहिए।

यों तो, सभापति महोदय, विषय लम्बा है लेकिन थोड़े थोड़े में मैं सारी बातें कहना चाहूंगी।

सभापति महोदय, अभी रोडवेज के सम्बन्ध में सभी माननीय सदस्यों ने चिन्ता जाहिर की। चिन्ता जाहिर करने का कारण भी है क्योंकि वह घाटे में चल रहा है। सवाल यह आता है कि यह घाटे में क्यों चल रही है? इसके ऊपर एक दफा बैठ कर पूरा विचार किया जाना चाहिए। अभी एक माननीय सदस्य ने इसके एक दो कारण बताये, एक तो कर्मचारियों को आने जाने की सुविधा जरूर मिलती है, उनके परिवार वालों को भी मुफ्त में ट्रेवल करने की सुविधा दी गयी है। सभापति महोदय, आपने भी कहा था कि 25 पैसेन्जर्स को टिकट कन्डक्टर यदि नहीं दे और बिना टिकट के ले जाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। मैं सोचती हूं कि घाटे का एक कारण यह नहीं है। मेरे विचार में कर्मचारियों को इस प्रकार की रियायतें मिलनी चाहिएं। अगर आप अपने कर्मचारियों को अच्छी तरह से ट्रीटमेंट नहीं देंगे, उनको रियायतें नहीं देंगे तो वह उतना ही बदले में काम नहीं करेंगे लेकिन, सभापति महोदय, साथ ही यह भी होना चाहिए कि वह कर्मचारी पूरे तन मन से काम करें, अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह से निभायें। उनसे पूरा का पूरा काम लिया जाना चाहिए, जब हम इतनी रियायतें देते हैं तो हमें और बातों की ओर भी नजर डालनी पड़ेगी। जैसे बसें है वह इतनी गन्दी होती हैं, पीछे बैठने की जगह इतनी गन्दी होती है कि कोई भला आदमी पांव रखना पसन्द नहीं करता है। इतनी रियायतें देने के बाद जब बसों की हालत देखते हैं तो बुरा लगता है।

सभापति महोदय, आपने 25 पैसेन्जर्स बिना टिकट ले जाने वाली बात कही। मेरा निवेदन है कि यह रियायत इस कारण से की गयी है कि एक स्टेशन के ऊपर कन्डक्टर पैसेन्जर्स को टिकट काटता है। कई छोटे छोटे स्टेशनों पर काफी लोग आ जाते हैं। अगर 25 टिकट बस रोक कर काटे तो उसमें आधा पौन घन्टा लग सकता है। मेरा ख्याल है कि यह रियायत इसलिये दी गई है कि बस में बैठे बैठे वह 25 पैसेन्जर्स के टिकट काट सके और उस अर्से में कोई जांच करने के लिए आए तो कोई कार्यवाही नहीं हो।

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

सभापति महोदय, हमारी बसें घाटे में चल रही हैं उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बसों की कमी है। जितने पैसेन्जर्स हैं उनके हिसाब से जितनी बसें रूट पर होनी चाहिए वह नहीं चलती हैं। दूसरा कारण यह है कि बसों की हालत खराब है। वह खराब पड़ी रहती हैं। सबसे बड़ा पाइन्ट यह है कि हमारी बसें खराब स्थिति में रहती हैं। कुछ दिनों तो काम ठीक करती हैं और फिर उनकी मशीनरी खराब हो जाती है। फिर उनको जंग लगती रहती है। इसके लिए जरूरी है कि बसों को अच्छी हालत में रखा जाये। इसके लिए जिम्मेदारी वर्कशाप की आती है। वर्कशाप के अन्दर घोर अव्यवस्था है। वहां से सामान पिलफरेज होता है। 50 हजार या 75 हजार का सामान वहां से पिलफरेज होता है। बहुत बड़ी तादाद में वह सामान वर्कशाप से जाता है और बसों को बिलकुल सही हालत में नहीं किया जाता है।

दूसरा कारण घाटे का यह है कि ड्राइवरों के ऊपर बसों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। बस के ऊपर आज एक ड्राइवर है तो कल दूसरा ड्राइवर। जैसे प्राइवेट बस वाले ड्राइवर बस को अपनी समझते हैं उसी तरह से रोडवेज के ड्राइवर बस को अपनी नहीं समझते। उनका काम है बस चलाना और छोड़ देना। सभापति महोदय मैं यह कहना चाहूंगी, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि बसों से ड्राइवर जुड़े होने चाहियें जिनके ऊपर बस की सफाई की और उसकी मशीनरी की व्यवस्था की जिम्मेदारी हो। मेरा ख्याल है कि यह भी कारण है। बसों के घाटे में चलने का यह भी कारण है कि जब पार्ट्स की खरीद की जाती है तब काफी महंगे सामान के लिये पैसे चुकाने पड़ते हैं। व्यापारी इसलिए पैसे ज्यादा लेता है कि पैमेण्ट वक्त पर नहीं होता। ब्यूरोक्रेटिक ढंग काम होता है, तुरन्त सामान खरीदा और पैमेण्ट नहीं किया। हर काम ब्यूरोक्रेसी के ढंग से होने की वजह से, विभाग की तरह से काम होने से और कारपोरेशन की तरह से काम नहीं होने के कारण रोडवेज को घाटा होता है। इसको सिम्पलीफाई किया जाये और ब्यूरोक्रेटिक ढंग से नहीं करके आसानी से किया जाये।

मैं एक यह बात सोचती हूं कि जो बसें अनुबन्धित की गयी हैं वह अच्छी तरह से चलती हैं, वक्त पर चलती हैं और उनकी स्थिति अच्छी है। उनका किराया भी रोडवेज काफी देती है फिर कारपोरेशन की जो बसें हैं वह अच्छी क्यों नहीं चल पाती हैं। जब आप उनको डबल किराया देकर चलाते हैं तो आप अपने विभाग की बसों को अच्छे ढंग से क्यों नहीं चलाते हैं? मैं समझती हूं कि राजस्थान में ठीक ढंग की बसें हों तो सुपर डीलक्स बसों की, जो कि जयपुर और दिल्ली के बीच में चलती हैं, हालत अच्छी हो। इस समय राजस्थान में जो रोडवेज की बसें हैं उनकी व्यवस्था बहुत ही खराब है। इतनी धांधली ड्राइवर्स करते हैं कि छोटी-छोटी जगह रोक लेते हैं। अनेक प्रकार की शिकायतें हैं।

मैं दूसरा पहलू भी राजस्थान रोडवेज का रखना चाहती हूं। राजकीय उपक्रम में जो रूट्स हैं वह 40 प्रतिशत हैं। एक आध प्रतिशत कम ज्यादा होगा, 60 प्रतिशत रूट्स प्राइवेट बसों के नीचे हैं किन्तु जो पैसेन्जर

(116)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

टैक्स मिलता है वह 80 प्रतिशत राजस्थान रोडवेज के द्वारा मिलता है जब कि उसके पास 40 प्रतिशत से भी कम रूट्स हैं। 60% रूट्स प्राइवेट बसों के नीचे होते हुए भी सरकार को जो पैसेन्जर टैक्स मिलता है वह मुश्किल से 20 प्रतिशत है। हमारी सरकार को इस बात को देखना चाहिये कि प्राइवेट बसों के पास इतने रूट होते हुए भी सरकार को इतनी आमदनी क्यों नहीं होती है ? चोरियां होती हैं तो चोरियों को रोकने की व्यवस्था की जानी चाहिये। जहां राजस्थान रोडवेज 4 करोड़ का घाटा दे रहा है वहां दूसरी तरफ 14 करोड़ की टैक्स के रूप में आमदनी भी दे रहा है। यह भी एक नजरिया है जिसको देखना है। सिटी बस के बारे में कहना चाहती हूँ, सिटी बस बहुत घाटा दे रही है। एस्टीमेट्स कमेटी ने कई राज्यों का दौरा किया है वहां पर भी यही मिला कि करीब सारे शहरों की सिटी बसेज घाटे में चल रही हैं। यूरोप में भी इस तरह की बसें घाटे में चलती हैं उनको सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है। सभापति महोदय, हमारे यहां की सिटी बसेज में इतना घाटा होने का कारण उसके चलाने में बदइन्तजामी है। बम्बई में हम देखते हैं लाखों लोगों को बसें ले जाती हैं। समय पर जाती हैं। लेकिन जयपुर में हालत यह है कि यहां घण्टों खड़े रहो, बस नहीं मिलेगी। या तो बसें खड़ी रहती हैं, स्टेशन के पास देखती हूं लाइन की लाइन बसें खड़ी रहती हैं, या बसें मिलती नहीं हैं। इन सारे मामलों में हमारे राजस्थान रोडवेज के दो पहलू हैं उन पर विचार किया जाना चाहिये और जो कुव्यवस्था हो रही है उसे दूर किया जाना चाहिये।

दो मिनट में और निवेदन करना चाहती हूं। मैं जानती हूं समय कम है, जल्दी-जल्दी में बोल नहीं पा रही हूं।

एक मिनट में मैं राजस्थान एम्पोरियम की ओर ध्यान दिलाना चाहती हूँ। उससे मेरा निकट से वर्षों तक सम्बन्ध रहा है। पिछले तीन वर्षों में जनता पार्टी के राज में एम्पोरियम की दुर्दशा हुई है, इसका मुझे बड़ा दुःख है। एम्पोरियम की स्थापना इसलिये की गई थी कि लोकल कलाकार को सहयोग मिल सके। उनका सामान खरीदा जा सके और उनके सामान को बेचा जा सके। इस उद्देश्य के साथ इसकी स्थापना हुई थी। जनता पार्टी के राज में यह सब कुछ खतम हो गया। वह साधारण एक दुकान मात्र, जैसी दूसरी दुकानें हैं, रह गया है। इसको जिन असली मकसद से शुरू किया गया था उसको पूरा किया जाय।

एक छोटा सा सुझाव और रखना चाहूंगी। क्यों न हम राजस्थान में हैण्डीक्राफ्ट के लिये एक मार्केटिंग और एक्सपोर्ट कार्पोरेशन की स्थापना करें ताकि मिडिल मैन नहीं हों और हम अपना सामान बाहर भेज सकें। रोजाना लाखों रुपयों का माल एक्सपोर्ट होता है। बिचोलिये की वजह से लोकल कलाकारों को काम करने का फायदा नहीं मिलता। सरकार कार्पोरेशन की स्थापना करे ताकि कलाकारों को प्रोत्साहन मिले और इन्टीरियर के अन्दर जो माल बाहर मार्केट नहीं कर सकते उनसे खरीद करके माल एक्सपोर्ट करे।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री अनंग कुमार ।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : सभापति महोदय, उद्योग की दृष्टि से राजस्थान पूरा पिछड़ा हुआ है । विशेष रूप से उन जिलों के बारे में बात करना चाहता हूं जो सरकार द्वारा पिछड़े हुए जिले घोषित किये गये हैं । झालावाड़ जिला मेरा विधान सभा क्षेत्र है इस जिले के अन्तर्गत उद्योग की दृष्टि से काफी उद्योग खोले जा सकते हैं

(4.164.4.)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत, सभापति, पदासीन)

लेकिन सरकार की ओर से उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और न उद्योग स्थापित हुए हैं । झालावाड़ जिले के अन्दर भवानी-मण्डी में राजस्थान टैक्सटाइल की यूनिट है अपने झालावाड़ में यूनिट डालना चाहा लेकिन सरकार की ओर से कोई सहयोग नहीं दिया गया। कई बार सरकार से निवेदन भी किया गया पर सरकार की ओर से यूनिट डालने के लिये कोई सहयोग प्रदान नहीं किया गया । सरकार से निवेदन करूंगा कि झालावाड़ जिले में कोई यूनिट डालना चाहे, कोई उद्योग स्थापित करना चाहे तो सरकार का सहयोग मिलना चाहिये विशेष सुविधायें प्रदान की जानी चाहियें। विशेष रूप से लघु उद्योग की दृष्टि से कोई भी आइटम हो, जिसकी राजस्थान में, हिन्दुस्तान में बड़ी कमी है जैसे मोम-वगैरह, उदाहरण के रूप में बता रहा हूं । इस तरह की जो चीजें बनाते हैं ऐसे लोगों को उद्योग लगाने के लिये राजस्थान सरकार से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि उनके लाइसेंस पिछड़े जिलों के लिये स्वीकृत किये जायें ताकि पिछड़े जिलों में उद्योग स्थापित किये जा सकें ।

सभापति महोदय, दूसरी बात, पिछड़े हुए जिले रेलवे लाइन से जुड़े हुए नहीं हैं जिसके कारण उद्योगपति उन जिलों में उद्योग स्थापित करने के लिये उत्साहित नहीं होते हैं । झालावाड़ जिला रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ नहीं है। झालावाड़ रोड नाम का रेलवे स्टेशन है, वह 27 किलोमीटर की दूरी पर है । सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, यद्यपि यह मांग आज की मांग से सम्बन्धित नहीं है, लेकिन यह जिले के विकास के लिये बहुत महत्वपूर्ण है, औद्योगिक विकास के लिये महत्वपूर्ण है इसलिये भारत सरकार पर दबाव डालें कि झालावाड़ को रेलवे लाइन से जोड़ा जाये ।

जहां तक खनिज का संबंध है झालावाड़ जिले के अन्दर पत्थर से सम्बन्धित काफी खानें हैं । विशेष रूप से, जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया था, खनिज विभाग की ओर से जब रायल्टी जमा कराने पर पट्टा जारी कर दिया जाता है उसके बाद पत्रावली वन विभाग के पास भेजी जाती है, उनसे परमिशन ली जाती है । परमिशन भी दी जाती है तो रिश्वत ली जाती है । बिना रिश्वत के परमिशन नहीं मिलती । झालावाड़ जिले में 15, 20 मामलों में पैसे लेकर वन विभाग द्वारा परमिशन दी गई । ऐसे मामले में डी.एफ.ओ. को जनता सरकार ने सस्पेंड किया गया था । इस सरकार द्वारा उस अधिकारी को वापस बहाल किया जा रहा है । सभापति महोदय, आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी भ्रष्ट अधिकारी है सरकार को उसके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये। इसके अतिरिक्त खनिज विभाग और

(श्री अनंग कुमार जैन)

वन विभाग के बीच सामंजस्य नहीं है पैसा जमा करा कर के भी फायदा नहीं उठा पाते हैं, उसके लिये विशेष रूप से निवेदन करूंगा कि खनिज विभाग को सक्षम कर देना चाहिये। पैसा जमा करा दें तो वन विभाग से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये।

इसके अलावा, सभापति महोदय, राजस्थान पथ परिवहन निगम की बसों की हालत बहुत ही चिन्ताजनक है। राजस्थान रोडवेज की जो बसें चलती हैं उनमें से 90 प्रतिशत ऐसी बसें हैं जिनमें आदमी बैठता है तो जान को जोखम में डाल कर बैठता है। पता नहीं कि गन्तव्य स्थान पर पहुंच पायेगा अथवा नहीं। विशेष रूप से जो इन्टीरियर में बसें चलती हैं उनमें सीटों की व्यवस्था नहीं है, खिड़कियों की व्यवस्था नहीं है, कन्डक्टर चाहे तो 6 घन्टे बस को रोक सकता है। ड्राइवर चाहे तो दो घटे बस को रोक सकता है। जो बस दो घन्टे में किसी स्थान पर पहुंचती है वह 6-6 घन्टे में पहुंचती है, झालावाड़ जिला रोडवेज की दृष्टि से पूर्ण रूप से राष्ट्रीयकृत है। जितने भी मार्ग हैं उन पर राजस्थान रोडवेज की बसें चलती हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से विशेष रूप से निवेदन करूंगा जिस समय झालावाड़ जिले के मार्ग राष्ट्रीयकृत किये गये थे उस समय जनता ने यह सोचा था कि जनता को सुख-सुविधा प्रदान की जायगी लेकिन, माननीय सभापति महोदय, वह सुख सुविधा प्रदान करना तो दूर रहा 40 पर्सेन्ट मार्गों पर रोडवेज की बसें नहीं चलती हैं और जिन पर चलती हैं उन पर यह हालत है कि दो घण्टे की जगह 6 घण्टे, 8 घण्टे में बस पहुंचती है। और यह भी पता नहीं रहता है कि सुरक्षित तो पहुंच जायेगी। इसलिए इस बात की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

जो घाटा है, उसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं तीन वर्ष से रोडवेज ने एटक यूनियन को मान्यता दी है। उसके 700 कर्मचारी हैं और 700 जगह ही उनके कार्यालय खुले हुए हैं। उनको रोडवेज में हर प्रकार की सुविधा दी गई है। ये 700 कर्मचारी मुफ्त में तनख्वाह लेकर अपने घर बैठे रहते हैं और इधर-उधर घूम कर रोडवेज की बसों को नुकसान पहुंचाते हैं।

सभापति महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं आज रोडवेज की बसों के साथ चार सस्पेन्डेड कन्डक्टर और दो सस्पेन्डेड ड्राइवर चलते हैं। कोई सवारी कोई बात ड्राइवर कन्डक्टर से कहती है तो उस बस का ड्राइवर कन्डक्टर तो कुछ कहता नहीं है चुपचाप बैठा रहता है और साथ चलने वाले कन्डक्टर, ड्राइवर उन सवारियों से लड़ने लग जाते हैं, झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। यह बात कई बार विभागीय अधिकारियों के ध्यान में लाई गई लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती है। इसका कारण है जो रूट्स हैं उन पर डिपोज के मैनेजरों से उनके पैसे बन्धे हुए रहते हैं कि इतने पैसे कमा कर लाओ। जिस प्रकार थाने होते हैं और उनकी बोलियां लगती हैं उसी प्रकार रोडवेज में होता है कि जो जायगा वह इतने पैसे ला कर अवश्य देगा। ऐसी अव्यवस्था से जनता को भारी असुविधा होती है। इसलिए मेरा निवेदन कि इस व्यवस्था को ठीक करना चाहिए यदि नई बसें ले कर

(श्री अनंग कुमार जैन)

लगाई जायं तो वह भी लगाई जानी चाहिए ताकि जो राष्ट्रीयकरण का हमारा उद्देश्य था वह पूरा हो सके और सरकार की अच्छी छवि जनता के सामने आ सके।

श्री सभापति : श्री रामनारायण।

श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा) : सभापति महोदया, मैंने भी कट मोशन दिये हैं। आज इस प्रदेश में उद्योग, खनिज और राजकीय उपक्रम इन सभी को जब हम देखते हैं तो, सभापति महोदया, हमें यह मानना पड़ेगा कि राजस्थान प्राकृतिक सम्पदाओं से बड़ा धनवान है। मगर सारी प्राकृतिक सम्पदाओं के होते हुए भी आज हमारे प्रदेश का बजट घाटे के आधार पर चल रहा है। सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान का एक मास्टर प्लान बना कर जितनी भी हमारे यहां प्राकृतिक सम्पदाएं हैं उनके आधार पर उद्योग स्थापित किये जायं ताकि हमें जो कच्चा माल उपलब्ध हो उससे हमारे प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार मिले और हमारे राजस्थान का विकास होगा। ऐसा एक निगम बना कर चलना होगा।

सभापति महोदया, राजस्थान के अन्दर किस प्रकार का सर्वे हुआ है यह तो हमें मालूम नहीं है लेकिन भू–गर्भ में कितना कोयला छिपा है और कितनी और चीजें छिपी हैं इसका ज्ञान आज जन साधारण को नहीं हुआ है। मेड़ता के पास एक खान खोदी गई तो कोयले का विपुल भण्डार पाया गया। तो हमें इस बात पर सोचना पड़ेगा कि राजस्थान का पुनः पूर्ण सर्वे करना चाहिये ताकि जहां जहां खनिज सम्पदा के भण्डार छिपे हैं, उनको निकाला जा सके। सभापति महोदया, इसी के आधार पर आज जितने भी चूने के भण्डार पड़े हैं–मेरे क्षेत्र बिलाड़ा में बोरूंदा, रणसी गांव, हरियाढ़ा, घर्ना की पूरी की पूरी बेल्ट में लाइम स्टोन भरा पड़ा है वहां का लाइन स्टोन एक तरफ तो कोटा जाता है दूसरी तरफ कलकत्ता, बम्बई जाता है मगर यहां पर किसी प्रकार का उद्योग या मिनी प्लान्ट नहीं लगा सके। सभापति महोदया, आज जरूरत इस बात की है कि उनके उद्योग लगा कर वहां की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते। जब इतनी दूर जाकर वहां उद्योग लगाया जाता है और वहां के लोगों को मुनाफा दे सकता है तो हमारे यहां तो निश्चित रूप से उसका अधिक फायदा मिलता। हमारे यहां पानी की सुविधा है, बिजली की सुविधा है और लगाने का प्रस्ताव भी था मगर सीमेन्ट प्लान्ट बिलाड़ा में न लगा कर राजनैतिक कारणों से पता नहीं कहां ले गये। मैं, सभापति महोदया, निवेदन करूंगा बिलाड़ा में जो सीमेन्ट प्लान्ट लगाने की योजना थी उस पर पुनः विचार कर के इस उद्योग को वहीं स्थापित किया जाय। साथ ही साथ यह भी निवेदन करूंगा कि राजस्थान का उद्योग विकसित क्यों नहीं हुआ? इसके कारण हैं राजस्थान में रेलवे की ब्राड गेज लाइनें नहीं हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान सरकार से कि हमें इस बात की कोशिश करनी होगी और केन्द्रीय सरकार से कहना होगा कि राजस्थान को ब्राड गेज की लाइनें दी जायं ताकि हम हमारी प्राकृतिक सम्पदा का विकास कर सकें। प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो हमारे प्रदेश

(श्री रामनारायण डूडी)

को ब्राड गेज की लाइनों से जोड़ना होगा। राजस्थान के उद्योगपतियों ने कलकत्ता, मद्रास, आसाम और न जाने कहां कहां पर और देश के बाहर जा कर उद्योग स्थापित करके उनको योगदान दिया है। हमें आश्चर्य है कि हम उन्हें समुचित व्यवस्था न दे सके जिससे वे यहां आने में असमर्थ रहे। राजस्थान सरकार यह व्यवस्था करे कि जहां जहां माइनिंग की खानें हैं वहां कम से कम रेलवे की ब्राड गेज की लाइनें लाई जायें व माइनिंग की खानों को कम से कम सड़कों से जोड़ा जाय। आज हर आदमी रेलवे लाइनों के पास अपने उद्योगों को स्थापित करना चाहता है।

सभापति महोदया, आज इस बात की भी आवश्यकता है कि खनन के जो पट्टे 50 साल पुराने मालिकों को दिये गये है, उनको बदला जाय। 50–50 साल से वे मालिक बनते आये हैं। हमारा लक्ष्य विकेन्द्रीकरण की ओर होना चाहिए न कि केन्द्रीकरण की ओर। मैं निवेदन करना चाहता हूं जो 50–50 साल से खनन में अपना हक जमाये बैठे हैं, उनको पुनः आवंटन करना चाहिये और नये सिरे से उनका वितरण करना चाहिये। मेरा यह भी निवेदन है कि राजस्थान के जो बेरोजगार हैं उनको पट्टे दिये जायें ताकि उनका जो रुझान काम को करने का हो उससे प्रदेश प्रगति करे।

सभापति महोदया, जब हम राजकीय उपक्रम की तरफ जाते है तो देखते हैं कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में जो छोटी छोटी बातें हैं उनको लेकर काफी घाटा होता है। हम हमेशा देखते हैं कि रोडवेज की बसें मार्ग में खड़ी हैं। जब हम पूछते हैं तो जवाब मिलता है पंक्चर हो गया है। आज रोडवेज की हालत यह है कि स्टेपनी है तो जैक नहीं है, जैक है तो पाना नहीं है। इस प्रकार की अव्यवस्थायें हम हमेशा देखते हैं। कहीं त्रिपाल की व्यवस्था नहीं है तो कहीं टायरों की व्यवस्था नहीं है। अधिकारियों से पूछते हैं तो कहते हैं हम पर विश्वास नहीं किया जाता है। तो मेरा निवेदन है हमारे निगम में जितने अधिकारी लोग हैं उनको विश्वास में ले कर चलना होगा। सभापति महोदया, छोटी छोटी बातों के लिए हम कहते हैं, रोडवेज के अन्दर शिकायत पुस्तिका है। मैंने तो कभी कोई शिकायत की पुस्तिका मांगी तो नहीं दी गई। फर्स्ट ऐड बॉक्स में कोई किसी तरह की दवायें नहीं। जो साधारण और छोटी दवाइयां होती हैं वे कन्डक्टर को फ्री दी जाती हैं लेकिन वह भी उनके पास कभी नहीं मिल पाती हैं। त्रिपाल, स्टेपनी, पाना, छोटी-छोटी दवाइयां आदि ऐसी छोटी-मोटी चीजें हैं जिन पर ध्यान देने की ज्यादा आवश्यकता है। तो, सभापति महोदया, यह जो बातें हैं, जो बहुत छोटे छोटे कारण हैं वह बहुत महत्वपूर्ण हैं।

सभापति महोदया, मैं निगम के अधिकारियों का इस ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और राज्य सरकार का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि एक प्राइवेट बस का मालिक तो 10 बसें बना लेता है, पिछले चार पांच साल में मगर हमारा निगम बहुत ही घाटे में चल रहा है। इसका केवल कारण यह है कि हम उस की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

साथ ही, सभापति महोदया, सिटी बस का यह हाल हम देखते हैं कि आज भी सिटी बसें

(श्री रामनारायण डूंडी)
केवल उच्चाधिकारियों के 10-10 बच्चों को, ले जाती हैं जो केवल 7 रुपये मासिक दे रहे हैं। मुझे कोई एतराज नहीं कि उनका सात रुपया है, मगर इससे हमें हानि होती है। केवल इसलिये एक बस तीन नम्बर खा जाती है, इस प्रकार जो घाटा हो रहा, इसको रोका जाना चाहिए। यदि नहीं चलती है तो जब एक बस का मालिक 10 बसें खरीद सकता है, बनिये का एक पैसा रुक जाता है, खराब हो जाता है तो वह उस मुनीम को हटा देता है तो हमें जरूरत क्या है ऐसे निगम की जहां करोड़ों रुपये का घाटा हो रहा है। लाभ यह नहीं दे सकता तो, सभापति महोदय, मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि रोडवेज का इस प्रकार का जो घाटा कई साल से पूरा नहीं हो रहा है, कई बसें बंद पड़ी हैं तो या तो उनको ठीक कराया जाय या इस प्रकार की व्यवस्था को हटा देना चाहिए। सदन में रोज इस बात को लेकर हो हल्ला होता है इसके लिये अधिकारियों को पूर्ण सचेत किया जाय और उनको ठीक तरीके से काम में लाया जाय। मैं इतना ही निवेदन करूंगा।

श्री सभापति : श्री मेघराज।

एक माननीय सदस्य : वे तो बोल चुके हैं।

श्री सभापति : श्री छोगालाल।

श्री छोगा राम बाकोलिया (रेवदर) : सभापति महोदया, छोगाराम बाकोलिया है मेरा नाम तो। छोगा लाल तो चले गये।

श्री सभापति : श्री सूर्य कुमार।

श्री छोगा राम बाकोलिया : सभापति महोदया, नाम तो, नम्बर तो मेरा ही है, दुबारा मत बोलिये।

श्री सभापति : आपका नाम है ?

श्री छोगा राम बाकोलिया : आप हुक्म दें तो बोलूं। उसमें थोड़ा सा संशोधन कर दें।

श्री सभापति: आप बोलिये।

श्री छोगा राम बाकोलिया : माननीय सभापति महोदया, मैं सिरोही जिले के बारे में खनिज और इण्डस्ट्रीज के विषय में कुछ अपने विचार रखना चाहता हूं। मेरा सिरोही डिस्ट्रिक्ट खनिज के मामले में समृद्ध है, खनिज वहां पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं फिर भी उनके ऊपर कोई विशेष तरीके से ध्यान नहीं दिया गया है। इसमें खास तौर से वाल्सनाइट, केलसाइट और कापर, लैड आदि की प्रचुर मात्रा में खानें हैं। इसके साथ साथ मारबल भी काफी अच्छी मात्रा में मिलता है किन्तु कोई सुव्यवस्थित तरीके से डवलपमेन्ट का मिनरल डिपार्टमेन्ट की तरफ से कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। आपको मालूम होगा, सभापति महोदया, वाल्सनाइट की इण्डिया में केवल मात्र एक ही खान है, और पूरे संसार में तीन जगह है, एक केवल मात्र भारत के अन्दर पिंडवारा के अन्दर फैक्ट्री चल रही है, उसमें जितना भी लाभ होता है, वह सारा केवल मात्र एक आदमी को जाता है। सोचता हूँ कि यदि राजस्थान सरकार इसको रीको के माध्यम से चलाएगी तो हो सकता है कि राजस्थान को इसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। क्योंकि यह

(श्री छोगाराम बाकोलिया)

मोनोपोली बिजनेस है और केवल मात्र एक ही खान है। इसलिए चाहूंगा कि इसको रीको के माध्यम से ग्रापरेट किया जाय। इसके साथ साथ मारबल की जो खानें हैं जैसे बिड़ला कन्सर्न ने ले रखी है, रेवदर तहसील के अन्दर, कई सालों से और वहां से जो मारबल प्राप्त होता है, वह बहुत अच्छा है किन्तु वहां पर उन्होंने कोई इन्डस्ट्री डवलप नहीं की है और मारबल बाहर ले जाकर कहीं और उसकी घिसाई करते हैं और मारबल का सारा काम दूसरी जगह होता है। मैं सोचता हूं कि सिरोही इस मामले में बैकवर्ड है जिन्होंने भी इस मामले में लीज ले रखी है उनको थोड़ा वहीं इन्डस्ट्रीज स्थापित करने के मामले में जरूर कहें। रेवदर में इन्डस्ट्रीज का डवलपमेन्ट हो सकता है, स्थान उचित रहेगा। सिरोही जिले में अभी तक इन्डस्ट्रीज डवलप्ड नहीं हैं। अतः मैं चाहता हूं कि कई सारी इण्डस्ट्रीज, बीड़ी की इन्डस्ट्रीज हैं और गत्ते की इन्डस्ट्रीज खोल सकते हैं और कई तरीके की इन्डस्ट्रीज हैं, वे डवलप हो सकती हैं लेकिन अभी तक कोई भी तरीके से रीको की तरफ से इन्डस्ट्रियलिस्ट को इतना प्रोत्साहित नहीं किया गया है कि वह सिरोही के अन्दर इन्डस्ट्रीज खोल सकें। मैं चाहता हूं कि मेग्जीमम इन्डस्ट्रीज सिरोही के अन्दर खोल दी जायें तो सिरोही डिस्ट्रिक्ट का डवलपमेन्ट हो सकता है। इसके लिए मेरा सुझाव है कि एक ग्राई. टी. ग्राई. का केन्द्र सिरोही में खोला जाय, जो कि आबू रोड के अन्दर बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है और वहां के लोग काफी सुविधा मिलने से ट्रेंड हो जायेंगे और सिरोही जिले के अन्दर अच्छे तरीके से इन्डस्ट्रीज खोल सकते हैं।

इसके अलावा यहां पर सीमेन्ट फैक्ट्री के 3 जगह अभी प्लान्ट चल रहे हैं, पिंडवाड़ा, बनास, मोरयला। लेकिन अभी तक इसका खास तौर पर डवलपमेन्ट नहीं हुआ है जिसके कारण यह है कि यहां पर ब्राड गेज की लाइन अभी तक नहीं डाली गयी है क्योंकि जब इनके प्लान्ट ग्रापरेट होंगे, तो ब्रोड गेज के न होने के कारण सीमेन्ट फैक्ट्री के सीमेन्ट को जो बाहर ले जाना चाहिए, वह काफी डवलप नहीं कर पा रहे हैं। कारण प्रोडक्टेड सीमेन्ट ब्लाक हो जायेगी। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार से निवेदन करे कि जल्दी से जल्दी एक ब्रोड गेज की लाइन बिछायी जाय ताकि ये इन्हें सीमेन्ट फैक्ट्री की तुरन्त कार्यवाही कर सकें और सीमेन्ट बाहर भेज सकें।

इसके साथ साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन सीमेन्ट फैक्ट्रीज का जो अभी उन्होंने रा मेटीरियल इकट्ठा करना शुरू कर दिया गया है लेकिन बिजली के अभाव में हो सकता है जल्दी से उनका उत्पादन शुरू न कर सकें तो इसके लिए आप 220 के. वी. लाइन का जो प्रयोजन है, जो पास हो चुका है और जो केबिसन स्कीम है जिसका पैटर्न स्वीकृत हो चुका है तो तुरन्त राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को आदेश देकर बिजली से निर्माण करना शुरू करें ताकि 220 किलोवाट का सब स्टेशन है ग्रिड सब स्टेशन सिरोही के अन्दर बन सके जल्दी और इसके लिए मेटीरियल सिक्योरमेन्ट तो हो रहा है, इसके ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा

(श्री छोगाराम बाकोलिया)

कि इसको प्रायोरिटी बेसिस पर लिया जाय और जो सीमेन्ट की राजस्थान के अन्दर और भारत के अन्दर जो कमी हो रही है उससे काफी कुछ छुटकारा पा सकें। ये कोई छोटी मोटी सीमेन्ट फैक्ट्री नहीं हैं, बहुत बड़ी सीमेन्ट फैक्ट्रीज हैं।

सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अन्दर अगर डेवलप हो जायें तो यह सरकार की सबसे बड़ी फैक्ट्री है और इसके साथ ही टंगस्टन की मिनरल्स के लिए प्रचुर मात्रा में मिनरल में मिल रहा है। इसके लिए शीघ्र इसका सर्वे कराया जाय कि कितनी क्वान्टिटी में प्राप्त हो रहा है और इसको आर. एम डी. सी. से रीको के माध्यम से अण्डरटेक किया जाय या भारत सरकार इस को हाथ में ले कर शीघ्र इसको किया जाय।

इसके साथ साथ में कोपर माइन्स के अभी जो हमारे यहां रा मेटीरियल्स मिल रहे हैं उनको खेतड़ी प्रोजेक्ट ले जा कर रिफाइन्ड किया जाता है। मैं सोचता हूं कि कॉपर लेड और जिंक की जो भी अवेलेबिलिटी है उसके लिए यहीं पर रिफाइनरी होनी चाहिए, हम यहीं पर साधन जुटा कर रिफाइन करें ताकि सिरोही डिस्ट्रिक्ट में ही इसकी इण्डस्ट्रीज का डवलपमेन्ट हो सके। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह।

श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह (गुढ़ा): माननीय सभापति महोदया, आज खनिज पर आधारित उद्योगों का राजस्थान में बहुत ही अच्छा भविष्य है परन्तु उसका पूरा सदुपयोग नहीं हो रहा है। उसके लिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में जो खनिज की प्रचुर सम्पदा है उसका भरपूर उपयोग किया जावे। उसके बारे में मेरे कई सुझाव हैं। मेरा निवेदन है कि हमारे झुंझुनू, सीकर में कोपर, फास्फेट और लाइम स्टोन के प्रचुर भण्डार हैं। उनके ऊपर आधारित मिनी सीमेंट प्लाण्ट, बड़े सीमेन्ट प्लाण्ट बन सकते हैं। परन्तु कई अड़चनें आती हैं। कुछ अड़चनें तो सरकारी मशीनरी की तरफ से आती हैं। कुछ उनको सैंक्शन समय पर नहीं मिलती हैं। मेरा निवेदन है कि जो प्रक्रिया है उसको सरल बनाया जावे ताकि उन पर आधारित पूरे उद्योग लग सकें और उस क्षेत्र की जो बेरोजगारी है और वहां का जो पिछड़ापन है वह दूर हो। लाइम स्टोन की खानें सीकर क्षेत्र में हैं वहां पर सात आठ साल पहले एक दफा सीमेंट फैक्ट्री लगाने की बिड़ला ग्रुप ने चेष्टा की थी परन्तु बड़ी लाइन नहीं होने की वजह से वहां सीमेन्ट फैक्ट्री नहीं लग सकी थी। इस बारे में मैं माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि नीम का थाना से होकर जो छोटी लाइन जाती है दिल्ली से अहमदाबाद जोड़ती है उसको शीघ्र से प्रस्तावित करा कर बड़ी लाइन में कन्वर्ट करायें ताकि उस क्षेत्र का औद्योगिक विकास हो सके। इससे हमारे क्षेत्र की बेरोजगारी दूर हो सकेगी।

दूसरा खेतड़ी कोपर माइन एक बहुत बड़ा उद्योग लगा हुआ है। उसके अलावा उस पर आधारित कुछ और उद्योग लगाये जावें जिस से हमारे क्षेत्रों में जो फास्फेट वगैरह हैं उनके उद्योग लग सकें।

तीसरा मेरा सुझाव यह है कि हमारे सलादीपुरा में बहुत बड़ी संख्या में राक

(श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह)

फास्फेट है, उसके आधार पर, पहले चर्चा चली थी, वहां पर कारखाना स्थापित होगा परन्तु राजनैतिक षड्यन्त्र के कारण वह अभी तक इसी में फंसा हुआ है कि वह कहां लगे, यह वहां लगे या उदयपुर में लगे। मेरी निश्चित मान्यता है और मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा मंत्रिमण्डल से कि वह कारखाना सलादीपुरा में लगाना चाहिये। मोहम्मद शाह तुगलक की नीतियों के आधार पर वह कारखाना सलादीपुरा में नहीं लग कर अगर उदयपुर में लगता है तो वह सरासर अन-इकानामिकल होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि सलादीपुरा में ही यह कारखाना लगाया जावे जिससे क्षेत्रीय संतुलन बना रहे और लोग-बागों में भी यह धारणा बनी रहे कि मोहम्मद शाह तुगलक की नीतियों की वजह से उदयपुर चला गया। राजनैतिक सामन्जस्य के आधार पर इसे उदयपुर में नहीं लगायें।

तीसरा मेरा निवेदन है कि जो मिनी सीमेंट प्लाण्ट लगने वाले थे उनमें दो तीन की सैंक्शन भी हुई थी लेकिन काम एक भी नहीं हो सका। अब आने वाले समय में हमारी सरकार इन सीमेंट प्लाण्ट्स को डवलप करे ताकि जो प्रदेश में और देश में सीमेंट की समस्या है वह दूर हो सके और जो हमारा देश सीमेंट के मामले में पीछे रह गया है वह आगे हो सके।

माननीय सभापति महोदया, सीमेंट की कमी हमारे देश में बिलकुल नहीं रह सकती। अगर हमारे लाइम स्टोन का पूरा उपयोग हो सके परन्तु किन्हीं कारणों से उसका उपयोग नहीं होता।

तीसरा मेरा निवेदन है कि खनिज सम्पदा को निकालने के लिए पुराने तौर तरीके काम में लिए जाते हैं, उनकी जगह नए तौर तरीके काम में लेने चाहिए जिससे उनका काम समय पर हो सके और कम पैसों से ज्यादा से ज्यादा उपलब्धि हो सके परन्तु क्या कारण है कि हमारे आर. आई. एम. डी. सी. और कई मिनरल डवलपमेंट कार्पोरेशन बने हुए हैं परन्तु वह नहीं चाहते या पता नहीं क्या कारण है कि उस खनिज सम्पदा का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। मेरा निवेदन एक तो यह है कि लाइम स्टोन पर आधारित सीमेंट प्लान्ट हमारे क्षेत्र में लगावें और दूसरा यह जो सलादीपुरा का कारखाना हमारे सीकर, झुंझुनूं क्षेत्र में लगाने का प्रस्ताव था उसको राजनीति में नहीं फंसायें और उसी जगह पर लगायें जिस से हमारे क्षेत्र की सम्पन्नता बढ़े, यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री सूर्य कुमार।

श्री सूर्य कुमार (नैनवा) : आदरणीय सभापति महोदया, मांग संख्या 40 के सम्बन्ध में मैं अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए यह मांग करता हूँ कि बूंदी जिले में एक सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की जावे। मुझे यह कहते हुए बहुत अफसोस है, सभापति महोदया हमारे राजस्थान की औद्योगिक नीति कोई स्पष्ट नीति नहीं होकर एक खिचड़ी नीति है मैं जब खिचड़ी नीति कहता हूँ तो मेरा आशय बहुत सीधा है कि हम लोग लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने की बात भी करते हैं, हम प्राइवेट सैक्टर में उद्योग लगाने

(श्री सूर्य कुमार)

की बात भी करते हैं और पब्लिक सैक्टर में औद्योगिक विकास की बात भी करते हैं। परिणाम इसका यह होता है कि न हम लघु और कुटीर उद्योगों में वांछित उपलब्धियां प्राप्त कर पाते हैं, न ही हम प्राइवेट सैक्टर को उत्साहित कर पाते हैं और न ही पब्लिक सैक्टर में वांछित उपलब्धियां प्राप्त कर पाते हैं। इसका कारण और कुछ नहीं, सभापति महोदया, कारण सीधा है कि हमारा देश एक मिक्स्ड इकानामी की पोलिसी का शिकार है और बूंदी जिला भी खिचड़ी नीति का शिकार होने की वजह से प्रगति नहीं कर पाया है। हर बजट भाषण में यह कहा जाता है, चाहे सरकार कांग्रेस की हो और चाहे सरकार जनता पार्टी की हो, लेकिन कहा यही जाता है कि देश में, राजस्थान प्रदेश में जो प्राकृतिक सम्पदा होगी उसका हम भरपूर उपयोग करेंगे ताकि राजस्थान का और देश का विकास कर सकें। नीति तो तय की जाती है तय करते वही हैं जो राजनैतिक रूप से मंत्रिमंडल में होते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा, सभापति महोदया, हमारी जो सर्विस क्लास है वह कमिटेड नहीं है। हम क्या नीति के रूप में घोषणा करते हैं, क्या हम नीति के रूप में चाहते हैं लेकिन सर्विस क्लास पूरी कमिटेड नहीं है इसलिए हमारी नीतियां केवल कागजों में रह जाती हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, बूंदी जिला जिन्होंने देखा है, वे जानते हैं कि वहां पर्वत मालायें हैं, उनमें विपुल सम्पदा है, पत्थरों की। उन पत्थरों का सर्वेक्षण किया हुआ है। वह पत्थर सीमेंट के बिलकुल योग्य है और जब सीमेंट की मांग है, और देश में, प्रदेश में सीमेंट की कमी है तो यह बिलकुल समझ से परे है, सभापति महोदया, उन पत्थरों को सीमेंट के रूप में परिवर्तित क्यों नहीं किया जाता है? वे कौन से कारण हैं उद्योग विभाग के सामने कि जिनकी वजह से उद्योग विभाग मजबूर है इस सम्बन्ध में न सोचने के लिए? बूंदी जिले में जो पत्थर सीमेन्ट के काम में लिया जा रहा है वहां सीमेंट फैक्ट्री एस्टेब्लिश नहीं की जाकर वहां लोगों को रोजगार नहीं दिया जावे और प्रदेश को और देश को सीमेंट उपलब्ध नहीं करायी जावे, यह समझ से परे है। मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार का और विशेषतः उद्योग मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि समय को हमने गुजार दिया। हिन्दुस्तान की आजादी के इतने वर्षों बाद तक का समय हमने गुजार दिया तो गुजार दिया, कोई बात नहीं। लेकिन मेहरबानी करके अब तो बूंदी जिले के साथ में न्याय करें। बूंदी जिले को भी औद्योगिक नक्शे में कहीं लाने का प्रयास करें और बूंदी जिले में जो प्राकृतिक सम्पदा है, पत्थर की पर्वत मालायें हैं, कहीं नंगी खड़ी हैं तो कहीं हरियाली ओढ़े खड़ी हैं, मेहरबानी करके उन पर्वतमालाओं को, पत्थर को काम में लें और सीमेंट फैक्ट्री एस्टेब्लिश करें ताकि रोजगार उपलब्ध हो सके और बूंदी जिला जो पिछड़ा हुआ है वह प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ सके। मैं इतनी ही बात कह कर अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री सभापति : श्री ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : सभापति महोदया, आज बजट के सम्बन्ध में जिन मांगों पर चर्चा हो रही है, मैं सबसे

(श्री रतनलाल ताम्बी)

पहले राजकीय उपक्रम के मामल में अपने विचार प्रगट करना चाहूंगा। राजस्थान में जो उद्योग राजकीय स्तर पर चलते हैं, प्राइवेट स्तर पर चलते हैं और को-आपरेटिव स्तर पर चलते हैं, इन तीनों को अलग अलग तौर से देखा जावे तो राजकीय उपक्रम की स्थिति बहुत खराब है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने इस प्रश्न पर काफी गम्भीरता से बताया है। मैं सबसे पहले राजस्थान पथ परिवहन निगम के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। इस निगम की जो व्यवस्था है वह अत्यन्त चिन्ताजनक है। राजस्थान का जन जीवन इससे त्रस्त है। चारों ओर जायं रोडवेज के बारे में जनता की नाराजगी प्रकट होती है। एक ओर राष्ट्रीयकरण की बात होती है, राष्ट्रीयकरण की योजनायें प्रकाशित होती हैं और दूसरी ओर जो योजनायें पहले से हाथ में ली हुई हैं उनको भी पर्याप्त तौर से लागू नहीं किया जाता है। यहां तक मैं कह सकता हूं कि निजी क्षेत्र में रोडवेज की जितनी बसें चलती हैं उनके मुकाबले में यह स्कीम लागू होती है तो उसमें से आधी से भी अधिक बसें नहीं चलाई जाती हैं, इससे जनता को ओवर लोडिंग और कई प्रकार की परेशानियां हो जाती हैं। जैसा कि अभी कहा, राजस्थान पथ परिवहन निगम घाटे की स्थिति में चलता है। राजस्थान की जनता गरीब है। इस प्रकार की व्यवस्था और योजना से जो लाभ होना चाहिये उसके बजाय घाटा होता है। दोहरी मार राजस्थान की जनता को भुगतनी पड़ती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं जो स्कीमें आज तक पारित की गई हैं, उनको व्यवस्थित तरीके से चलाने की आवश्यकता है। उस आधार पर बसें चलायी जायें। किन्तु खटोले के रूप में बसें चल रही हैं, जिनकी हालत खराब है, डीजल के अभाव में रास्ते में खड़ी हो जाती हैं। एक दफा मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में जा रहा था, आज की बात नहीं कह रहा हूं, मैं विधायक नहीं था तब की बात कह रहा हूं, जयपुर से जाने वाली बस चाकसू के पास रास्ते में खड़ी हो गई। मैंने कहा कि आप डीजल लेकर नहीं चलते हैं क्या? यह बस कोटा झालावाड़ जाने वाली थी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस नीति को ठीक ढंग से लागू करने के लिये जितनी योजनायें पारित की गई हैं, उनको लागू किया जाये।

इसके साथ साथ मैं निवेदन करूंगा जितनी बकाया है, उसको वसूल किया जावे। एक ओर प्राइवेट बस ओपरेटर्स की बकाया के कारण गाड़ियां खड़ी कर ली जाती हैं, कुर्क कर ली जाती हैं, दूसरी ओर रोडवेज की इतनी बड़ी बकाया होते हुए भी इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मेरा निवेदन है कि आज प्राइवेट बसों में यात्रा करने के मामले में काफी गड़बड़ी होने की बात सामने है। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि बकाया बिलकुल लम्प-सम बेसिस पर वसूल की जाये ताकि घाटा नहीं हो। मेरा निवेदन है कि इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। आज खास तौर से इस मांग पर इतना ही बोलना चाहूंगा।

इसके साथ-साथ अन्य उद्योगों के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। मैं खनिज के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। अरावली पर्वतमाला में विपुल धन-सम्पदा है। पृथ्वी के गर्भ में कितनी धन सम्पदा है, इसका उदाहरण

(श्री रतनलाल ताम्बी)

भीलवाड़ा में आगूचा ने दिया है। मैं कहना चाहूंगा कि इस व्यवस्था को सुनियोजित ढंग से लागू किया जाये जिसके आधार पर खनिज सर्वेक्षण का कार्यक्रम राजस्थान में व्यापक तौर पर लागू हो सके। इसके लिये मास्टर प्लान तैयार किया जाये। इसके बारे में हमेशा एक सही नीति होनी चाहिये। कभी सर्वे होता है, इसको बीच में छोड़ दिया जाता है और दूसरा सर्वे शुरू हो जाता है। जहां जहां भंडार हैं, उनका सर्वे हो। इससे एक बहुत बड़ी नान टैक्स रेवेन्यू राज्य को हो सकती है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

जैसा मैंने कहा कि आगूचा में 3 करोड़ टन से भी अधिक मात्रा में खनिज सम्पदा उपलब्ध हुई है। जस्ता, शीशा वगैरह दोहन की व्यवस्था व्यवस्थित तरीके से की जाये। मैं निवेदन करूंगा कि स्मेल्टिंग प्लान्ट भी वहीं पर लगायें, जहां उसके लिये रा-मेटीरियल अवेलेबल होता है। वहीं उससे सम्बन्धित उद्योग लगना चाहिये ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिल सके और वह ठीक प्रकार से चल सके।

मैं भीलवाड़ा जिले के अभ्रक उद्योग के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। राजस्थान में अभ्रक उद्योग सबसे ज्यादा भीलवाड़ा क्षेत्र में है। दुर्भाग्य है कि खनिज विभाग की अव्यवस्था से, खनिज विभाग की लापरवाही से, और बड़े-बड़े सेठों की मिलीभगत से इस जिले में व्यवसाय पर काफी घाटा हमें सहना पड़ रहा है। जिस जिले में लगभग 35 हजार श्रमिक काम करते थे वहां आज लगभग 1500 व्यक्ति कुल मिला कर रह गये हैं। आज बड़े बड़े लोग खनिज क्षेत्र पर कब्जा किये हुए बैठे हैं। न सरकार उसकी रायल्टी वसूल कर पाती है और न वह उस एरिया को दूसरे लोगों को देने की बात सोचती है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा खनिज के मामले में कि अभ्रक की जो भीलवाड़ा में दुर्दशा हो रही है, उस सम्बन्ध में विशेष तौर से ध्यान दिया जाना चाहिये। इस आधार पर उद्योगों की जो हालत खराब हो गई है, उसको फिर से सुधारा जाये, यह मेरा निवेदन है।

इसके साथ-साथ छोटे-छोटे उद्योगों पर ध्यान देने के लिये निवेदन करना चाहूंगा। भीलवाड़ा जिले में शाहपुरा क्षेत्र में ऊन, पावरलूम, हैण्डलूम का कार्यक्रम काफी तेजी से चला सकते हैं। बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी की स्थिति है और इनकी समस्या काफी गम्भीर है। इस ओर ध्यान देकर वहां पर उद्योगों का विकास किया जाय। यही मेरा निवेदन है।

जहाजपुर में चूना उद्योग में आज हजार पन्द्रह सौ व्यक्ति काम करते हैं। वहां चूने का भट्टा चलाने वालों को पर्याप्त सुविधा नहीं मिलती है, कोयला वगैरह बराबर नहीं मिलता है जिससे लोगों को कठिनाई हो रही है, लोगों के सामने समस्या खड़ी हो जाती है। भीलवाड़ा जिले में मांडल क्षेत्र है। यहां पर खनिज क्षेत्र में घपलेबाजी का कीर्तिमान स्थापित हो चुका है। मैं निवेदन करना चाहता हूं राज्य सरकार से, वहां पर विशेष जांच की व्यवस्था की जावे। हजारों बीघा जमीन खनिज क्षेत्र की है, उस पर अतिक्रमण हो रहा है। उनकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। खनिज क्षेत्र जो दिये गये हैं,

(120)

(श्री रतनलाल ताम्बी)

उनके पास सरकारी भूमि काफी पड़ी रहती है, उस पर ध्यान नहीं दिये जाने से अतिक्रमण हो जाता है। उसकी न तो रायल्टी वसूल हो पाती है और न ही कोई डैड रेन्ट वसूल हो पाता है, इस कारण बहुत बड़ा घाटा राज्य कोष में हो रहा है। इस ओर ध्यान देने के लिये निवेदन करना चाहता हूं।

खनिज क्षेत्र में संचार और सड़क की व्यवस्था का सवाल है, बड़ी-बड़ी खदानों पर तो सड़क बनी हुई है। आम तौर पर अविकसित क्षेत्रों में जब तक संचार और सड़क की व्यवस्था नहीं होती है, तब तक यह क्षेत्र विकसित नहीं हो सकते हैं। इसलिये इन्हें सड़कों से जोड़ने की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

जहाजपुर नगर में इण्डस्ट्रियल एरिया डवलप किया गया है। उसका कभी काम चलता है, कभी बन्द हो जाता है। काफी पैसा खर्च होने के बाद भी न वहां पर सड़क ठीक से बनी हुई है, न बिजली का काम ठीक प्रकार से पूरा हुआ है। उसके बावजूद बहुत बड़ी रेट जमीन की रखी गई है जिससे उद्योगपति निराश हैं, उस तरफ नहीं जा रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन है राज्य सरकार से कि वहां पर भूमि की रेट में और कुछ कमी की जा सकती है, तो उद्योगपतियों में नया उत्साह पैदा करने की बात सोची जा सकती है। किसी जमाने में उदयपुर, नाथद्वारा और जहाजपुर की लकड़ी के उद्योग की अच्छी कला के मामले में काफी प्रसिद्धि रही है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इस उद्योग की भी आज हालत खस्ता है। उस तरफ भी, मैं निवेदन करना चाहूंगा, ध्यान दिया जाये।

मैं एक-आध मिनट लेकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।

मैं थोड़ा रोडवेज के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। आज के दिन 10 किलोमीटर तक छूट दी गई है। कई जगह मैंने देखा, 15 और 20 किलो मीटर की दूरी पर बसों को रोक दिया जाता है। इस कारण अव्यवस्था हो जाती है। छोटे-छोटे रूट्स से दूसरी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। लोगों को परेशानी में सड़क से दूर खड़ा होना पड़ता है। खाली बसों को ले जाना पड़ता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि 25 किलोमीटर तक छूट दी जानी चाहिये ताकि आराम से लोग जा सकें। सम्पर्क स्थानों पर पहुंचने की व्यवस्था हो। रोडवेज के द्वारा इस नाम पर जितनी घपलेबाजी, अनियमितता, परेशानी जनता के साथ और मोटर आपरेटर्स से की जाती है, वह भी समाप्त हो सकती है। रोडवेज और प्राइवेट बसों के पास जितने रूट्स हैं, उनके अनुसार आय का सवाल उठाया गया है।

सदन की कार्यवाही

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय साढ़े छः बजे तक बढ़ा दिया जाये। छः बजे मुख्य मंत्री का भाषण प्रारम्भ हो जाये।

श्री सभापति : क्या सदन की सहमति है कि सदन की कार्यवाही का समय सायं 6.30 बजे तक बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

समय बढ़ाया गया।

मांग संख्या 40, 42 व 43 पर विचार

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं यह निवेदन कर रहा था, रोडवेज के पास जिस प्रकार के रूट्स हैं, जिस प्रकार के लम्बे रूट्स एक लाख रूट्स हैं, उसके मुकाबले प्राइवेट बसों के पास 3 लाख रूट्स हैं, उसके बीच जो डिफरेन्स है, वह तो सामने है···

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इस आधार पर इनका मुकाबला नहीं किया जा सकता है।

यह बात कहते हुए आपने जो मुझे सारी मांगों पर बोलने का समय दिया, उसके लिये आपका आभार प्रकट करता हूं। जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री माथूसिंह।
श्री भैरूसिंह गुर्जर।

श्री घनश्याम तिवाडी: सभापति महोदया, जो पर्चियां आपके पास आ रही हैं, उनके आधार पर आप निर्णय कर रही हैं, या जो लिस्ट है,···

श्री सभापति : लिस्ट के आधार पर हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची): मेरा नाम लिस्ट में आपसे पहले है, माननीय सभापति महोदया,

(व्यवधान)

श्री दिनेश राय डांगी : आप आसन से बात कीजिये।

श्री भैरूसिंह गुर्जर: माननीय सभापति महोदया, आज की मांग पर मैंने दो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। एक तो जो मारवाड़ जंक्शन महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, वहां पर कोई उद्योग धंधा नहीं है, वहां उदयपुर, जोधपुर, दिल्ली, अहमदाबाद की कई रेलें आती हैं, और हजारों मालगाड़ियां उधर से गुजरती हैं। मारवाड़ जंक्शन के पास बहुत सी भूमि है, क्षेत्र है, वहां हर सुविधा उपलब्ध हो सकती है। वहां कोई भी उद्योग-धंधा लगाया जा सकता है। वहां से नेशनल हाई वे 20 किलोमीटर दूर है। अगर वहां कोई उद्योग धन्धा लगाया जाये तो जो माल तैयार होगा, वह माल आसानी से बाहर भेजा जा सकता है। सभापति महोदया, लगभग 15 हजार की जनसंख्या वाला मारवाड़ जंक्शन है इसके अलावा सम्पूर्ण मारवाड़ जंक्शन तहसील में कोई उद्योग नहीं है। सम्पूर्ण खारची तहसील में 46 पंचायतें हैं। राजस्थान की सबसे ज्यादा पंचायत समितियां वहां हैं, वहां एक भी उद्योग-धन्धा नहीं होने से वहां के रोजगार प्राप्त करने वाले युवकों के साथ अन्याय हो रहा है। औद्योगिक माल लाने ले जाने के लिये वहां रेल की सुविधा और नेशनल हाई वे के पास होने के कारण ट्रकों की सुविधा भी प्राप्त की जा सकती है। सभापति महोदया, 30 किलोमीटर दूर अरावली की शृंखला है जहां कल्साइट नामक पारदर्शक पत्थर होता है जो भारत से विदेशों को जाता है। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार को सूचना देना चाहता हूं कि सिरियारी से पिंडवारा तक जो अरावली की शृंखला है वहां कल्साइट पत्थर के भण्डार हैं। इसके अलावा एक और प्रकार का पत्थर बल्सार, जिसका पाउडर बनाता है, का भी वहां भण्डार है। वहां चूने और

(130)

(श्री भैरूंसिह गुर्जर)
सीमेंट के पत्थर आसानी से प्राप्त किये जा सकते हैं।

सभापति महोदया, इसके अलावा भी उन पहाड़ों में सर्वे किया जाय तो कई प्रकार के खनिज भण्डार मिलने की संभावना है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय खनिज की संभावना को देखते हुए फूलाद स्टेशन से पिंडवारा तक रेलवे लाइन का सर्वे किया गया था। वहां आज भी ब्रिज और रेलवे लाइन के चिन्ह मिलते हैं। उस समय यहां ब्रिज बनाया गया और रेलवे कर्मचारियों को ठहरने के लिये क्वार्टर्स बनाये गये जो आज भी वहां मौजूद हैं जिनको राज्य सरकार और भारत सरकार को बजाय भूतपूर्व जागीरदार जरूर उपयोग में ले रहे हैं और उनके नौकर-चाकर सरकारी कर्मचारियों की जगह जरूर रह रहे हैं।

मैं बताना चाहता हूं, सभापति महोदया, सिरियारी से पिंडवारा के बीच खनिज का अपार भण्डार है जिसको यदि सर्वे करा कर निकाला जाय तो देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। कलसाइट, जो पारदर्शक पत्थर है, एक अमूल्य पत्थर है जिसकी हमारे हिन्दुस्तान में कमी है।

इसके अलावा मारवाड़ के सेठ मशहूर होते हैं। वे दक्षिणी भारत में जाकर व्यापार कर रहे हैं। उनको वहां पर उद्योग-धंधे लगाने पड़ते हैं। मैं राज्य सरकार का आपके माध्यम से इस ओर ध्यान आकर्षित करूंगा कि मेरे क्षेत्र में अगर इन उद्योगपतियों को उद्योग लगाने की अनुमति दी जाय, वहां किसी प्रकार का कारखाना खोला जाय तो वे यहां से बाहर नहीं जायेंगे, उन्हें बहुतायत में कच्चा माल यहीं से मिल जायेगा। इन पहाड़ियों से खनिज संपदा मिलेगी और अगर उद्योग-धन्धे लग जायेंगे तो इस क्षेत्र में जो बेरोजगारी बढ़ रही है वह भी कम हो जायेगी।

इसके अलावा मारवाड़ एक जंक्शन है, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्टेशन है जहां से रेलवे लाइन जाती है जोधपुर और उदयपुर। वहां मात्र सड़क का छोटा सा टुकड़ा बना दिया जाय तो वहां से प्राप्त होने वाली खनिज संपदा सीधी उदयपुर से बीकानेर तक एक छोटे से रास्ते से लाई और ले जाई जा सकेगी। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री बंशीलाल पटवा।

श्री बंशीलाल पटवा : माननीय सभापति महोदया जी, मैं सबसे पहले राजस्थान में जितने भी उद्योग-धंधे उपक्रम विभाग की ओर से चल रहे हैं उनके बारे में कुछ विवरण आपके माध्यम से सरकार के सामने रखना चाहता हूं। चाहे आप गंगानगर शुगर मिल को ले लीजिये, चाहे दूसरे किसी उद्योग को ले लीजिये, हनुमानगढ़ में कृषि फार्म या रोडवेज निगम को ले लीजिये सारे के सारे उद्योग घाटे में चल रहे हैं। उस घाटे से राजस्थान की आर्थिक स्थिति पर कुप्रभाव पड़ रहा है। इन उद्योग-धन्धों को आरम्भ किया गया, निगम की स्थापना की गई, राष्ट्रीयकरण के नाम पर उद्योग स्थापित किये गये यहां तक तो मेरा कोई एतराज नहीं है। किन्तु जो कुछ किया गया विकास की दृष्टि से उसका लाभ नहीं मिला तथा

131

(श्री वंशी लाल पटवा)

न वे आज तक लाभ के रूप में चल पाये। ऐसी स्थिति में आखिर इन उद्योग-धन्धों को, निगमों को चला कर हम राजस्थान की आर्थिक स्थिति को कहां पहुंचाना चाहते हैं? इस बारे में गंभीरता से विचार किया जाना चाहिये। मैं जहां तक सोचता हूं, किसी निगम में या उद्योग में कुछ इस तरह के कदम उठाये जायें, उनमें सुधार किया जाये या फिर कोई न कोई ऐसा रास्ता निकाला जाये जिसके कारण सरकार कम से कम घाटे से तो बच सकें। पर्याप्त मात्रा में मशीनरीज लगी हुई हैं कर्मचारी लगे हुए हैं किन्तु दोषपूर्ण व्यवस्था के कारण फायदा नहीं हुआ, लाभ नहीं हुआ। जब इनकी स्थापना की गई तब इन सब पहलुओं पर पूर्ण विचार किये बिना स्थापना कर दी गई। आज ऐसी भयानक स्थिति में ये उद्योग पहुंच चुके हैं जिसके कारण मैं सोचता हूं इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होना बहुत कठिन है। कोई न कोई इस प्रकार की स्थिति पैदा होती रही है जिसके कारण मैं सोचता हूं कि लाभ होने के बजाय घाटा ही होगा। जैसे कि रोडवेज को ले लें। इसमें बस की दुर्दशा है। टायर्स और डीजल के अभाव में, कल-पुर्जों के अभाव में आज जहां जाइये, बस घाटे में जाती है। प्राइवेट बसें पहले चलती थीं, आज भी चल रही हैं। मैं सोचता हूं प्राइवेट बसों में आज भी यात्रियों को सुविधायें ज्यादा हैं। मैं इस प्रकार कह कर प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की वकालत नहीं करने जा रहा हूं लेकिन इस प्रकार के निगम, रोडवेज और उद्योग-धंधे चाहे कोई भी हों, इन उपक्रमों के तहत चलने वाली जितनी भी यूनिट्स हैं, उनको जो एक प्रकार की बनिया पद्धति होती है, उस बनिया पद्धति के तौर-तरीके के आधार पर नहीं चलाया गया उसी के परिणामस्वरूप यह घाटा हुआ है। आज जैसे दिल्ली से अजमेर, अजमेर से दिल्ली जो हरियाणा की बसें चलती हैं उन बसों के एम्पलाइज में, बस कंडक्टर्स और ड्राइवर्स में जो मैनर, एटीकेट है उससे राजस्थान के ड्राइवर या अन्य अधिकारी के मैनर और एटीकेट को मिला लीजिये, उसमें काफी अन्तर है, बिहेवियर में बहुत बड़ा फर्क है। हम अभी इस ओर ध्यान नहीं दे पाये हैं। राजस्थान की बस का अगर क्लच खराब है या एक्सीलेटर खराब है, और गाड़ी हमारे वर्कशाप में लाई जाती है वर्कशाप से वह जब लौट कर आयेगी तो कह दिया जायेगा कि क्लच या एक्सीलेटर ठीक कर दिये गये हैं। उसके बाद 2-4 घंटे बाद गाड़ी चले तो वे खराब हो जायेंगे। ऐसी अनेक तरह की शिकायतें प्राप्त होती हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, मेरे ही एक मित्र ने कहा, अजमेर पुराने बस स्टेण्ड से गत दिनों 25 सवारियां गाड़ी पर चढ़ीं, कंडक्टर ने उनको कोई टिकट नहीं दिया। बहुत कुछ कहने पर मुझे एक टिकट दिया। तो मेरे कहने का मतलब यह है जो सारी दोषपूर्ण व्यवस्था है, लीकेज हैं, कमियां हैं उनको हम अभी बन्द नहीं कर पाये हैं, रोक नहीं पाये हैं, सुधार नहीं कर पाये हैं। जैसा कि एक माननीय सदस्या ने कहा कि हमें उनसे टैक्स मिलता है वह तो फायदा ही है पर उनको कितने प्रकार के एक्जेम्प्शन्स मिले हुए हैं उसके कारण भी तो हमको घाटा है।

तो इस तरह के जो उद्योग-धंधे चल रहे हैं उनमें सुधार किया जाय या फिर

132

(श्री वंशी लाल पटवा)

उनको बन्द किया जाय। साथ ही साथ मेरा यह भी अनुरोध है कि कोई भी उद्योग हो उसको परिस्थितियों के अनुरूप खोला जाय। किस क्षेत्र की किस प्रकार की परिस्थितियां हैं, उससे उद्योग में लाभ होगा या नहीं इस तरह से विचार करके खोले जाने चाहिए। इसके साथ-साथ मैं यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे पिछले अनुभव बड़े कटु है। इस आधार पर छोटे-छोटे उद्योग, लघु उद्योग और छोटे-छोटे कुटीर उद्योग गांवों में फैलाने चाहिएं। राजस्थान गांवों का प्रदेश हैं, बैकवर्ड इलाका है उसको हम इस दृष्टि से ऊंचा उठाना चाहते हैं, आर्थिक दृष्टि से ऊंचा उठाना चाहते हैं तो हमें इस तरह के उद्योग-धन्धों की स्थापना करनी पड़ेगी, जिसके आधार पर राजस्थान में औद्योगिक विकास कर सकें, प्रगति कर सकें। जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, हमारे यहां पर खनिजों के प्रचुर मात्रा में भण्डार हैं। खनिजों की तरफ ध्यान दिया गया तो मैं समझता हूं कि राजस्थान स्टेट हिन्दुस्तान की अन्य स्टेट्स से आगे बढ़ सकता है। हमारे यहां पर सीमेन्ट की फैक्ट्रीज हैं। अनेक स्थानों पर हमारे यहां पर सीमेन्ट का पत्थर है परन्तु वहां पर सीमेन्ट का कारखाना नहीं लगाया जाता है और दूसरे स्थानों पर लगाया जाता है। मैं भीलवाड़ा से चुन कर आया हूं। वहां पर खनिजों के प्रचुर मात्रा में भण्डार हैं। वहां पर आगुचा व जस्ता, शीशा मिला है। जस्ता, शीशा की खोज एक विद्यार्थी एक्सपर्ट ने की है। उसने सबसे पहले भारत सरकार को पत्र लिखा कि यहां पर जस्ता, शीशा के भण्डार हैं। उस आधार पर भारत सरकार के एक्सपर्ट्स ने आकर खोज की और यहां पर जस्ता, शीशा के भण्डार मिले हैं। हिन्दुस्तान की सरकार ने उस विद्यार्थी को 500/- रुपये का इनाम दिया है। परन्तु आज वह बेकार है। उसके पास कोई नौकरी नहीं है। जिस व्यक्ति ने सब से पहले यह बताया कि यहां पर खनिज मिल सकते हैं, जिसने सरकार को सबसे पहले जानकारी दी, उसको इस आधार पर नौकरी में नहीं रखा जा रहा है कि वह ओवर एज हो गया या मेरिट्स में नहीं आता है। यह दयनीय दशा है। उसके पास कोई नौकरी नहीं है। उसने वापस 500/- रुपये लौटाये हैं। जिस व्यक्ति का जहां उपयोग हो सके वहां पर उसको लिया जाना चाहिए। बिजोलिया (भीलवाडा) में इमारती पत्थर के भण्डार हैं। अगर चित्तौड़-माण्डल होती हुई कोटा रेलवे लाइन निकाली जाए तो इस इमारती पत्थर के खजानें का ज्यादा उपयोगी धन्धे की दृष्टि से हो सकता है। यहां की खानों का विकास हो सकता है। इसी तरह से ऊपर माल में खानें हैं। यहां भी खानों का विकास हो सकता है। इस तरह के तौर तरीके अपनाये जाने चाहिए। उपरमाल में जितने भी ब्लाक्स हैं, प्लाट्स हैं, वे बड़े लोगों को दे रखे हैं और उन्होंने एनक्रोचमेन्ट कर रखा है। वे मनमाने तरीके से पत्थर निकाल कर सरकारी खजाने को लूट रहे हैं। वहां पर जो सहायक अभियन्ता, इन्जीनियर, अधिकारी नियुक्त हैं, उनसे मिली भगत करके यह सारी कार्यवाही हो रही है। इस प्रकार इन खानों पर बड़े लोगों ने कब्जा कर रखा है और जो कमजोर तबका है उनको ये प्लाट्स नहीं दिए जा रहे हैं। यह दयनीय स्थिति है। इस ओर मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए।

(श्री बंशी लाल पटवा)

हमारे यहां खनिजों में काफी कीमती चीजें हैं। राजस्थान में भीलवाड़ा जिला इसमें सबसे आगे है। भीलवाड़ा में गंगापुर है जहां कि ऊनी यूनिट लगायी जा सकती है। वहां पर ऊन ज्यादा मिलती है। परन्तु वहां पर ऊनी यूनिट नहीं है। जहां पर सूती यूनिट लगनी चाहिए वहां पर ऊनी यूनिट लगाई जाती है और जहां पर ऊनी यूनिट लगायी जानी चाहिए वहां पर हम सूत की यूनिट लगा रहे हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर ऊन काफी मात्रा में उपलब्ध है इसलिए ऊनी यूनिट वहां पर लगायी जाए। कहने का अर्थ यह है कि अनेक जगह हम उल्टे चल रहे हैं। इस तरह की स्थिति बनी हुई है। इस संदर्भ में मेरा यह निवेदन करना है कि उद्योग-धन्धे की दृष्टि से, खनिज भण्डार की दृष्टि से राजस्थान में प्रचुरता है। पिछली सारी बातों को भूल कर हमें आगे की सुध लेनी चाहिए और नये सुधार के तौर तरीके अपनाने चाहिए। इस दिशा में व्यापक दृष्टि से काम लिया गया तो मैं सोचता हूं कि काफी सुधार होगा। राजस्थान में खनिजों की प्रचुर मात्रा है, खनिज पर आधारित उद्योगों की योजना बना कर हम चलें तो कई चीजों को अलग रखने के बाद भी हम राजस्थान को अन्य प्रान्तों से आगे ले जा सकते हैं। मैं यथार्थता के आधार पर अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं और मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह मेरे कटौती प्रस्तावों को स्वीकार करे।

श्री सभापति : श्री विहारी लाल।

श्री विहारी लाल पारीक (मांडल) : माननीय सभापति महोदया, आपके माध्यम से सदन में माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव पर अपने विचार रखे हैं। मैं भी आपके माध्यम से सदन में सम्बन्धित मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करते हुए अपने विचार रख रहा हूं।

सभापति महोदया, किसी देश के आर्थिक विकास में प्राकृतिक भण्डारों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अपने देश के आर्थिक विकास में राजस्थान के खनिज भण्डारों का महत्व-पूर्ण स्थान है। अपने राजस्थान में ताम्बा, जस्ता, शीशा, चांदी, लोहा, गारनेट आदि के भण्डार हैं। इन भंडारों में राजस्थान में भीलवाड़ा जिला सबसे आगे है और वह अपना प्रमुख स्थान रखता है और भीलवाड़ा जिले में माण्डल तहसील और भीलवाड़ा तहसील खनिज भण्डारों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। वहां पर अभ्रक के भण्डार हैं। संसार भर के अभ्रक में इसका ऊंचा स्थान है। 80 प्रतिशत माइका का उत्पादन वहां पर होता है। हिन्दुस्तान में कई प्रान्त हैं जो अभ्रक का उत्पादन करते हैं। परन्तु हिन्दुस्तान में राजस्थान अभ्रक में प्रमुख भूमिका निभाता है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में अभ्रक के पर्याप्त भण्डार हैं। डिपार्टमेंट ऑफ माइन्स एण्ड ज्योलोजी का मुख्य कार्य है राज्य में भारत सरकार व राज्य सरकार के खनिज नियमों के अधीन खनिज के सम्बन्ध में पट्टाधारियों को रियायत देना और उन पर नियन्त्रण रखना और नवीन क्षेत्रों की खोज करना उनका काम है। वैज्ञानिक खनन हेतु तकनीकी मार्ग दर्शन देना है और किये गये कामों में सुधार लाना है। हमारे यहां पर अनेक धातुओं का अपार भण्डार है। सौभाग्य की बात है कि हमारे राजस्थान में

(श्री बिहारी लाल पारीक)

प्राकृतिक सम्पदाओं के भण्डार हैं। भीलवाड़ा जिला भी सौभाग्य की बात है इसमें सबसे ज्यादा भूमिका निभाता है। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में, राजस्थान प्रान्त में खनिजों का प्रोडक्शन हो सके इसके लिए काफी विकास की जरूरत है। जनता सरकार का जब शासन आया तो इन खानों के विकास के बजाए विनाश हुआ है। अभ्रक की माइन्स का तो कम्पलीटली विनाश हुआ है। मैं आपसे निवेदन करूं कि पहले 200 माइन्स चलती थीं वहां पर अब केवल 30 माइन्स चलती हैं जिसमें पूरा राजस्थान है और आपने जो 1980–81 का बजट बनाया है यह न्याय संगत नहीं है। उसमें खान सुधार में कोई बजट नहीं है। खान सुधार में लाखों रुपयों का बजट रखा जाना चाहिए। यह माइका याने अभ्रक का व्यापार हजारों वर्ष पहले बनजारा जाति करती थी। इस जाति द्वारा अभ्रक बैलों द्वारा कलकत्ता के समुद्र तट ले जाया जाता था और वहां से दूसरे देशों को यह भेजा जाता था। माण्डल तहसील में आज भी इन बनजारों के नाम से खानें चलती हैं और वे ज्यादा उत्पादन करती हैं। आज भी इन खानों को भादू बनजारी, लुहारिया बनजारी, बागोर बनजारी के नाम से पुकारा जाता है। अभ्रक का हजारों वर्ष पहले हमारे यहां पर व्यापार होता था और विदेशों को भेजा जाता था। अतः मैं इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसके विकास की जरूरत है ताकि ज्यादा मात्रा में अभ्रक पाया जा सके। आप सोच सकते हैं कि बनजारों ने किस प्रकार इसकी खोज की होगी परन्तु 1980–81 का जो बजट है उसमें अभ्रक की खोज पर कोई प्रावधान नहीं है। अभ्रक की खानों के विकास के लिए राज्य में एक निगम की स्थापना होना बहुत जरूरी है।

श्री बालचन्द आर्यवीर: माननीय सदस्य लिखा हुआ पढ़ रहे हैं।

श्री सभापति : कोटेशन देख सकते हैं।

श्री बिहारी लाल पारीक : मैं आपसे निवेदन करूं कि इसके लिए राज्य में निगम की स्थापना होना बहुत जरूरी है। सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि इन खानों, अभ्रक की खानों के विकास के काम में लेबर के प्रतिनिधि भी शामिल किये जाने चाहिए। माइन्स के विकास को लेबर से जोड़ा जाना चाहिये जिससे माइन्स के विकास में छोटे और बड़े दोनों का सहयोग मिल सके और माइन्स का विकास हो और अभ्रक की खानों का विकास हो। इस निगम के माध्यम से माइन्स का विकास किया जाये।

अभ्रक की लीज दी जाती है इसके अन्दर भी व्यवस्था के कारण से लोगों को परेशानी होती है और माइनिंग के काम में देरी होती है। जिस प्रकार से उद्योग विभाग में एक ही विंडो से, एक ही जगह से, एक ही स्थान से सब तरह की सुविधायें देने की व्यवस्था है उसी तरह से लीज के लिये भी, खानों की लीज के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि अभ्रक की जो लीज दी जाती है वह दो प्रकार से दी जाती है एक तो प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस दिया जाता है जो कि सिर्फ एक साल के लिए होता है। यह समय देरी हो जाने के कारण निकल जाता है इसलिये काम नहीं हो पाता है। सारा साल निकल जाता है ...

(व्यवधान)

(श्री बिहारी लाल पारीक)

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की प्रक्रिया अपनायी जाये कि यह काम शीघ्र हो सके।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री बिहारी लाल पारीक : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि जब आप बोलते हैं तो मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूं और मैं बोलता हूं तो आप तंग करते हैं। आपको जनता चुनकर भेजती है तो कम से कम समय का दुरुपयोग तो मत करिये।

(व्यवधान)

मशीनों और कार्यशील पूंजी के लिये- ऋण स्वीकृति का प्रावधान भी होना चाहिये, यह भी बहुत जरूरी है। क्योंकि माइका जमीन के नीचे होता है उसको निकालने के लिये काफी यंत्रों की जरूरत होती है जैसे ड्रिलिंग के लिये कम्प्रेशर और पानी डी-वाटर करने के लिये जनरेटर लगाने पर काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। अगर सरकार सुविधा दे ऋण की भी तो मैं समझता हूं कि माइन्स का काफी विकास हो सकता है और वे ज्यादा प्रोडक्शन कर सकती हैं।

मैं आपका ध्यान दिलाऊं, सभापति, महोदया, एक और दुर्भाग्य की बात हुई। बहुत बुरी व्यवस्था हुई जनता सरकार के आते ही उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। जनता पार्टी का राज आते ही उन्होंने जिन माइन्स ओनर्स का एक माइन्स पर 200 पेटी का खर्चा ही होता था उसको 2 प्रतिशत कोटा रख दिया। इसकी वजह से हजारों मजदूर बेकार हो गये। जहां माइन्स में 20 हजार मजदूर काम करते थे वहां पर केवल एक हजार ही रह गये और 8-10 महीने पहले इस व्यवस्था के कारण केवल 5000 मजदूर ही रह गये थे। यह स्थिति उनके विकास की है। मैं आपके माध्यम से अर्ज करूं कि आपने इसके लिए भी बजट में कोई व्यवस्था नहीं की है। मैं फिर दोहराता हूं कि आप इसके लिए व्यवस्था करें। आपको इसके लिये बजट में व्यवस्था करनी चाहिये।

मैं आपके माध्यम से ध्यान दिलाऊं कि अभ्रक की खानों के काम में आने वाली मशीन व औजार हैं वह निगम बनाये और उसके माध्यम से रियायती दरों पर उपलब्ध कराये जायें। छोटे-छोटे जो माइनर्स होते हैं जिनके पास साधन नहीं होते हैं, जिनको बैंक से भी कर्जा नहीं मिलता है डिपार्टमेंट द्वारा उनको मशीनों की सुविधायें दिलायी जायं। इसके अलावा जो मशीन एवं टूल्स माइन्स की खानों में काम आते हैं जिनकी कीमतें बहुत बढ़ गयी हैं उनको रियायती दरों पर किराये से दिलायें तो मैं समझता हूं कि माइन्स का विकास होगा और खानें पनप सकती हैं।

दुर्भाग्य की एक बात और सुनाना चाहता हूं, जब जनता पार्टी आयी थी तब दुर्भाग्य यह रहा कि पहले तो अकाल था ही और ऊपर से माइन्स पर डीजल का भी अकाल हो गया था और पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस कारण खानें बन्द हो गयी थीं, लेबर भी बेकार हो गये थे किन्तु किसी भी तरह से उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया

(श्री बिहारी लाल पारीक)

था। ऐसी हालत में जब डीजल बहुत महंगा हो गया है, आप अभ्रक की खानों के लिये बिजली दिलाने की तत्काल व्यवस्था करें। ऐसी व्यवस्था करें, बिजली के लिये 1000 हार्स पावर वाला इंजिन लगाना होता है उस पर 20 हजार रुपये का डिमान्ड नोट आता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वह बिजली की व्यवस्था माइन्स में करें और डिमान्ड नोट की राशि को कम करायें जिससे छोटे माइन्स वाले हैं उन तक बिजली पहुँच सके। छोटे माइन्स वाले 20 हजार रुपये का डिमान्ड नोट नहीं दे सकते हैं। वे खानें भी नहीं चला पाते हैं और उनको लीज का समय भी समाप्त हो जाता है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि ये जो बार-बार व्यवधान करते हैं...

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें, माननीय सदस्य। 6 भी बजने वाले हैं।

श्री बिहारी लाल पारीक : मैं आपको ध्यान दिलाऊं कि मेरा अभ्रक का कारखाना है। राजस्थान में काफी मात्रा में अभ्रक पैदा होता है इसलिये राजस्थान में भी अभ्रक पर आधारित उद्योगों की स्थापना की जाये। राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में जहां ज्यादा अभ्रक है, वहां स्थापना करें, मांडल या भीलवाड़ा में अभ्रक का कारखाना स्थापित करें। वहां पर अभ्रक का पाउडर बनाने का कारखाना और ईंट बनाने का कारखाना आदि लगा सकते हैं। माइका ब्रेड पाउडर, रॉ मैटीरियल आदि के कारखाने लगा सकते है जिससे करोड़ों रुपयों की विदेशी मुद्रा मिलेगी और हजारों को रोजगार मिलेगा। मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाता हूं।

सबसे बड़ी बात जो है वह यह है कि सबसे बड़ा देश इस व्यापार में हमारा मुकाबला करने वाला ब्राजील है। वहां पर मजदूर महंगे हैं और हमारे यहां पर सस्ते हैं पर आने वाले समय में वह आपका सामना करने वाला देश हो जायेगा। उसको दबाने के लिये आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि कहीं वह आपके देश से आगे न बढ़ जाये, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में वह छा न जाये इसलिये इस पर ध्यान रखना जरूरी हो गया है कि खानों का वैज्ञानिक तरीके से विकास किया जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक निवेदन और करूं कि जो माइका ट्रेडिंग कार्पोरेशन है वह सिर्फ 1 नम्बर से 5 नम्बर तक माल खरीदता है। नम्बर साढ़े पांच, छः व नंबर 6×7 का 80% माइन्स उत्पादन होता है। इसलिये आप उसको इस बात के लिये बाध्य करें कि वह माइन्स का सारा का सारा माल खरीदे। ऐसी व्यवस्था कराने की कृपा करें कि वे कुछ एडवान्स भी दें....

एक माननीय सदस्य : यह भाषण ही रख दो सदन के पटल पर बोलने की क्या जरूरत है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : संक्षेप में, माननीय सदस्य। 6 बजने वाले हैं। भाषण समाप्त करें।

श्री बिहारीलाल पारीक : अभी समाप्त कर रहा हूं।

एक इम्पोर्टेन्ट बात पुरानी माइन्स के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि प्रोडक्शन नं 10 से 14 और 17 से 33 तक खाने बंद पड़ी हैं। 80 प्रतिशत खानें बंद पड़ी हैं। इन खानों में अभ्रक नीचे बहुत है इसलिये निकालने के लिये बहुत अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि जो अमूल्य अभ्रक लाखों रुपयों के मूल्य का है और दबा पड़ा है उसे कोई निकाल नहीं रहा है। उसको निकालने के लिये माइन्स होल्डर्स को राज्य सरकार सुविधा दिलवाये। राज्य सरकार द्वारा छोटे माइनर्स को सुविधा दिलवाई जाये जिससे कि उस अभ्रक को निकाल कर लाखों रुपये की विदेशी मुद्रा भारत सरकार को प्राप्त हो सके। यह अभ्रक बहुत ही उपयोगी है।

सभापति महोदय, मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

राजस्थान का जो अभ्रक है वह हिमलटेड के लिये बहुत मूल्यवान है परन्तु राजस्थान का अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क नहीं होने के कारण उसका उपयोग आपके यहां राजस्थान में नहीं हो सका है। वह उत्तर प्रदेश और बिहार में जाकर के बिहार अभ्रक के नाम से बिकता है। इसके लिये बिहार से एक उद्योगपति यहां आये भी थे परन्तु यहां पर उद्योग खोलना तो दूर रहा उन्होंने रॉ-मेटीरियल भी बिहार भेजना शुरू कर दिया। मैं सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हिमलटेड का कारखाना राजस्थान में भीलवाड़ा में लगाया जाये...

श्री सभापति : भाषण समाप्त करें। अब मैं और समय नहीं दे सकती।

(व्यवधान)

आप बैठ जाइये, मैं अलाऊ नहीं करूंगी। भाषण अंकित नहीं किया जाये।

श्री बिहारीलाल पारीक : X X X

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री बिहारीलाल पारीक : माननीय सभापति महोदया, मैंने जो आपको सुझाव दिये हैं, मैं आशा करता हूं कि उन पर आप ध्यान देंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह तरीका गलत है।

श्री ईश्वरलाल !

श्री देवीलाल (शाहपुरा) : सभापति महोदया, मैं काश्तकारों के बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूं। काश्तकारों की

XXX माननीय सभापति के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(30)

(श्री देवीलाल)

कई समस्याएं हैं। एक तो सबसे बड़ी समस्या है कि अकाल के समय में काश्तकारों पर भार पड़ा है, दूसरा मवेशियों पर भार पड़ा है और तीसरा वृक्षों पर भार पड़ा है। बड़ी-बड़ी समस्याएं हैं, जिनका तीनों पर भार पड़ा है। हम खेती में बीज अच्छा अच्छा बोते हैं किन्तु वह नष्ट हो जाता है। हमारा खाद का पैसा भी वापस नहीं आता है। सरकार ने हमारी तरफ अकाल राहत के काम खोले। हम को काम चाहिए। हमारा सम्बन्ध धरती से है। जन जीवन का सम्बन्ध धरती से है, चाहे बोयें, चाहे खोदें। अकाल पड़ जाये तो भी धरती को खोदें। अकाल पड़ जाये तो सरकार हमारे लिए काम खोलती है। चाहे सड़कों का काम हो, चाहे तालाब का काम हो, चाहे नालियों का हो। काश्तकार लोग मजदूर बन कर उनके अन्दर काम करने लगते हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य !

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह आपका नमूना है।

(व्यवधान)

श्रीमती सूरजदेवी मलहोत्रा : यह आप किसे नमूना कहते हैं। यह क्या बात है ? आप अपने को देखिए। माननीय सदस्य को नमूना कह कर बोलते हैं। यह बेचारा बोल रहा है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह कैसे बोल रहे हैं ?

एक माननीय सदस्य : यह काश्तकार हैं, इनको अधिक समय दें।

श्री सभापति : आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : ऑन ए पाइण्ट आफ आर्डर ! आपने इनको समय दिया है ?

श्री सभापति : कोई बात नहीं है। यह हमारे सोचने की बात है। इनको समय दिया है।

श्री देवीलाल : चाहे पत्थर हो, कांकरा हो, धूल हो, हम सरकार का काम चलाते हैं। चाहे बांध हो, चाहे तालाब हो, चाहे पुलिया हो, चाहे नालियां हो, वहां हम काम करते हैं। वहां भी हम को पूरी मजदूरी नहीं दी जाती है। कहीं-कहीं तो जनता पार्टी के सरपंच हमारी मजदूरी भी खा गये थे।

दूसरी अर्ज यह है कि जो सहकारी समितियां हैं, वह किसानों का सीधा भला करने के वास्ते सरकार ने बनाई हैं। बहुत सी सहकारी सम्मतियों से काश्तकारों ने एक बार रुपया लिया। तो उनके नाम पर फर्जी अंगूठा लगा कर, फर्जी फार्म भर कर सात-सात सौ, आठ-आठ सौ, हजार हजार रुपया खाते में चढ़ा दिया। इसके पहले जनता पार्टी के राज में, भैरोंसिंह शेखावत, मुख्य मंत्री के राज में रजिस्ट्री कराई थी, तो भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने सरकार में जाकर पुकार की तो सरकार ने उलटे हमारे पर मुकदमे लगाये। 182 का केस लगाया।

(श्री देवीलाल)

इस वास्ते हमारा सीधा निवेदन यह है कि काश्तकारों को पटवारी ने कोई जमीन नाप दी है तो अलॉट हुई एक बटा एक में, पटवारी जी ने नाप दी 2/2 में से अलॉट हुई 1223 में पटवारी जी ने नाप दी 1224 में प्लाट हुई 1345 में, पटवारी जी ने नाप दी 1346 में, तो वह पटवारी जी तो परे हो गये। नाप वाला पटवारी तो चला गया और दूसरा पटवारी आया। तो हमारी वह जमीन अलॉट शुदा नाजायज निकली। नाजायज काढ़ी। पेशियां पड़ रही हैं। पैनल्टी लग रही हैं। मेरी अर्ज यह है कि नम्बर चेन्ज करा कर खाते खुलवायें।

दूसरी अर्ज यह है कि वहीं पर बड़ी-बड़ी जमीन पड़ी है 5 बिस्वा, 10 बिस्वा, 15 बिस्वा। खेती में वह काश्तकारों ने धर ली। उसकी हमारी पेशियां पड़ रही हैं। उसके खाते को हमारे खातें में खुलवायें और उसको रेगुलेराइज कराया जाये।

सभापति महोदय, एक यह निवेदन है कि काश्तकारों ने जिस जमीन पर नाजायज कब्जा कर रखा है वह उनको अलॉट की जाये। जो पिछली जमीन 5 बीघा है, उसको सरकार 15 बीघा जमीन गिनती है। काश्तकार खेती करने वाला कम से कम 20-25 बीघा जमीन एक फसल में बोता है। तो सरकार के नाम सीलिंग में नहीं आये, वहां तक काश्तकार को जमीन नाजायज खेती खुला दी जाये। सीलिंग में नहीं आये वहां तक।

दूसरा निवेदन यह है कि जो रोडवेज की बस भीलवाड़ा से जयपुर आती है, वह शाहपुरा, जहाजपुर, देवली और केकड़ी हो कर जयपुर आती हैं तो करीब 40 मील का आंटा पड़ जाता है। इसलिए सीधे शाहपुरा, धूलिया और केकड़ी आ जानी चाहिए। वह सड़क बनी बनाई है। अर्ज यह है कि खारी नदी है, उस पर पुलिया बनानी पड़ेगी। इसलिए खारी नदी की पुलिया बना दी जाये तो एक बस में 40 मील का फर्क पड़ता है। कई गाड़ियां चलें तो कितना पैट्रोल बचता है और कितनी सुविधा होती है। इस वास्ते नदी की पुलिया बना दी जाये। आप कृपा करके ऐसी व्यवस्था करें कि बसें सीधी जावें। मैं इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री जीतमल जैन !

श्री जीतमल जैन (अलवर) : माननीय सभापति महोदय, राजकीय उपक्रम के अन्तर्गत जो कुछ भी साहित्य हमको प्राप्त हुआ है उसको देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि जितने भी सार्वजनिक उद्योग हैं या निगम हैं, सभी घाटे में चल रहे हैं। जब इन निगमों या उद्योगों की स्थापना की गई थी तो उनके पीछे उद्देश्य यह रहा होगा कि इन उद्योगों को प्राइवेट सैक्टर में चलायेंगे तो ऐसे ही कुछ व्यक्तियों को लाभ होगा और जनता के शोषण की गुंजाइश रहेगी और यदि सार्वजनिक क्षेत्र में चलायेंगे तो उसके आधार पर इन उद्योगों या निगमों से होने वाला मुनाफा राजस्थान के विकास के काम में आ सकेगा और विशेष रूप से जहां पर 70 प्रतिशत जनता गरीबी की रेखा से नीचे है वहां पर विकास के काम के जरिये लोगों का आर्थिक स्तर बढ़ाने में इसका उपयोग हो सकेगा। लेकिन इन वर्षों में जो परिणाम सामने आया

(140)

(श्री जीतमल जैन)

है और जिस प्रकार की चर्चा यहां हुई है उसको देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी स्थिति में हम को इनके बारे में सोचना पड़ेगा कि क्योंकि अन्ततोगत्वा यह घाटा निगमों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से राजस्थान की गरीब जनता पर पड़ रहा है, उसको कैसे रोका जाय। इसलिए हम को इनके बारे में सोचना पड़ेगा और गम्भीरता से निर्णय लेना पड़ेगा कि इन निगमों को भविष्य में चलाया जाय या नहीं चलाया जाय, इनमें कुछ सुधार करने की गुंजाइश है या नहीं। नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से जो घाटा इनका बढ़ता जा रहा है, इसका टैक्सों के रूप में, हमारे सामने नहीं आता, लेकिन अन्ततोगत्वा राजस्थान की गरीब जनता पर भार पड़ता है। इसलिए सरकार को इन बातों पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। विशेष रूप से, माननीय सभापति महोदय, रोडवेज के बारे में कई माननीय सदस्यों ने चर्चा की, वहां पर इस प्रकार से जो घाटा चल रहा है, वह निश्चय ही चिन्ता का विषय है। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी कि राजस्थान की जनता को अच्छी तरह की बसों की सुविधा दे सकें, लेकिन हमारा यह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ और आज हम देखते हैं कि रोडवेज निगम भी घाटे में चल रहा है। आज हालत यह है कि किसी भी बस को देख लीजिये, सवारियों की कमी नहीं, लोग छतों पर बैठकर आते हैं उनकी जान और माल की सुरक्षा नहीं है, फिर भी घाटा पड़ रहा है। इसको किस प्रकार से रोका जाय, यह एक गंभीर चिन्ता का विषय है। मैं जहां तक समझता हूं, आर. ए. एस. या आई. ए. एस. आफिसर जिनको इस प्रकार समझा जाता है, मास्टर आफ आल, कोई भी काम करवाना हो तो यह समझा जाता है कि आर. ए. एस. या आई. ए. एस. आफिसर उसको अच्छी तरह से चला सकते हैं लेकिन मैं समझता हूं इस प्रकार के उद्योग और निगम चलाने वालों में एक विशेष प्रकार की प्रतिभा का होना आवश्यक है, इस बारे में भी हम को सोचना पड़ेगा। आर. ए. एस. या आई. ए. एस. आफिसरों को इन निगमों में लगाने के बजाय ऐसे विशेषज्ञों को, जो बाहर से भी बुलाना पड़े, इनके संचालन का भार देना चाहिए ताकि निगमों के घाटे को कम किया जा सके और जनता को जो सुविधा हम देना चाहते हैं, वह दी जा सके। होता क्या है कि आर. ए. एस. या आई. ए. एस. आफिसर के 6 महीने में या दो साल में ट्रान्सफर हो जाते हैं, इसलिए उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं हो सकती, वे आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हम को इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि जिस को इन निगमों में लगावें उसकी जिम्मेदारी निश्चित करनी पड़ेगी, उसको एक निश्चित समय के लिए लगाना पड़ेगा और उसको कहना पड़ेगा कि आपको यह काम पूरा करना पड़ेगा जिससे इनका घाटा कम हो सके। इसकी जिम्मेदारी उस आफिसर, उस व्यक्ति की होगी।

मैं उदाहरण के तौर पर एक बात अर्ज करना चाहता हूं जो छोटे उद्योग चलते हैं, उनके लिये हमने और लघु उद्योग के एक ट्रेड सेंटर 74-75 में स्थापित किया था इस उद्देश्य से कि छोटे उद्योग जो चलते हैं उनके माल को सप्लाई करना, तीन परसेंट के मुनाफे पर। 74-75 से

(श्री जीतमल जैन)

77–78 तक इसकी बिक्री 35 लाख होती रही, 78–79 में 1 करोड़ के आसपास पहुंच गई लेकिन 79–80 में इसकी बिक्री केवल 7 लाख रह गई और केवल 21 हजार का मुनाफा हुआ।

(5.45 म.प.)

(श्री प्रद्युम्नसिंह, सभापति पीठासीन)

इसमें जो खर्चा हुआ वह मैं बताऊं-72000 वेतन के, 10 हजार टेलिफोन और टेलेक्स के, 8 हजार पानी और बिजली के यानि कुल मिला कर 90 हजार का खर्चा इस साल हुआ जब कि आमदनी हुई 21 हजार की, इतना बड़ा घाटा इस सैक्टर में हो रहा है।

(व्यवधान)

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो इनएफिशियेन्ट आफिसर लगे हुए हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि इसका भार राजस्थान की जनता को सहन करना पड़ रहा है।

एक बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अलवर में पब्लिक सैक्टर के अन्दर अरावली स्कूटर का कारखाना चल रहा था, बड़ी आशाओं के साथ उसको लगाया गया। यह सोचा गया कि राजस्थान में इस प्रकार के पब्लिक सैक्टर के कारखाने से देश में स्कूटरों का उत्पादन बढ़ेगा लेकिन दुर्भाग्य है, जो इसका हृस हुआ वह आज हमारे सामने है। पिछले दिनों मेरे एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि इसमें अब तक 1 करोड़ 90 लाख का घाटा हुआ। लेकिन फिर भी शासन इस ओर मौन है, शासन को कोई चिन्ता नहीं है। सरकार इस स्कूटर फैक्ट्री को वापिस चलाना चाहती है या कोई नया उद्योग चलाना चाहती है या किसी प्राइवेट सैक्टर को बेचना चाहती है, क्या करना चाहती है, सरकार की इस बारे में कोई भी नीति स्पष्ट नहीं है और यह घाटा निरन्तर बढ़ता जा रहा है। इस घाटे का अन्ततोगत्वा, मैंने निवेदन किया, राजस्थान की गरीब जनता पर ही भार पड़ने वाला है। हम को अरावली स्कूटर के बारे में निश्चित रूप से दृढ़ निश्चय हो कर निर्णय लेना पड़ेगा कि किस प्रकार से इसको चलावे जिससे इसमें घाटा न हो। साथ ही यह भी निवेदन कर दूं कि इसमें जो विवाद चल रहा है जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों को एक चौथाई और आधा वेतन मिल रहा है, उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, दर दर की ठोकरे खा रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, इस बारे में भी सरकार को अनिवार्य रूप से सोचना पड़ेगा। उनका भविष्य अन्धकारमय हो गया है। इसलिए निश्चित रूप से उन कर्मचारियों को राहत देने के लिए उनके बारे में विचार करना पड़ेगा।

इसके साथ ही साथ मेरा एक प्रस्ताव और था, ली-लैण्ड कारखाने के बारे में इस सदन में दो तीन बार चर्चा हो चुकी है। मैं समझता हूं कि जनता पार्टी के शासन में यह निर्णय हो चुका है कि यह कारखाना अलवर में लगाया जायगा इसी बीच विधान सभा भंग हो गई, जनता पार्टी की सरकार चली गई और जो 27 मार्च को इसका उद्घाटन जो भूतपूर्व मुख्य मंत्री करने वाले थे वह नहीं हो सका, श्रीमन्, इस सम्बन्ध में 25 अप्रेल, 1980 को राजस्थान पत्रिका में राज्यपाल के सलाहकार श्री सुन्दरलाल खुराणा ने जयपुर में ली-लैण्ड के अधिशासी निदेशक

(142)

(श्री जीतमल जैन)

सघयन का अलवर में लगने वाले ग्राटोमोबाइल उद्योग की स्थापना सम्बन्धी पत्र प्रदान करते हुए एक फोटो छपा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

लेकिन जब इस विषय पर सदन में कभी चर्चा उठायी गयी, सरकार इस बारे में मौन है, सरकार क्या करना चाहती है, सरकार की नीति इस सम्बन्ध में स्पष्ट नहीं है; राजनीतिक दृष्टिकोण से ऐसा लगता है कि इसको अलवर में नहीं चलाना चाहती।

श्री सभापति : बात नहीं करें, माननीय सदस्य !

श्री जीतमल जैन : कम्पनी के जो अधिकारी हैं उन्होंने भी अलवर को उपयुक्त स्थान माना है और उनका कहना है कि यह कारखाना अलवर में लगना चाहिए। इसलिए मैं विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि व्यवस्थापक भी यही चाहते हैं कि कारखाना अलवर में लगे। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इस बारे में शीघ्र निर्णय करे। अगर कारखाना अलवर में नहीं लगाया गया तो इसके परिणाम भयंकर होंगे। राजनैतिक आधार पर इस प्रकार का निर्णय लेना किसी भी सरकार के लिए उचित नहीं है। बस मुझे इतना ही निवेदन करना है।

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, मेरे दल को भी समय दिया जाय।

श्री सभापति : मैं असमर्थ हूं, माननीय सदस्य, आपका कोई कटौती प्रस्ताव नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी !

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय सभापति महोदय, यह नान टैक्स रेवेन्यू जो है सरकार जिस बजट में अधिक से अधिक नान टैक्स रेवेन्यू वसूल करती है, वह बजट और सरकार सबसे अधिक अच्छी मानी जाती है। राजस्थान का यह दुर्भाग्य है कि राजस्थान में इतने प्राकृतिक खनिज भण्डार हैं उनसे नाम टैक्स रेवेन्यू खनीज सम्पदा जो प्राप्त होती वह प्राप्त नहीं हुई। इसका मुख्य कारण यह है कि पिछला जो कांग्रेस शासन था, जनता पार्टी के समय से पहले, उस समय 100 भूगर्भ वैज्ञानिक का जो जत्था था उसको जयपुर में बैठाये रखा था और तनख्वाह उसको बांटी जाती थी। जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद में सबसे पहले जो काम किया वह यह कि उन भूगर्भ वैज्ञानिकों को प्राथमिक सर्वेक्षण करने के लिए प्रदेश भर में सारी जगह बिखेर दिया, उसके बाद सर्वेक्षण शुरू हुआ। उस सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी आई। 1988 तक सम्पूर्ण प्राथमिक सर्वेक्षण राजस्थान प्रान्त का हो जायेगा। कुछ निजी स्वार्थी तत्व उस सर्वेक्षण में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भूगर्भ वैज्ञानिक हैं उन वैज्ञानिकों को इस प्रकार से राजस्थान में बिखेरा जायें जांच करने के लिए, प्राथमिक सर्वेक्षण करने के लिए मैं सरकार से, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि उन भूगर्भ वैज्ञानिकों का कार्य है वह कार्य ठीक प्रकार चलाया जाय।

सभापति महोदय, राजस्थान खनिज सम्पदा से भरा पड़ा है लेकिन अभी तक

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इसका दोहन नहीं हुआ। यह जो लाइम स्टोन है, जो बजरी के पट्टे हैं जनता पार्टी की सरकार में इन पर कुछ लोगों ने एकाधिकार कर रखा था। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीकर और झुंझुनूं जिले में दो सौ स्क्वायर मील स्टोन की बहुत बड़ी बैल्ट है उस दो सौ स्क्वायर माइल लाइम स्टोन की बैल्ट पर केवल एक परिवार का अधिपत्य है। सभापति महोदय, दो सौ स्क्वायर माइल में लाइम स्टोन का एक बैल्ट सीकर और झुंझुनूं जिले में है। उस सम्पूर्ण बैल्ट पर केवल एक परिवार का साम्राज्य है। 22.8 रुपये टन लाइम स्टोन रायल्टी चुका कर उनको पड़ता है और 30 रुपये टन के हिसाब से वह लाइम स्टोन बेचते हैं। इतना बड़ा मुनाफा एक परिवार के सदस्यों के नाम से है।

पिछली जनता सरकार ने निर्णय किया था कि एक वर्ग मील का बना कर बांटा जाये। लेकिन उदयपुर से मुंसिफ मजिस्ट्रेट से स्टे लाकर राजस्थान में दे दिया। वह सारा का सारा काम रुक गया। वह जो काम रोका गया है वह काम जो लाइम स्टोन बंटवारे का है, उन लोगों को, जो गरीब हैं, उन लोगों को, जो अनुसूचित जाति के हैं, उन लोगों को, जो खानों पर काम करते हैं, एक-एक वर्ग मील के पट्टे बांटे जायें ताकि उनका उत्पादन बढ़ेगा, सरकार की रायल्टी बढ़े और लाइम स्टोन का उत्पादन बढ़ने से और रायल्टी बढ़ने से जो गैर राजस्व, है गैर राजस्व के अन्दर हमारा पैसा बढ़े।

सभापति महोदय, यह जो रायल्टी है इसका लीकेज बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है इसको रोका जाना चाहिए। दूसरा मेरा यह निवेदन है कि भूतपूर्व जनता सरकार ने केन्द्र सरकार के पास यह प्रमुख जो खनिज हैं, इन खनिजों की रायल्टी बढ़ाने का एक प्रस्ताव भेजा था। उस प्रस्ताव की भी केन्द्र सरकार से स्वीकृति नहीं आई है। उस प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से स्वीकृति ली जानी चाहिए, जल्दी से जल्दी। अगर हम स्वीकृति प्राप्त कर लेंगे तो गैर राजस्व खाते में कम से कम 25 करोड़ रुपये की वृद्धि राजस्थान के गैर राजस्व में होगी और यह वृद्धि रॉक फास्फेट से अलग है। रॉक फास्फेट से जो रायल्टी मिलती है वह 16 करोड़ रुपये की है और अगर रायल्टी की दरें अगर बढ़ाने में सफल होते हैं तो केन्द्र सरकार से राजस्थान का नान टैक्स रेवेन्यू का जो खाता है उसमें 25 करोड़ रुपये की और वृद्धि होगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार से नान टैक्स रेवेन्यू का, उससे जो खाता है, हमने जो प्रस्ताव भेजा है उस प्रस्ताव को जल्दी जल्दी स्वीकृत कराने में राज्य सरकार काम करे। रॉक फास्फेट की जो योजना है, सभापति महोदय, वह जल्दी से जल्दी क्रियान्वित की जानी चाहिए और उसका जो परिशोधन का यन्त्र लगने वाला है, उस यन्त्र को लगाने की अभी तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है उसकी स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए। केन्द्र सरकार से स्वीकृति लेकर, रॉक फास्फेट से जो हमारी आय है उस आय को बढ़ाने के लिए आपको अधिक से अधिक प्रयत्न करने चाहिए।

राजस्थान खनिज विकास निगम की स्थापना की गई और राजस्थान खनिज

(144)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

विकास निगम, इन सम्पूर्ण राजस्थान में खनिजों के विकास के लिए काम कर रहा है। खनिजों की खोज कर रहा है। जो रेयर मिनरल्स हैं, जो छोटी-छोटी मात्रा में पाये जाते हैं उन मिनरल्स के आधार पर कुछ निहित स्वार्थी लोग अपना कब्जा किये बैठे हैं और उनसे बहुत बड़ी कमाई आज वह कर रहे हैं। जो रेयर मिनरल्स हैं, उनका सारा काम सरकार के हाथ में होना चाहिए। और सरकार के माध्यम से यहां खनिज विकास निगम के माध्यम से रेयर मिनरल्स पर जोर होना चाहिए। सरकार की जो आय है नॉन टैक्स रेवेन्यू की वह बहुत अधिक मात्रा में बढ़ सकती है। सभापति महोदय, लाइम स्टोन के आधार पर सीमेंट के प्लांट लगाये जा सकते हैं। राजस्थान में इतना अधिक सीमेंट लाइम स्टोन प्राप्त है उसके आधार पर युद्ध स्तर पर अगर सीमेंट के प्लांट लगाये जायें तो अकेला राजस्थान प्रदेश इस प्रकार का है जो सम्पूर्ण देश की सीमेंट की आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है। इससे अच्छी मात्रा में राजस्थान का नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। तो, सभापति महोदय, मेरा निवेदन करता है कि सरकार का मिनी सीमेंट का प्लांट फेल हो गया है। लेकिन जो बड़े-बड़े सीमेंट के कारखाने हैं वह इसलिए नहीं लग पा रहे हैं कि बहुत सालों पहले कुछ लोगों को लाइम स्टोन के पट्टे दिये हुए थे 50-50 मील के, 10-10 मील के, 20-20 मील के। उन लाइम स्टोन के पट्टों को निरस्त करके उनके स्थान पर सीमेंट के प्लांट लगाये जायें जिससे देश में जो सीमेंट की कमी है उसकी भी पूर्ति हो सके और साथ ही साथ राजस्थान का जो बजट है जो कर राजस्व पर निर्भर करता है वह भी कम होगा और नॉन टैक्स रेवेन्यू राजस्थान का जो है वह राजस्थान का बढ़ेगा।

ठीक इसी प्रकार से संगमरमर की जो खानों का जो तोड़ हो रहा है हो तोड़ बहुत पुराने ढंग से हो रहा है और वह वैज्ञानिक आधार पर नहीं हो रहा है। बहुत सा पत्थर उससे बेकार चला जाता है। मकराना में जो संगमरमर के भण्डार मिले हैं उन भण्डारों का वैज्ञानिक दृष्टि से दोहन करने के लिए अलग बांटा जाये और वैज्ञानिक आधार पर उनका अलाटमेंट कर के उनके दोहन का कार्य किया जाये।

सभापति महोदय, खानों से जोड़ने वाली सड़कें नहीं हैं। आज तक राजस्थान सरकार ने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि जो खानें हैं उनको सड़कों से जोड़ा जाये ताकि उनका माल निकल सके और उससे जो आमदनी है वह आमदनी बढ़ सके। सभापति महोदय, कुछ क्षेत्र और भी हैं, जिनका शायद आपको ध्यान भी नहीं होगा। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें डाकू समस्या के कारण से खानें जो हैं उन खानों में काम नहीं होता है और सरकार की रायल्टी जो है वह डाकू ले जाते हैं। वह डाकू समस्या जो है इस डाकू समस्या का अन्त कर के खानों को रायल्टी प्राप्त होने वाली है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, सीकर जिले की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। दुर्भाग्य कहिए हमारा कि राजस्थान की कोई सरकार आई हो, वह यह नहीं समझ सकी की सीकर जिला, शेखावाटी का क्षेत्र वह राजस्थान में है। हम हद पार

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कर के जाते हैं, सीकर के पास से जाते हैं हरियाणा में तो उधर हरियाली है, उधर देखते हैं तो उद्योग लगे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि राजस्थान का जो भी मुख्य मंत्री आया हो वह सोचेगा कि उदयपुर है, भरतपुर है, सवाई माधोपुर है या अलवर है। वह शेखावाटी को राजस्थान में नहीं मानते हैं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करता चाहता हूं कि एक भी बड़ा कारखाना सीकर और झुंझुनूं जिले में नहीं लगाया गया है। वहां ऊन का बड़ा कारखाना लगने वाला था, उसको भी बीकानेर भेज दिया।....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

....सभापति महोदय, आपकी घण्टी बज रही है लेकिन मेरे दिल में भी घन्टी बज रही है, मैं उसको जरूर कहूंगा....

श्री सभापति : समय का ध्यान रखिए।

श्री घनश्याम तिवाडी : .... जो आपका कारखाना है विश्व का सब से अधिक पाईराइट का भण्डार खण्डेला में है लेकिन आज जो बात चल रही है माननीय मुख्य मंत्री यह कहते हैं कि हम खाद का कारखाना लगाना चाहते हैं भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर की तरफ और सुखाड़िया जी बात करते हैं संसद के अन्दर, वह उदयपुर के आधार पर है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी उपेक्षा की गई है। हमारे साथ भेदभाव किया गया है और पाइराइट पर आधारित खाद का कारखाना सलादीपुरा के बाद सीकर में नहीं लगाया गया है, जहां पर पानी की प्रचुर मात्रा है, जहां पर पाइराइट के विश्व के सबसे अधिक भण्डार उपलब्ध हैं। खाद का कारखाना वहां लगाया जाना चाहिए। नमक की वह भूमि है। सरकार ने 4-5 रोज पहले जवाब दिया है कि 890 एकड़ सरकारी और एक हजार एकड़ का, गैर सरकारी नमक उत्पादन की भूमि है उस पर सिंचाई विभाग ने सीकर से रिपोर्ट भेजी है कि 50 पर्सेन्ट सबसिडी अगर उद्योग विभाग देता है तो 2 हजार एकड़ के अन्दर का वहां नमक प्रारम्भ हो सकता है। उससे 3 करोड़ रुपये का साल का नमक का उत्पादन होगा और 3 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।

इस प्रकार शेखावाटी में 2 कारखाने बढ़ायें। झुंझुनूं और सीकर में ऊन उद्योग लगाया जाना चाहिए। ऊन उद्योग की सीकर में सबसे बड़ी मंडी है। इसके बाद सीकर में उद्योग नहीं लगाया गया है। यह सीकर की उपेक्षा है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तेलगांना का आन्दोलन क्यों हुआ ? बिहार का आन्दोलन क्यों हुआ ? विभाजन की मांग क्यों आती है। शेखावाटी को औद्योगिक दृष्टि से अनदेखा किया गया है। मैं आगाह करना चाहता हूं कि सरकार का यही रवैया रहा, सरकार ने भी यही रवैया अपनाया तो शेखावाटी की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जायेगी।

रॉक-फास्फेट के आधार पर उधर उद्योग लगाया जाना चाहिए। अगर यही कारखाना धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर में लगाया जायेगा, वह कारखाना उधर ले जाया जायेगा भीलवाड़ा की तरफ और

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
ऊन का कारखाना ब्यावर की तरफ लगाया जायगा तो यह हमारी उपेक्षा होगी और जनता की भावना उभरेगी राजस्थान उसका समर्थन नहीं कर सकता है। मैं नहीं चाहता कि वह हो·····

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

····हम राजस्थान को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से शेखावाटी की उपेक्षा की गई है, शेखावाटी का जिस प्रकार से विनाश किया गया है वह बहुत गलत है। वह बहुत ही गलत है और मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि शेखावाटी में पाइराइट्स के आधार पर खाद का कारखाना, खंडेला की मांग है वहां लगाना चाहिए। वैज्ञानिकों की राय है, यह योजना सरकार के विचाराधीन है। इसमें तुरन्त कार्यवाही कर के पाइराइट्स के आधार पर कारखाना लगाया जाए।

श्री सभापति : श्री ईश्वरलाल सैनी।

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 40, 42 व 43 के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

कई माननीय सदस्य : सुनाई नहीं दे रहा।

श्री खेतसिंह राठौड: सावधानी से सुनिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपा करके व्यवधान न डालें।

श्री ईश्वरलाल सैनी : जो इस समय हमारी पोजीशन है रोडवेज की, वित्त निगम की, गंगानगर शुगर मिल की उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, जनता पार्टी है। जो जनता पार्टी के सदस्य जोर-जोर से बोल रहे हैं उधर बैठे हैं सिमटे हुवे बैठे हैं। जनता ने 28 माह के भ्रष्ट शासन को खतम कर सिमटा कर बैठा दिया है।

एक माननीय सदस्य : नगर परिषद् के घोटाले किस ने किए ?

श्री ईश्वरलाल सैनी : मेरा गला बैठा हुआ है वरना मैं बता देता कि घोटाले आप करने के आदि है या और कोई····

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री दाऊदयाल जोशी : आपका दवाई लेने से गला ठीक हो जाएगा।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आप स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

No interruption, please.

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सभापति महोदय, जब ऐसी व्यवस्था है कि कोई बीच में शोर करें तो उसको बाहर निकाला जाए, तो इनको बाहर क्यों नहीं भेजते ?

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य का गला खराब है, आप उनको ध्यानपूर्वक सुनें।

श्री ईश्वर लाल सैनी : आज सारे निगम लोस में चल रहे हैं उसकी जिम्मेदारी जनता सरकार की है। रोडवेज जो कि हमारे समय में प्राफिट में था आज करोड़ों रुपये के घाटे में चल रहा है, इसकी जिम्मेदारी जनता सरकार की है और जो घोटाले हुए हैं, इनके शासन में हुए हैं। उसमें आपको कुछ मुद्दे पेश करना चाहता हूं। जनता पार्टी के शासन में हमारा खनिज उद्योग है वह नहीं पनपा सके। उद्योग लगा सके न कारखाने खोल सके। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने केवल यह किया कि मंत्री कलकत्ता, मद्रास, बम्बई बड़े-बड़े उद्योगपतियों के पास गए और केवल वहां से चंदा लिया अपना पेट भरने के लिये। एक उद्योग नहीं लगा सके। यही कारण था कि आज हमारे यहां इन्डस्ट्रीज नहीं खुली। बहुत बड़ी समस्यायें हमारे सामने हैं, हम अपने शासन में इन नीतियों में परिवर्तन करेंगे, नई-नई इन्डस्ट्रीज लगायेंगे चन्दा नहीं लेंगे, हम घोटाले नहीं करेंगे, हम घोटालों को सुधारेंगे, जिस अफसरशाही ने घोटाले किए हैं, हम उनको सुधारने का पूरा प्रयत्न करेंगे। जो जनता शासन ने घोटाले किए हैं, मैं थोड़े से बताना चाहता हूं क्योंकि समय कम मिलेगा।

वित्त निगम ने 10 जुलाई, 1978 को डिप्टी मैनेजर की 6 पोस्ट्स और असिस्टेन्ट मैनेजर की 8 पोस्ट्स का एडवर्टाइजमेंट किया। उनको टैक्निकल, लीगल व अकाऊन्ट्स के व्यक्ति लेने थे लेकिन हुआ क्या? धांधली हुई। जो 6 पद भरने थे डिप्टी मैनेजर्स के उसकी जगह 10 पद भर दिए। क्यों किस लिए? मैं पूछना चाहता हूं। उस समय के शासन में इस प्रकार क्यों हुआ? जो 8 पद असिस्टेन्ट मैनेजर्स की जगह थे उनकी जगह 22 व्यक्ति भर्ती किए गए, इनको शर्म आनी चाहिए।

श्री समर्थलाल : सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। क्या शासन से इस प्रकार की आज्ञा है कि कोई भी सदस्य अपनी जगह छोड़ कर दूसरी जगह से बोले?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपका व्यवस्था का प्रश्न सही है। अमूमन माननीय सदस्यों को अपने स्थान से ही बोलना चाहिए लेकिन अभी तक माननीय सदस्यों के स्थान नियत नहीं हुए हैं इसलिए वे दूसरी जगह से बोल सकते हैं। आप जारी रखें। माननीय सदस्य।

श्री ईश्वरलाल सैनी : असिस्टेंट मैनेजर्स के पद के लिए टैक्निकल, लीगल व अकाऊन्ट्स के थे लेकिन उनकी जगह बी.ए. एम.ए. और एम.एस.सी. आदि भी लिए हैं। ये क्यों लिए गए? उस समय की सरकार से पूछना चाहता हूं, आप जांच करा सकते थे, आपने जानबूझ कर ऐसा कुछ नहीं किया, जांच किन्तु हम करायेंगे।

एप्रेन्टिस की 16 पोस्ट्स एडवर्टाइज की गईं उनकी जगह 30 की भर्ती की गई। ये 300/- रुपए स्टाइपेन्ड पर रखे। निगम के रेगुलेशन्स में इस तरह भर्ती नहीं कर सकते। रेगुलर ग्रेड में अस्थाई भर्ती ही की जा सकती है। इस तरह का प्रोवीजन नहीं था और यह धांधली उस समय की गई. लेकिन इस अनियमितता की कोई कार्यवाही नहीं की गई। मैं यह भी आपको बता दूं। इसी प्रकार 300-300, 400-400 रुपये के स्टाइपेन्ड में इन्होंने भर्ती की। इतना ही नहीं

(श्री ईश्वर लाल सैनी)

इन्होंने एडवर्टाइज निकाला कि कुछ डेली वेजिज पर भी रखे हुए है। दो रुपये प्रति घन्टे के हिसाब से भी निगम में भर्ती की गई है। अखबार में 1-12-79 को एडवर्टाइजमेंट निकाला है वह गलत था उनको अस्थाई रूप में रखना चाहिए था। इस प्रकार उन्होंने निगम में धांधली की। मैं आपको और भी बता दूं इस निगम के घोटाले। मैनेजिंग डाइरेक्टर जो थे उन्होंने एक करोड़ रुपए की सबसिडी बिना राज्य सरकार की अनुमति के सीकर व झुन्झुनूं जिले में बांटी। यह राशि ऋण की रकम में से बांटी गई जो कि इन्डस्ट्रियल डवलपमेंट बैंक आफ इन्डिया से महंगे ब्याज पर लाई गई थी। यह सारा इनके शासन में हुआ।

इसके अलावा निगम मे 100 इन्डस्ट्रीज करीब डिफाल्ट में थी। इनसे 10 करोड़ की वसूली करनी थी इनके शासन में लेकिन उनको डिफाल्टर करार दे दिया। होना यह चाहिए था कि उन इन्डस्ट्रीज से रकम वसूल करते। इन्होंने एस एफ सी. एक्ट की 1951 की धारा 29 के अन्तर्गत पजेशन ले लिया। पजेशन में लेकर निलामी की और 25 प्रतिशत जमा करा लिया और 75 प्रतिशत का खरीददार को ऋण दे दिया। परिणाम यह हुआ कि जो 10 करोड़ मिलने चाहिए थे एक करोड़ वसूल हो पाया और 9 करोड़ का घाटा हुआ और वसूली 5 साल आगे चली गई। यदि निगम के अधिकारी और सरकार चाहती तो हमें दस करोड का फायदा होता। 9 करोड़ का घाटा हमे इस शासन दे दिय। यह चक अत्यन्त गम्भीर मसला है। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री से निवेदन करता हूं कि इस घोटाले की तुरन्त जांच करावें।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय बहुत समय ले लिया।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : अभी तक तो हुआ क्या है। आज तो इनका गला ठीक नहीं है। वरना आप देख लेते।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप जरा समय का ध्यान रखें।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर प्लीज। कृपया शान्त रहिये माननीय सदस्य। व्यवधान नहीं डालें। आप जारी रखिये।

श्री ईश्वरलाल सैनी : सभापति महोदय क्रेडिट गारन्टी कार्पोरेशन आफ इन्डिया को लिखते तो वे इन्डस्ट्रीज वालों से वसूल करते तो आपको 90 प्रतिशत मिल सकता था पर, सभापति महोदय, जनता पार्टी की सरकार की गलतियों की वजह से व वित्त कार्पोरेशन को गड़बड़ी की वजह से 9 करोड़ रुपये की वसूली जो हो सकती थी वह नहीं हो सकी। अब इनको पांच साल में वसूल होने का तय किया गया है। इसके साथ-साथ मैं अब आपको वित्त निगम में जो धांधली और घोटाले हुए हैं उनके बारे में कुछ और निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, वित्त निगम के मैनेजिंग डाइरेक्टर श्री रूंगटा के लिये 1600 रुपये महीने का किराये पर एक बंगला लेकर दिया। जिस व्यक्ति की तनख्वाह 2700 रुपया है उसको 1600 रु.

(श्री ईश्वर लाल सैनी)

का बंगला किराया लेकर दिया गया और वह जो बंगला मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कि बंगला किसका था। बंगला था, सभापति महोदय, इनकी जनता पार्टी के केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री सतीशचन्द्र अग्रवाल का। उनको अनुचित लाभ पहुंचाने के लिये उनका यह बंगला श्री रूंगटा साहब को लेकर दिया गया।

(व्यवधान)

सभापति महोदय, उस बंगले की फोटो मेरे पास है, मैं सदन की मेज पर वह फोटो पेश करूंगा।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर आर्डर। कृपया माननीय सदस्य बात नहीं करें।

श्री ईश्वरलाल सैनी : इसके अलावा वहां और जो गड़बड़ी की गयी है वह मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह तो सदन में पूरा स्टेटमेन्ट सदन में पढ़ रहे हैं। हालांकि उनका गला बैठा हुआ है।

श्री ईश्वरलाल सैनी :

"The Manager,
Bank of Rajasthan Ltd.,
M. I. Road, Jaipur.

Dear Sir,

We hereby give you standing instructions that, to the debit of our account with you, a sum of Rs. 1,600.00 may be credited every month to S.B. A/c. No. 14346 of M/s. S. C. Agarwal & Sons. This is towards the monthly rent of their bungalow occupied by the Managing Director of the Corporation for his official residence. This arrangement may be continued till further instructions contrary to it are issued by us.

श्री सभापति : माननीय सदस्य, क्या बोल रहे हैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : सभापति महोदय, मैं सभी कागजात हाउस में पेश कर दूंगा। और बाद में आप चाहें तो हाउस में पढ़ सकते हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : आप सामने बैठने वाले अंग्रेजी नहीं समझते तो हम क्या करें। बहुत अच्छा मैटर है वरना।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, आप जारी रखें।

श्री ईश्वर लाल सैनी : तो, सभापति महोदय, रूंगटा साहब, जिनको वित्त निगम ने मकान किराये लेकर दिया था, कांग्रेस शासन आते ही अपने खुद के बंगले में शिफ्ट हो गये। डर गये। अब वह कैसे रह सकते थे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री ईश्वरलाल सैनी : सभापति महोदय, अब एक दूसरे मकान की भी फोटो सदन में पेश कर सकता हूं जिस बंगले को उन्होंने

(1520)

(श्री ईश्वर लाल सैनी)

400 रुपये में ले रखा है और उसमें उनका चौकीदार रहता है। सभापति महोदय, वह बंगला रूंगटा साहब ने अपने दफ्तर के नाम पर ले रखा है पर रहता है उसमें उनका चौकीदार। कितना पैसा बरबाद किया है। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के घोटालों की मुख्य मंत्री द्वारा जांच की जानी चाहिये और भ्रष्ट दोषी लोगों के खिलाफ में कार्यवाही की जानी चाहिये।

सभापति महोदय, अब मैं थोड़ा आप को खनिज विभाग के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, जनता सरकार के मंत्री जो थे उन्होंने बहुत से घोटाले खनिज विभाग में किए हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : सभापति महोदय, ऑन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री सभापति : माननीय सदस्य सैनी जी, आप स्थान ग्रहण करें। पाइन्ट आफ आर्डर।

व्यवस्था का प्रश्न

सदनेतर व्यक्ति पर अध्यक्ष महोदय को पूर्व सूचना दिये बगैर आरोप

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : सभापति महोदय, आसन की यह व्यवस्था है कि कोई भी सदस्य अगर हाउस में उपस्थित नहीं हो और अगर हाउस में उपस्थित भी हो तो बिना उसको पूर्व सूचना दिये उस पर आरोप सदन में नहीं लगाया जा सकता है। यहां पर माननीय सदस्य आरोप लगा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा रहा है।

श्री भंवरलाल शर्मा : सभापति महोदय व्यक्ति विशेष के विरुद्ध चार्ज लगा रहे हैं।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : सभापति महोदय, इसमें व्यवस्था का क्या प्रश्न है। माननीय सदस्य बात कह रहे हैं, राजकीय उपक्रम विभाग की मांगों पर बहस चल रही है, सरकार को घाटा हुआ है, वह घाटा किस तरह हुआ है और उसमें किस तरह से सुधार किया जा सकता है वह बता रहे हैं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : सभापति महोदय, यह तो रिकार्ड पेश कर रहे हैं। इसमें क्या है। सतीशचन्द्र जी का बंगला था और रूंगटा साहब ने किराया पर लिया था।

(व्यवधान अश्रव्य)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसको मैं स्वीकार करने में असमर्थ हूं क्योंकि माननीय सदस्य तो फैक्चुअल पोजीशन है वह बता रहे हैं किसी सदस्य पर आरोप नहीं लगा रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : मकान पर आरोप लगा रहे हैं।

श्री सभापति : किसी पर आरोप नहीं लगाया है इसलिये मैं आपके व्यवस्था के प्रश्न को अस्वीकार करता हूं। माननीय सदस्य, आप जल्दी समाप्त करें।

श्री ईश्वरलाल सैनी : सभापति महोदय, उस वक्त जनता पार्टी का शासन था।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपको 15 मिनट से ज्यादा समय हो गया है।

(श्री सभापति)
आप दो मिनट में अपना भाषण समाप्त करें।

श्री ईश्वरलाल सैनी : सभापति महोदय, मेरा गला बैठा हुआ है मुझे थोड़ा बोलने का मौका दें। सभापति महोदय, खनिज विभाग के जो मंत्री थे उन्होंने खानों का ठेका देने में बहुत घोटाले किये। नन्दलाल अग्रवाल की माइन्स थी। सभापति महोदय, इस ठेकेदार की खान में 6 व्यक्ति मारे गये। उसकी जांच की गई पर आज तक कोई कार्यवाही दोषी लोगों के खिलाफ में नहीं हुई। मेरा निवेदन है मुख्य मंत्री जी से कि इसकी सही जांच करा कर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ में कार्यवाही करें। मुख्य मंत्री जी, आपके पास वह जांच रिपोर्ट पड़ी है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन खानों का अभी तक एग्रीमेन्ट नहीं हुआ है वह खान चालू कर दी गयी हैं? वह खान उस वक्त अलॉट की गयी थीं जब कि यह मंत्री थे और इनकी सरकार जाने वाली थी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब आप स्थान ग्रहण करें।

श्री ईश्वरलाल सैनी : सभापति महोदय, यहां पर जनता पार्टी के सदस्य लोग बलात्कार की बहुत चीख करते हैं। मैं, सभापति महोदय, यह बताना चाहूंगा कि इनके समय में इस सदन में बलात्कार काण्ड की बहुत गूंज हुई थी और, सभापति महोदय, अखबारों में भी आया था। मीरा गर्ल्स कालेज उदयपुर का काण्ड विख्यात है। सभापति महोदय, विधान सभा के पत्रकार कक्ष में उन्होंने सनसनी खेज जानकारी दी थी। जनता पार्टी की सरकार में हमारी महिलाओं के साथ क्या क्या हुआ वह मैं नहीं बताना चाहता हूं, वह तो उस समय के अखबार जाकर पढ़ लें। इनको शर्म आनी चाहिए।

श्री गोपाल पचेरवाल : सभापति महोदय...

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज।

श्री ईश्वरलाल सैनी : सभापति महोदय, जब यह मंत्री थे तो इन्होंने कुछ नहीं किया बल्कि बलात्कार काण्ड ही किये मैं सदन में वह अखबार पेश करना चाहता हूं जिनमें इनके काण्डों का वर्णन है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, आप विराज जावें।

(व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : सभापति महोदय, अब थोड़ा राजकीय उपक्रमों को जो घाटा हुआ है वह मैं आपको पेश करना चाहता हूं।

श्री सभापति : आप कृपया समय का ध्यान रखें। माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। अगर आपको किसी माननीय सदस्य के बारे में कहना है तो पहले आपको उन्हें नोटिस देना चाहिये।

श्री ईश्वरलाल सैनी : सभापति महोदय, मैंने नाम नहीं लिया है। मैंने तो उस समय के खनिज मंत्री का कहा।

श्री सभापति : पर वह इस सदन के माननीय सदस्य हैं।

श्री ईश्वरलाल सैनी : सभापति महोदय, मैंने नाम नहीं लिया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। व्यवस्था का प्रश्न आया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इस समय जो बहस चल रही है इसमें बलात्कार का प्रश्न उठाया है जो यह नहीं उठा सकते।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आप समाप्त करें अपनी बात को। आप स्थान ग्रहण कीजिए। आपने समय अधिक ले लिया है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : सभापति महोदय, श्री एम. जे. मजीठिया आई. ए. एस. सन् 1967-68-69 में रोडवेज के जनरल मैनेजर रहे हैं...

श्री भंवरलाल शर्मा : कुछ समझ में नहीं आ रहा है, साहब।

श्री सभापति : इन्हीं के दल का समय ले रहे हैं। इन्हीं के दल का समय रह जायेगा।

(6.22 सायं)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री ईश्वरलाल सैनी : और उसी समय रोडवेज में चीफ इन्जीनियर श्री चक्रपाणी थे जो कि बहुत ही ईमानदार आदमी थे और चूंकि चक्रपाणी जी ने उनका साथ नहीं दिया तो उनको वहां से छोड़ कर जाना पड़ा। इन घोटालों में हमारी सरकार ने उनको बाहर भेज दिया पर जब जनता सरकार आई तो उसी आफिसर को वहां पर चेयरमैन बना दिया रोडवेज का। अब आप देख लीजिए कि वहां किस कदर घोटाले हो रहे हैं। इसका कारण हमारे रोडवेज के अधिकारी नहीं और हमारी सरकार भी नहीं है। यही नहीं, मैं कुछ रोडवेज के तथ्य पेश करना चाहता हूं। हमारी सरकार ने उनको डेपुटेशन पर बाहर भिजवा दिया जहां वर्षों तक पोर्ट कमिश्नर गोआ पड़े रहे। जनता शासन में वह पुनः आये और उनको वापिस रोडवेज का चेयरमैन बना दिया और पुनः घोटाले टायर और बसों की खरीद फरोख्त में किए। मेरी मांग है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को हटाया जाये।

सभापति महोदय, 75 बसें रोडवेज को सरकार के कोटे में अलाट की गयी थीं किन्तु रोडवेज के पास खरीदने को पैसा नहीं था और वित्त निगम रोडवेज को लोन नहीं दे सकता था। वित्त निगम प्राइवेट ओनर्स को ऋण दे सकता था। रोडवेज को कहा

(श्री ईश्वर लाल सैनी)

गया कि वह रोडवेज के सरकारी कोटे में से खरीदें। रोडवेज के एडवर्टाइजमेंट में अशोका लीलैण्ड का टाइगर चेसिस देने की बात थी किन्तु उस समय इस चेसिस पर दस हजार का ब्लैक था और डीलर के पास अशोका के कुछ वाइकिंग चेसिस पड़े थे ....

श्री अध्यक्ष : कृपया शीघ्र समाप्त करें।

श्री ईश्वरलाल सैनी : वित्त निगम व रोडवेज के अधिकारियों ने मिलकर वहां सांठ गांठ कर ली, भ्रष्ट तरीका अपनाया।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। बहुत कष्ट हो रहा है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : जो बसें प्राइवेट आपरेटर्स को गवर्नमेन्ट रेट पर मिलतीं वह बाजार दर पर मिलीं और दोनों का डिफरेन्स अधिकारी खा गये। जिन 53 बसों को निगम ने लोन दिया उनका वायदा किया कि वे एक ही बाडी बिल्डर से बाडी बनवायें और इसमें दोनों निगमों ने मिल कर घोटाले किये। इनकी मिली भगत से लाखों का घोटाला हुआ।

श्री अध्यक्ष : बहुत अवसर आयेंगे माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री ईश्वरलाल सैनी : यह इनके शासनकाल में हुआ और मैं समझता हूं कि हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार सारी चीजों पर विचार करेगी और सारे काम को सुचारु रूप से चलायेगी और जो घोटाले हुए हैं हमारे मुख्य मंत्री जी उन घोटालों को खतम करायेंगे। इनकी जांच करायेंगे। भ्रष्ट अधिकारियों को सजा देंगे।

अन्त में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि अलवर में लीलैण्ड बस का कारखाना लगाना चाहिए। उस लीलैण्ड बस के कारखाने के लिए लिख कर दिया है कम्पनी वालों ने कि हम अलवर में यह कारखाना खोलना चाहते हैं इसलिए मैं आपसे और मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करता हूं कि वह लीलैण्ड का कारखाना अलवर में जल्दी से जल्दी लगवायें। इसकी घोषणा करें।

अन्त में जो अरावली स्कूटर में घोटाले हुए हैं और जो कारखाना आज बन्द पड़ा है उसको दुबारा चालू करने के लिए मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं। जो आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद देता हूं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड : अध्यक्ष महोदय, आज की मांगें जब तक पारित हों तब तक के लिए समय बढ़ा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि मांग पारित होने तक समय बढ़ाया जाय।

(स्वीकृत)

सदन की अनुमति से मांगों के पारण तक के लिए समय बढ़ाया गया।

मांग सं. 40, 42 व 43 पर विचार

श्री हंसराज शर्मा : कृपया समय का ध्यान रखें। 5-7 मिनट में ही अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्ताव के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। सबसे प्रथम सवाई मधोपुर स्थित जयपुर उद्योग को सरकार द्वारा अधिग्रहण करने के बारे में

(श्री हंसराज शर्मा)

कुछ जिक्र करना चाहता हूं। इस सन्दर्भ में मेरा निवेदन है कि यह उद्योग एशिया का सबसे बड़ा सीमेन्ट का कारखाना है और इसकी स्थिति अब दयनीय हो रही है। यहां पर कर्मचारियों द्वारा जो इसका संचालन किया जा रहा है वह व्यवस्थित रूप से नहीं चल रहा है। वहां पर जो मशीनें हैं वह प्रायः घिस चुकी हैं और नयी मशीनें लगाने की स्थिति में उनके मालिक नहीं हैं। उस पर करोड़ों रुपया राजस्थान सरकार का लगा हुआ है। करोड़ों रुपया बैंक का है और रेलवे का और बिजली भी बकाया हैं। इसके अलावा वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों का लाखों रुपया बीमा का बकाया है। वह बहुत ही दयनीय स्थिति में चल रही है। राज्य सरकार को उसे अपने अधीन लेना चाहिए। यदि राज्य सरकार ने उसको ले लिया तो राज्य सरकार के माध्यम से उसे चलाने में अति सुविधा रहेगी और लोगों को मजदूरी मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा सीमेन्ट का उत्पादन होगा और देश में जो सीमेन्ट की कमी आ रही है उसकी भी पूर्ति होगी। इस सन्दर्भ में मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय पर भी निवेदन किया था। कहीं ऐसा न हो कि आप केन्द्र की मीठी मीठी बातों में आ जायें और केन्द्र सरकार उसे अपने हाथ में ले ले। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस सवाई माधोपुर के सीमेन्ट कारखाने को तुरन्त ही राज्य सरकार के अधीन ले लेना चाहिए। यह कारखाना बहुत ज्यादा नुकसान में जा रहा है और नुकसान का कारण क्या है मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इससे पहले जब कांग्रेस सरकार थी उन्होंने करोड़ों रुपयों का चन्दा लिया है लाखों रुपया चन्दा दिया है। यहां तक भी है कि 50-50 गाड़ियां एक इलेक्शन में दी हैं और यहां पर जो लोग सरकार में बैठे हैं उनके भाई भतीजों को दो दो हजार माहवारी की तनख्वाह पर सीमेन्ट फैक्ट्री में लगा रखा है। वहां जो अधिकारी हैं उनकी जांच की जाये और उनको हटाया जाये और भाई भतीजावाद से कारखाने को मुक्ति दिला कर करोड़ों रुपये का उत्पादन किया जाये तो उचित रहेगा बहुत सुन्दर होगा। एक सदस्य ने कहा था कि कारखाना नुकसान में क्यों जा रहा है। मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि उस कारखाने का जो असली तत्व था वह आपकी पार्टी के लोग खा गये हैं और खाने वाले लोगों ने वहां दूसरे कारखाने नहीं लगने दिये। इस प्रकार के बड़े बड़े उदाहरण हैं। आप से निवेदन करना चाहता हूं कि कारखाने लगने चाहियें। यह कारखाना क्यों नहीं लगा इसका कारण है वहां जो मालिक थे उनके जो मैनेजर थे, राठी जी और के.एल. जैन, ने सरकार से सांठ गांठ की। सवाई माधोपुर में नहीं लगने दिया। जिन लोगों को मजदूरी मिलती, उनको वंचित कर दिया। जो कारखाना राजस्थान में लगने वाला था दूसरी जगह लगाया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि सर्वे के आधार पर जो खाद के कारखाने की योजना है, वह सवाई माधोपुर में लगाया जाये। वह राजस्थान का बैकवर्ड जिला है। केन्द्र सरकार ने भी बैकवर्ड घोषित कर रखा है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना

(श्री हंसराज शर्मा)

चाहता हूं कि वहां काफी मजदूर लोग रहते हैं, पानी खूब है। छोटी बड़ी रेलवे लाइन का साधन है, नेशनल हाईवे बनने जा रहा है इसलिये खाद का कारखाना यदि सवाई-माधोपुर में लगा दिया जाये तो वहां लोगों को रोजी मिलेगी, गरीबी दूर होगी।

दूसरा मेरा निवेदन है कि सवाई माधोपुर में छोटे उद्योगों का काफी स्कोप है। सवाई-माधोपुर में हजारों की संख्या में रंगाई और छपाई के कारीगर बेरोजगार हैं। इस प्रकार के छोटे उद्योग यदि वहां लगा दिये जायें तो माल बाहर के कारीगर करते हैं वह वहां माल तैयार हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, लकड़ी के उद्योग इस क्षेत्र में थे, अच्छा अच्छा सामान तैयार होता था लेकिन लकड़ी के अभाव में ये कारखाने ठप्प हो गये हैं। यदि, अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार वहां पर इसका कोई बड़ा उद्योग कायम करे तो वहां हजारों की तादाद में कारीगर हैं।

इसके अलावा हमारे क्षेत्र में आपके जो टेलीफोन की चिड़िया बनती है सफेद उसका भी पदार्थ हमारे यहां सवाई माधोपुर में निकलता है। अध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर उसका उपयोग किया जाय तो उसका भी बहुत बड़ा उद्योग वहां लग सकता है। और आसानी से चल सकता है, सरकार को लाखों का फायदा होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में मूंगफली बहुत पैदा होती है उसके आधार पर उद्योग के नाम पर उस क्षेत्र में एक डालडा की फैक्ट्री डाल दी जाये तो आसानी से पनप सकती है। आसानी से मजदूर मिलेगा, पानी मिलेगा, मूंगफली मिलेगी, तेल मिलेगा। इसको मद्देनजर रखते हुए मैं उद्योग मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि राजस्थान के हजारों लोग, बंगाल, बिहार, आसाम में जिन्होंने बड़े बड़े उद्योग लगाये हैं, उद्योगपतियों को इस बात के लिये राजी करें और किसी प्रकार से लाइसेंस देने में जो भ्रष्टाचार का स्थान है उसको हटायें और राजस्थान के विकास के लिये, जो बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, और जिन्हें वहां के लोग परेशान कर रहे हैं, उन से बचने के लिये हमारे यहां उद्योग लगायें, तो बहुत सुन्दर होगा।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा खनिज के लिये निवेदन करना चाहूंगा। अपने कटौती प्रस्ताव के संदर्भ में इस विभाग में कांग्रेस के शासन काल से अब तक ऐसी परम्परा चल रही है जैसे जागीरदार के बाद उसका लड़का ही मालिक बने, इस प्रकार बड़े-बड़े लीडरों ने बड़ी-बड़ी खानें ठेके पर ले रखी हैं। उन पर रायल्टी के नाम पर वर्षों से जागीरदार बन रहे हैं। अधिकारियों से मिल भ्रष्टाचार के माध्यम से पुनः अपने नाम अलाट करवा लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो जागीरदारी प्रथा चल रही है, बड़े-बड़े लोगों के नाम पर, उनके चपरासियों के नाम पर, भाई भतीजों के नाम पर जो खानें हैं उनसे मुक्ति दिलाई जाये और उनको नीलाम किया जाये। राजस्थान सरकार को करोड़ों रुपयों का फायदा होगा और जो बजट में घाटा आ रहा है उसकी पूर्ति हो सकेगी।

(158)

(श्री हंस राज शर्मा)

अध्यक्ष महोदय, हमारे सवाई माधोपुर करौली क्षेत्र में एक बहुत बड़ा पहाड़ है और उस पहाड़ के अन्दर बहुत बढ़िया पत्थर है जिससे सीमेंट के कारखाने का बहुत स्कोप है। अध्यक्ष महोदय, इन्द्रगढ़ में सीमेंट का कारखाना लगाया जा सकता है। सवाई माधोपुर में सीमेंट का बड़ा कारखाना लगाया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बड़े-बड़े लोगों को बुला कर सवाई माधोपुर में कारखाने लगाये जायें इससे सरकार को काफी फायदा होगा। अध्यक्ष महोदय, बनास नदी की रायल्टी के नाम पर लाखों रुपयों की रेती बेची जाती है। कुछ समय बाद सरकार के और ठेकेदारों के मतभेद हो गया और उसके बाद राज्य के कर्मचारियों द्वारा सेल्स टैक्स लगा कर बेचा जाता है। और अधिकारी लोग आधा ठेके पर देते हैं और आधा खुली कर देते हैं। इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। सरकार यदि इस क्षेत्र को नीलाम करे, तो लाखों रुपयों का फायदा होगा। घाटे की पूर्ति करने में बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। इसके अलावा हमारे क्षेत्र में लोहे की खानें हैं · · ·

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

वहां के सर्वेक्षण के आधार पर वैज्ञानिकों ने लोहा बताया है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार से इसका सर्वेक्षण कराया जाये जो अमूल्य चीजें हैं उनको निकाला जाये। उनके अधिकारियों ने निकालना बंद कर दिया है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इसको जल्दी चालू किया जावे। इसी प्रकार से ग्राम बजारी में एक खान थी उसमें एक तरल पदार्थ निकलता था। उससे सरकार को बहुत बड़ा फायदा होगा, बहुत बड़ा लाभ होगा। जो घाटे की स्थिति है उसकी पूर्ति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ, अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि सवाई माधोपुर जिले, जो पिछड़ा हुआ इलाका है, केन्द्र सरकार ने भी पिछड़ा हुआ जिला घोषित कर रखा है, को मद्दे नजर रखते हुए उस क्षेत्र के विकास की दृष्टि से काम करने का कष्ट करें, उद्योग खोलें, छोटे-छोटे उद्योग खोलें, बड़े उद्योगों में जो गफला हुआ है, उसकी जांच करें। यदि जनता पार्टी ने घोटाला किया है, जांच कीजिये, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कोई घपला किया है तो उसकी जांच करें लेकिन कम से कम आपकी सरकार इस प्रकार का निर्णय तो ले जो नगरपालिकाओं में भ्रष्टाचार करते हैं, माइनिंग में भ्रष्टाचार करते हैं, कारखानों में भ्रष्टाचार बताया करते हैं, वह भ्रष्टाचार मिटाया जाय तो राजस्थान का जो बजट घाटे में जा रहा है उसमें को कम करने में आपका बहुत बड़ा योग दान होगा। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री अमरा राम !

श्री अमरा राम (पचपदरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग नम्बर 40 और 42 की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा पिछले वर्ष मेरे क्षेत्र में यानि पचपदरा में भयंकर बाढ़ आई जिसके कारण हमारे जो खारवाल भाई, नमक का धन्धा करते हैं, जो परम्परा से करते हैं उनकी खानें नष्ट हो गई। उन खानों के नष्ट होने के बाद

(श्री अमराराम)

राज्य सरकार की ओर से जो उनके सुधार के लिये प्रयत्न करना चाहिए था कि किसी प्रकार से हमारे नमक उद्योग का विकास हो और जितनी जो मदद करनी चाहिये थी, वह नहीं की गई। हमारे यहां आज भी ऐसे खारवाल भाई हैं जिनकी खानें नष्ट हो गई हैं और एक खान को तैयार करने के लिये कम से कम उनको 20–25 हजार की लागत हर साल लगानी पड़ती है। तो, बाढ़ से खानें नष्ट हो गई हैं और खारवाल भाइयों ने कुछ ऋण ले कर खाने तैयार करवाई हैं। अभी मौजूदा समय में भी 428 खाने हैं वे वर्किंग कर रही हैं लेकिन बहुत से ऐसे भी खारवाल भाई हैं, उनकी जो खानें नष्ट हुई हैं उन्होंने वापस तैयार करवायी हैं लेकिन उनको अभी तक ऋण नहीं दिया गया है—कारण कि उन्होंने अपने पैसों से खुदवाई हैं लेकिन लोन इसलिए सैंक्शन नहीं हुआ कि उन्होंने खानों को बढ़ा दिया। उन्होंने खान नहीं बढ़ायी है, यह तो वहां के अधिकारियों की और वहां के टैक्निशियनों की जो रिपोर्ट है उसमें यह दर्शाया है कि उन्होंने खानें बढ़ा दी हैं वल्कि खानें तो बाढ़ के कारण खड्डे से पड़ने बढ़ गई हैं। खारवाल भाइयों ने खान नहीं बढ़ाई।

डीडवाना में जो नमक निकलता है वहां पर रियायत दी गई है 10 पर्सेन्ट या 25 पर्सेन्ट तो हमारे यहां जो खानें बाढ़ से नष्ट हो गई हैं उनको भी रियायत देनी चाहिये। जो बड़ी मुश्किल से खान तैयार करते हैं उनको मदद मिल सके। वैसे पचपदरा में आज से नहीं सैंकड़ों वर्षों से नमक निकलता है और राजस्थान में जो पचपदरा का नमक है वह बहुत बढ़िया किस्म का नमक है। यहां पर एक बार प्रकाश चन्द जी सेठी पधारे थे, उन्होंने कहा था यहां पर ऐसे उद्योग लगाये जायं ताकि रेगिस्तान में रहने वाले मजदूरों को मजदूरी मिल सके। मेरा यह सुझाव है राज्य सरकार रासायनिक खाद का कारखाना पचपदरा में खोले ताकि जो बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है वह हल हो सके। वैसे इस क्षेत्र में हमारे यहां के खारवाल भाइयों के लिये और खानों पर काम करने वाले मजदूरों के लिये पीने के पानी की बडी समस्या है। हमारे यहां गर्मी में क्या होता है, बिजली बन्द हो जाती है और 10 कोस की दूरी पर पानी नहीं मिलता है। दिन में एक बार जब शाम को ट्रेन आती है तो थोड़ा बहुत पानी उस रेलवे के द्वारा मिलता है इसलिये पानी की विकट समस्या है। वैसे साल्ट उद्योग की तरफ से पाइप लाइन जरूर है लेकिन जो ओवर हैड टैंक बना हुआ है उसकी इतनी केपेसिटी नहीं है। जिससे जो सैंकड़ों मजदूर वहां काम करते हैं और गर्मी के अन्दर इतनी गर्मी पड़ती है क्योंकि पेड़ भी वहां बहुत कम हैं—खार भी आया हुआ है और जहां पानी की जरूरत पड़ती है उधर उन दिनों पानी की व्यवस्था नहीं होती है तो ऐसे समय में खानों की खुदाई नहीं होती है, मजदूर भी कम मिलते हैं और मजदूरी कम मिलने से जो नमक का उत्पादन होता है वह ज्यादा नहीं होता है। तो नमक के ज्यादा उत्पादन के लिये हमारे यहां पर रोडे भी होनी चाहिये और पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिये। इस वर्ष बिजली की कटौती के कारण बहुत भयंकर समस्या रही और नमक का जो उत्पादन होना चाहिये, वह नहीं हुआ।

158

(श्री अमराराम)

एक हमारे यहां खारवाल भाइयों की यह तकलीफ भी है खारवाल भाइयों को जो पैसा दिया जा रहा है, उसको कुटुम्ब चलाने के लिये वह सवा चार रुपया दिया जा रहा है। यह रेट कम है इसको बढ़ा कर मैं सरकार से यह निवेदन कर रहा हूं कि रेट पांच रुपये या 6 रुपये की जाय क्योंकि मजदूरों की मजदूरी बढ़ गई है और महंगाई बढ़ रही है तो इसके साथ ही जो नमक का उत्पादन करते हैं और जिनकी रेट गवर्नमेंट ने फिक्स की है वह भी इन्क्रीज होनी चाहिये।

इसके साथ साथ दूसरी जो मांग है--उद्योगों के बारे में वैसे बाड़मेर जिले की और उद्योगों के बारे में, मरु प्रदेश होने के कारण और राजस्थान के पश्चिमी बोर्डर पर होने के कारण सरकार ने बहुत कम ध्यान दिया है और जनता शासन ने तो अपने ढाई साल के शासन में इस बाड़मेर क्षेत्र की उद्योगों की दृष्टि से पूरी उपेक्षा की है। जनता शासन के आने से पूर्व हमारे यहां एक कलेक्टर थे ए. के. सक्सैना साहब उन्होंने एक बहुत अच्छा नक्शा बनाया था। उनकी सराहना मैं आज इस सदन में कर रहा हूं। उन्होंने हमारे यहां डाइंग और प्रिन्टिंग उद्योग को पनपाया और आज हमारे यहां डाइंग और प्रिन्टिंग उद्योग 400–450 की संख्या में हैं लेकिन इस साल पावर नहीं मिलने के कारण डाइंग और प्रिन्टिंग उद्योगों में जो फायदा मिलना चाहिये था वह नहीं मिल सका। बिजली के कारण उद्योग बन्द रहे। जब ऐसी व्यवस्था नहीं होती है और बिजली बन्द रहती है तो मैं सरकार को सुझाव देता हूं कि जनरेटर लगाने चाहिये ताकि जो हमारे उद्योग हैं, क्योंकि कपड़े की धुलाई पानी से होती है और बिजली नहीं आती है तो जनरेटर चलेगा तो पानी आ जायगा और उद्योग धन्धा चलेगा और मजदूर भी बेकार नहीं बैठेगा, उनको मजदूरी मिलती रहेगी। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां रंगाई और छपाई का जो उद्योग है वह सारे हिन्दुस्तान में मशहूर है। अगर ऐसे क्षेत्र में बिजली बन्द हो जाय तो वहां के मजदूरों को और जो उद्योग चलाते हैं उनको बड़ा भारी नुकसान होगा। इसके अलावा मेरा निवेदन है हमारे यहां कुटीर उद्योग भी हैं लेकिन बहुत कम हैं। उनको सरकार से जो मदद होनी चाहिये वह बहुत कम हो रही है। उसके लिये मेरा सुझाव है कुटीर उद्योग वालों को ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया जाय ताकि वे घर बैठ कर और छोटे छोटे उद्योग खोल कर अपनी जीविकोपार्जन कर सकें। हमारे बालोतरा में नेहरू कालोनी है वहीं पर अधिकतर ये उद्योग चलते हैं और चमड़े की रंगाई, बुनाई का काम होता है लेकिन मौजूदा समय ऐसा है कि नेहरू कालोनी में पानी भरा हुआ है। वहां के कुटीर उद्योग अब ठप पड़े हैं--बरसात ज्यादा होने से पानी भर गया है और उससे मलेरिया भी फैल गया है। ऐसे जो कुटीर उद्योग वाले हैं उनकी कालोनी में से सरकार को तुरन्त पानी निकालने की व्यवस्था करनी चाहिये।

मेरा एक यह भी निवेदन है हमारे यहां बाड़मेर जिले में खड़ी निकलती है। मेरे क्षेत्र में भी भोजावास में खड़ी निकलती है। जनता सरकार ने जहां खड़ी नहीं निकलती है अथवा घटिया किस्म की खड़ी निकलती

(श्री अमरा राम)

है वहां तो इन्होंने एक जनसंघी को परमिट दिया है। नेकरधारी को परमिट दिया है। जिस से और उसी अन्त्योदय के अन्दर जमीन इन्होंने हमारे गरीब लोगों को अलाट कर दी उसकी वजह से वहां झगड़े हो गये। अब एक कहता है कि मैं इधर खड्डी खोदूंगा और दूसरा कहता है कि मैं इस पर खेती करूंगा तो इस प्रकार जनता सरकार ने परमिट दे कर के, लाइसेन्स दे कर के अपने जनसंघियों को खुश करने के लिए ऐसा किया।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री अमरा राम : और इन्होंने एक सैकिन्ड, इस प्रकार से यह कहा कि हमारे जनता सरकार के जमाने में यह हुआ। वह हुआ। इसकी न तो कोई नीति थी और न कोई रीति थी। ये तो यही चिन्ता करते थे कि ये कहां से आये और कहां गए और ये क्या कर रहे हैं और कल ये लोग शायद बोल रहे थे. जोर जोर से कि साहब ऐसा हो रहा है. ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे भाई, ढाई महीने हुए हैं, आपने ढाई साल में क्या किया बर्बाद कर दिया देश को तो मैं यह कहता हूं कि इनको शर्म आनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री महा राम !

श्री महा राम चौधरी (नागौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजकीय उपक्रमों के सम्बन्ध में मैं आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज जो उपक्रम सरकार के लिए घाटे में चल रहे हैं, तो ऐसे उपक्रम चलाने का क्या मतलब है। इसमें तो उनकी रीति नीति या उनके सर्वे वगैरह की भी करने की आवश्यकता नहीं है। जो घाटे में उपक्रम चल रहा है, उनको तो तुरन्त ही बन्द कर देना चाहिए। जैसे ये रोडवेज की बसें जो चल रही हैं, इसमें तो इतनी असुविधायें हैं कि जिसमें कोई आदमी कभी भी यह विचार करले कि यह बस तो टाइम पर पहुंच ही जायेगी लेकिन वह बसें सामान सुविधा से सुसज्जित न होने की वजह से, टाइम पर नहीं पहुंचती है और उनमें भ्रष्टाचार भी काफी है। जो कण्डक्टर वगैरह उसमें लगे हुए रहते हैं, वे करीब-करीब 50 पर्सेन्ट आदमी तो इस प्रकार यूं ही बैठा लेते हैं। हमारे नागौर डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट का आखरी गांव, करनू है, जो फलौदी तहसील में लगता है, उस जगह जो रोडवेज की पिछले टाइम में बस चलती थी; उस बस को यह कह कर बन्द कर दिया गया कि इसमें गल्ला नहीं आता और गल्ला उसमें आता भी कैसे। जिस बस में टिकट भी न कटे तो गल्ला वहां पर आयेगा कैसे। बसों में पैसेन्जर जाते हैं, उन बसों के साथ न तो स्टेपनी होती है और न पेचकस वगैरह की होते हैं और न उनके पास टूल्स होते हैं। अगर रास्ते में पंक्चर वगैरह भी हो जाये तो रास्ते में पंक्चर वगैरह भी नहीं निकाल सकते। इससे तो जो प्राइवेट बसें ही अच्छी है जिस पर रोडवेज की बसों की इतनी तैयारी से न होने से यह जो प्राइवेट बस लगती है अधिकारियों का कमीशन भी तय हो जाता है।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : यह तो महाराम जी जनता के शासन में

(160)

(श्री खेतसिंह राठौड़)
"जियो और जीने दो" नहीं था "यह तो चलो और चलने दो था।

श्री महा राम चौधरी : यह तो कांग्रेस के टाइम में भी थी और जनता के टाइम में भी थी और अब पता नहीं कब सुधरेगा। जनता पार्टी के समय में जो असुविधायें हुई थीं उनको तो आप कम से कम सुधारने का प्रयत्न कीजिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री महा राम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन राजकीय उपक्रमों के अन्दर सरकार को इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए कि इनको कुशलता से चलायें और अपने तरह से अगर ठीक ढंग से चलाया जाय तो इसमें यात्रियों को सब तरह की सुविधायें उपलब्ध हो सकती हैं।

उद्योगों के सम्बन्ध में मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जो कुटीर उद्योग ग्रामीणों को प्रोत्साहन देने के लिए, उनका विकास करने के लिए हैं, ज्यादा से ज्यादा कुटीर उद्योग हों, चमड़े के हों, खादी और ग्रामोद्योगों के जो बुनाई के हैं या इस तरह के उद्योग ज्यादा लगने चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री तेज पाल !

श्री तेज पाल यादव (चौमू) : माननीय अध्यक्षजी, उद्योगों के सम्बन्ध में मांग संख्या 42 पर कटौती प्रस्ताव रखना चाहता हूं। मेरा निवेदन यह है कि जो रोडवेज में व्यवस्था है, उसके बारे में मैं कुछ सुझाव पेश करना चाहता हूं। आज रोडवेज में जो घाटा है, वह अव्यवस्था के कारण है। जो प्राइवेट बसें हैं, वे इतना खर्चा देने के बावजूद भी घाटे में नहीं चलती हैं। ये कोई भी धन्धा जिसका राष्ट्रीयकरण कर लिया जाता है वह जनता के लिए एक सफेद हाथी बन जाता है। उसका कारण मेरी समझ में यही है कि अव्यवस्था है। आज आपको उदाहरण पेश करूं आर. एस. जी. बस नम्बर 5410 हैं सारे यात्री बिना टिकट चल रहे हैं सी. टी. एस. के। तो इस प्रकार मेरा निवेदन है कि अधिकारियों पर वह जिम्मेदारी डाली जाय कि जितनी भी पूंजी आती है, सहकारी उद्योग में लगायी जाय, उसका मिनिमम ब्याज और उसकी घिसावट काट कर उसका मिनिमम नफा उसमें तय होना चाहिए। अगर उसमें इनकम न हो तो उन अधिकारियों की रेसपोन्सिबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए।

दूसरे खानों के बारे में मेरा सुझाव है कि मोरीला स्थान पर, मेरे क्षेत्र में है, उसमें 80 पर्सेन्ट लोहा है, पहले इसका सर्वे भी किया गया था लेकिन उसमें अभी तक कोई उद्योग को कार्य को चालू नहीं किया गया, अगर इसको चालू कर दिया जाय तो बेरोजगारी दूर होगी, कम से कम 10 हजार आदमियों को इस से रोजगार मिल सकता है और सरकारी खजाने में भी काफी आमदनी होगी इसलिए मेरा सुझाव है, आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस मोरीला ग्राम में जो लोहा प्रचुर मात्रा में है इसमें मिनी इस्पात कारखाना स्थापित कर के इस क्षेत्र की जो एक ज्वलन्त समस्या है उसको हल करने की व्यवस्था की जाय। सामोद में सिलिका काफी निकलता है और बाहर जाता

(श्री तेजपाल यादव)

है इसलिए मेरा निवेदन यह है कि सामोद में सिलिका आधारित उद्योग की स्थापना की जाय।

मैं गलीचा उद्योग के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ कि छोटे छोटे गांवों के अन्दर ये गलीचा उद्योग भी काफी मात्रा में चल रहे हैं। गलीचा उद्योग जो चल रहे हैं वे बच्चों का इतना शोषण कर रहे हैं जिसको देखा नहीं जा सकता। मेरा निवेदन यह है कि सहकारी क्षेत्र में इस गलीचा उद्योग की स्थापना की जाय। मेरा यही कटौती प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्द लाल मीणा ! कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री नन्द लाल मीणा (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं औद्योगिक क्षेत्र में प्रतापगढ़ तहसील, जो चित्तौड़गढ़ जिले के अन्तर्गत आती है, के विकास के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। जनता सरकार के शासन में आने के बाद, जो यह प्रतापगढ़ तहसील ट्राइबल एरिया योजना के अन्तर्गत आती है, सारे ट्राइबल एरिया में राजस्थान के अन्दर जिलों की तरफ अधिक से अधिक उद्योग लगें यह जनता सरकार का प्रयास रहा था सब से बड़ी दिक्कत इस ट्राइबल एरिया में आती थी कि डवलपमेन्ट चार्जेज की वजह से कोई भी उद्यमी इस ट्राइबल एरिया में उद्योग नहीं लगाता था। जनता सरकार ने यह व्यवस्था की कि राज्य सरकार डवलपमेन्ट चार्जेज को वहन करे और ऐसे उद्यमियों को इस ट्राइबल एरिया में भेजे जहां कि आदिवासियों में भारी मात्रा में बेरोजगारी है। वहां रोजगार मिले इसलिए वहां पर उद्योग लगें परन्तु अभी अभी ऐसी जानकारी मिली है कि ये जो डवलपमेन्ट चार्जेज हैं वे सरकार ने लेना बन्द कर दिये हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा तो यह निवेदन है कि चूंकि आदिवासी बेरोजगार हैं, वहां जो वन सम्पदा है, वहां जो खनिज सम्पदा है, उस पर सरकार का ध्यान विशेष रूप से जाना चाहिए। भारी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में खनिज सम्पदा है उसका दोहन करें। उसका उत्पादन करके उस इलाके में रहने वाले लोगों को रोजगार दे सकते हैं।

प्रतापगढ़ को औद्योगिक क्षेत्र जनता पार्टी की सरकार ने घोषित किया था और उस औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए, अध्यक्ष महोदय, कुछ कार्य भी उस क्षेत्र में हुआ था परन्तु जो उद्यमी उद्योग लगाना चाहते हैं उनके आवेदन-पत्र ऋण के लिए अभी तक वित्त निगम के पास विचाराधीन हैं। लम्बा समय व्यतीत हो चुका है परन्तु एक भी आवेदन, इस प्रकार का प्रार्थना-पत्र स्वीकृत नहीं किया गया है कि जिसके आधार पर यहां से कर्जा लेकर वहां उद्योग लगा सकें। मैं चाहूंगा कि जिस प्रकार जनता पार्टी के टाइम में ट्राइबल सब प्लान एरिया में डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में कैम्प लगा करके और ऐसे उद्यमियों को वहां पर सारी सुविधायें दी थीं, सरकार ने सारी व्यवस्था की थी उसी तरह से अगर आप भी ऐसी व्यवस्था करें तो ट्राइबल सब प्लान में जो लोग उद्योग लगाना चाहते हैं वे उद्योग लगा सकते हैं। जो वहां पर उद्योग लगावें, सरकार उद्योगों के डवलपमेंट चार्जेज की व्यवस्था करे, अनुदान की व्यवस्था करे। राज्य सरकार ने उस

(श्री नन्दलाल मीणा)

समय इन सब का प्रबन्ध भी किया था परन्तु उसके साथ ही यह शर्त भी लगा दी गई थी कि ट्राइबल एरिया में जो 75 पर्सेंट लोग मजदूर हैं, श्रमिक हैं और क्लर्क, एल. डी.सी., यू.डी.सी. के पद हैं वे उद्योगों के अन्तर्गत आते हैं, उनमें अनुसूचित जनजाति के लोगों को नियुक्ति दी जाएगी। ये नियुक्तियां अब वर्तमान में किस ढंग से हो रही हैं इस पर मुझे शक है। इसलिए मैं चाहूंगा और अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार निवेदन करूंगा कि सरकार इसकी जांच करे कि जिन शर्तों के आधार पर उन उद्यमियों को डवलपमेंट चार्जेज दिए गए थे, अनुदान दिया गया था उसके आधार पर उस क्षेत्र के लोगों की नियुक्तियां की गई हैं या नहीं।

प्रतापगढ़ तहसील में, अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि एक उद्योग खाण्डसारी मिल का है। खाण्डसारी मिल वहां लगी और जब वह खाण्डसारी की मिल लगी तो लोगों के दिमाग में आशा जगी थी कि गरीबों को रोजगार मिलेगा। परन्तु अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि वह चूंकि को-आपरेटिव सेक्टर में चलती थी, जो वहां पर पदाधिकारी थे, उन्होंने उस खाण्डसारी मिल से साठ हजार रुपयों का गबन कर लिया। राजस्थान सरकार के सामने सारा मामला विचाराधीन है। मैं चाहूंगा कि गरीब लोगों को रोजी मिले, उनको मजदूरी मिले उसके लिये वहां खाण्डसारी मिल चालू हो और जिन लोगों ने गबन घोटाला किया है उनके खिलाफ विशेष रूप से जांच की कार्यवाही कर के उनको सजा मिलनी चाहिये।

मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, अध्यक्ष महोदय, यह कहूंगा कि प्रतापगढ़ क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है वहां फसलें भी बहुत ज्यादा होती हैं, वहां पर एक घास होती है जिसके आधार पर खाद का कारखाना लग सकता है और जिसके बारे में सुना जाता है कि किसी प्रकार का कैप्सूल बनता है। अध्यक्ष महोदय, यदि हमारे राजस्थान के उद्योग मंत्री, जिस प्रकार से जनता पार्टी के उद्योग मंत्री परिश्रम करते थे, द्वारा इस बात के लिये यहां पर उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जावे, उनको राजस्थान के लिये आमंत्रित किया जावे, राज्य सरकार उनको इसी प्रकार से सुविधा दे। इस प्रकार की व्यवस्था सरकार करे तो उस इलाके के अन्दर जो साधन सुविधायें उपलब्ध हैं, कच्चा माल उपलब्ध है, उनके माध्यम से सुविधायें मिल सकती हैं। इससे वहां के आदिवासियों को, श्रमिकों को रोजगार मिल सकता है। वित्त निगम में जो हमारे क्षेत्र के प्रार्थना-पत्र कर्जे के लिये विचाराधीन हैं उनको तत्काल कर्जा दिया जाना चाहिए, यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री बालचन्द आर्यवीर ! संक्षेप में माननीय सदस्य।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे कटौती प्रस्ताव उद्योग के सम्बन्ध में हैं। झालावाड़ जिला औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ जिला है। झालावाड़ जिले में मेरे विधान सभाई क्षेत्र में अफीम की पैदावार और तेन्दू पत्ते के पेडों की बहुतायत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि वहां पर निरीक्षण करके और जो अफीम का डोडा होता है उसके बाहर का जो छिलका निकलता है उसका

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

निरीक्षण किया जावे। वहां पर किसी प्रकार की स्थान की, पानी की, बिजली की और किसी प्रकार की कमी नहीं है। रेलवे की बड़ी लाइन भी है माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्रीजी का और माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि हमारे वहां पर भवानी मण्डी में अभी वर्तमान में एक टैक्सटाइल मिल चल रही है और उस एरिया को औद्योगिक एरिया घोषित किया गया है। यदि उस ओर ध्यान दिया जाय तो वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में अफीम पैदा होती है और अफीम के छिलके से बहुत कुछ खाद बनती है। उस अफीम के छिलके से खाद का कारखाना वहां पर लग सकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार मेरे क्षेत्र में बहुत बडी मात्रा में संतरों की भी पैदावार होती है इसलिये संतरों के ज्यूस का कारखाना या फैक्ट्री वहां पर लगा दें। वह क्षेत्र मजदूरों का क्षेत्र है, गरीबों का क्षेत्र है और बहुत समय से, पिछले तीस सालों से जब से कांग्रेस का राज था वहां पर किसी भी प्रकार का काम नहीं हुआ। जनता पार्टी के समय में वहां पर बहुत कुछ काम हुए हैं लेकिन दुर्भाग्य से विधान सभा भंग हो गई। जनता पार्टी ने वहां पर कुछ कारखाने लगाने का विचार किया था और चर्चा भी चल रही थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री तो श्रीमती प्रधान मंत्रीजी के बहुत ही निकट हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि झालावाड जिले में तेन्दू पत्ते और संतरे और अफीम की पैदावार बहुत ही बडी मात्रा में होती है। यदि ध्यान दिया जावे तो इस प्रकार के कच्चे माल की वहां पर किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। वहां पर स्थान मिल सकता है, पानी भी काफी उपलब्ध है, बिजली भी उपलब्ध है और बडी रेलवे लाइन भी है। यदि सरकार ध्यान दे तो तो वहां पर अफीम के जो पत्ते निकलते हैं, कचरा निकलता है बाद में उसका अच्छा खाद का कारखाना लग सकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें माननीय सदस्य। समय बहुत हो गया है।

श्री बालचन्द आर्यवीर : मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज वहां पर केवल मात्र तेंदू पत्ते इकट्ठे किए जाते हैं और बाहर भेजे जाते हैं। तेंदू पत्ते मनोहर थाना विधान सभाई क्षेत्र में, खानपुरा विधान सभाई क्षेत्र में अधिकतर पैदा होते हैं। मैं आप के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इन से बीडी का छोटा उद्योग वहां पर लग सकता है। यदि सरकार ध्यान देवे तो वहां पर इस प्रकार का छोटा कोई कारखाना उद्योग लग सकता है और झालावाड जिले का विकास हो सकता है। मैं इतना ही कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री चतुर्भुज !

(अनुपस्थित)

श्री केसरीचन्द !

(अनुपस्थित)

(164)

(श्री अध्यक्ष)
श्री गोविन्दसिंह !

श्री गोविन्दसिंह गूर्जर : एक दफा और मौका दें तो फिर बोल लूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी ! कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें ।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, जो आज की मद में मांगें हैं उसमें बातें संक्षेप में नहीं कही जा सकती हैं क्योंकि मेरे जो कटौती प्रस्ताव हैं खानों के सम्बन्ध में खानों के मामलों में काफी घपले हैं, काफी गड़बड़ियां हैं, उनकी चर्चा नहीं करते हुए मैं आपके सामने दो तीन सुझाव खानों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं । एक तो मेरा निवेदन करना यह है कि बूंदी जिले के अन्दर कुछ खानें हैं लेकिन इन खानों का आज तक मास्टर प्लान नहीं बना है । मेरी पिछली सरकार ने इसको बनाने का प्रयास किया था और उस काम के लिए अधिकारियों को भी नियुक्त कर दिया था लेकिन इसी बीच में राज बदल गया और राज बदलने के बाद पिछले सात आठ महीनों से, मुझे निवेदन करना यह है कि कार्य की कुछ प्रगति नहीं हुई । मास्टर प्लान न होने के कारण जो लीज होल्डर को खानें दी जाती हैं, वह बिना मास्टर प्लान के दी जाती हैं । और बाद में उसमें काफी गेप एरिया होता है और गेप एरिया होने से एक खान मालिक, दूसरे के बीच के एरिया का अतिक्रमण करता है । उसमें भ्रष्टाचार का अवसर रहता है । मेरा निवेदन करना यह है कि यहां पर खान की दृष्टि से बून्दी जिले का तालाब गांव है । मास्टर प्लान के न होने से, एम. एस. देने की वजह से लोगों को वहां पर काफी गड़बड़ी के चांसेज रहते हैं । मेरा निवेदन करना यह है कि राजकीय उपक्रम की बात यहां पर है लिगनाइट का कारखाना है । जालोर में चलता है । जापान में एडवान्स में आर्डर हो चुके है । दुनिया के सारे देशों में लिग्नाइट जालोर से जाते हुए घाटे में चले, इस से बड़ा आश्चर्य नहीं हो सकता है । इसके लिये मैं सुझाव देना चाहूंगा कि राजस्थान में 14-15 राजकीय उपक्रम हैं । 14-15 राजकीय उपक्रमों में से केवल एक नमक उद्योग जो डीडवाना का है, वह केवल मात्र ठीक ठीक चल रहा है, वहां पर सोडियम सल्फेट का दूसरा प्लान्ट है, वह लोस में चल रहा है, वहां पर नमक जैसी चीज जिसे गांधीजी ने आंदोलन में ले कर मुफ्त देने की बात की थी, वह केवल मात्र एक उद्योग प्रोफिट में है, बाकी सारा का सारा नुकसान में हैं ।

मेरा निवेदन करना यह है कि राजकीय उपक्रम समिति के माध्यम से इसको चैकिंग कराने की बात है । मैं आपके माध्यम से, मुख्य मंत्री जी को सुझाव देना चाहूंगा कि जो राजकीय उपक्रम की रिपोर्ट सदन में आती है, उस पर गंभीरता से विचार नहीं होता है, अगर गंभीरता से विचार हुआ होता तो यह उद्योग लोस में नहीं आता । इसी प्रकार मेरा निवेदन करना यह है कि राजकीय उपक्रम समिति की जो टर्म है, वह हर साल बदली जाती है, इस लिये कम से कम ढाई साल के लिये राजकीय उपक्रम समिति काम करे, तीन तीन महीने में नियमानुसार वहां जाये और 6 महीने में उसकी रिपोर्ट सदन में दी

(श्री दाऊदयाल जोशी)
जाये। उस पर डिस्कस करें, विचार करें तो निश्चित रूप से जो घाटा होता है, उस घाटे की पूर्ति हो सकती है।

इसी प्रकार हमारा उद्योग गंगानगर में चल रहा है। चुकन्दर की खेती करने का गन्ने का सब्स्टीट्यूट पैदा करने की बात है। वहां पर लगातार उत्पादन में गिरावट आती चली जा रही है। गंगानगर शुगर मिल्स के अन्दर 76-77 में चुकन्दर पेला गया था 3.30 लाख क्विन्टल, और 77-78 में यह बढ़ गया 3.36 लाख क्विन्टल, लेकिन यह 78-79 में घटकर 1 लाख 92 हजार क्विन्टल गन्ना और चुकन्दर पेला गया। शकर का सब्स्टीट्यूट चुकन्दर है। इस उद्योग की तरफ निश्चित रूप से हमें ध्यान देना चाहिये। चूंकि सदन में बार बार बात आती है कि गन्ना नहीं हुआ, गन्ना नहीं हुआ, गन्ना नहीं हुआ, गन्ने का विकल्प जो है, वह चुकन्दर है। इसके द्वारा शक्कर बना दी जाये तो निश्चित रूप से यहां पर अच्छी स्थिति आ सकती है।

मेरा निवेदन करना यह है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो रिपोर्ट आई है, उसके आधार पर कोटा जिले में नीमोदा क्षेत्र में सीमेंट मेड लाइम स्टोन के लिये वैज्ञानिक अध्ययन किया गया था। नमूने के विश्लेषण से यह मालूम हुआ कि उसमें 40 से 44 प्रतिशत केलशियम आक्साइड की मात्रा का पता लगाया गया है। मेरा निवेदन करना है कि नीमोदा क्षेत्र में शीघ्र ही हमारे द्वारा सीमेंट फैक्ट्री की बात को पूरा कर लिया जाता है, तो निश्चित रूप से राजस्थान और हिन्दुस्तान में जो सीमेंट का अकाल पड़ा हुआ है, उसको पूरा करने के लिये मेरा विधान सभा क्षेत्र काम करेगा।

कोटा में उद्योग की दृष्टि से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उद्योगपतियों के हैड आफिस दिल्ली या कानपुर में हैं। यह दुर्भाग्य की बात है। अपनी दुकान, अपना धन्धा, राजस्थान की धरती पर करें और अपने हैड आफिस दिल्ली और कानपुर में बना दें। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उनको कोई फोर्स, दबाव डाल कर राजस्थान की धरती पर लाया जाये। उसमें कई घपले होते हैं। सेल्स टैक्स की चोरी होती है। आये दिन जब हम पूछते हैं कि पैसा कहां गया और सारा माल दिल्ली पहुंचाता है, सारे टैक्स की चोरी सरे आम करते हैं। एक बात जो सबकी महसूस होगी, रोजगार की दृष्टि से मेरे कोटा महानगरी जो औद्योगिक नगरी के नाम से जानी जाती है, वहां के लोगों को राजस्थान के लोगों को किसी प्रकार का प्रिफरेन्स नहीं देते। अभी कुछ दिन पहले लिखित उत्तर में मुझे बताया गया था कि डी.सी.एम. फैक्ट्री के अन्दर 67 पोस्टें भरीं। 67 पोस्टों के लिये 445 लोगों को इनवाइट किया गया। 67 में से केवल एक व्यक्ति को डी.सी. एम. के अन्दर रखा गया। मैंने प्रश्न पूछा यह फैक्ट्री वाले कोटा और राजस्थान के लोगों को प्रिफरेन्स क्यों नहीं देते। जब कोटा में आन्दोलन चलता है, सत्याग्रह होता है, तब यह लोग फैक्ट्री वाले, कलेक्टर के साथ बैठ-कर एग्रीमेन्ट करते हैं कि कोटा के लोगों को फर्स्ट प्रिफरेन्स देंगे, और सैकिण्ड प्रिफरेन्स राजस्थान के लोगों को देंगे और उसके बाद हिन्दुस्तान भर के लोगों को लेंगे। लेकिन उसके बाद भी, एग्रीमेन्ट के बावजूद भी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करते हैं। कोटा के लोग तो, राजस्थान के लोग दर-दर की

(श्री दाऊदयाल जोशी)

ठोकरे खाते रहें, और बाहर के लोग आ कर काम करते रहें। और 67 में से केवल यहां कोटा के एक व्यक्ति को रोजगार दें ? इस से बढ़कर बड़े दुर्भाग्य की बात नहीं है। मुझे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्रीजी ने जवाब दिया कि····

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : यह फैक्ट्री वालों का व्यक्तिगत मामला है कि वह कानपुर के लोगों को रखे, या दिल्ली वालों को रखें। यह सवाल बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उसको मैं सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से रखने का प्रयास करूंगा। यहां रोजगार पहले कोटा के लोगों को, उसके बाद राजस्थान के लोगों को और उसके बाद हिन्दुस्तान के लोगों को मिलना चाहिए। वरना किसी दिन इस प्रश्न को लेकर सारे राजस्थान में एक आन्दोलन हो सकता है, अशांति पैदा हो सकती है।

चौथी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा, मुख्य मंत्री महोदय से मैंने निवेदन किया था, कोटा में जे. के. सिन्थेटिक्स है। बिल्कुल ऐसा लगता है, वह मार्क्सवादी पार्टी का एक कारखाना बन गया है। दुर्भाग्य है कि आज की तारीख में वहां कोई नौकरी लेना चाहता है तो उसका जनरल मैनेजर सरेआम कहता है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मेम्बर हो, नहीं हो, नहीं हो तो जाओ, नौकरी तब मिलेगी, जब पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की मेम्बरशिप का फार्म भर दोगे। यह अभी नया कारखाना लगा है, जे. के. सिनथेटिक्स के द्वारा उस कारखाने में नियुक्ति के पहले मार्क्सवादी पार्टी की सदस्यता का फार्म भरना, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कारखानेदार इस प्रकार एक पार्टी विशेष को बनवावें, एक पार्टी विशेष के आतंक के कारण अपने कारखाने को ठीक से चलाने के लिये इस प्रकार की बातें करते हैं इस पर तुरन्त पकड़ की जानी चाहिये और समुचित व्यवस्था की जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर !

(अनुपस्थित)

श्री गुलाबचन्द कटारिया !

आवश्यक हो तो बोलें, समय काफी हो गया है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, यह ऐसा विषय है, जो उदयपुर से ज्यादा सम्बन्ध रखता है। यह राजस्थान का, सौभाग्य है कि खनिज की दृष्टि से उदयपुर सम्पूर्ण राजस्थान को धनाढ्य बना कर बैठा है। मेरे कई माननीय सदस्यों ने इस बारे में कहा है कि उदयपुर हमेशा ज्यादा हिस्सा लेकर गया। ऐसी बात नहीं है, श्रीमन्। उदयपुर खनिज की दृष्टि से धनी है। वह राजस्थान को, राजस्थान के बजट का बहुत बड़ा हिस्सा पूरा करता है। वहां पर केवल राक-फास्फेट ही नहीं··

श्री शिवचरण माथुर : ये तो आपके नेता महोदय कहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या ? क्या कहते हैं ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सोप स्टोन में उदयपुर का एक तरह से एशिया में प्रथम

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

स्थान है। ऐसे कई खनिज हैं। लेकिन यह जो रॉक फास्फेट है, आपकी आय है खनिज के द्वारा, वह 25 करोड़ के करीब है और उसमें के 16 करोड़ तो केवल अकेले झामर-कोटड़ा से रॉक फास्फेट के आधार पर इस राजस्थान की आय है। बाकी रॉयल्टी के आधार पर 9 करोड़ रुपये हैं। इसमें भी बहुत बड़ा हिस्सा उदयपुर का है। पिछले कुछ वर्षों में हमारे कई माननीय सदस्यों ने कुछ बातें कहीं थीं जनता पार्टी ने इसके विकास की दृष्टि से, जहां एक ओर हमारी खनिजों के आधार पर इनकम की है, तो हमें खदानों तक मार्ग पहुंचाने के लिए कुछ खर्चा करना चाहिये। अगर उसका अनुमान लगाया जाये, तो मेरा अनुमान है कि इन सब का टोटल किया जाये तो लगभग 150 करोड़ रुपया सन 70 से ले कर आज तक खनिजों से कमाया है और उसकी एवज में खर्च किया है, वह मुश्किल से 4 करोड़ है। केवल चार करोड़ खर्च किया है सड़कों पर। और उन 3 करोड में से भी, मैं आपकी जानकारी के लिए बतादूं, 3 करोड रुपया सड़कों पर जनता पार्टी के राज में खर्च हुआ है। आपके राज में तो केवल एक करोड़ आपने खर्च किया है और यह जो आपके किलोमीटर है वह भी मैं गिना देता हूं। आपके राज में केवल 147 किलोमीटर सड़क बनी और हमने अपने छोटे कार्यकाल में 146 किलो-मीटर सड़क बनाई। यह मेरा कहना नहीं है। यह किताब, प्रगति विवरण जो मेरे हाथ में है यह मेरे मन से बनाया हुआ नहीं है। मैं इसके आधार पर कहना चाहता हूं कि जहां एक ओर तो खनिज के विकास की हमारी मंशा रहती है वहीं दूसरी ओर जो खनिज का, खदान पर काम करने वाले व्यक्ति हैं उनको खदान पर पहुंचाने के लिये रास्ते के जो प्रयत्न होने चाहिये जो खर्चा होना चाहिये तो आय का कम से कम 10 प्रतिशत तो उनके विकास पर लगायेंगे ? यह आप नहीं करें और केवल 1-2 सड़क बना कर सोचते हैं विकास करने के लिये ?

मैं झामरकोटड़ा की एक घटना सुनाना चाहता हूं। मैनेजमेंट की पता नहीं नीयत क्या है, क्या चाहते है यह घटना ऐसी है, श्रीमान् वहां पर जो प्लाण्ट लगा हुआ है क्रेशर का R.S.M.M. का लगा हुआ है जिसका प्रतिदिन घन्टा का प्रोडक्शन 150 टन है और वह वर्षों से काम कर रहा है। अभी अभी 20-6-80 को आपने एक प्राइवेट पार्टी को क्रेशर लगाने के लिये आमंत्रित किया। उसमे भी जितने लोगों ने टेण्डर दिये उनमें जिसका लोएस्ट टेंडर था उसको नहीं दिया गया और दिया गया किस को ? जिस का टेण्डर ऊंची रेट का है, मेटल उद्योग को दिया गया। जिसमें क्रेशर लगाने की 20 टन प्रति घंटे की कैपेसिटी है। कहां 150 टन और कहां 20 टन। 20-6-80 को इसका उद्घाटन किया गया और 6-7-80 और उसके बाद 10-7-80 को आदेश मैनेजर ने निकाले कि यह जो हमारा प्लाण्ट है इसको बन्द कर दिया जाए। यह आदेश हैं और उनकी जो डेली रिपोर्ट बुक है उसमें अंकित किया गया है कि इसको बन्द कर दिया जाय। हमारा प्लाण्ट बन्द कर दिया और केवल कुछ लोगों से कमीशन खा कर। जो आज दिन तक नहीं हुआ वह वहां पर किया गया है। श्रीमान्, इसकी जांच की जाय। यह कोई साधारण सी बात नहीं है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इसी प्रकार से श्रीमान, झामरकोटड़ा पर यदि आप इसकी ठीक प्रकार से जांच करें तो मेरी मान्यता है कि एक करोड़ की मशीनरी बेकार पड़ी है जिनमें साधारण सी खराबी है ब्यूरोक्रेसी के कारण, जो बहुत कीमती है, एक मशीनें तो 22 लाख की होंगी, कई उससे भी अधिक की हैं। उनको ठीक कराया जाय।

इसके साथ साथ मैं उद्योगों के बारे में बताना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र डूंगरपुर, उदयपुर और बांसवाड़ा में और उदयपुर की 7 तहसीलें ऐसी हैं जो ट्राइबल में आती हैं। आपने उदयपुर की औद्योगिक दृष्टि से विकसित करने के प्रयत्न किये हैं इसके लिये बहुत ही धन्यवाद लेकिन ट्राइबल को ध्यान में रख कर एक उद्योग क्षेत्र कायम करें। चाहे सलूंबर में, चाहे जयसमन्द झील के पास अगर इन आदिवासी क्षेत्रों के लिये नये उद्योग को पनपा सकें जैसे कागज का उद्योग वहां सब से उत्तम होगा क्योंकि वहां जंगलों में बांस है, रॉ मैटीरियल है और जयसमन्द झील में पर्याप्त पानी है। इसके लिये कुछ लोगों ने कहा भी है कि राज्य सरकार वहां प्रयत्न करे कागज का उद्योग लगाने का।

इसके साथ ही रॉक फास्फेट के आधार पर खाद बनाई जाय उसके लिए भी जो रॉ-मैटीरियल्स है वे वहां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। सिर्फ यही प्रश्न पिछले साल से बाकी है कि खाद का कारखाना कहां होगा। मैं चाहूंगा जहां सब से ज्यादा रॉ-मैटीरियल उपलब्ध है वहां खाद का कारखाना लगे। इसके पीछे कोई राजनैतिक बात नहीं होनी चाहिये।

श्रीमन, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर अगर कुटीर उद्योगों की दृष्टि से प्रसिद्ध है तो वह लकड़ी के खिलौनों के कारण, जो उद्योग आज से नहीं पीढ़ियों दर पीढ़ियों से लोगों में चलता आया है। लेकिन इस उद्योग में पर्याप्त मात्रा में लकड़ी उपयुक्त समय पर मिलनी चाहियें। वह उचित समय पर नहीं मिलतीं। अगर थोड़े से कीड़े लग जाते हैं तो लकड़ी का उपयोग नहीं रहता। तो लकड़ी को कटवाने का जो समय है वह ठीक प्रकार से ध्यान में रख कर उनकी आवश्यकतानुसार लकड़ी उपलब्ध करावें।

श्रीमान, जहां तक रोडवेज का सवाल है मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी माननीय सदस्य ऐसा नहीं होगा कि जिसको इसकी दयनीय दशा देख कर दुःख न होता हो। आप इसकी दयनीय दशा को सुधारने का प्रयत्न करें। इसका घाटा निश्चित रूप से कम होगा। इसमें जो गुण्डागर्दी होती है उसको कम से कम रोकें। बस में एक कंडक्टर होता है पांच उसके सहयोगी बैठते हैं। कोई भी मुसाफिर कहता है टिकट दो तो झगड़ा करते हैं, हाथापाई की स्थिति में आ जाते हैं और कई बार मुसाफिर को रास्ते में उतार दिया जाता हैं। इस प्रकार की शिकायत कई बार की जाती है लेकिन उसका एक्शन नहीं होता। मैं चाहूंगा इस प्रकार की कोई भी शिकायत पब्लिक से आये तो उसकी जांच होनी चाहिये निश्चित रूप से। यह हमारा धंधा है। हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिये जिससे हम आने वाले व्यक्ति को प्रभावित कर सकें वह व्यक्ति हम से सन्तुष्ट हो कर जा सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

वृन्दावन की गाड़ी में सामान चढ़ाने के लिये कुली है जो सरकार को 10 रुपये प्रति दिन टैक्स और देता है और हमारे यहां इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं। अगर कोई महिला भूल से बैठ जाय और रास्ते में उतरे तो उसका सामान कौन उतारेगा ? ऐसी स्थिति में क्या ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते कि कम से कम गाड़ी में कुली चले और सामान चढ़ा सके, उतार सके। उसमें कोई फीस कर दें 8 आने प्रति सामान कर दें लेकिन मुसाफिर को यह तो रहे कि सामान सुरक्षित रहेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि जो लकड़ी देते हैं उसके बारे में सरकार विशेष रूप से जांच करे, उसका हल निकाले।

श्री अध्यक्ष : नाथूसिंह।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं भी. . .

श्री अध्यक्ष : आपका नाम कहां है ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, छीतरमल जी के स्थान पर इनका नाम रख दें।

श्री महावीर प्रसाद जैन: अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इन कटौती प्रस्तावों के माध्यम से जो टौंक में टेनेरीज उद्योग है, उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। जब मैंने इस प्रतिवेदन को देखा और इसमें देखा कि हर साल 20 और 25 लाख का घाटा इसमें होता है तो मैंने यह सोचा, अध्ययन किया, इसको देखा और जो आंकड़े मैंने देखे 75-76 और 76-77 में कच्चा माल 34,29,202 रुपये का खरीदा गया, अध्यक्ष महोदय। इसमें स्टोर में खर्च किये गये 8 लाख रुपये और वेतन व भत्ते पर खर्च हुए, 82,40,11 रुपये और मजदूरी पर, जो वास्तव में प्रोडक्शन में बहुत बड़ा योगदान है, केवल 29,70,00 रुपये दिये गये हैं। इससे मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला बिक्री में और खरीद में होता है। इसका प्रमाण है 76-77 में जो बिक्री की गई जो स्थानीय यानि हिन्दुस्तान में बिक्री की गई है, 70,219 खालें बेची गई जिनकी कीमत 26,16,537 रुपये थी उन खालों की कीमत 37.26 पैसा प्रति खाल पड़ती है और इन्होंने एक्सपोर्ट की 46528 खालें, जिनकी कीमत 8,36,084 रुपय से एक खाल की कीमत है, 17.76 पैसा पड़ती है। मुझे लगता है कि जो खालें एक्सपोर्ट की गई शुरू में माननीय सदस्य ने कहा कि वहां से कोई एक अधिकारी विदेश गये थे उन्होंने कोई मिलजुल कर इस प्रकार का घोटाला किया है। एक खाल में 20 रुपये का जो अन्तर है। मैं पूछना चाहता हूं कि किस आधार पर यह बिक्री की गई। जब यहां पर स्थानीय और हमारे हिन्दुस्तान में बेचने पर 37.26 रुपये उस खाल की कीमत मिलती है तो उसको एक्सपोर्ट क्यों किया गया ? दूसरा प्रश्न इसमें यह है कि इसकी जो क्षमता है खाल को तैयार करने की वह साढ़े सात लाख खालों को तैयार करने की है। इन्होंने जो प्रोडक्शन किया है वह केवल 1 लाख 17 हजार 419 खालों का किया है। घाटे का सब से बड़ा कारण प्रशासनिक खर्चा, भ्रष्टाचार और प्रोडक्शन की कमी है। यदि साढ़े

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

सात लाख खालों का उत्पादन किया जाता तो एक तरफ लेबर को मजदूरी मिलती, हमारे को घाटा नहीं लगता और यह कारखाना अधिक नफे में चलता। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस कारखाने को पूरी क्षमता के साथ चलाया जाए और यदि सरकार इसको नहीं चला सकती तो इसको जोइन्ट सैक्टर में चलाया जाए। एक और सुझाव है। वहां पर इस उद्योग के मजदूर हैं, जिनका यह काम है, उनको भी एडमिनिस्ट्रेशन में बिठाया जाए। उनकी एक कमेटी बनायी जाए जिसमें कि उनको रखा जाए। उनके इन्ट्रेस्ट को इन्वाल्व किया जाए। इस टेनेरीज के बारे में मुझे इतना ही निवेदन करना है।

मैं उद्योगों के बारे में कहना चाहता हूं। टोंक जिला पिछड़ा हुआ जिला घोषित है। 1973 में टोंक को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया था परन्तु आज सात साल के बाद भी आर. एम. आई. डी. सी. इस क्षेत्र का विकास नहीं कर सकी है। मैं यह आरोप लगाना चाहता हूं टोंक क्षेत्र इसलिए पिछड़ा हुआ रहा है कि वहां पर औद्योगिक क्षेत्र का विकास नहीं हुआ और इसीलिए वहां पर उद्योग नहीं लग सके। वहां पर उद्योगों की संभावनाएं हैं। बजरी और सीमेन्ट के अन्दर उद्योग लगाए जा सकते हैं। बजरी बनास से प्राप्त होती है और सीमेन्ट सवाई माधोपुर और टोंक में होकर आती है। ये उद्योग वहां पर लगाए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त वहां पर कोल्ड स्टोरेज खोले जा सकते हैं। वहां पर टमाटर, खरबूजे, आलू, प्याज बहुत पैदा होता है। वहां पर कोल्ड स्टोरेज का निर्माण होना चाहिए ताकि वहां पर इन चीजों का उत्पादन हो सके और लोगों को अपनी उपज का पूरा पैसा मिल सके।

तो, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं और यह मांग करता हूं कि टोंक इन्डस्ट्रियल एरिया को डवलप किया जाय और वहां पर इन्डस्ट्रीज लगायी जाएं, चाहे वह सार्वजनिक क्षेत्र में हों, चाहे वह प्राइवेट सैक्टर में हों, चाहे वह को-आपरेटिव सैक्टर में हों-किसी भी माध्यम से वहां पर उद्योग लगाए जाएं। वहां पर बेरोजगारी है, गरीबी है। वहां पर अल्पसख्यक, पिछड़ी जाति के लोग ज्यादा हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको बहुत जल्दी ही डवलप किया जाए।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। 95 हाथ करघे राज्य सरकार ने लोगों को दिए थे तथा उसमें 50 प्रतिशत सबसीडी थी। परन्तु उनको सबसीडी नहीं दी गई। 78 में उनको हाथ करघे दिये गये। जब उनको करघे दिए गए तो यह आश्वासन दिया गया था कि कच्चा माल दिया जाएगा और जो माल वे उत्पादित करेंगे उसको पर्चेज किया जाएगा। 50 पर्सेन्ट सबसीडी दी जाएगी। उनको कोई सबसीडी नहीं मिली और बैंक वाले उनको तंग कर रहे हैं। सबसीडी आज स्वीकृत हुई है। उस पर भी इन्ट्रेस्ट मांग रहे हैं। शर्त के अनुसार उनको चार पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट देना था परन्तु अब 11 पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट मांग रहे हैं। जिन शर्तों पर उनको ये करघे दिए गए थे, जिस एग्रीमेन्ट के आधार पर उनको करघे दिए गए थे, जो आश्वासन दिया गया था, उस आधार

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

पर उनको सुविधाएं दी जायें। बैंक वाले उनको परेशान कर रहे हैं उनको रोका जाए। उनको कच्चा माल उपलब्ध कराया जाए और माल को पर्चेज करने की व्यवस्था की जाए।

खनिज सम्पदा के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मैंने इस प्रतिवेदन में कहीं भी टोंक जिले का नाम नहीं देखा। खनिज की दृष्टि से टोंक जिले में बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं। मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि गांव जवाई में माणक की खानें हैं। जिससे कि प्राइवेट व्यक्ति जब रात के समय रास्ते बंद हो जाते हैं निकलते हैं। इसके अलावा वहां पर घीया पत्थर की खानें हैं। वहां पर गारनेट की भी खानें हैं। टोडारायसिंह में गारनेट की खानें हैं। व्यवहारिक रूप से सर्वे किया जाए तो बहुत सारी संभावनाएं हैं। वहां माइनिंग की दृष्टि से सरकार को बहुत आमद हो सकती है।

राजस्थान रोडवेज का हाल बेहाल है। मैंने आपको, अध्यक्ष महोदय, एक स्थगन प्रस्ताव दिया था। इसमें व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। रोज चार-पांच बसें रास्ते में खड़ी हो जाती हैं। 100-150 यात्री एक बस में यात्रा करते हैं। बनास की जो पुलिया है वह क्रेक हो चुकी है उसका जो टाइम पीरियड है वह समाप्त हो चुका है। बनास की नदी में यदि कोई बस गिर गयी तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। रोडवेज की बसों में न तो सीटें हैं और न खिड़कियां हैं। यात्रियों को परेशानी होती है। चार घन्टे में भी यात्रियों को बैठने के लिए वाहन उपलब्ध नहीं होता है। इससे जनता में असन्तोष है। मैं विनम्र शब्दों के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हम यह व्यवस्था नहीं संभाल सकते तो निश्चित रूप से मैं यह निवेदन करूंगा कि कोई प्राइवेट सैक्टर को या प्राइवेट लोगों को जो यह व्यवस्था करना चाहते हैं, उनको दे दीजिए। मैं यहां प्राइवेट लोगों की कोई वकालत नहीं करना चाहता हूं परन्तु जब यह व्यवस्था नहीं संभाल सकते तो दूसरी व्यवस्था को देखना होगा। आज टोंक डिपो में 22 बसें खड़ी हुई हैं जब कि मुझे यह बताया गया कि वहां पर 9 बसें खड़ी हुई हैं। 22 बसें टायर के अभाव में या दूसरे सामान के अभाव में पड़ी हुई हैं। यदि प्राइवेट बस हो तो वह किसी सामान के अभाव में खड़ी नहीं रह सकती है। इस तरह हमारा नुकसान होता है और यात्रियों को तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि आपने मुझे समय दिया।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री महोदय।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सुबह से लगभग 30 माननीय सदस्यों ने आज की चर्चा में योगदान दिया है। मुझे इस बात की खुशी है कि आज ट्रेन्ड बदला हुआ था। माननीय सदस्यों ने जहां आलोचना की राजकीय उपक्रमों की वहीं उनके सुधार के बारे में सुझाव भी दिये हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो सर्वमान्य हैं जिनसे कोई इन्कार नहीं कर सकता। मैं भी इन्कार नहीं करना चाहता। जैसा मैं सुन रहा हूं सुबह से राजस्थान रोडवेज की चर्चा लगभग हर एक सदस्य ने की है। उसकी हालत

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

बहुत खराब है। बसों की हालत ठीक नहीं है। समय पर चलती नहीं है। सवारियां खड़ी रहती हैं इत्यादि इत्यादि। श्रीमन्, कुछ बातें ऐसी हैं जैसा कि मैंने निवेदन किया था, मैं इसका दोष पिछली सरकार को भी नहीं देना चाहता क्योंकि मैं जानता हूं कि कुछ मूलभूत ऐसी कमियां हैं, खामियां हैं जिनको हम सबको मिलकर दूर करना पड़ेगा।

इसको किस प्रकार से दूर करें यह अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं इस समय केवल आप सभी सदस्यों का सहयोग मांगना चाहूंगा। जैसी कार्यवाही हमको करनी है वह हम सबको मिलकर करनी चाहिये जिससे कि बहुत सारे यात्री, जो अधिकांश राजस्थान के हैं, को जो बसें चलती हैं उनमें सुविधा प्राप्त हो सके। श्रीमन्, लगभग 4 करोड़ 29 लाख का घाटा आज के दिन अनुमानित है। हम यह जानते हैं कि लगभग 2200 बसों में से 300 बसें आफ दी रोड हैं। मैंने पहले ही कहा कि हालत अच्छी नहीं है। उसको सुधारने के लिये ऐसा लगता है कि हम कोशिश तो दवा दारू से ही करेंगे पर काम नहीं चला तो हो सकता है कि आपरेशन भी करना पड़े। मैंने पहले निवेदन किया कि समझा बुझा कर या बहुत कम तकलीफ़ों सुधार से यदि कार्य सम्भव हो सकता है तो वह भी किया जायेगा। लेकिन इसके साथ-साथ हो सकता है कि हमको कई कदम भी उठाने पड़े। मैं सुन रहा था कि सभी माननीय सदस्य बोले। मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों सभी सदस्यों ने अपनी चिन्ता जाहिर की और अच्छे सुझाव भी दिये हैं। मैंने इस बात का फैसला किया है कि एक कमेटी का निर्माण हम करें जिसमें न केवल पक्ष के बल्कि विपक्ष के भी माननीय सदस्यों को रखना चाहता हूँ जो इस बात का सुझाव दे कि इसकी हालत को कैसे सुधारा जाये।

श्रीमन्, मैं नहीं चाहता हूं कि ज्यादा समय मैं सदन का लूं। मैं खुद कह सकता हूं, बसों में यात्रा करता रहा हूं, मुझे खुद को सन्तोष नहीं है। चाहे इस काम को करने वाले अफसर और कर्मचारी नाराज हों मुझे इस बात को तसलीम करने में कोई संकोच नहीं है कि इसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। मुझे आशा है कि हम सबके सहयोग से इसमें हम सुधार कर सकेंगे। राजस्थान के रोडवेज के अफसरान से, कर्मचारियों से, अन्य सम्बन्धित पक्षों से और माननीय सदस्यों से मैं प्रार्थना करूंगा कि इसमें सभी सहयोग करें।

श्रीमन्, लगभग 132 कटौती प्रस्ताव हमको प्राप्त हुये हैं। एक-एक की जांच मैंने की है मैं इन सबको सम्बन्धित विभागों के सम्बन्धित अधिकारियों को देकर कह रहा हूं कि जो कोई भी प्रस्ताव आये हैं उनकी जांच करें और जो भी कार्यवाही उचित हो वह की जानी चाहिये। इसके बारे में आपको सूचित भी करेंगे।

श्रीमन, राजकीय उद्योगों के विकास के बारे में काफी चर्चा हुई। जो असन्तोष यहां पर जाहिर किया गया है वह बहुत हद तक सही हो सकता है। जितना विकास राजस्थान का होना चाहिए था वह अनेकों कारणों से नहीं हो पाया। हमारी यह कोशिश होगी कि अब तक जो खामियां और कमियां रही हैं हम

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

उनकी जांच पड़ताल करें, उनमें सुधार का प्रयास करें। श्रीमन्, जैसा कि हम सभी जानते हैं उद्योग कई प्रकार से लगाये जाते हैं कोई प्राइवेट सैक्टर में होता है, कोई पब्लिक सैक्टर में होता है, कोई जोइन्ट सैक्टर में होता है और कोई कोआपरेटिव सैक्टर में होता है। इन सबमें सुधार की बहुत गुन्जाइश है। श्रीमन, इस समय तो इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि अभी तक जो असंतुलन क्षेत्रीय स्थिति रही हो उसको दूर करने की हमारी कोशिश होगी। क्योंकि जैसे-जैसे उद्योग बढ़ेंगे हमारे राज्य की अर्थ-व्यवस्था भी ठीक होगी। उसके लिये आवश्यकता इस बात की है कि ज्यादा से ज्यादा पूंजी का विनियोजन हो, उद्योगों को मिलने वाली आधारभूत सुविधायें बढ़ायी जायें, कच्चे माल की कमी को दूर किया जाय और इसके साथ-साथ उनका जो उत्पादन है उनके वितरण के लिये मार्केटिंग की व्यवस्था की जाये।

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में काफी प्रयास पिछली सरकारों ने भी किये हैं। मैं किसी को दोष देना नहीं चाहता। जैसा मैंने पहले ही निवेदन किया कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ही ऐसी रही है कि जिसमें बहुत ज्यादा गुन्जाइश होते हुये भी बहुत कुछ नहीं हो सका। श्रीमन्, हमें इसलिये बहुत तेजी से बढ़ना होगा। मैं बहुत बड़ी घोषणायें करके लोगों की आशाओं को बहुत जगाना भी नहीं चाहता, क्योंकि कोई उद्योग लगे, बड़ा उद्योग अगर लगता है तो उसमें सालों लग जाते हैं, मध्यम दर्जे का उद्योग लगे तो उसमें भी सालों लग जाते हैं। छोटे दर्जे के उद्योग कुछ जल्दी लग जाते हैं। इसलिये हमारी कोशिश होगी कि छोटे उद्योग से लेकर बड़े उद्योग ही नहीं बल्कि गावों के कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा मिलना चाहिये। मैं इस सदन के अन्दर इतना ही निवेदन करूंगा कि हमारे यहां बड़े उद्योग आयें, छोटे उद्योग आयें लेकिन हमारी कोशिश यह भी होगी। राजस्थान के अन्दर जो कुटीर उद्योग हैं जो परम्परागत तरीके से चले आ रहे हैं, उनमें सुधार की बहुत आवश्यकता है, बहुत से उद्योग धन्धे ऐसे हैं जो परम्परागत हैं परन्तु उनमें गन्दगी का समावेश बहुत अधिक होने के कारण लोग उसको अब छोड़ते जा रहे हैं। मेरी बर्थ जाति के लोग, अनुसूचित जाति और जन जाति के लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं क्योंकि उनको पुराना धन्धा छोड़ने के लिये बाध्य किया जा रहा है। इसके दो कारण हैं जो मैं देख रहा हूं। श्रीमन्, एक तो उसमें गन्दगी की वजह से अस्वच्छता बहुत बड़ा अवगुण है और दूसरा कारण यह है कि उनकी अर्थ व्यवस्था ठीक नहीं है। वे चाहें तो भी उन्नत तरीके के औजार काम में नहीं ले सकते हैं। उन्नत तरीकों का उनको ज्ञान भी नहीं है अनपढ़ होने के कारण। इसलिये मैंने अपने बजट भाषण में थोड़ा सा इन्डीकेशन दिया था कि उनके काम में आने वाले औजार जो वे लेंगे उन्हें उसमें सैल्स टैक्स की छूट दी जायेगी। मैं कहना चाहता हूं कि यह छूट बहुत छोटी थी, पर्याप्त नहीं थी। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बहुत पब्लिसिटी भी नहीं हुई जिसकी वजह से उन भाइयों, जो इससे ताल्लुक रखने वाले हैं, को जानकारी भी नहीं हुई।

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

श्रीमन, इस बात पर हमें पुनर्विचार करना चाहिये कि किस तरह से तकनीकी औजार उन तक पहुंच पायें, उन्नत तरीकों की योजना उन तक पहुंच पायें। इस सम्बन्ध में मैं अपने आप को अभी कुछ कहने में असमर्थ पा रहा हूं। किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा सुविधायें दी जा सकें इसकी थोड़ी सी और योजनायें मैंने तैयार की हैं। मैं प्रस्ताव ला रहा हूं जिसकी चर्चा मैं थोड़ी देर में करूंगा।

इतना ही निवेदन करना है कि हमारे यहां बड़े उद्योग लगें, छोटे उद्योग लगें, मध्यम दर्जे के उद्योग लगें और खास तौर से ऐसे उद्योग लगें जो हमारे यहां पनपें जिनमें निर्यात को गुंजाइश हो। भारत सरकार के कई मंत्रालय बराबर इस बात को पब्लिसिटी के तौर पर कहते हैं कि यहां पर बहुत उद्योग स्थापित हो सकते हैं, किये जा सकते हैं। अगर उनमें गांवों में बैठ कर काम करें तो हमारी बेरोजगारी भी दूर होगी, राजस्थान का आर्थिक विकास भी होगा और कुल मिला कर देश की अर्थ-व्यवस्था का भी विकास होगा। इसलिये हमारी कोशिश होगी कि राजस्थान में कुटीर उद्योग भी पनपें।

मैं ज्यादा आंकड़ों में न जाकर या यह बता कर कि कितना कितना पैसा खर्च करेंगे इतना ही कहना चाहूंगा कि जितना इन्वेस्टमेंट राजस्थान में होना चाहिये था वह नहीं हुआ है। अगर मैं कहूं कि हुआ है तो कोई मेरी बात को मानेगा भी नहीं। 2% से भी कम पब्लिक सैक्टर का इन्वेस्टमेंट राजस्थान में हुआ है। जब कि कई राज्यों के इन्वेस्टमेंट का प्रतिशत काफी ज्यादा है। पिछली सरकार ने भी कोशिश की होगी और हमारी भी यही कोशिश होगी कि इन्वेस्टमेंट और ज्यादा बढ़े।

श्रीमन्, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने इस बात की घोषणा की थी और हमने प्रस्ताव भी रखे हैं। कह सकते हैं कि आज की सरकार लकीर की फकीर हो कर राष्ट्रीयकरण करने की हिमायती नहीं है, जहां आवश्यक होगा वहां राष्ट्रीयकरण कायम किया जायेगा रखा जायेगा और जहां नहीं है राष्ट्रीयकरण और आवश्यक होगा तो किया भी जायेगा। और जहां हम यह समझेंगे कि राष्ट्रीयकरण से काम नहीं चल रहा है। अगर पब्लिक सैक्टर या जोइन्ट सैक्टर से जोड़ना जरूरी है तो हम जोड़ेंगे। हम कोशिश करेंगे कि दोनों सैक्टर साथ साथ चल सकें।

श्रीमन्, पब्लिक सैक्टर में जैसी कि यहां पर बोम्बे हाई गैस पर आधारित प्लाट की चर्चा हुयी। श्रीमान्, कुछ दिन पहले ही यह सुना कि भारत सरकार ने हमको एक फर्टीलाइजर प्लांट देने का फैसला कर लिया है। लेकिन राज्य सरकार ने इस बात को कबूल नहीं किया है। हमने अपना प्रोटेस्ट नोट पहले ही भेज दिया था और फिर लिखा है कि हमें एक फर्टीलाइजर पलांट से सन्तोष नहीं है, कम से कम दो हमको मिलने चाहिये। हमको अब भी आशा है कि कम से कम एक और फर्टीलाइजर पलांट हमको प्राप्त होगा।

श्रीमन्, इसके साथ साथ इस बात का भी हम प्रयास कर रहे हैं कि डिफेंस इक्विपमेंट यूनिट, जो भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

कारखाना लगाने का प्रस्ताव कर रहे हैं, स्थापना भी राजस्थान में होनी चाहिये। सलादीपुर पाइराइट का कारखाना भी जल्दी से जल्दी आना चाहिये। एक टेलीफोनिक इक्विपमेंट की फैक्ट्री की स्थापना भी राजस्थान में होनी चाहिये। इसी प्रकार सीमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया से 2 सीमेंट के कारखाने लगाने का प्रयास भी चल रहा है। इसके साथ साथ प्राइवेट सैक्टर में अशोक लीलेंड की चर्चा काफी हो चुकी है। इसकी चर्चा मैं उठाना नहीं चाहता। 185 करोड़ की लागत से यह कारखाना राजस्थान में लगेगा। विपक्ष के नेता बेचैन न हो जायें, अलवर में ही लगाने का फैसला हमने कर लिया है।

लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया हम नहीं चाहते हैं कि कल को चल के वे सारी समस्या जो आज फरीदाबाद गाजियाबाद इन्डस्ट्रियल क्षेत्रों के सामने आयी हैं वह हमारे सामने न आयें। इसलिए मेरा प्रयास यह होगा, एक कारखाना इस तरह का लगे जिसमें इन्डस्ट्रीज की सुविधाएं राजस्थान के उद्यमी लोगों को मिलनी चाहिए। मैंने इस सम्बन्ध में इशारा किया था, इसके लिए अगर हम को कुछ मदद करनी पड़े इण्डस्ट्रीज को तो मैं करूंगा। आज इस सिलसिले में मैं कुछ नहीं कह रहा हूं।

कुछ जो मैं अर्ज करूंगा उससे पहले मैं कुछ बातें आप के सामने प्रस्ताव के लिए रख दूं। लगने वाले कारखानों के लगाने वालों से, भारत सरकार से इस बात की चर्चा करना चाहूंगा लेकिन हमें ऐसी आशा है, कुछ मुख्य कारखानों के अलावा कुछ और पनप सकेंगे जिस से हमें, भारत सरकार और इण्डस्ट्री लगाने वालों को सहायता मिल सके।

इसके साथ साथ, श्रीमान्, मैसर्स राठी और मोदी इण्डस्ट्रीज के दो बड़े कारखाने यहां पर लगाने के प्रयास चल रहे हैं। हमें ऐसी आशा है कि शायद वह बहुत जल्दी राजस्थान मे काम करना शुरू कर देंगे।

श्रीमन्, राजकीय उपक्रमों की काफी चर्चा हुई। कई उपक्रम घाटे में चल रहे हैं। कई मुनाफा भी दे रहे हैं। मैंने आपको निवेदन किया कि राजकीय उपक्रमों के बारे में मैं बहुत ज्यादा लकीर का फकीर नहीं हूं। जब आवश्यक होगा सुधार भी करेंगे। अगर आवश्यकता हुई, हांलाकि मैं दुहरा नहीं रहा हूं जब भी आवश्यकता हुई कि प्राइवेट सैक्टर के लोग भी इसमें आयें तो उनको हम मदद करना चाहेंगे। इस सिलसिले में सभी माननीय सदस्यों ने चाहे वे इस पक्ष के हों या विपक्ष के हों इस बात की बहुत चर्चा की कि राजस्थान के अन्दर जो वातावरण इण्डस्ट्रीज डवलपमेन्ट के लिए होना चाहिए, वह नहीं है। बाहर के जिन लोगों को आना चाहिए वह नहीं आ रहे हैं। आते हैं तो बहुत से लौट कर चले जाते हैं न उन को समय पर जवाब मिलता है, न उन को फार्म मिलते हैं, न सहायता प्राप्त होती है।

श्रीमान्, राजस्थान ऐसा प्रान्त है, जहां उद्योग-धन्धे लगाये जाने की आज आवश्यकता है। उनकी पूर्ति हमने नहीं की है। हम यहां पर कुछ ही मात्रा में, कुल मिला कर तुलना में आने आप को सन्तुष्ट करते हैं। यह बात सही है, जितने साधन, वित्तीय

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

साधन हमारे पास होने चाहिए थे, उतने साधन नहीं जुटा पाये हैं। यह मैं जानता हूँ, श्रीमन्, जितना प्रावधान इस तरफ हमको करना चाहिए था, वह भी हमने जान-बूझ कर नहीं किया। मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं, बहुत शीघ्र ही प्लानिंग कमीशन के सामने यह प्रस्तुत किये जाने वाले हैं। मेरी ऐसी आशा है कि हम वो और कुछ वहां से कई मदों में सहायता प्राप्त होगी। इसके जरिये से उद्योग-धन्धे बढ़ाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ प्राइवेट सैक्टर, पब्लिक सैक्टर और जोइण्ट सैक्टर से भी हम कहेंगे कि वह भी हमारी मदद करे। जब मदद हमको मिल जाएगी तो हम सहायता कर सकेंगे। लेकिन मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि इस मामले में हम भूले नहीं, पूछे नहीं, मैंने आप से निवेदन किया मैं जानता हूं कि इसके लिए सरकार ने हमारी सहायता की भी है लेकिन 14 तारीख के बाद इसके लिए हमें कुछ न कुछ मदद मिल जाएगी। हम आशा करके चलते हैं कि इस वर्ष के अन्दर कुछ नयी बातें आपको बता दूंगा।

श्रीमन्, अब कुछ और बातें कुछ माननीय सदस्यों ने कही हैं। मैं अलग अलग कटौती प्रस्तावों को नहीं ले रहा हूं क्योंकि सभी की चर्चा करने लगेंगे तो 132 कटौती प्रस्ताव हैं। एक एक मिनट भी लगायें तो 132 मिनट कम से कम चाहिए। इसलिए मैंने उनको आश्वासन दिया है कि उनकी मैं जांच पड़ताल करूंगा, जहां आवश्यकता होगी, मैं करूंगा। मैं जानता हूं कि गुंजाइश है इस बात की कि उनका सुधार किया जाना चाहिए। कई जगह भ्रष्टाचार की चर्चा हुई है। कई जगह तो भारी वर्क देकर इस बात की चर्चा हुई है। इन बातों को बहुत कुछ सोचता हूं। मैं जानता हूं कि जिन बातों के कहने से, उन कामों को देखने वाले सरकारी अधिकारी निश्चित रूप से मेरे पर नाराज होंगे, लेकिन जहां तक आवश्यकता इस बात की है, उन पर विचार करना चाहिए। उनके बारे में बहुत कहा गया है उनका जवाब देना चाहिए। सरकार उन पर विचार करे। लेकिन इस बात की आवश्यकता है, और यह सर्वमान्य सत्य है, उसको मैं झुठलाना भी नहीं चाहता हूं। सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को कुछ कहना भी चाहता हूं कि अगर आप खुद उसे सुधार सको तो बहुत अच्छा होगा। वरना तो सोलह सदस्यों की जो कमेटी बनेगी, वह सुधार का काम सुझाएगी वह हमें काम करना ही चाहिए। श्रीमन्, ये तीन चार बातें हमने सोची हैं। माननीय सदन अगर इजाजत देगा जैसा कि मानते हैं कि ये बातें हैं, कुछ बातों को शीघ्र ही लागू करने का काम करेंगे। एक इस बात का हमने फैसला किया है कि स्टेट लेवल पर चीफ सैक्रेटरी की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण करेंगे, जिससे कि जो भी कठिनाई आती है, बड़े उद्योगों में, छोटे उद्योगों में वह दिक्कत सुधारने का काम करें। श्रीमन्, दूसरा काम हमने यह तय किया है कि जो सारी की सारी सुविधायें प्राप्त होती हैं, अगर कोई कठिनाई आती है, तो उसका समाधान उन्हें जरूर करना चाहिए। पहले से काम चल रहा है। पहले भी कई काम नहीं हो पाये। लोगों का एक साथ काम होना चाहिए था। एक साथ एक जगह बैठेंगे तो यह हो जाएगा। इसलिए हमारी यह कोशिश है कि एक जगह सारे के सारे संस्थानों का समाधान हो सके, इसके लिए

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)
हमें ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहिए।

श्रीमन्, एक बात आपके सामने रखता हूं, वह यह है कि बड़े शहरों में और कस्बों में पढ़े लिखे लोगों के जरिये से हम उद्योग-धन्धों को पनपायें यह बात पहुंच जाती है। लेकिन गांवों के अंदर हम किस प्रकार से इण्डस्ट्रियलाइजेशन करें, जिससे कि हमारे छोटे छोटे उद्योग-धंधे पनपें और गांवों के अन्दर जो बेकारी की वजह से शहरों में चले आ रहे हैं, जो शहरों की आबादी को बढ़ाते चले जा रहे हैं वह एक समस्या पैदा कर रहे हैं उनको हम कैसे रोकें। इसलिए भी इस बात का हमने फैसला किया है, बात बहुत छोटी सी सुनने में लगेगी। पंचायत समितियों के अन्दर एक्सटेन्शन कम इण्डस्ट्री आफिसर हैं। मुझे यह व्यक्तिगत तजुर्बा है, मैं गांव का रहने वाला हूं कि यह अफसर जो लगे हुए हैं इण्डस्ट्री में उसकी देखभाल तो शायद करते होंगे। कुछ खामियां भी निकालते होंगे। सुनने को तो और भी कुछ आता है। कई बार ये साधक बनने के बजाय बाधक भी बन जाते हैं। मैं आशा करके चलता हूं कि ये बाधक नहीं साधक बनेंगे। इसीलिए उनका नाम परिवर्तन और उनका दर्जा भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उनका नाम बदल कर रूरल इण्डस्ट्री डवलपमेंट आफिसर कर दें। क्योंकि बहुत से जो काम करने वाले साथी हैं, वह हमारे पास आये, समय समय पर उन्होंने कहा कि हमारी कोई सुनता नहीं है हमारा कोई दर्जा नहीं है। अगर इससे उनका दर्जा बढ़ जाता है तो उनका दर्जा बढ़ाने की बात है। मैं आशा करके चलता हूं कि यह बात उन तक पहुंच जायेगी और जो लगे हुए उद्योग हैं तथा जो और उद्योग लगने चाहिए, उन्हें बढ़ाने का काम करेंगे। उनका दायरा सीमित है लेकिन लो स्तर पर अगर रूरल इन्डस्ट्री ब्यूरो की स्थापना हम करना चाहते हैं। जिसके साथ में यह जो हमारा इण्डस्ट्री डवलपमेंट आफिसर होगा वह उसका सचिव होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो लगे हुए उद्योग हैं, उनको चलाने वाले जो लोग होंगे, इसके साथ साथ जो और लोग होंगे जिनको कि पूर्णतया बढ़ा सकते हैं, और इन्डस्ट्री लगा सकते हैं, ऐसी जानकारी हो तो प्राप्त करें। सरकार से जो सहायता मिलती है, उसकी जानकारी प्राप्त करें। उसका प्रचार करके उसको लगायें। श्रीमन्, इसके साथ साथ मैं प्रस्ताव आपके सामने रख रहा हूं। हो सकता है, सुनने में बहुत अच्छा न लगे। हो सकता है, सब की पसन्द भी नहीं हो। मैं जानता हूं जब इन बातों की चर्चा करता हूं तो लोग मन में सोचते होंगे मैं बराबर वीकर सैक्शन की बात करता हूं और बार बार शिड्यूल्ड कास्ट की भलाई की बात करता हूँ। मेरी मजबूरी है। श्रीमन्, आवश्यकता इस बात की है कि इन वर्गों को उठाना ही पड़ेगा। अब वह समय आ गया जब इन वर्गों को उठाने के लिए हमें प्रयास करना होगा। इसलिए, श्रीमन्, मैं यह पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। कहीं गलत हो जाऊं तो पकड़ में आ जाऊं।

"ऐसे उद्यमी, जो अनुसूचित जाति के हैं अथवा अनुसूचित जनजाति उप योजना क्षेत्र के जन जाति के सदस्यों को राष्ट्रीयकृत रूट्स पर रोडवेज के अनुबन्ध पर चलाने हेतु 50 बसों के लिए राजस्थान वित्त निगम से 75% ऋण व 20% ऋण अनुसूचित जाति निगम

(1720)

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

अथवा ट्राइबल एरिया डवलपमेंट कार्पोरेशन से दिलवाया जाएगा। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिये रोडवेज एवं वित्त निगम जिम्मेदार होंगे। यह योजना ट्रक स्कूटर आदि सार्वजनिक वाहनों पर भी लागू होगी। इस योजना पर 1 करोड़ 25 लाख रु. व्यय किये जायेंगे।"

श्रीमन्, सरकार ने वित्त निगम की योजना में प्रावधान कराया है कि "टाइनी" सैक्टर जो पहले एक लाख रु. की पूंजी विनियोजन करता था अब दो लाख रुपये तक के विनियोजन को समाविष्ट करता है, के विकास के लिए "इन्क्लूसिवली" कमजोर वर्गों के उद्यमियों को वित्त निगम 6 करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध कराये। इस राशि से कमजोर वर्ग के उद्यमियों को यह सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार को इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट बैंक आफ इण्डिया से जो योगदान लेना है वह सुनिश्चित किया जाएगा।

इस वर्ष पिछले वर्ष के मुकाबले 27 करोड़ रुपए का ऋण वित्त निगम द्वारा वितरित करवाया जाएगा जब कि पिछले वर्ष यह राशि 18 करोड़ रुपये ही थी।

राजस्थान वित्त निगम इस वर्ष 8 अन्य शाखायें खोलेगा जिससे उद्यमियों को अधिक सुलभता से औद्योगिक पूंजी उपलब्ध हो पायेगी। जो शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किया जा रहा है उसके विस्तार से राजस्थान वित्त निगम देश भर में अग्रणी स्थान प्राप्त करेगा।

मैं यह भी प्रस्ताव करना चाहूंगा कि शासन राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम (रीको) अपने विकसित औद्योगिक क्षेत्र में से भू-खण्डों का आवंटन अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के उद्यमियों को 50 प्रतिशत मूल्य पर ही आवन्टित करेगा।

श्रीमन्, वर्तमान में लागू सुविधाओं व अनुदानों को अलग अलग परिप्रेक्ष्य व पृथक् पृथक् समय पर चालू किया गया था। मैं यह भी निर्देश दे रहा हूं कि अब अगले तीन माहों की अवधि में अध्ययन कर, राज्य की औद्योगिक सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक विस्तृत, एकीकृत व तर्कसंगत पैकेज आफ इन्सेन्टिव्स व कन्सेशन्स बनायें जिससे राज्य के द्रुत औद्योगिक विकास के लिये अधिकाधिक पूंजी का विनियोजन हो सके।

श्रीमन्, इसके साथ ही प्रत्येक जिले में रुग्ण इकाइयों को चालू करने की भारत सरकार की योजना है। इस कार्य के लिये वित्त निगम के सफल प्रयत्नों को इण्डस्ट्रियल रिकन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन आफ इण्डिया ने मदद देने का प्रस्ताव किया है। इस साल दो करोड़ की पूंजी रुग्ण उद्योगों में लगाने का प्रस्ताव है।

श्रीमन्, इसके साथ-साथ डिपो की गतिविधियों की चर्चा करना मैं नहीं चाहूंगा। इसकी रिपोर्ट अलग से माननीय सदस्यों को प्राप्त हो गई होगी या हो जायेगी।

54 ग्रामीण लघु औद्योगिक क्षेत्रों का कार्य 80-81 में प्रारम्भ कर दिया जावेगा। इसके अलावा 21 औद्योगिक क्षेत्रों (शहरी एवं ग्रामीण) का कार्य 80-81 में प्रारम्भ किया जायेगा।

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

अनुसूचित जाति, जनजाति उद्यमियों के लिये औद्योगिक क्षेत्र के प्लाट निर्धारित 50 पर्सेन्ट कम दरों पर आवन्टित किये जायेंगे।

79-80 में प्राप्त किये गये 10 लाइसेंसों के विरुद्ध 80-81 में 20 औद्योगिक लाइसेंस भारत सरकार से प्राप्त करने का प्रयास किया जायगा।

ऊनी उद्योग को बढ़ावा देने हेतु 80-81 में 6 शौढ़ी एवं 2 वर्स्टेड ऊनी धागा मिल स्थापित करने का प्रस्ताव है।

उद्यमी प्रशिक्षण केन्द्र गुजरात के सहयोग से राज्य में उद्यमियों को प्रशिक्षण देने के लिये दो केन्द्र चलाये जायेंगे। 120 उद्यमी 80-81 में प्रशिक्षित किये जायेंगे।

श्रीमन्, इसके साथ ही राजस्थान लघु उद्योग निगम की चर्चा भी कई माननीय सदस्यों ने की। मैं उसके कार्यों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। उसके सुधार की गुंजाइश हो सकती है, उसके अन्दर सुधार का प्रयास करेंगे। अब मैं कुछ नये प्रस्ताव पेश कर रहा हूं। इनके बारे में काफी विचार हो चुका है। जिनमें विकास की गुंजाइश है उनमें विकास की कार्यवाही की जायेगी और उसको हम डिस्कस करके करने का प्रयत्न करेंगे। इनसे एक्सपोर्ट का प्रमोशन होगा। उनको भी हम सुविधायें देने का प्रयास करेंगे जैसे सिले सिलाये वस्त्र, ज्वैलरी का पुनर्आयात। इसके अलावा टैक्सटाइल कमेटी का कार्यालय जयपुर में ही खोला जावेगा। टैक्सटाइल प्रमोशन कौन्सिल जयपुर में ही कोटा आवंटित करेगी, एम. एम. टी. सी. की एजेन्सी एल्युमीनियम, तांबा, जस्ता एवं स्टेनलेस स्टील के वितरण हेतु राजस्थान स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन जयपुर में डिपो खोलेगा। आभूषण उद्योग का विकास करने के लिये, श्रीमन्, यह तय किया गया है कि इसका विकास करने व निर्यात बढ़ाने के लिये आभूषण काटने वाले यन्त्रों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी जयपुर में लगवाई जायगी। इसमें भारत सरकार की हिन्दुस्तान डायमण्ड कम्पनी भाग लेगी। आभूषण उद्योग का सोशियो-इकानामिक सर्वे कराया जावेगा इसमें आभूषण व्यापार के लिये स्टाक एक्सचेन्ज जयपुर में स्थापित करने की फिजिबिलिटी की जांच की जायेगी। धातु शिल्प, लकड़ी के हाथ के छापे, कांच की कटाई के लिये प्रशिक्षण केन्द्र चालू किये जावेंगे। हाथकरघा उद्योग का विकास किया जायेगा।

ये कुछ बातें ऐसी हैं जो देखने में छोटी सी लगती हों लेकिन इससे राज्य के औद्योगिक विकास में काफी सहायता मिल सकेगी। मैं यह आशा करके चलता हूं कि आने वाले साल में जब हम दुबारा मिलेंगे उद्योग विभाग की मांगों को डिस्कस करने के लिये तो हम एक सुदृढ़ आधार में प्रवेश कर सकेंगे।

इसके साथ ही हाथ करघा की भी काफी चर्चा की गई। कई माननीय सदस्यों ने यह चिन्ता व्यक्त की है कि जितना काम होना चाहिए उतना उसमें नहीं हुआ। हम यह समझते हैं कि इसमें विकास की बहुत गुंजाइश है इसलिए प्रस्ताव कर रहे हैं कि–

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

1. 15 नये सूत वितरण व कपड़ा संकलन एवं बिक्री केन्द्र खोले जावेंगे।

2. प्रोसेस हाउस की स्थापना की जावेगी।

3. बुनकरों को नये डिजाइनों के प्रशिक्षण हेतु एक प्रशिक्षण केन्द्र खोला जावेगा।

4. लोंग क्लाथ व मर्दानी धोतियों का उत्पादन शुरू कर उसकी बिक्री सबसीडाइज्ड रेट पर की जावेगी।

5. बुनकरों को उन्नत किस्म के करघे अनुदान से उपलब्ध करवाये जायेंगे।

श्रीमन्, ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें प्रगति दिखाने की कोशिश की जायेगी।

माननीय सदस्यों ने मकराना के बारे में भी चर्चा की। मकराना देश और विदेश में संगमरमर के लिये प्रसिद्ध है। श्रीमन्, वर्तमान में परम्परागत मशीनों पर आधारित लगभग 300 इकाइयां कार्यरत हैं। तीन आयातित मशीनें भी स्थापित हैं जिनकी क्षमता परम्परागत मशीनों से कई गुना अधिक है। औद्योगिक क्षेत्र स्थापित होने, ऋण तथा अन्य सुविधायें प्राप्त होने से 270 परम्परागत तथा तीन आयातित मशीनें निर्माणाधीन हैं। उपरोक्त सब इकाइयों की वार्षिक क्षमता लगभग 38 लाख घन फीट करने की कोशिश की जायेगी। श्रीमन्, इसके अन्दर एक बात जो बहुत जोर से कही गई कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों को जो पट्टे दिए गए थे उनको रद्द कर दिया गया।

श्री घनश्याम तिवाडी : रद्द नहीं किया गया।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : आप सुनिये तो सही। इसकी बहुत चिन्ता है। इस पर मैं जब खनिज विभाग पर बोलूंगा तब इसकी चर्चा करूंगा।

श्रीमन्, क्षमा करें, मैं इस बात को सुन नहीं सका, इस विभाग को ऋण वसूली की चर्चा यहां की गई या नहीं की गई। कई लोगों में ऋण बाकी है, कइयों से वसूल किया गया है, कइयों से वसूल नहीं हुआ है, वसूल नहीं हुआ है उसके कुछ कारण जरूर हो सकते हैं लेकिन उनको ऋण चुकाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं। यह नहीं होना चाहिये कि कार्यवाही नहीं होती इसलिए वे बैठे रहें। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन उद्योगों ने ऋण लिया है उनको ऋण चुकाना चाहिए और इसलिए चुकाना चाहिए कि उनका उद्योग सफलता प्राप्त करे और रोजगार की सुविधायें भी बढ़ें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि ऋण चुकाने में देरी हुई तो कानूनी रूप से कार्यवाही करनी पड़ेगी। हो सकता है बहुत से उद्योगों की ऋण वसूली में सरकार की ओर से भी कुछ कारण रहे हों जैसे बिजली की कटौती है या कोई अन्य कारण हो उस पर चर्चा की जा सकती है लेकिन उनको ऋण चुकाना चाहिए, कारण कुछ भी रहे हों कोई भी उद्योगपति ने आज तक आकर नहीं कहा कि उनकी कठिनाई क्या है, हां और सुविधायें जरूर मांगते हैं। मैं सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो ऋण लिया है उसको चुकाना पड़ेगा। राज्य में इण्डस्ट्रीज के विस्तार की आवश्यकता है,

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

उसके लिए सरकार कोशिश करेगी; किसी राजनीतिक द्वेष से इसको नहीं करना चाहती, राजस्थान का विकास करना है, इसलिए दूसरी बात नहीं देखेगी, यह देखेगी कि इण्डस्ट्रीज बढ़ सकें, इस बात की आवश्यकता है। उसके लिए ऋण मिल सकता है, लेकिन ऋण चुकाया नहीं जाता है तो सरकार को आगे कानूनी कार्यवाही करनी पड़ेगी।

श्रीमन्, अब मैं खनिज विभाग के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि कई माननीय सदस्यों ने काफी चिन्ता व्यक्त की है। कुछ भाई ऐसे हैं जो उन क्षेत्रों से आते हैं, जहां खनिज का काम होता है। खास तौर से मेरा क्षेत्र भी इससे लगता है। मेरे कुछ भाई उसमें काम करते हैं। मैं जानता हूं, बड़ी कठिनाई है। बड़े-बड़े लोग खानों के पट्टे लेकर मजदूरों को किस प्रकार से दुत्कार देते हैं। मजदूर बेचारे एडवांस लेते हैं, साल भर में चुका नहीं पाते हैं। सरकार ने इस बात की कोशिश की कि छोटे छोटे पट्टे दे कर उनको पनपाया जाये। उनके पास भूमि नहीं है, उनके पास औजार नहीं हैं इसलिए टिक नहीं पाते हैं।

श्रीमन्, मैं इस बात को जानता हूं कि उस क्षेत्र के अन्दर चोरी की, डकैती की समस्या बनी है, मारधाड़ होती है, बहुत कुछ पट्टेधारी उसको करवाते हैं। मेरी व्यक्तिगत जानकारी है इसलिए इतना ही कहना चाहता हूं कि जो वहां की अपराध की समस्या है, उसको रोकने की हर सम्भव कोशिश करेंगे। लेकिन बड़े-बड़े पट्टेधारी लोग किसी न किसी प्रकार से उनके पट्टों को ले लेते हैं। कभी-कभी तो देखा यह गया है, कोआपरेटिव सोसाइटी बना ली, उनके नाम पर पट्टा ले लिया। कभी-कभी यह देखा गया है कि जो नाम सदस्यों के आते हैं उनके नाम पर पट्टा ले लिया। आपस में लड़ा दिया, खान चलती नहीं। इंसान बर्बाद हो जाता है, पानी भर जाता है, इन्सान छोड़ कर भाग जाता है। कई अपना गुजारा करके छिप-छिपाते हैं। इसलिए कई बार हम फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं, फायदा पहुंचाने की बात करते हैं। इसलिए, श्रीमन्, ऐसी कोई योजना, जो टैक्निकल नहीं हो, लागू करने से कोई लाभ नहीं। यह बात सही है कि उन भाइयों को चाहे वह किसी भी वर्ग के हों, किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, चाहे छोटे-छोटे वर्ग के हो, पट्टा देना चाहिए। इसलिए, श्रीमन्, हम इस बात की कोशिश करेंगे कि जो पट्टे की योजना रखी थी पिछली सरकार ने उसको फिर से चालू किया जाये।

श्रीमन्, मैं भूल न जाऊं इसलिए थोड़ी सी चर्चा, जो पंचवर्षीय योजना में हम सोच रहे हैं, उसकी कर रहा हूं ताकि कहीं और मौके आयें तो एक-दो सुझाव ले सकें। हमारी यह कोशिश होगी कि 26 स्क्वायर किलोमीटर रीजनल जियो फिजिकल मैपिंग किया जाय। हम यह भी कोशिश करेंगे कि 100 स्क्वायर किलो मीटर का डिवीजनल जियोफिजिकल मैपिंग हो। हमारा यह प्रयास है कि 25 हजार मीटर में ड्रिलिंग किया जाये। इसके साथ-साथ दो सौ किलो मीटर सड़क बनाने का प्रस्ताव हम कर रहे हैं। कई माननीय सदस्यों ने इसकी चर्चा की। इसके साथ-साथ, श्रीमन्, सर्फेस सर्वे अब तक होना चाहिए था, वह हम नहीं करा पाये हैं। इसलिए हमारी कोशिश होगी कि 18000 स्क्वायर किलो मीटर के अन्दर सर्फेस सर्वे कराया जाये

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

ताकि पता चल सके कि कौन-कौन से उद्योग पनप सकते हैं, क्योंकि मुझे पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है कि कौन कौन सी माइन्स यहां पर हैं। इसीलिए इस साल कुछ प्रस्ताव भारत सरकार के सामने पेश करने हैं।

लिग्नाइट की खोज मेड़ता, जैसलमेर और बाड़मेर में की जायेगी। इसमें भी, श्रीमन्, मैं एक दो बातें कह रहा हूं। शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लांट 60 लाख रुपये का छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रखने का प्रावधान रखा जा रहा है। बड़े और छोटे सीमेन्ट प्लांट के लिए इन्टेन्सिव प्रोस्पेक्टिंग किया जाना चाहिए। इन्टेन्सिव इन्वेस्टीगेशन आफ ग्लेज मैटल इसमें खास तौर से लेड, जिंक और कापर, जो कि सिरोही बेल्ट में मिनरल इन्वेस्टीगेशन के लिए अभी प्रयास है उसको बढ़ाया जाये।

इसके साथ-साथ, श्रीमन्, रिसर्च एण्ड डवलपमेंट के काम को बहुत बढ़ाया जायेगा। 1000 नई रेन्ट कम रायल्टी की खानें दी जाने की योजना भी प्रास्तवित है। इसमें वीकर सैक्शन आफ दी सोसायटी को भी लाभ पहुंचेगा। पिछले वर्ष क्वेरी डवलप-मेंट स्कीम और लघु पट्टे धारियों को ऋण की सुविधा बन्द कर दी गई थी। इस सुविधा को फिर से चालू करेंगे।

श्रीमन्, अगूंचा की चर्चा माननीय सदस्यों ने की है। मैं उनको टाइम बाउंड करना चाहूंगा। इस पर शीघ्र काम करने का हमारा प्रयास होगा, जिससे कि यह योजना निर्धारित समय तक पूरी हो जायेगी। इसकी जानकारी मैं आपको अलग से दे दूंगा। क्योंकि यह हमारे जेर इन्वेस्टीगेशन है।

श्रीमन्, झामरकोटड़ा की भी चर्चा यहां बहुत की गयी। इस सिलसिले में मैं कहना चाहूंगा कि पिछले सालों में प्रयास हुआ इसके उत्पादन को बढ़ाने का। पिछले साल उत्पादन हुआ था 4.04 लाख टन। इस साल हमारा यह प्रयास है कि इसको 5 लाख टन तक किया जाये। मैं जानता हूं कि माननीय सदस्यों को सन्तुष्टि नहीं होगी। लेकिन अभी कुछ वित्तीय और तकनीकी कठिनाइयां हैं इसलिए उनको दूर करके हम बढ़ सके।

श्रीमन्, इसी प्रकार से राक फास्फेट का माइनिंग प्लांट, सैन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीट्यूट ने तैयार कर लिया है। शीघ्र ही हम भारत सरकार से स्वीकृति ले लेंगे। 200 टन पर डे का पाइलट प्लांट झामरकोटड़ा में लगाया जा रहा है जो कि मार्च–अप्रेल तक पूरा कर लिया जायेगा। श्रीमन्, फाइनल प्लांट इसके बाद लगाया जायेगा जो बहुत बड़ा प्लांट होगा। उसमें समय लग सकता है। सरकार को, हमारी यह कोशिश होगी कि जो आवश्यकता हमको बताई गई है प्लांट के लिए बिजली, पानी की, कन्सन्ट्रेट की, ढुलाई की व्यवस्था होनी चाहिए। इस व्यवस्था को पूरी करने की कोशिश की जायेगी।

श्रीमन्, यह कुछ ऐसी बातें हैं जिनको मैंने चर्चा इसलिए की जिससे सदन के जरिये से राजस्थान के सभी वासियों को इस बात की जानकारी दे सकें कि इस क्षेत्र में हम सबको मिलकर काम करना है।

एक बात अन्त में मैं निवेदन कर रहा हूं वह यह कि राजस्थान के प्रवासी भाई, राजस्थान के दूर दराज के इलाकों में, छोटे-

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

छोटे कस्बों में, छोटे-छोटे गांवों में आकर बसें हैं। आज देश के अन्दर खास तौर से हमारे ग्रामांचल में, उससे कई लोग बहुत चिन्तित हैं। समय समय पर माननीय सदस्य मुझसे मिलते रहे हैं। मैं उनका सदन के माध्यम से फिर आह्वान करना चाहता हूं कि वह आयें, अपनी इन्डस्ट्री लगायें, अपने देश के उद्योग को बढ़ाने के लिए, इस प्रान्त को भी अपना समझें और उन्हें जो सुविधा चाहिए, उसकी चर्चा हमसे करें। इस बारे में जो मैंने चर्चा की है उसके अलावा और भी अगर उनको कोई कठिनाई होगी, उसको दूर करने के लिए हम हर सम्भव प्रयास करेंगे। मैं व्यक्तिगत तौर से आश्वासन देना चाहता हूं, आपके जरिये से कि अगर वह आयेंगे और बातचीत करेंगे तो जो भी उनकी कठिनाई होगी, उसको दूर करने के लिए हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे। क्योंकि हमारा लक्ष्य एक है कि राजस्थान का औद्योगिक विकास होना चाहिए।

क्योंकि राजस्थान का विकास होता है तो उससे हमारे देश का विकास होगा। अगर देश का विकास होगा तो निश्चित रूप से बहुत सारे भाई-बहन, जिनको उद्योग के अन्दर काम नहीं मिल पाता है उनको काम मिल जायेगा और हमारा देश खेती पर आधारित है इसलिए, श्रीमन्, आपने देखा होगा जिनकी चर्चा मैंने की उनमें छूट दी जो खेती पर आधारित है। जो खेती के मददगार हो सकते हैं, सहायक हो सकते हैं। हमारी यह कोशिश होगी चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे खेती पर आधारित उद्योग हो या दूसरे आधारित होने वाले उद्योग हों उन सबका ज्यादा से ज्यादा विकास किया जाना चाहिए।

मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने आलोचना के साथ-साथ सुझाव भी दिये हैं। मैं ऐसी आशा करके चलता हूं कि जिन बातों की मैंने चर्चा की है उनको बढ़ाने व उनका प्रचार करने में लोगों को उनका लाभ मिल सके, इसमें भी आपकी मदद हो सकेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।

मांग संख्या 40, 42 व 43 का पारण

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। मांगों पर मतदान।

मांग संख्या 40। प्रश्न यह है कि मांग संख्या 40-राजकीय उपक्रम के संबंध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4, 14, 46, 000 रुपए तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 42। प्रश्न यह है कि मांग संख्या 42-उद्योग के संबंध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 8, 41, 75, 000 रुपए तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

(184)

(श्री अध्यक्ष)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 43। प्रश्न यह है कि मांग संख्या 43-खनिज के संबंध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 10, 72, 53, 000 रुपए तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त ....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मन्त्री महोदय ने लेखानुदान सहित, यह बात निश्चित रूप से नहीं कही थी।

श्रीमती कमला : मैंने कहा था, प्रोसीडिंग्स देख लीजिए।

श्री अध्यक्ष : लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 8.21 बजे बृहस्पतिवार, दिनांक 7 अगस्त, 1980 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न सं. 359 की सूची

दिनांक 1-8-80 को विचाराधीन मुकदमात (दीवानी एवं फौजदारी) थाना के. पाटन, लाखेरी, गेण्डोली व कापरेन की समवेकित सूचना—बूंदी न्याय क्षेत्र की

नाम न्यायालय	के. पाटन		लाखेरी		गेण्डोली		कापरेन		वि.वि.
	फौजदारी	दीवानी	फौजदारी	दीवानी	फौजदारी	दीवानी	फौजदारी	दीवानी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजि. बूंदी	62	20	47	6	47	4	28	5	
2. मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बूंदी	26	103	29	98	3	37	2	62	
3. अपर मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नं. 1, बूंदी	25	23	435	10	10	—	10	—	
4. अपर मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नं. 2, बूंदी	513	78	15	58	53	4	113	12	
5. न्यायिक मजि. नं. 1, बूंदी	51	—	88	—	438	—	24	—	
6. न्यायिक मोबाइल मजि. सी.ए.डी., बूंदी	12	—	2	—	3	—	3	—	
7. न्यायिक मजि. नं. 2, बूंदी	—	—	—	—	—	—	31	—	
योग	689	224	616	172	554	45	211	79	कुल योग 2590

परिशिष्ट-2

तारांकित प्रश्न संख्या 361 की सूची

जिला-जोधपुर

क्रमांक	गांव का नाम	योजना का प्रकार
1	2	3
1.	खारिया मीठापुर	पी. एण्ड टी. योजना
2.	बेनान	परम्परागत स्रोत कम हैण्ड पम्प आई एम II(ए)
3.	उदालियावास	हैण्ड पम्प आई एम II, (ए-2) परम्परागत स्रोत
4.	मालावास	क्षेत्रीय
5.	मादलीया	"
6.	डूंगाव कलां	"
7.	खूंटलिया	"
8.	डोलपुर कलां	"
9.	गजसिंहपुरा	पी. एण्ड टी. योजना
10.	नदसर	"
11.	खारिया खांगर	"
12.	धांधसरी	"
13.	कूद	आई एम II (ए) हैण्डपम्प
14.	चापला	"
15.	चाकरी खुर्द	"
16.	मोदी जोशियान एवं मोदाना	क्षेत्रीय योजना
17.	माटन्डा	"
18.	मोलकासनी	"
19.	लालावास	"
20.	मोरटुका	"
21.	सजारा	"
22.	गूजरवास कलां	"
23.	बीरामी	"
24.	बिरदावास	"
25.	पिथासनी	"
26.	गोलिया	"

1	2	3
27.	खारी कलां	क्षेत्रीय योजना
28.	खारी खुर्द	"
29.	पीसावास	"
30.	संगासनी	"
31.	मियासनी	"
32.	चारण बासनी	"
33.	सनाई	हैण्ड पम्प आई एम II (ए)
34.	रमीवा खुर्द	"
35.	रोहोंवा कलां	"
36.	भाचरना	"
37.	घान्धोया	"
38.	सार	"
39.	सांचा	"
40.	नेवारा	पी. एण्ड टी. योजना
41.	दनवारा	"
42.	खेरड़ा मेवासा	परम्परागत स्रोत
43.	मालुन्गा	परम्परागत स्रोत कम हैण्ड पम्प आई एम II (बी)
44.	चान्दलिया	आई एम II (ए) हैण्डपम्प
45.	बेराकोटेचा	"
46.	रीनिया	आई एम II (बी) हैण्डपम्प
47.	उजालिया	परम्परागत स्रोत
48.	मंडियाई खुर्द	"
49.	भैंसर कूटरी	आई एम II (बी) हैण्डपम्प
50.	खुरियाला	"
51.	सन्तोरा खुर्द	"
52.	खारी खुर्द	आई एम II (ए) हैण्डपम्प
53.	जुरविष गुढ़िया	आई एम II (ए) हैण्डपम्प, परम्परागत स्रोत
54.	वाना का बास	परम्परागत स्रोत
55.	बूचेटी	क्षेत्रीय योजना
56.	सावरी कलां	"
57.	लूनावास	"

1	2	3
58.	गंगानी	क्षेत्रीय योजना (पी एण्ड टी)
59.	सावकी खुर्द	क्षेत्रीय
60.	बोरवी कलां	,,
61.	बोरवी खुर्द	,,
62.	सुरपुरा कलां	,,
63.	चान्गर्द लोरना	,,
64.	छगवाड़ा कलां	,,
65.	छंगवाड़ा खुर्द	,,
66.	चन्देशमा	पी. एण्ड टी.
67.	कानोदिया महासिंह	आई एम II (ए) हैण्ड पम्प
68.	भान्दूचारना	आई एम II (बी) हैण्ड पम्प
69.	खिरजन भोजा	,,
70.	सगरां	क्षेत्रीय योजना
71.	सुख मंदला	हैण्ड पम्प आई एम II (बी)
72.	गीलाकोर	,,
73.	निम्बो का गांव	पी एण्ड टी
74.	भालू कलां	आई एम II (बी) हैण्ड पम्प
75.	देरा	परम्परागत स्रोत कम आई एम II (बी) हैण्ड पम्प
76.	भालू राजवां	आई एम II (ए) हैण्ड पम्प
77.	भान्दू जाती	,,
78.	गोपासर	परम्परागत स्रोत कम आई एम II (ए) हैण्ड पम्प
79.	कातूमादान	आई एम II (बी) हैण्ड पम्प
80.	चांचलवा	आई एम II (ए) हैण्ड पम्प
81.	झिन्झिनवाली	,,
82.	सियान्डा	परम्परागत स्रोत कम आई एम II (बी) हैण्ड पम्प
83.	जुड़िया	आई एम II (ए) हैण्ड पम्प
84.	चिरवाई	,,
85.	सांवरीज	पी एण्ड टी
86.	गांदला (मांदला)	,,
87.	भीयासर	,,

1	2	3
88.	पालीना	पी एण्ड टी
89.	परियल	"
90.	मोरिया	परम्परागत स्रोत "
91.	मांदरा कलां	क्षेत्रीय योजना"
92.	नांदरा कलां	"
93.	नांदरा खुर्द	"
94.	बनार	"
95.	जाजीवाल कुटरी	"
96.	जजवाल कलां	"
97.	जाजीवाल भांदरियां	"
98.	जाजीवाल घांचला	"
99.	जाजीवाल खिचीयां	"
100.	जाजीवाल काकरला	"
101.	जाजीवाल भरमाना	"
102.	बाला कुआ	"
103.	बोरावास	"
104.	गूजरावास	"
105.	भगवां	"
106.	जाजीवाल गेहलोतान	"
107.	जाजीवाल भाटीयान	"
108.	तवुकरा	"
109.	रालावास	"
110.	धारव	"
111.	झीपासनी	"
112.	करवीर	"
113.	देसुरिया खलवाला	"
114.	देसुरिया बिश्नोईयान	"
115.	मनकालो	"
116.	बिशलपुर	"
117.	चान्देलाव	"
118.	दांतीवाड़ा	"
119.	खाटियासनी	"
120.	बाकरला	"

1	2	3
121.	दोलिया	क्षेत्रीय योजना
122.	चाम्पा कांटों की जलाणी	"
123.	अकथली	"
124.	सूरजबासनी	"
125.	जालोली दाईकारा	"
126.	मसरनाड़ा	"
127.	बारली	"
128.	दाईकारा	"
129.	सालवा कलां	"

जिला नागौर

क्रमांक 1	गांव का नाम 2	योजना का प्रकार 3
1.	कुमारी	पी एण्ड टी योजना
2.	रुण	"
3.	खजवाना	"
4.	संखवास	"
5.	कदलू	"
6.	बिरलोका	"
7.	कुरची	"
8.	मदपुरा	"
9.	बन्सा	"
10.	दसना कलां	क्षेत्रीय योजना
11.	दसना खुर्द	"
12.	दिकावा	हैण्ड पम्प आई एम II
13.	घोगल	"
14.	सरदारपुरा खुर्द	"
15.	लुन्सारा	पी एण्ड टी योजना
16.	सोमाद्या	"
17.	फारदोद	"
18.	दिदीयां कलां	क्षेत्रीय योजना
19.	दिदीयां खुर्द	"
20.	तनवारा	परम्परागत स्रोत

1	2	3
21.	रामसर	हैण्ड पम्प आई एम II
22.	अवीना	परम्परागत स्रोत
23.	तनवारा	क्षेत्रीय योजना
24.	कुमासियां	,,
25	रिडमालास	,,
26.	रैधाना	,,
27.	रोडू	,,
28.	घोसिया	,,
29.	अनसारिया	,,
30	सारडी	,,
31.	लोदसर	,,
32.	कुशालपुर	,,
33.	पंचावा	पी एण्ड टी योजना
34.	मीन्डा	,,
35.	चितावा	,,
36.	अरकसर	,,
37.	पलारा	परम्परागत स्रोत व हैण्ड पम्प आई एम II
38.	सबलपुरा	,,
39.	पालरी	हैण्ड पम्प आई एम II
40.	कन्सेरा	,,
41.	खारिया	क्षेत्रीय योजना
42.	सारगोथ विथ पदमपुरा	,,
43.	रान्वा	हैण्ड पम्प आई एम II
44.	जवाली	पी एण्ड टी योजना
45.	ईटावा लाखा	टी एस एस+हैण्ड पम्प आई एम II
46.	गेलासर	,,
47.	मिडकिया	,,
48.	बारवाली	परम्परागत स्रोत
49.	बिल्लू	परम्परागत स्रोत एवं हैण्डपम्प आई एम II
50.	मोरेर	हैण्ड पम्प आई एम II

(192)

1	2	3
51.	भाकरी मोलास	पी एण्ड टी योजना
52.	पीलवा	हैण्ड पम्प आई एम II
53.	हरनावा	पी एण्ड टी योजना
54.	रिड	हैण्ड पम्प आई एम II
55.	गुनवाती	परम्परागत स्रोत हैण्ड पम्प आई एम II
56.	बाजावास	,,
57.	बागोट	,,
58.	बस्सी	,,
59.	मोदी खुर्द	,,
60.	बारनेल	,,
61.	भदासिया	,,
62.	कुन्दारी	,,
63.	धनापा	हैण्ड पम्प आई एम II
64.	लूनियास	,,
65.	पादू कलां	पी एण्ड टी योजना
66.	जसरासर	,,
67.	पादू खुर्द	परम्परागत स्रोत हैण्ड पम्प आई एम II
68.	लाडवा	हैण्ड पम्प आई एम II
69.	सूरियास	,,
70.	बरयाली	,,
71.	जलवाना	,,
72.	भैंसारा कलां	,,
73.	थानवाला	पी एण्ड टी योजना
74.	अलनियावास	,,
75.	भारुन्डा	हैण्ड पम्प आई एम II

जिला-सीकर

क्र. सं.	ग्राम का नाम	स्कीम का प्रकार
1	2	3
1.	मंदेला	रोटरी हैण्ड पम्प
2.	कल्याणसर	,,
3.	सादमगढ़	,,

1	2	3
4.	चूवास	रोटरी हैण्ड पम्प
5.	भाकरवासी	,,
6.	बीवपुरा छोटा	,,
7.	लानवान्दा	,,
8.	नारी	,,
9.	मांदेला बाडा	,,
10.	बैरास	,,
11.	भूलून्दा	परम्परागत स्रोत
12.	विजयपुरा	,,
13.	चिरानिया कलान (बाडा)	,,
14.	सिवडा	,,
15.	रूलःयान माली	,,
16.	नासानवा	,,
17.	धीकर का वास	,,
18.	बोदलासी	,,
19.	भाभेर	हैण्ड पम्प
20.	बाय	परम्परागत स्रोत
21.	झीलमील	हैण्ड पम्प
22.	पीपली	,,
23.	भोंतरी	हैण्ड पम्प, परम्परागत स्रोत
24.	गोथ्रा	परम्परागत स्रोत
25.	वाघलवास	,,
26.	बिरदी बाड़ी	,,
27.	जाचास	,,
28.	कदमा का वास	,,
29.	बराल	परम्परागत स्रोत
30.	श्यामगढ	हैण्ड पम्प
31.	पालासरा	,,
32.	राजपुरा	परम्परागत स्रोत
33.	साकरी	हैण्ड पम्प
34.	सोब	,,
35.	समरथपुरा	,,
36.	लंधाना	परम्परागत स्रोत

1	2	3
37.	बारसिंगपुरा	हैण्ड पम्प
38.	नानगल	परम्परागत स्रोत
39.	पृथी पुरा	हैण्ड पम्प
40.	भगतपुरा	,,
41.	अभायपुरा	परम्परागत स्रोत
42.	कालोरा	पम्प एवं टैंक
43.	रघुनाथपुरा	,,
44.	गूगान	,,
45.	भवानीपुर	हैण्ड पम्प
46.	देवीपुरा	,,
47.	कल्याणपुरा	हैण्ड एवं परम्परागत स्रोत
48.	नांगल भीम	हैण्ड पम्प
49.	सीमरीला	,,
50.	जंसवतपुरा	,,
51.	भीमा	परम्परागत स्रोत
52.	मांगरसी	,,
53.	लादपुरा	हैण्ड पम्प
54.	चांदकीया	,,
55.	नोंसल	,,
56.	भूरदान का बास	,,
57.	राजपुरा	,,
58.	जीनवास	परम्परागत स्रोत
59.	गोदिया वास	हैण्ड पम्प
60.	चाक मीटाई	,,
61.	मोन्देला (रूरल एरिया)	पम्प एण्ड टैंक
62.	रामपुरा	हैण्ड पम्प
63.	फतेहपुर	,,
64.	जयरामपुरा	परम्परागत स्रोत
65.	पनिहारवास	हैण्ड पम्प
66.	रामपुरा	,,
67.	लोदपुरा	,,
68.	कुन्दा	परम्परागत स्रोत
69.	सूजोना	हैण्ड पम्प

1	2	3
70.	सीखिदपुरा	हैण्ड पम्प
71.	खेरी चारणवास	,,
72.	तिवाड़ी की ढाणी	,,
73.	कीरपुरा	,,
74.	ढाणी गुमानसिंह	,,
75.	रोयल	परम्परागत स्रोत
76.	घोदवालोन का वास	,,
77.	सामनवास सूजनपुरा	,,
78.	गोकुल का वास	,,
79.	हार्थीदेह हरदास का वास	पम्प एवं टैंक
80.	कल्यानपुरा	परम्परागत स्रोत
81.	उदेलवास वीथ रूपुरा	हैण्ड पम्प
82.	सूनेरी	,,
83.	सूलपुरा	,,
84.	बोरान	,,
85.	देवीपुरा	,,
86.	कल्यानवास	,,
87.	आसमपुरा	पम्प एवं टैंक
88.	टोडा	,,
89.	अजमेरी	,,
90.	रायपुरा पाटन	,,
91.	झालरा	हैण्ड पम्प
92.	कारजू	,,
93.	नीमोद	,,
94.	किशोरी पुरा	,,
95.	छापर	,,
96.	पानचू खरखरा	,,
97.	रामीर	,,
98.	जुबजा का नांगल	,,
99.	मोहनपुरा	,,
100.	मीना की नांगल	,,
101.	राम सिंह की ढाणी	,,
102.	तसारा	,,

(196)

1	2	3
103.	धांधला	हैण्ड पम्प
104.	जागलपुरा	,,
105.	चातगुर	,,
106.	सुनवालपुरा	,,
107.	दीपास	,,
108.	नोरेना	,,
109.	पीथलपुरा	,,
110.	दरीबा	,,
111.	बालूपुरा	,,
112.	श्यामपुरा	,,
113.	बाटिया	,,
114.	सनवालपुरा	,,
115.	मोकनवास	,,
116.	काचारूला	,,
117.	नाजपुरा	,,
118.	नीपाली	,,
119.	रामसिंगपुरा	,,
120.	नांगलकोलो	,,
121.	जयतपुरा	,,
122.	जैतवास	,,
123.	धानी आरोन	,,
124.	मारवा	,,
125.	कालाखेरा पुरोहितान	,,
126.	झालन्दा	,,
127.	नांगवास	,,

जिला–झुन्झुनू

क्रम संख्या	गांव का नाम	योजना का प्रकार
1	2	3
1.	सोनासर	पी एण्ड टी
2.	नाटूसर	पी एण्ड टी
3.	टानी	पी एण्ड टी

1	2	3
4.	धानूरी	क्षेत्रीय
5.	बाजला	परम्परागत स्रोत
6.	हंसासर	हैण्ड पम्प आई एम II
7.	डिलोई	,,
8.	भूरासर	परम्परागत स्रोत
9.	झांड	हैण्ड पम्प आई एम II
10.	पाटोदा	,,
11.	रामपुरा	क्षेत्रीय योजना II
12.	हंसासारी	,,
13.	लूना	,,
14.	चुराला	हैण्ड पम्प आई एम II
15.	बासरी	क्षेत्रीय योजना I
16.	खारिया	,,
17.	भीखनसर	क्षेत्रीय योजना
18.	हमीर कलां	हैण्ड पम्प आई एम II
19.	जैतपुरा	क्षेत्रीय योजना
20.	बिरमी	परम्परागत
21.	बगर रैंरा	,,
22.	सिरियासर कलां	,,
23.	उतरासर	हैण्ड पम्प आई एम II
24.	उदावास	,,
25.	वदलावास	,,
26.	खीरडसर	,,
27.	वारिशपुरा	,,
28.	हितमसर	परम्परागत
29.	बासनानाग	हैण्ड पम्प आई एम II
30.	सिसयान	,,
31.	मोजास	परम्परागत
32.	कुहाड	क्षेत्रीय
33.	वाजिदसर	,,
34.	खलासी	,,
35.	दुरमा	परम्परागत
36.	बिशनपुरा	हैण्ड पम्प आई एम II

1	2	3
37.	तितारा	क्षेत्रीय
38.	हनुमानपुरा	,,
39.	पूसखानी	परम्परागत
40.	कुमावास	हैण्ड पम्प आई एम II
41.	मोरोट	,,
42.	मेहर दासी	,,
43.	लूमास	परम्परागत
44.	मीठवास	हैण्ड पम्प आई एम II
45.	टोगरा खुर्द	,,
46.	रासोरा	क्षेत्रीय
47.	सेरवास	परम्परागत
48.	टोगरा स्वरूपसिंह	हैण्ड पम्प आई एम II
49.	गोदा खेरा	,,
50.	शाहपुर	परम्परागत
51.	सुल्ताना अहिराम	,,
52.	सोहली	हैण्ड पम्प आई एम II
53.	देवकावास	,,
54.	पठाना	क्षेत्रीय योजना I
55.	मोईमास	हैण्ड पम्प आई एम II
56.	मेहराना	,,
57.	मुरादपुर	क्षेत्रीय योजना 2
58.	पचूरी खुर्द	,,
59.	मांजरी	,,
60.	थाली	परम्परागत
61.	सागवा	हैण्ड पम्प आई एम II
62.	काकरा	,,
63.	मेघपुर	,,
64.	गूजरवास	परम्परागत
65.	सिलारपुरी	हैण्ड पम्प आई एम II
66.	ढाणी मालोद	,,
67.	थीन चोली	,,
68.	लाला मण्डी	,,
69.	गोदली	,,

1	2	3
70.	फाका मण्डी	हैण्ड पम्प आई एम II
71.	थोंथी	,,
72.	रासलपुर अहिराम	क्षेत्रीय योजना I
73.	पंथ डोली	हैण्ड पम्प आई एम II
74.	कुथानिया	परम्परागत
75.	ख्योन्डा	हैण्ड पम्प आई एम II
76.	तातीजा	पी एण्ड टी
77.	कोलासा	,,
78.	रासुलपुर	हैण्ड पम्प आई एम II
79.	देवता	,,
80.	बीलवा	,,
81.	बदलवास	,,
82.	रावण	,,
83.	बानकोटी	,,
84.	मानोता कलां	हैण्ड पम्प आई एम II
85.	हुरदिया	क्षेत्रीय योजना
86.	ठाटवारी	परम्परागत
87.	मांढरी	हैण्ड पम्प आई एम
88.	हरनपुरा	,,
89.	रोजारा	,,
90.	मुकन्दपुरा	परम्परागत
91.	भीतेरा	हैण्ड पम्प आई एम II
92.	पडेवा	क्षेत्रीय योजना
93.	बानसियल	हैण्ड पम्प आई एम II
94.	चिराना	,,
95.	नोतास	,,
96.	हरीपुरा	,,
97.	बदवासी	पी एण्ड टी
98.	धीगल	परम्परागत स्त्रोत
99.	मोहब्बतसर	,,
100.	चोरडा आतुनी	,,
101.	श्योलाना	परम्परागत स्रोत व हैण्ड पम्प आई एम II सम्मिश्रित

1	2	3
102.	तिगियास	क्षेत्रीय योजना
103.	दिलवारपुरा	परम्परागत स्रोत
104.	गोथरी	,,
105.	अजीतपुरा	,,
106.	जाखोद	पी एण्ड टी
107.	अगवाना खुर्द	परम्परागत
108.	असलवार	हैण्ड पम्प आई एम. II
109.	घीन्धवा	परम्परागत स्रोत
110.	निचला रायला	,,
111.	धीन्धवा अगुना	,,
112.	जयसिंघवार	क्षेत्रीय योजना
113.	मूडानपुरा	परम्परागत स्रोत

जिला—श्रीगंगानगर

क्र.सं.	ग्राम का नाम	योजना का प्रकार
1	2	3
1.	जनसल	केनाल विस्तार
2.	मूंसरी	,,
3.	करनपुरा	,,
4.	माहरना	,,
5.	मालखरा	,,
6.	अनूपसर	,,
7.	शरदा	पम्प एवं टैंक
8.	साहूवाला	हैण्ड पम्प
9.	बीरन	,,
10.	बेर	,,
11.	रासलाना	क्षेत्रीय
12.	जाटन	,,
13.	गंनसू	,,
14.	मलसीसर	,,
15.	सीलकाली	कैनाल पम्प एवं टैंक
16.	वरवाली	विस्तार

1	2	3
17.	दीपलाना	विस्तार
18.	गाधबीरन	,,
19.	रतनपुरा	,,
20.	किकरालिया	क्षेत्रीय
21.	रामपुरा	,,
22.	नोलखी	,,
23.	बीरमसर वीथ रामकान	,,
24.	चायया	हैण्ड पम्प
25.	रामसरा	,,
26.	दासूवाली	,,
27.	गोगामरी	,,
28.	कनवानी	,,
29.	धानधाला	विस्तार

जिला—चूरू

क्र.सं.	ग्राम का नाम	योजना का प्रकार
1	2	3
1.	खीनवासर	विस्तार
2.	जोरी पाटा लोहसीना	क्षेत्रीय
3.	चालकोरी सरीजीतान	,,
4.	दादरोवा	पम्प एवं टैंक
5.	राटूंदा	,,
6.	नूहान्द	विस्तार
7.	चानेऊ	क्षेत्रीय
8.	अमरसर	हैण्ड पम्प
9.	बीधीसर	,,
10.	सोमन्दसर	क्षेत्रीय
11.	मलकीसर	,,
12.	धातरी	विस्तार
13.	हीरासर	,,
14.	भोम-परोवेरा	,,
15.	बीकमसर	हैण्ड पम्प

1	2	3
16.	मेहूरी राजीयान	हैण्ड पम्प
17.	मालासर	,,
18.	मालूसर	,,
19.	रंगयसर	क्षेत्रीय
20.	घीधीचिया	विस्तार
21.	दाउदसर	पम्प एवं टैंक
22.	भानूदा बीदावातन	परम्परागत स्रोत
23.	करगर	हैण्ड पम्प
24.	पबूसर	,,
25.	सोधासर	परम्परागत स्रोत
26.	लोंच	हैण्ड पम्प

<u>जिला—बीकानेर</u>

क्र. सं.	ग्राम का नाम	योजना प्रकार
1	2	3
1.	सूरा	क्षेत्रीय जल योजना
2.	तजरासर	परम्परागत स्रोत
3.	खारडा	,,
4.	शामासर	क्षेत्रीय
5.	कन्नासर	,,
6.	राजसर शातीयान	विस्तार योजना
7.	मोहदागवाली वीफ बास करमीसर	क्षेत्रीय
8.	मोटलाई	,,
9.	रामबाघ	केनाल विस्तार
10.	साहजालासल	क्षेत्रीय जल योजना
11.	राजन	केनाल विस्तार
12.	चीतना	क्षेत्रीय
13.	साधूना	,,
14.	कादली	,,
15.	सीसलवा	,,
16.	मंसूरी	परम्परागत स्रोत
17.	संगसू	,,

जिला—पाली

क्र. सं. 1	ग्राम का नाम 2	योजना का प्रकार 3
1.	देवरीया	पम्प व टैंक
2.	कुरकी	,,
3.	प्रसारला	,,
4.	नीम्बाल	,,
5.	मांडा	,,
6.	भासाना	हैण्ड पम्प एवं परम्परागत स्रोत
7.	सीसरवाड़ा	हैंड पम्प
8.	भमावास	,,
9.	मालावास	,,
10.	धांधारी	क्षेत्रीय
11.	फूला	हैण्ड पम्प
12.	गुन्डोगारी	,,
13.	मांडला	क्षेत्रीय
14.	रामाशानीवासा	,,
15.	संध्या	पम्प व टैंक
16.	बानसीया	हैंड पंम्प एवं परम्परागत स्रोत
17.	लीलमबा	,,
18.	भीराटीया काला	,,
19.	करणवास	,,
20.	खोरिया	,,
21.	बसाना	,,
22.	मोहरा कलां	,,
23.	करनावास	,,
24.	रामपुरा कलां	,,
25.	हागीवास	,,
26.	डरानरी	,,
27.	सिंगला	,,
28.	डोमकोट	,,
29.	मुर्दावा	,,
30.	गोरीया	,,
31.	ऊदेशी कवान	,,

1	2	3
32.	अखंली	हैण्ड पम्प
33.	कोयल	"
34.	छीतरीया	"
35.	देवली	"
36.	भीथोला काला	"
37.	धामली	"
38.	नीमलीमांडा	"
39.	बहुरोण्डा	"
40.	कोठा बारीर	पम्प व टैंक
41.	सिन्डरी	"
42.	भोरी	हैण्ड पम्प एवं परम्परागत स्रोत
43.	पुरारा	"
44.	भाखोरा	"
45.	मेखरम्पा	हैण्ड पम्प
46.	हिंगोटा	"
47.	राजपुरा	हैण्ड पम्प एवं परम्परागत स्रोत
48.	नितरा	हैण्ड पम्प
49.	मालाजी का बारा	"
50.	अकादरा	क्षेत्रीय
51.	देवतारा	हैण्ड पम्प
52.	पाराखया	"
53.	रीजरा	"
54.	बोनपुरा	क्षेत्रीय
55.	धानी	पम्प व टैंक
56.	कोट	हैण्ड पम्प एवं परम्परागत स्रोत
57.	लालरा	"
58.	करनवा	हैण्ड पम्प
59.	रघुनाथपुरा	"
60.	अम्बाली	"
61.	बालर	"
62.	जीवनडा	हैण्ड पम्प एवं परम्परागत स्रोत
63.	तीवली काला	क्षेत्रीय
64.	तवाली खुर्द	"

1	2	3
65.	सीडावास	क्षेत्रीय
66.	सोनाल मांगी	"
67.	अछीया	"
68.	किशनपुरा	हैण्ड पम्प एवं परम्परागत स्रोत
69.	देवली	"
70.	खारंडा	"
71.	घारी	"
72.	शनालता	हैण्ड पम्प
73.	प्रतापगढ़	"
74.	उदवीथल	"
75.	दादापुरा	"
76.	चौरा	"
77.	मांडावास	क्षेत्रीय
78.	पंच पीडारी	"
79.	डीवांडी	"
80.	सराना	"
81.	खुटकनी	"
82.	चांदा	"
83.	जीतरा	"
84.	अरटा	"

जिला–अजमेर

क्र. सं.	गांवों के नाम	स्कीम के प्रकार
1	2	3
1.	मोहमी	हैण्ड पम्प एवं परम्परागत स्रोत
2.	साराना	हैण्ड पम्प
3.	वीर	हैण्ड पम्प एवं परम्परागत स्रोत
4.	सीनोद	"
5.	भीडाल	हैण्ड पम्प
6.	जिलावारा	हैण्ड पम्प एवं परम्परागत स्रोत
7.	सारपींडा	"
8.	कानाखेरी	"
9.	हांथीभाटा	हैण्ड पम्प

1	2	3
10.	मोदी	हैण्ड पम्प
11.	रामपुरामहुराम	,,
12.	मोराजारी	,,
13.	लिवरा	,,
14.	मंडीयानी	,,
15.	नवाब	,,
16.	नीमला	,,
17.	तोहारी	हैण्ड पम्प एवं परम्परा गत स्रोत
18.	सारदाना	पम्प एवं टैंक
19.	मिथारिया	हैण्ड पम्प
20.	पागारा	,,
21.	रामपुराडाबला	हैण्ड पम्प एवं परम्परा गत स्रोत
22.	लालीखेरा	हैण्ड पम्प
23.	राजोथी	पम्प एव टैंक
24.	किशारपुरा	हैण्ड पम्प एवं परम्परागत स्रोत
25.	भाटीयामी	हैण्ड पम्प
26.	मांडला	हैण्ड पम्प एवं परम्प रागत स्रोत
27.	भीमपुरा	हैण्ड पम्प
28.	नाथीथाला	,,
29.	अमरगढ़	,,
30.	रूडली	,,
31.	डोलादंता	,,
32.	अंसारी	,,
33.	नाहरपुरा	,,
34.	जाजोता	हैण्ड पम्प एवं परम्परागत स्रोत
35.	नीटीही	,,
36.	रालाबाता	,,
37.	रघुनाथपुरा	हैण्ड पम्प
38.	कल्याणपुरा	,,
39.	अमरपुरा	,,
40.	तहाल	,,
41.	नंदपुरा	,,
42.	नारीना	,,

1	2	3
43.	रामपुरा	हैण्ड पम्प
44.	बूभा	"
45.	टोंकरा	"
46.	खाटोली	"
47.	पालरी	"
48.	धानीपुरमोहीतीाम	"
49.	उदयपुरकलां	"
50.	टेंकरवारा	"
51.	मावाड़ा	"
52.	तीहारी	"
53.	सीलोरा	"
54.	चोटा खेड़ा	"
55.	मोहनपुरा	"
56.	काकानीयावास	"
57.	फतेहगढ़	पम्प-व-टैंक
58.	गोटीयाना	हैण्ड पम्प एवं परम्परागत स्रोत
59.	जीरोटा	हैण्ड पम्प
60.	मनोहरपुरा	"
61.	दास-रमागढ़	"
62.	पांडोली	"
63.	शारसीन्छां	"
64.	गोरधनपुरा	"
65.	भाटीला	"
66.	घोलपुरिया	"
67.	गागोन्डा	"
68.	डांग	"
69.	माला	"
70.	बीरला	"
71.	जोहायान	पम्प व टैंक
72.	श्रीरगढ़	हैण्ड पम्प
73.	शोखलयां	"
74.	गोबालीया	"
75.	आडाना	"

1	2	3
76.	बारोल	हैण्ड पम्प
77.	सारान	पम्प व टैंक
78.	चापेनरी	"
79.	देवगोन	"
80.	पारा	"
81.	लीलवा	हैण्ड पम्प एवं परम्परागत स्रोत
82.	बीगासीयावास	"
83.	शीरगढ़	"
84.	रामगढ़	"
85.	हनुतीया	"
86.	दोलतपुरा सीथामा	"
87.	हुरराजपुरा	हैण्ड पम्प
88.	कामा खेरी	"
89.	कुशालपुरा	"
90.	कानपुरा	"
91.	लाम्बा	"
92.	देमाली	"
93.	रागापुरा	"
94.	भीमपुरा	"
95.	जीवाना	"
96.	दोलतपुरा	"
97.	यूथानी	"
98.	देवपुरा	"
99.	किलो	"
100.	लोहरडी	"
101.	लीडीयामा	"
102.	बाड़ी	"
103.	नागर	"
104.	ब्यावरखाश	हैण्ड पम्प एवं परम्परागत स्रोत
105.	धारीथीरिया	"
106.	बालदे	हैण्ड पम्प
107.	नीदरी मलदेव	"
108.	गोहानी	"
109.	शरगीन	"

1	2	3
110.	लॉसादिया	हैण्ड पम्प
111.	शाहपुरा	"
112.	कालीजार	हैण्ड पम्प एवं परम्परागत स्रोत
113.	लोटियाना	"
114.	डाडोला	हैण्ड पम्प
115.	वारकोछारान	"
116.	नाईकलाना	"
117.	वहार रतनपुरा	"
118.	चारप्लान	"
119.	खोदमा	"
120.	बामनहेरा	"
121.	देवलफेतपुर	"
122.	भागमल	"
123.	बंजारी	"
124.	पाखरी	"
125.	मेबीया	"
126.	जालीया	"
127.	रामावास	"
128.	दुर्गावास	"
129.	सूरजपुरा	"
130.	खेरा कलां	"
131.	खेरा ढांतो	"
132.	टेकरानपनडरीतान	"

जिले का नाम-कोटा

क्र. सं.	गांव	योजना का प्रकार
1	2	3
1.	बयाना	हैण्ड पम्प
2.	लछवाड़	"
3.	निमोला	"
4.	दिरी	"

(210)

1	2	3
5	गणेशगंज	हैंड पम्प
6.	पिलदा खुर्द	,,
7.	नियाना	,,
8.	बोरदा	,,
9.	मऊ	,,
10.	डूंगरी	,,
11.	कांधरी	,,
12.	बरगोन	,,
13.	बलदारा	,,
14.	रतरिया	,,
15.	खजूरना कलां	,,
16.	मालवामोरी	,,
17.	कोटरी सून्डा	,,
18.	बावरी खेरा	,,
19.	रारोटी	,,
20.	नियाना	,,
21.	तिंसाया	,,
22.	बाटसूई	,,
23.	मलखेरी	,,
24.	सूंडलाक	,,
25.	मथनी	,,
26.	खेरली कासी	,,
27.	हरीपुरा	,,
28.	खेरली	,,
29.	पायेरा	,,
30.	बेगना	,,
31.	बोरडा	,,
32.	पूनेरा	,,
33.	मरडंड	,,
34.	रिछंडा	,,
35.	मताना	,,
36.	मोडिया	,,
37.	मुसंडमेट	,,
38.	नरसिंहपुरा	,,

1	2	3
39.	छाजवा	हैण्ड पम्प
40.	सहरोड़	"
41.	डोमटी	"
42.	चारदाना	"
43.	मूंडियो	"
44.	मोरमा तलब	"
45.	खानिया	"
46.	दीगोद	"
47.	रामगढ़	"
48.	घोंतरी	"
49.	विनोद खुर्द	"
50.	सालेर खुर्द	"
51.	हरिया खेरी	"
52.	बूडना खेरी	"
53.	लाख सनिज	"
54.	ठाकरवाड़ा	"
55.	पीपलाद सांड	"
56.	जरोन	"
57.	बनेथिया	"
58.	घनवा	"
59.	खोलरी तवरान	"
60.	बिसलाई	"
61.	पारासोहा	"
62.	कल्याणपुरा	"
63.	सरोला	"
64.	कच्छनावाड़ा	"
65.	काकरा वाड़ा	"
66.	गेडापान	"
67.	पाडलिया	"
68.	हुनोटिया	"
69.	छानूमाकोट	"
70.	रंगपुर	"
71.	देसलामा	"

(212)

1	2	3
72.	किशनपुरा	हैण्ड पम्प
73.	खेरा	"
74.	ताथर	"
75.	धकड़खेरी	"
76.	उम्मेदपुरा	"
77.	भीमपुरा	"
78.	लाड़पुरा खुर्द	"
79.	गलाना	"
80.	कडीहेरा	"
81.	मवासा	"
82.	रूपपुरा	"
83.	तन्छा	"
84.	फुल वरोद	"
85.	उदपुरिया	"
86.	रानिया	"
87.	पीपलखेरी	"
88.	रनवा	"
89.	सुखनेरी	"
90.	कलपा	"
91.	श्रीपुरा	"
92.	डीलोद	"
93.	कोटूहेरा	"
94.	कोटरी	"
95.	गुड़िया चारन	"
96.	कीटरापर	"
97.	भेलवारा नेछा	"
98.	वावचा	"
99.	कून्डी	"
100.	मंडानाखेरीया	"
101.	टेटलनी	"
102.	नीमखेरा	"
103.	बोरी	"
104.	केलवारा	"

1	2	3
105.	समरानिया	हैण्ड पम्प
106.	महोदरा	,,
107.	रेलवान	,,
108.	गर्दी	,,
109.	भलावारा	,,
110.	रामगढ़	,,
111.	दीगोद पान	,,
112.	मंडा	,,

विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के चयन का आधार—

1. वे समस्याग्रस्त ग्राम, जिनकी 1971 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या 500 से अधिक है।

2. ग्रामों का चयन प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में समान वितरण के आधार पर किया गया है जहां चयन के आधार पर बनी हुई योजनाएं उपलब्ध हैं।

3. डीजल की कमी व डीजल चलित योजनाओं के अधिक संधारण व्यय को देखते हुए केवल विद्युत् कृत ग्रामों का चयन किया गया है। इससे संधारण सस्ता एवं सुगम होगा। परन्तु यदि विद्युत् ग्राम के इतने पास उपलब्ध हुई कि विद्युत् लाइन का खर्चा जनरेटिंग सेट की लागत से कम हुआ तो विद्युत् कनेक्शन लिया जायेगा।

4. जिन ग्रामों में 1971 की जनगणना के अनुसार 2000 से अधिक जनसंख्या है, पम्प व टैंक योजनाएं बनायी जायेंगी।

5. यह प्रयत्न किया गया है कि जहां तक संभव हो क्षेत्रीय योजनाओं को न लिया जाये तथा केवल उन योजनाओं को जिनका अनुमानित व्यय कम हो, प्रथम वर्ष में चयन किया गया है।

6. समस्याग्रस्त ग्राम जहां स्थानीय स्रोत में कुल घुलनशील लवण 2500 तथा फ्लोराइड 3 मिली ग्राम प्रति लीटर से कम हो ऐसे ग्रामों में परम्परागत स्रोत तथा हैण्ड पम्प योजनाएं प्रस्तावित हैं। हैण्ड पम्प उन्हीं ग्रामों हेतु प्रस्तावित है जहां भू-जल की गहराई 150 फीट से कम है।

7. प्रत्येक जिले में प्रयोग के आधार पर कम से कम दो योजनाएं ऐसी ली गई हैं जहां 5 अश्वशक्ति तक के पम्प कार्य करेंगे तथा इन योजनाओं को उन्हीं

(214)

ग्रामों हेतु प्रस्तावित किया गया है जहां विद्युत् उपलब्ध न हो तथा वहां सौर ऊर्जा से विद्युत् उत्पादित की जायेगी।

8. यदि ग्राम में विद्युत उपलब्ध है तथा भू-जल की गहराई भी 150 फीट से कम है तो परम्परागत स्रोत व हैण्ड पम्प की मिश्रित योजना ली जावेगी परन्तु ऐसे ग्रामों की जनसंख्या 1971 की जनगणना के आधार पर 1000 से अधिक होनी चाहिये। इन योजनाओं में परम्परागत स्रोत में सुधार करने का, पम्प लगाने का तथा भूतल जलाशय बनाने का या यदि पहले से स्थित हो तो मरम्मत करने का प्रावधान है। ऐसी मिश्रित प्रत्येक योजना में तीन हैण्ड पम्प कम लगेंगे। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि विद्युत् कृत ग्रामों में ग्रामवासी चाहेंगे कि स्थानीय स्रोत पर पम्प लगें जिससे पशुओं को पेयजल उपलब्ध हो तथा शेष ग्राम में हैण्ड पम्प सार्वजनिक नलों की तरह कार्य करेंगे। परम्परागत योजना में भूतल जलाशय के निर्माण से हैण्ड पम्प से पानी खींचने से शक्ति के दुरुपयोग से बचाव होगा।

9. ऐसे ग्रामों को जिनमें अकाल के समय टैंकरों से पानी दिया जाता है, उचित मान्यता दी गयी है, यदि इन ग्रामों में विद्युत् उपलब्ध है। परन्तु यदि अकाल की स्थिति गम्भीर हुई तो ऐसे ग्रामों की संख्या बढ़ सकती है।

परिशिष्ट 3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

नमक पर आधारित उद्योगों का प्रसार

364. श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में नमक उत्पादन के क्षेत्र कौन-कौन से हैं और वर्तमान में नमक उत्पादन के कौन-कौन से स्रोत किस-किस के अधिकार में हैं ?

(2) क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है जिसके अन्तर्गत राज्य के सभी नमक उत्पादन के स्रोत एक ही प्राधिकरण के अधीन कर दिये जायें ताकि योजनाबद्ध तरीके से इनका समुचित विकास हो सके ? क्या सरकार इसी संदर्भ में सांभर साल्ट्स के बारे में भारत सरकार से वार्ता करेगी ?

(3) क्या सरकार यह अनुभव करती है कि यदि सभी नमक स्रोत एक ही प्राधिकरण के अन्तर्गत कार्य करें तो राज्य में नमक पर आधारित उद्योग स्थापित करने में सुविधा रहेगी और राज्य में रोजगार की समस्या का समाधान करने में सहायता मिलेगी ?

उत्तर

(1) संलग्न सूची में वान्छित सूचना अंकित है।

(2) फिलहाल राज्य सरकार ने इस प्रकरण में अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

(3) इस प्रश्न के सभी सम्बन्धित पहलुओं पर विचार किया जा रहा है।

सूची (क)

राजस्थान राज्य में नमक उत्पादन के क्षेत्र

क्र. सं.	नमक क्षेत्र का नाम	क्षेत्रफल	तहसील	जिला	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	सांभर झील		सांभर लेक	जयपुर	यह नमक क्षेत्र मैसर्स हिन्दुस्तान साल्ट लि. की इकाई मैसर्स सांभर साल्ट्स लि. (भारत सरकार का प्रतिष्ठान) के अधीन कार्यरत है।

216

1	2	3	4	5	6
2.	डीडवाना		डीडवाना	नागौर	(यह तीनों नमक उत्पादन क्षेत्र राज-
3.	पचपदरा		पचपदरा	बाड़मेर	कीय उपक्रम विभाग के अधीन कार्यरत है।
4.	खोडे	1861 बीघा 2 बिस्वा	,,	,,	
5.	कुचामन खारडा	1541.5 एकड़	नावां	नागौर	क्रमांक 5 से 16 तक के नमक क्षेत्र उद्योग
6.	सरगोठ	515.5 ,,	,,	,,	विभाग के नियन्त्रण
7.	उल्हाना	54.5 ,,	,,	,,	में हैं इन सभी क्षेत्रों
8.	खारडिया	95 एकड़	,,	,,	में राजस्थान भू-
9.	ताल छापर	1086 एकड़	सुजान गढ़	चूरू	राजस्व (लवण क्षेत्र आवंटन) नियम,
10.	मेलार रिण	4358 एकड़	फलौदी	जोधपुर	1970 के अन्तर्गत निजी इकाइयों के पक्ष
11.	बाप रिण	3808 एकड़	,,	,,	में भूमि का आवंटन
12.	गंगाणी	120 ,,	ओसियां	,,	लीज पर किया गया है।
13.	पोकरण	2700 ,,	पोकरण	जैसलमेर	इनमें निजी इकाइयों
14.	गुढी	5834 ,,	,,	,,	द्वारा नमक उत्पादन
15.	काणोद रावलता	6205 एकड़	जैसलमेर	,,	किया जाता है।
16.	डाछोर रेवासा सवाई पुरा	890.94 ,,	दांतारामगढ़	सीकर	
17.	मीठड़ी	58 ,,	नांवा	नागौर	इन दोनों क्षेत्रों में खातेदारी कृषि भूमि
18.	जाबदीनगर	106 ,,	,,	,,	को राजस्व विभाग द्वारा लवण भूमि में परिवर्तन कर खातेदारों के पक्ष में आवंटन किया गया है। इनमें निजी इकाइयों द्वारा नमक उत्पादन किया जा रहा है।

जमवारामगढ़ बांध

365. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) जमवारामगढ़ बांध का कितना जल भराव (माप) है ? क्या गत दो वर्षों में बांध में सिल्ट भर जाने के कारण बांध का भराव कम हो गया है ?

(2) क्या यह सत्य है कि बांध की दीवार ऊंची कर दिये जाने से निकटस्थ 15 गांव भोपालगढ़ आदि डूब की परिधि में आ गये हैं ? यदि हां, तो उक्त गांवों के निवासियों की कृषि योग्य भूमि व कुओं का मुआवजा देने के बारे में सरकार का क्या विचार है ?

उत्तर

(1) जमवारामगढ़ बांध का जल भराव 60 फीट है, और इस बंध में सिल्ट भर जाने के कारण बांध का भराव कम हो गया है। गत 2 वर्षों में सिल्ट भर जाने के कारण भराव कम होने के विषय में विभाग को परिमाण सम्बन्धी जानकारी नहीं है, पर हर बांध में हर वर्ष सिल्ट के कारण भराव क्षमता कुछ न कुछ कम अवश्य होती है।

(2) बन्ध की दीवार अभी तक ऊंची नहीं की गई है, तथा इस कारण भोपालगढ़ आदि का डूब की परिधि में आने का प्रश्न ही नहीं उठता।

झालावाड़ एवं झालरापाटन मुख्यालयों पर जल प्रदाय की समुचित व्यवस्था

366. श्री अनंग कुमार (झालरापाटन) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) झालरापाटन एवं झालावाड़ मुख्यालय पर जल प्रदाय योजना कब प्रारम्भ की गयी थी एवं कितनी आबादी के अनुरूप यह योजना स्वीकृत की गई थी ?

(2) क्या झालावाड़ एवं झालरापाटन की जनसंख्या अब दुगुनी हो गई है ? ऐसी स्थिति में जल प्रदाय विभाग द्वारा पानी की बढ़ती मांग की समस्या के समाधान के लिए क्या योजना भविष्य के लिये प्रस्तावित है तथा इसे कब तक मूर्त रूप दे दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) झालरापाटन एवं झालावाड़ मुख्यालय पर जल प्रदाय योजना 20 अप्रेल, 1960 को प्रारम्भ की गयी। यह योजना 30,000 जनसंख्या के लिए स्वीकृत की गयी थी।

(2) झालावाड़ एवं झालरापाटन की जनसंख्या वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार 32,503 थी तथा अब यह लगभग 40,000 है। पिछली गर्मियों में, इन नगरों को लगभग 6 लाख गैलन पानी प्रतिदिन 15 गैलन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से वितरित किया गया। पेयजल की मात्रा बढ़ाने हेतु संशोधित योजना के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं, छठी योजना का प्रारूप तैयार होने पर व वित्तीय प्रावधानों को देखते हुए जहां पर प्रति व्यक्ति जल वितरण कम है, उनको प्राथमिकता दी जायेगी।

जिला जैसलमेर के ग्रामों का विद्युतीकरण

367. श्री चन्द्रवीर सिंह (जैसलमेर): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

इस वर्ष जिला जैसलमेर के कितने गांवों को विद्युतीकृत किया जायेगा व कितने नये कनेक्शन दिये जायेंगे ?

उत्तर

अभी तक स्वीकृत योजनाओं के अन्तर्गत जैसलमेर जिले में 11 गांवों का विद्युतीकरण वर्ष 1980-81 में किया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय साधनों एवं सामान की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए मण्डल के नियमानुसार नये कनेक्शनों की मांग को पूरा किया जाने का प्रयास किया जायेगा।

राष्ट्रीय मरु उद्यान योजना

368. श्री अमीन खां (शिव) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या बाड़मेर-जैसलमेर जिलों में राष्ट्रीय मरु उद्यान की योजना है ? यदि हां, तो क्या इसका मुख्यालय बाड़मेर के स्थान पर जोधपुर रखने का विचार है ?

उत्तर

जी हां। राष्ट्रीय मरु उद्यान का मुख्यालय अभी जैसलमेर में है तथा इसे बाड़मेर से जोधपुर स्थानान्तरित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत मजदूरों के लिये खनिज पट्टे

369. श्री भरोसी : (हिन्डौन) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) हिन्डौन तहसील में सरकार ने अन्त्योदय योजना के तहत गरीब मजदूरों के लिये कितने खनिज पट्टे दिये हैं और किस-किस व्यक्तियों को कितनी-कितनी अवधि के लिये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि खनिज मजदूरों को पट्टे दिये जाने के बाद सरकार ने खुली बोली पर नीलाम किया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) हिन्डौन तहसील में अन्त्योदय योजना के तहत अन्त्योदय परिवारों की 5 सहकारी समितियों को प्रति समिति 10 प्लाट के हिसाब से 50 प्लाट भाटक एवं अधिशुल्क के पट्टों को स्वीकृति दी गई थी। यह स्वीकृति प्रतिवर्ष नवीनीकृत कराई जा सकती है। समितियों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) यह सही है कि कोटरीजगर क्षेत्र में 18 प्लाट नीलाम किये गये हैं। परन्तु वे क्षेत्र अन्त्योदयी परिवारों की सहकारी समितियों को दिये गये क्षेत्र से अलग हैं।

हिण्डौन पंचायत समिति में अन्त्योदयी परिवारों की बनाई गई सहकारी समितियों का ब्योरा

क्र.सं.	नाम समिति	सदस्य संख्या
1.	मोठियापुरा ग्रामोद्योग पाषाण उत्पादक सहकारी समिति लि., मोठियापुरा	35
2.	कोडर ग्रामोद्योग पाषाण उत्पादक सहकारी समिति लि., कोडर	21
3.	महू ग्रामोद्योग पाषाण उत्पादक सहकारी समिति लि., महू	34
4.	हिण्डौन ग्रामोद्योग पाषाण उत्पादक सहकारी समिति लि., हिण्डौन	27
5.	कोटरी ग्रामोद्योग पाषाण उत्पादक सहकारी समिति लि., कोटरी	33

निम्बाहेड़ा पंचायत समिति का विद्युतीकरण

370. श्री भूपाल सिंह (निम्बाहेड़ा) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम निम्बाहेड़ा क्षेत्र प्राय की दृष्टि से भारत में प्रथम श्रेणी व प्रान्त में प्रथम स्थान पर रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि निम्बाहेड़ा पंचायत समिति के सभी गांव विद्युतीकृत नहीं हैं ? यदि हां, तो शेष ग्रामों में विद्युतीकरण कब तक हो जावेगा ?

(3) क्या सरकार इस पंचायत समिति को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर निम्बाहेड़ा आर.ई.सी. स्कीम प्रदेश की एक सफल योजना की श्रेणी में आती है। परन्तु सम्पूर्ण भारत के सन्दर्भ में इसकी स्थिति की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(2) जी हां। शेष गांवों के विद्युतीकरण की कोई योजना नहीं होने के कारण अभी निश्चित रूप से कुछ कहना सम्भव नहीं है।

(220)

(विद्युत मंत्री)

(3) ऐसा कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है।

मिथुरपुरा-पीपलदा सड़क का निर्माण

371. श्री कुन्जी लाल (बामनवास) : क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि मिथुरपुरा से पीपलदा सड़क का कार्य बहुत समय से अपूर्ण पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों और यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

(2) मिथुरपुरा से नवीन रोड कुशलपुरा, कुडगांव, कुटका, लाखनपुर सड़क निर्माण का कार्य सरकार द्वारा कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ?

(3) क्या यह सही है कि लाखनपुर घाटो आवागमन रास्ता बोली की घाटी पर रोड की मरम्मत के लिये सरकार द्वारा एक लाख रुपये की राशि अकाल राहत में स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो इस कार्य को सरकार द्वारा कब तक प्रारम्भ कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

वर्ष 1978–79 में अकाल स्वीकृति के पश्चात् स्वीकृति न होने के कारण कार्य अपूर्ण है। निकट भविष्य में यह कार्य प्लान मद से शुरू करना कठिन है।

(2) छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में विचाराधीन नहीं है क्योंकि इन ग्रामों की आबादी न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में निर्धारित आबादी (1500) से कम है।

(3) जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

रियायती दर पर औद्योगिक व व्यापारिक प्रयोजनार्थ भूमि का बेचान

372. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 (ए) के तृतीय-परन्तुक के अन्तर्गत कोई आदेश रियायती औद्योगिक व व्यापारिक प्रयोजनार्थ बेची जाने वाली भूमि को धारा 42 (ए) से मुक्त रखने बाबत सरकार के विचाराधीन रहा है ? क्या ऐसे आदेश जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो कब ? कृपया आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) यदि प्रश्न के भाग (1) का उत्तर नकारात्मक है, तो क्या सरकार जनता की सुविधार्थ इस तरह की कार्यवाही करना उचित समझती है ?

उत्तर

(1) आवासीय, औद्योगिक एवं व्यापारिक प्रयोजनार्थ बेची जाने वाली कृषि भूमि को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 (ए) के प्रतिबन्ध से छूट देने का प्रावधान, उस धारा में तीसरा परन्तुक जोड़ कर दिया जा चुका है।

(राजस्व मंत्री)

(2) प्रावधान है। ऐसी दशा में प्रश्न शेष नहीं रहता।

जिला-उदयपुर में बनास नदी पर पुल का निर्माण

373. श्री नाना लाल (राजसमंद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला उदयपुर के कुरज गांव के पास बनास नदी पर जो पुल (काजवे) बना हुआ था वह सन् 1973 में अतिवृष्टि के कारण टूट गया? यदि हां, तो क्या पुल को दुबारा बनाने की योजना है?

(2) क्या यह भी सही है कि रेलमगरा तहसील की सम्पूर्ण जनता ने इस पुल को पुनः बनाने के लिए मांग की है? यदि हां, तो इसका पुनः निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां।

पुल बनाने के कार्यक्रम की अभी निकट भविष्य में कोई योजना नहीं है।

(2) समय-समय पर इस पुल को बनाने के लिये जनता द्वारा मांग की जाती रही है। इस नदी पर पुनः पुल के निर्माण की योजना स्वीकृत होने पर ही कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा।

बगड़ी नगर के सरपंच के विरुद्ध दर्ज मुकदमा

374. श्री सुखलाल सेणचा (रायपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि पाली जिले के बगड़ी नगर के सरपंच श्री नेमीचन्द पर हाल ही में पुलिस ने चोरी का एक मुकदमा बनाया है? यदि हां, तो किस-किस अधिकारी ने उक्त मामले की जांच की? क्या यह मुकदमा जांच के बाद झूठा साबित हुआ है?

उत्तर

"अभियोग नं. 32/79 के अनुसंधान के सिलसिले में श्री नेमीचन्द के विरुद्ध तथ्य पाये जाने पर उसे गिरफ्तार किया गया था। मुकदमे का अनुसंधान श्री सोहन दास, एस. एच. ओ., बगड़ी व श्री हीर राम, एस. एच. ओ., थाना शिवपुरा ने पुलिस उप-अधीक्षक सोजत के सुपरवीजन में किया। अनुसंधान से अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अदालत में चालान प्रस्तुत कर दिया गया है जो अदालत में विचाराधीन है।

मद्य निषेध से पूर्व और पश्चात् शराब की खपत

375. श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा):—क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य में मद्य निषेध लागू किए जाने से पूर्व प्रति माह औसतन कितनी शराब की खपत होती थी और बाद में कितनी? कृपया जिलेवार सूचना दें।

उत्तर

—तालिका सदन पटल पर रख दी गई है।

मानचित्र वर्ष 1979-80 एवं 1980-81 (जून, 80 तक)

तुलनात्मक मदिरा (देशी व विदेशी) का औसत विवरण पत्र (बल्क लीटर में)

क्र.सं.	नाम जिला	देशी शराब का माह अप्रैल, 79, मई, 79 व जून, 79 का औसत	विदेशी शराब का माह अप्रैल, 79, मई, 79 व जून, 79 का औसत	देशी शराब का माह अप्रैल, 80, मई, 80 व जून, 80 का औसत	विदेशी शराब का माह अप्रैल, 80, मई, 80 व जून, 80 का औसत
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	2,53,360	33,938	17,134	16,974
2.	भीलवाड़ा	–	850	1,907	2,474
3.	टोंक	–	288	2,344	620
4.	भरतपुर	–	169	1,179	696
5.	अलवर	–	188	555	885
6.	सवाई माधोपुर	–	68	1,423	266
7.	जयपुर सिटी	3,00,153	32,465		
8.	जयपुर, ग्रामीण	2,48.754	7,683	33,170	19,368
9.	झुंझुनू	–	59	581	142
10.	सीकर	–	261	621	928
11.	बीकानेर	–	771	5,481	1,595
12.	चूरू	–	179	1,517	128

1	2	3	4	5	6
13.	गंगानगर	3,54,093	38,243	49,127	13,46[illegible]
14.	जोधपुर	—	3,015	7,739	19,153
15.	पाली	—	1,231	4,764	2,740
16.	नागौर	—	112	996	149
17.	कोटा	1,07,834	30,098	9,835	17,883
18.	बून्दी	—	661	895	1,175
19.	झालावाड़	—	236	943	840
20.	उदयपुर	1,60,313	30,393	15,306	9,763
21.	चित्तौड़गढ़	1,14,362	2,996	1,186	1,109
22.	जैसलमेर	—	134	611	123
23.	बाड़मेर	—	465	1,709	816
24.	जालौर	—	530	1,231	515
25.	सिरोही	—	564	1,543	3,635
26.	डूंगरपुर	—	122	250	345
27.	बांसवाड़ा	—	324	190	311
28.	उदयपुर ज़िले की 7 तहसीलें	—		25	
		15,38,902	1,85,882	1,59,137	1,14,282

सब-डिवीजनल हैडक्वार्टर्स स्थित चिकित्सालयों को क्रमोन्नत करना

376. श्री भैरूलाल (मनोहरथाना) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने सब-डिवीजनल हैडक्वार्टर्स स्थित चिकित्सालयों को क्रमोन्नत कर 50 शय्याओं वाले "बी" श्रेणी चिकित्सालय बनाने का निर्णय लिया है ?

(2) क्या झालावाड़ क्षेत्रान्तर्गत अकलेरा कस्बा सब-डिवीजनल हैडक्वार्टर के उपरान्त भी वहां "सी" श्रेणी चिकित्सालय ही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस चिकित्सालय को 50 शय्याओं वाले "बी" श्रेणी में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो तब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। तीन चरणों में।

(2) नई छठी पंचवर्षीय योजना स्वीकृत हो जाने पर एवं जन सहयोग से विभाग के स्वीकृत नक्शों के अनुसार भवन निर्माण के बाद प्रथम चरण में 6 से 20 पलंग, द्वितीय चरण में 20 से 30 पलंग एवं तृतीय चरण में 30 से 50 पलंग की सुविधा देने का विचार है।

राजस्थान नहर क्षेत्र में वन विभाग द्वारा की गई तारबन्दी से उत्पन्न कठिनाई का समाधान

377. श्री मालूराम लेघा (लूणकरणसर) : क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राजस्थान नहर क्षेत्र में वन विभाग द्वारा जहां-जहां तारबन्दी की गई है वहां पर स्थानीय ग्राम पंचायतों की कोई राय नहीं ली गई है जिस से स्थानीय पशु पालकों के समक्ष भयंकर कठिनाई उपस्थित हुई है ? यदि हां, तो स्थानीय जनता की असुविधा को दूर करने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

राजस्थान नहर क्षेत्र में दो प्रकार की योजनाओं के अन्तर्गत तारबन्दी की जाती है। प्रथम तो ईंधन की लकड़ी के लिये वनारोपण किया जाता है, जिस के लिये मास्टर प्लान में ही स्थान सुरक्षित कर दिया जाता है और निर्धारित स्थान में तारबंदी कर वनारोपण का कार्य किया जाता है। द्वितीय, असिंचित, अनकमाण्ड क्षेत्रों में व धोरों पर गोचर का उत्थान, वनारोपण तथा धोरों के स्थिरीकरण के कार्य निष्पादित किये जाते हैं। इन क्षेत्रों में बहुत कम वर्षा होने के कारण नियंत्रित एवं वैज्ञानिक रूप से ही इस प्रकार के कार्य किये जा सकते हैं। इस योजना के अन्तर्गत प्रथम दो वर्षों में तो पशुओं की चराई पर रोक लगा दिया जाता है तथा तत्पश्चात् जब यह क्षेत्र विकसित हो जाते हैं तो नियंत्रित रूप से चराई की स्वीकृति दे दी जाती है। इस क्षेत्र के लिए यह कार्य बहुत महत्वपूर्ण है व कुछ नियंत्रण रखना व वैज्ञानिक रूप से विकसित करना अत्यावश्यक है। वैसे इस सम्बन्ध में पंचायतों ने कोई खास आपत्ति भी राज्य सरकार अथवा विभाग के समक्ष प्रस्तुत नहीं की है।

कुम्हेर तहसील के ग्रामों को खुर्रमपुर नहर से सिंचाई सुविधा

378. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) :–क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या भरतपुर जिले में खुर्रमपुर नहर को बढ़ा कर कुम्हेर तहसील के गांवों में सिंचाई सुविधा बढ़ाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह योजना कब तक क्रियान्वित हो जाएगी और नहीं, तो इस क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकार का क्या विचार है ?

उत्तर

जी हां। इस योजना को छठी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है।

कृषि उपज मंडी समिति प्रतापगढ़ में हुआ निर्माण कार्य

379. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि उपज मंडी समिति, प्रतापगढ़, जिला चित्तौड़गढ़ में वर्ष 1979-80 व 1980-81 में कितनी धनराशि का निर्माण कार्य करवाया गया ?

(2) उक्त वर्षों में निर्माण कार्यों के टेण्डर की शर्तें क्या थीं ? टेंडर कब-कब स्वीकृत किये गये ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि निर्माणाधीन कृषि उपज मण्डी समिति के एक भवन का निर्माण कार्य जो मण्डी परिधि में चल रहा था वह भवन ढह गया है ? यदि हां, तो कब तथा यह निर्माण कार्य किस ठेकेदार के नाम स्वीकृत हुआ था ?

(4) निर्माणाधीन भवन के ढह जाने से कितनी क्षति हुई और इस क्षति के लिये कौन जिम्मेदार है ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, प्रतापगढ़ में वर्ष 1979-80 में 12,85,075.43 रुपये तथा वर्ष 1980-81 में जून तक 76,497.75 रुपये का निर्माण कार्य हुआ। कार्य अभी जारी है।

(2) निर्माण कार्यों के टेण्डर की सामान्य शर्तें संलग्न कर प्रस्तुत है। विभिन्न कार्यों के टेण्डर स्वीकृत करने की तिथि संलग्न सूची में अंकित है।

(3) जी हां। निर्माणाधीन मण्डी में पशु छायावान का कुछ भाग दिनांक 22-6-80 को रात्रि में ढह गया था। यह कार्य मैसर्स शंकरलाल अग्रवाल ठेकेदार के नाम स्वीकृत हुआ था।

(4) भवन के ढह जाने से 3,150/- की लागत की क्षति का अनुमान है। इस क्षति का जिम्मेदार टेण्डर की शर्तों के अनुसार ठेकेदार स्वयं ही है।

226

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, RAJASTHAN STATE AGRICULTURE MARKETING BOARD, JAIPUR.

Tender Form

Date of Tender. . .. . .. Price Rs. . . . . . .

(PLEASE SEE P. W. D. M. F. No. 56 FOR GUIDANCE)

To,

The Executive Engineer,
Rajasthan State Agriculture
Marketing Board, Jaipur.

Subject..
....
....

Dear Sir.

I/We Tender for execution of the above work at Rs. (In words) ....Rs. (In figures) .... above/below the 'G' Schedule enclosed.

I/we hereby abide by the terms and conditions for this work as laid down in P. W. D. M. F. No. 64.

A sum of Rs....................has been deposited as Earnest Money by cash in your office.

Yours Faithfully,

Encl :— Signature of the contractor.

Address..................
....

NAME OF WORK : ....
NAME OF CONTRACTOR :............TENDER COST............
TIME OF COMPLETION:..............EARNEST MONEY.........

Special Conditions of Contract

1. Work will be carried out as per Rajasthan P.W.D. specification in general and any item not included in it will be carried out as per instructions of Engineer Incharges.

2. All arrangements regarding water and T&P required for the job will be made by the contractor.

3. Sales Tax and other taxes if any will be paid by the contractor as per rules over and above the rates specified in the 'G' Schedule and he is bound to follow labour laws and fair wage clause.

4. In case any material is required to be tested, the contractor will have to make all arrangement at his own cost. Testing charges would be born by the Board.

5. The work shall be completed within the period as mentioned in Notice inviting Tenders.

6. Rates provided in the 'G' Schedule are inclusive of all leads and no extra lead shall be paid over and above.

7. If there is any clerical or typing error in the 'G' Schedule the Rates and nomenclature as given in the B.S.R. on which the 'G' Schedule is based will be final.

8. The contractor shall have to prepare and maintain the diversion road during the construction period at his own cost. In case he fails to do so, the department is free to construct such road chargeable to the contractor.

9. The quantum of work can be increased or decreased at discretion of the Engineer Incharge.

10. Conditional Tenders are Liable to be rejected. Only one rate in percentage above below should be quoted.

11. The contractor is expected to have visited the site of work and acquainted himself for General Terrain, type of materials, their availability and other relevant information related to the work by personally inspecting the area before tendering for the work.

12. Any time no covered by Schedule 'G' shall be Governed by the B.S.R. on which Schedule 'G' is based. Percentage above/below as per Tender shall be allowed.

13. The Validity of tendered base will be open for acceptance for four months from the date of receipt of tenders.

14. Machinaries and other Tools and plants may be given on Hire to the contractor if available with the Rajasthan State Agriculture Marketing Board. If the Machinary is not available, the contractor shall make his own arrangement. The cost of transportation of T&P to the site of work and back to work shop shall be borne by the contractor.

15. In case of R.S.A.M.B., owned Machionary days for machanical defects shall not be counted the calculating the days of hire charges. Information regarding the defects must be sent by the contractor telegraphically to the Assistant Engineer, Incharge and the express delivery letter be despatched within a day or two of the occurrence.

228

16. The Rates of hire charges road machinary shall be governed as per attached schedule.

17. The cement shall be issued to the contractors, if available, at the issue rate of Rs. 29 per bag and the Cost shall be recovered from their bills as per rules.

18. Other terms and conditions of contract shall be as per Agreement from wise appendix XI of P.W.D. & AR. as amended time to time.

M.N. SHARMA,
EXECUTIVE ENGINEER,
R.S.A.M.B., JAIPUR.

SIGNATURE OF CONTRACTOR.

(HIRE CHARGES OF MACHINERY(STATE M/C ONLY)

(Hire charges per day for 8 hours working)

S.No.	Name of Machine	For Dcptt. works			For contractors		
		with POL	without POL	Idle charges	with POL	without POL	Idle charges
7.	C.C. Mixer 5/7	114.00	74.00	40.50	117.00	77.50	44.00
8.	C.C. Mixer 10/14	130.50	85.00	41.00	135.50	90.00	45.50
10.	Bitumen Mixed cold 5/7 Cft.	134.00	94.50	41.50	140.50	141.00	48.50
11.	Bitumen Mixer cold 10/14 Cft.	199.50	130.50	47.00	213.00	144.00	60.50
37.	Road Roller Diesel 8/10 T.	293.50	200.00	84.00	327.00	233.50	118.00
37.	C.C. Mixer 7/10Cft.	107.00	66.00	40.00	110.00	69.50	43.50
40.	Vibrator.	84.00	47.50	37.50	85.50	48.50	38.50
41.	Tar Boiler.	61.00	11.00	1.50	63.00	12.50	3.00

Note —Extra charges towards over time wages if any of the operating & maintenance staff will be laviable over and above the fixed hire charges as per rules.

Sd/—
Chief Engineer (B&R).

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, प्रतापगढ़ (राजस्थान)

क्र.म./प्रांगण निर्माण (केटलशैड) 77-78/ 1063-72 दिनांक 24/9/77

श्री शंकरलाल अग्रवाल, ठेकेदार
मार्फत : कैलाशचन्द्र सुरेशचन्द्र
मोतीबाजार-निम्बाहेड़ा (राज.)

विषय :-केटलशैड विथ रेस्ट शैड का निर्माण बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु आप द्वारा निविदित 37% अधिक दरों पर श्री प्रशासक कृषि उपज मण्डी समिति, प्रतापगढ़ ने समिति की ओर से आपकी निविदा स्वीकार कर ली है । जिसकी अनुमानित राशि कुल 1,19,770/- रुपया एक लाख उन्नीस हजार सात सौ सत्तर है ।

अतः एतद्द्वारा आपको आदेश दिए जाते हैं, कि आप उपरोक्त निर्माण कार्य तुरन्त आरम्भ कर दें तथा (10) दस माह में कार्य सम्पन्न कर दें । कृपया ध्यान रखें कि निविदा-पत्र में दर्शाया गया कार्य पूर्ति समय इस आदेश के दिनांक से मान्य होगा ।

यह स्वीकृति आदेश तथा आप द्वारा प्रेषित निविदा पत्र मय स्पेशल कण्डीशन आफ कान्ट्रेक्ट जिसमें समस्त शर्तों का उल्लेख है आप तथा समिति के मध्य उपरोक्त वर्णित निर्माण कार्य सम्बन्धी अन्तरिम अनुबन्ध माना जायेगा । राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 की धारा 13 के अन्तर्गत संविदा के सम्पादन हेतु आप पृथक् से स्टाम्प पत्र पर अनुबन्ध संविदा प्रस्तुत करने का प्रबंध करें ।

ह.
सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति,
प्रतापगढ़ ।

क्रमांक प./ निर्माण (77-78/1063-72) दिनांक 24-9-77

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1 श्रीमान सचिव, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर ।
2. श्रीमान् अधिक्षण अभियन्ता ,, ,, ,, ,, जयपुर ।
3. श्रीमान् अधिशासी अभियन्ता ,, ,, ,, ,, सुमेरपुर ।
4 श्रीमान् सहायक अभियन्ता ,, ,, ,, ,, भीलवाड़ा/निम्बाहेड़ा ।
5. सहायक विपणन अधिकारी, रा. रा. कृ. वि. बोर्ड, उदयपुर खण्ड, उदयपुर ।
6. कनिष्ठ अभियन्ता ,, ,, ,, ,, ,, प्रतापगढ़ ।

(230)

7. सम्बन्धित पत्रावली
8. लेखा शाखा
9. संरक्षित पत्रावली

ह.
सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति,
प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़)।

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, प्रतापगढ़, जिला–चित्तौड़गढ़

क्र.प.1 (निर्माण) निविदा/76–77/ दिनांक 4–3–77

निविदा–सूचना

राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड अथवा अन्य सम्बन्धित सरकारी विभागों के पंजीकृत ठेकेदारों से मण्डी प्रांगण में निम्नांकित निर्माण कार्यों के लिए दिनांक 4–4–77 को सायं 3.00 बजे तक निर्धारित प्रपत्र पर मोहरबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। प्राप्त निविदायें उक्त दिनांक को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष 4.00 बजे खोली जावेंगी। कार्यों की विस्तृत शर्तें इस कार्यालय में कार्य दिवस को देखी जा सकती हैं।

विपणन बोर्ड के पंजीकृत ठेकेदारों के अलावा अन्य ठेकेदारों की निविदाएं बिना धरोहर राशि के स्वीकृत नहीं की जावेंगी। अधोहस्ताक्षरकर्ता को किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा। धरोहर राशि नगद या बैंक ड्राफ्ट द्वारा ही स्वीकार की जावेगी।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित राशि	धरोहर राशि	निविदा शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1.	कैटल शेड विथ रैस्ट शेड	1,80,000/–	3600/–	10/–	10 माह
2.	कार्यालय भवन अ श्रेणी	1,68,000/–	3360/–	10/–	10 माह

कुलदीप शर्मा
प्रशासक,
कृषि उपज मण्डी समिति,
प्रतापगढ़।

जगदीश चन्द्र अग्रवाल,
सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति,
प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ मण्डी में निर्माण कार्यों का विवरण

क्र. सं.	निर्माण कार्य का नाम	टेण्डर स्वीकृत करने की तिथि
1.	चार दिवारी I	2-11-77
2.	चार दिवारी II	18-9-79
3.	आंतरिक सड़क I	4-3-77
4.	आंतरिक सड़क II	3-12-79
5.	कार्यालय भवन	24-9-77
6.	पशु विश्राम गृह	24-9-77
7.	सोमक्षर	11-11-76
8.	दुकान मय गोदाम	14-2-79
9.	दुकान "ए" ब्लाक "बी" ब्लाक	9-8-79
10.	दुकान मय प्लेट फार्म नं. 1 से 7 तक	2-2-79
11.	नं. 8 से 14 तक	19-3-79
12.	नं 15 से 21 तक	19-3-79
13.	नं 22 से 29 तक	19-3-79
14.	नं. 30 से 36 तक	19-3-79
15.	ढका हुआ चबूतरा	20-1-79
16	साईकिल स्टैण्ड	22-1-79
17.	सर्वे एण्ड लेण्ड लेवलिंग	28-2-80
18.	कपास नीलामी चबूतरा	5-8-79
19.	पुलिया निर्माण	20-3-80
20.	बैंक भवन	13-7-79
21.	सैनिटरी ब्लाक	13-7-79
22.	आन्तरिक विद्युतीकरण	13-9-79
23.	उच्च जलाशय	13-9-79
24.	कार्यालय भवन व पशु विश्रामगृह में विद्युत् फिटिंग	22-1-79
25.	कार्यालय भवन में सेनिटरी फिटिंग	20-1-79

232

नाथद्वारा सार्वजनिक चिकित्सालय

380. श्री सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि नाथद्वारा सार्वजनिक चिकित्सालय रेफरल चिकित्सालय है ? यदि हां, तो सरकार कब तक यह सभी चिकित्सालय सुविधायें उपलब्ध करवायेगी ?

उत्तर

जी हां ।

नाथद्वारा–चिकित्सालय में 50 रोगी शैय्याओं के स्तर के अनुसार सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

विपणन बोर्ड में मण्डी समितियों का प्रतिनिधित्व तथा जन प्रतिनिधियों की नियुक्ति करना

381. श्री राधेश्याम (गंगानगर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन काल से मण्डी समितियों के दस सदस्यों जो बोर्ड के मनोनीत सदस्य हैं, का मनोनयन कभी नहीं हुआ एवं बोर्ड का संचालन राजकीय अधिकारियों के अधीन रहा ? यदि हां, तो क्या सरकार अब विपणन बोर्ड में मंडी समितियों का प्रतिनिधित्व देने एवं जन प्रतिनिधियों को नियुक्त करने का विचार रखती है ?

(2) कृषि उपज मण्डी समितियों में प्रशासकों के स्थान पर जन प्रतिनिधियों को नियुक्त करने अथवा इनके चुनाव कराने के बारे में सरकार का क्या विचार है ?

(3) सुविधा की दृष्टि से क्या सरकार निर्माण कार्यों को सार्वजनिक निर्माण विभाग अथवा विपणन बोर्ड के कार्य क्षेत्र से हटा कर वापस मण्डी समितियों को सौंपने पर विचार करेगी ?

(4) क्या गत सरकार के शासनकाल में विपणन बोर्ड में नियुक्तियों एवं स्थानान्तरण के मामलों में हुई आपाधापी, शक्तियों के दुरुपयोग व अनियमितताओं आदि की जांच कराना सरकार उचित समझती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रथम बार मनोनीत राज्य कृषि विपणन बोर्ड में मण्डी समितियों के दस सदस्य विधवत् मनोनीत किये गये थे। दूसरी बार मनोनीत बोर्ड में मन्डी समितियों के सदस्य इसलिये मनोनीत नहीं किये जा सके क्योंकि मण्डी समितियां प्रशासकों के अधीन थीं और उनमें सदस्य नहीं थे। कभी कभी मन्डी समितियों में प्रशासक ही नियुक्त होने के कारण उनके प्रतिनिधि बोर्ड में लेना सम्भव नहीं है । समितियों के चुनाव होने के पश्चात् उनके 10 प्रतिनिधि बोर्ड में लिये जा सकेंगे । नये बोर्ड के गठन के समय दो जन प्रतिनिधि मनोनीत कर दिये जायेंगे।

(2) मण्डी समितियों के चुनाव के उपरान्त।

(3) मण्डी समितियों के अधीनस्थ निर्माण कार्य को सार्वजनिक निर्माण विभाग अथवा विपणन बोर्ड के कार्य क्षेत्र से हटा कर मन्डी समितियों को सौंपने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(कृषि-मंत्री)

(4) जनता शासन काल में विपणन बोर्ड में नियुक्तियों एवं स्थानान्तरणों के मामलों में हुई आपा-धापी, शक्तियों के दुरुपयोग तथा अनियमितताओं आदि की जांच सरकार द्वारा कराई जायेगी।

झालावाड़ जिले के समस्याग्रस्त ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था

382. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झालावाड़ जिले के कितने ग्रामों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है? ग्रामों के नाम सहित तहसीलवार संख्या सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे

(2) सरकार यहां जनता की असुविधा को ध्यान में रखते हुए कुए या हैण्ड पम्प लगवाने की कब तक व्यवस्था कर देगी?

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले में 1971 की जनगणना के आधार पर 2374 ग्रामों में पेयजल योजनाओं द्वारा व्यवस्था नहीं है। उन 67 ग्रामों की तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है जहां पेयजल व्यवस्था उपलब्ध है। सूची में सम्मिलित ग्रामों के अतिरिक्त शेष ग्रामों में पेयजल व्यवस्था नहीं है।

(2) वर्तमान में 200 ग्रामों में पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य चालू है जिनमें से मार्च, 1981 तक 145 ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। शेष ग्रामों को छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पेयजल उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।

साधारण ग्रामों की सूची (मार्च 80)

क्र.सं.	तहसील	गांव का नाम	क्र.सं.	तहसील	गांव का नाम
1	2	3	1	2	3
1.	खानपुर	भगवानपुरा	11.	खानपुर	मेहदड़ी
2.	,,	भूमरी	12.	,,	मियारा
3.	,,	बोहरा	13.	,,	पनवाड़
4.	,,	डूंडी	14.	,,	सारोला कलां
5.	,,	हरीगढ़	15.	,,	सूमर
6.	,,	हींचर	16.	,,	उम्मेदपुरा
7.	,,	जगरा	17.	झालरापाटन	असनावर
8.	,,	जोलपा	18.	,,	बकानी
9.	,,	खानपुर	19.	,,	बंजारी
10.	,,	ललावता	20.	,,	बड़ाय

1	2	3	1	2	3
21.	झालरापाटन	भंवरासा	45.	पचपहार	आवर
22.	,,	गिन्डोर	46.	,,	छान का खेड़ा
23.	,,	इकतासा	47.	,,	खोड़
24.	,,	जूना खेड़ा	48.	,,	कुण्डी खेड़ी
25.	,,	कलमण्डी कलां	49.	,,	पगारिया
26.	,,	कोटरा घटा	50.	,,	राजपुरा
27.	,,	मोरी	51.	,,	सागरिया
28.	,,	नानोर	52.	,,	श्री छत्तरपुर
29.	,,	पीपलोद	53.	पिड़ावा	बोलिया बुजुर्ग
30.	,,	रतलाई	54.	,,	चछलाव
31.	,,	रोच्छवा	55.	,,	ढाबला खींची
32.	,,	रेनपाल	56.	,,	घरोनिया
33.	,,	सिघानिया	57.	,,	हेमरा
34.	,,	कलमण्डी खुर्द	58.	,,	हिम्मतगढ़
35.	अकलेरा	अकलेरा	59.	,,	रायपुर
36.	,,	अमेठा	60.	,,	सालरी
37.	,,	गेहूं खेड़ी	61.	,,	सरोनिया
38.	,,	घाटोला	62.	,,	उनहेल
39.	,,	जावर	63.	गंगधर	डग
40.	,,	लहास	64.	,,	गंगधर
41.	,,	लसोरिया शाह	65.	,,	किटिया
42.	,,	मनोहर थाना	66.	,,	कोलवी उर्फ
43.	,,	पिसरोली	67.	,,	राजेन्द्रपुर
44.	,,	सरडा	68.	,,	चोमेला

पाली जिले के ग्रामों में सिंचाई हेतु बांधों का निर्माण

383. श्री भैरोंसिंह गुर्जर (खारची) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या पाली जिले के लगभग 30 गांवों में सिंचाई हेतु देसूरी तहसील में सुमेर बांध एवं कोट सोलिक्यान क्षेत्र में बांध बनाने हेतु सर्वेक्षण किया जा चुका है ? यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण के आधार पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(2) क्या यह सही है कि कोट सोलिक्यान बांध हेतु कुछ राशि भी स्वीकृत हुई थी ? यदि हां, तो कितना कार्य हुआ व फिर कार्य बन्द क्यों हुआ ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। यह बांध सिंचाई विभाग का नहीं है।

आदिवासी बाहुल्य जिला डूंगरपुर जिला में व्याप्त नारू रोग की रोकथाम

384. श्री महेन्द्र कुमार (आसपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) आदिवासी बाहुल्य जिला डूंगरपुर जिला में स्नायु (नारू) रोग के रोकथाम के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है?

(2) क्या यह सही है कि डूंगरपुर आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी "अ" श्रेणी द्वारा नारू के लिए चिकित्सा सुविधाओं हेतु एक व्यापक योजना बना कर भेजी गई है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या इस नारू की बीमारी के रोकथाम व आसानी से छुटकारा दिलाने के लिए आधुनिक औजार, विशेष शिविर व एक एम्बुलेन्स या मोबाइल यूनिट की व्यवस्था की जा सकती है?

(4) आयुर्वेद चिकित्सालय डूंगरपुर के विस्तार के लिये व मरीजों की सुविधा के लिए क्या योजना तैयार की गई है?

उत्तर

(1) नारू–रोग की रोकथाम के लिये जलदाय विभाग द्वारा बावड़ियों को कुओं में परिवर्तित करने का कार्य किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा के अलावा पीने के पानी के स्रोतों का समय समय पर दवाइयां डाल कर शुद्धिकरण किया जाता है तथा रोग से बचने के लिये मिन्टोजोल की गोलियां प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों द्वारा वितरित की जाती हैं। आयुर्वेद विभाग द्वारा नारू निकालने के लिये स्नायुक विशेषज्ञ (सहायक चिकित्सक) "अ" श्रेणी आयुर्वेद चिकित्सालय डूंगरपुर में कार्यरत हैं।

(2) जी हां। डूंगरपुर आयुर्वेद चिकित्सालय "अ" श्रेणी द्वारा नारू के लिये चिकित्सा सुविधाओं हेतु एक प्रस्ताव भेजा गया था किन्तु अर्थाभाव के कारण इस प्रस्ताव पर क्रियान्विति नहीं की जा सकी।

(3) जी हां। किन्तु वित्तीय साधन उपलब्ध होने की स्थिति में ही इस पर विचार करना सम्भव होगा। इस रोग का एलोपैथी के आधुनिक तरीके से उपचार करना सम्भव नहीं है।

(4) जी हां।

परिशिष्ट–4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 318 की सूची)

List of Dispensaries sanctioned in 1978-79 and 1979-80

District	1978-79			1979-80		
	DISPENSARY		REFERAL	DISPENSARY		REFERAL
	URBAN	RURAL	HOSPITALS	URBAN	RURAL	HOSPITALS
Ajmer	4	1	—	2	1	1
Alwar	—	1	—	1	—	—
Banswara	—	2	—	—	1	—
Barmer	1	1	—	—	1	—
Bharatpur	1	5	1	1	2	—
Bhilwara	1	1	—	1	4	—
Bikaner	1	—	—	1	2	—
Chittorgarh	—	3	—	—	2	1
Ganganagar	1	2	—	—	2	—
Jaipur	5	2	—	—	4	1
Jhalawar	1	1	—	—	2	—
Jhunjhunu	—	3	—	1	2	—
Kota	2	1	1	—	3	—
S. Madhopur	—	1	—	1	2	—
Pali	1	1	—	—	2	1
Sikar	1	—	—	—	2	—
Sirohi	—	1	1	—	2	—
Tonk	—	2	1	—	3	—
Udaipur	—	2	—	1	4	—
Bundi	—	1	—	—	2	—
Churu	—	—	—	—	3	—
Jalore	—	—	—	—	1	—
Nagaur	—	—	—	—	4	1
Dungarpur	—	—	—	—	1	—
Jaisalmer	—	—	1	—	—	—
Total .—	19	31	5	9	52	5

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 325 का विवरण)

राजस्थान नहर एवं लिफ्ट कैनाल क्षेत्र में धारा स्थिरीकरण गांवाई जंगल एवं चारागाह विकास कार्यों का विवरण :—

(अ) लिफ्ट कैनाल क्षेत्र में किया गया कार्य

(1) मरु विकास कार्यक्रम के तहत

वर्ष	जलाऊ लकड़ी वृक्षारोपण	टीबा स्थिरीकरण एवं चारागाह सुधार
1980-81	70 हैक्टर	500 हैक्टर

(ब) लिफ्ट कैनाल क्षेत्र के बाहर किया गया कार्य

(1) विश्व बैंक परियोजना क्षेत्र के अन्दर

स्टेज I फेज II

कार्य	वर्ष 1974-75	75-76	76-77	77-78	78-79	79-80	योग
जलाऊ लकड़ी वृक्षारोपण (हैक्टर में)	240	408	432	313	316	91	1800
चरागाह विकास (हैक्टर में)	--	3000	7000	5500	5500	14000	35000

स्टेज I फेज II

कार्य	1980-81
जलाऊ लकड़ी वृक्षारोपण (हैक्टर में)	400
चरागाह विकास (हैक्टर में)	5780

(II) विश्व खाद्य कार्यक्रम

कार्य	1978-79
जलाऊ लकड़ी वृक्षारोपण (हैक्टर में)	1120
चरागाह विकास (हैक्टर में)	4000

(III) मरु विकास कार्यक्रम के तहत कराये गये कार्य

कार्य	वर्ष 1980-81
जलाऊ लकड़ी वृक्षारोपण (हैक्टर में)	72
चरागाह विकास (हैक्टर में)	1350

इसके अलावा लिफ्ट कैनाल क्षेत्र में सूखा सम्भाव्य क्षेत्र कार्यक्रम के तहत वर्ष 1978-79 में 300 हैक्टर में चरागाह विकास कार्य एवं वर्ष 1979-80 में 250 हैक्टर में अग्रिम कार्य कराया गया है।

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 335 का प्रपत्र 'अ')

पाली जिले के सोजत व रायपुर तहसील के सिंचाई बांधों की सूची

प्रपत्र-"अ"

क्र.सं.	बांध का नाम	तहसील	सिंचाई क्षमता एम.सी.एम.टी. में	सिंचाईक्षमता एकड़ों में	पेटा काश्त एकड़ों में	नहर लम्बाई	नहर डिस्चार्ज	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	सरदार समन्द बांध	सोजत	3116-0	25530	2400	(1) आरबी नहर 11-8 कि.मी. (2) एलबी नहर 16-1 कि.मी. (3) अन्य 56-0 किमी.	40 क्यूसेक्स 160 ,,	उपलब्ध जलक्षमता का हर साल पूरा उपयोग होता है।
2.	रामसागर चौपड़ा बांध	,,	284-0	2800	468	16 कि.मी.	16 ,,	,,
3.	पोटलिया बांध	,,	10-6	100	300	–	–	पेटाकाश्त ही होती है, तथा बांध सरदारसमन्द हेतु फीडर का काम देता है
4.	वोरीनाड़ा बांध	,,	60-5	448	152	2माईल	–	वर्ष 79-80 के बाढ़ से क्षतिग्रस्त है।
5.	मालपुरिया कानाबास बांध	,,	130-0	1300	270	4-6 ,,	–	वर्ष 79-80 के बाढ़ से क्षतिग्रस्त है। उपलब्ध पानी का हर साल पूरा उपयोग किया जाता है।
6.	गोदेलाव	,,	15-0	132	121	10 चैन	–	,,

7.	घावड़ी बांध	„	20-5	200	210	2-4माईल	—	
8.	मोमावास बांध	„	21-0	210	220	15 चैन	—	
9.	देवलीहुल्या बांध	„	15-0	120	60	—	—	नहर अब प्रस्तावित है।
10.	टूटिया बांध चन्डावल	„	30-0	130	100	—	—	क्षतिग्रस्त है। मरम्मत प्रस्तावित है।
11.	रायपुरदीपावास बांध	रायपुर	387-0	2700	50	15-2कि.मी.	67-3 क्यूसेक्स	पानी पूरा उपयोग में लिया जाता है।
12.	गिरीनन्दा बांध	„	197-0	1970	400	13-01 „	19-5 „	नहरों के विस्तार का 10-43 लाख रु. का तखमीना बन चुका है।
13.	बिराटिया बांध	„	11-5	115	35	4-0 „	4-92 „	बांध में उपलब्ध पानी का पूरा उपयोग होता है।
14.	वर बांध	„	58-7	580	80	5 माईल	7-0 „	
15.	साल नदी बांध	„	21-0	210	50	10 चैन	3-0 „	„
16.	गुलाब सागर	„	15-7	150	50	3-5माईल	6-0 „	„

(240)

परिशिष्ट–7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 340 की सूची)

इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कोटा में कार्यरत उद्योगों की सूची:—

क्रम. सं.	नाम	प्लाट नं.
1	2	3
1.	मैसर्स कमल एण्ड कमल वायर	एफ. 9 (बी)
2.	,, श्याम ब्रदर्स	एफ. 1(III)
3.	,, कमलेश इन्डस्ट्रीज	एफ. 2 (2)
4.	,, राज केमिकल्स	एफ. 2 (III)
5.	,, सुरेश आइरन इन्डस्ट्रीज	एफ. 3 (III)
6.	,, कोटा चिड़ावा मिल्स	ई. 5 (III)
7.	,, वेस्टर्न इण्डिया केमिकल्स	ई. 6 (I)
8.	,, आटोनवाल एण्ड सन्स	ई. 6 (II)
9.	,, राज टाइल्स	ई. 7 (II)
10.	,, बक्षी एन्टर प्राइजेज	ई. 8 (I)
11.	,, कार्बोहाईड्रेड केमिकल्स	एफ. 9 (I)
12.	,, कृष्णा आयल एण्ड दाल मिल	एफ. 9 (II)
13.	,, कृष्णा मेकेनिकल एण्ड इन्जीनियरिंग वर्क्स	एफ. 9 (3)
14.	,, श्री पेकिंग	ए. 10
15.	,, अशोका इन्डस्ट्रीज	ए. 11
16.	,, पुरका एन्टरप्राइजेज	ए. 12
17.	,, सामहित उद्योग	ए. 14
18.	,, इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन	ए. 15
19.	,, कोटा कोआपरेटिव मार्केटिंग	बी. 16
20.	,, भारत एसबसटोज सीमेंट कम्पनी	बी. 20
21.	,, ज्योती एन्टरप्राइजेज	बी. 21
22.	,, अयोध्या प्रसाद खण्डेलवाल	बी. 22
23.	,, कोटा कोआपरेटिव मैन्यु.	बी. 19
24.	,, निरंजन आयरन वर्क्स	एफ. 23 (III)
25.	,, गायत्री इन्डस्ट्रीज	एफ. 25 (I)
26.	,, जैन ट्रेडिंग कार्पोरेशन	एफ. 23 (II)
27.	,, दाधीच एन्टर प्राइजेज	ई. 30
28.	,, सोहन बीड़ी वर्क्स	ई. 36

1	2	3
29.	मैसर्स कुबेर मेटल इन्डस्ट्रीज	ई. 37
30.	,, कर्मावत ब्रोज	ई. 33
31.	,, मंगल इन्डस्ट्रीज	ई. 39
32.	,, राज स्पाट उद्योग	ई. 41
33.	,, भक्ति उद्योग	सी. 42
34.	,, आर. के. इलेक्ट्रीकल्स	सी. 43
35.	,, कोटा लेमिनेटर्स	सी. 44
36.	,, श्री इन्डस्ट्रीज	सी. 45
37.	,, नारायण हार्ड एण्ड ऐलोइड	ए. 46
38.	,, कोटा स्टील री-रोलिंग मिल	ए. 47
39.	,, बी. एस. इन्डस्ट्रीज	एफ. 48
40.	,, अग्रवाल रोप इन्डस्ट्रीज	ई. 50
41.	,, कोटा स्टील री-रोलिंग मिल	ई. 51
42.	,, सरदार स्टील इन्डस्ट्रीज	ई. 52
43.	,, मन इलेक्ट्रोनिक्स	ई. 55
44.	,, क्लोरोके इन्डस्ट्रीज	ई. 56
45.	,, थे थी ब्रोज	ई. 58
46.	,, सेम मेटल इन्डस्ट्रीज	ई. 59
47.	,, राजकमल इन्डस्ट्रीज	ई. 60
48.	,, विजय एन्टर प्राईजेज	एफ. 63-64
49.	,, राज केमिकल्स	ई. 62
50.	,, वूड एण्ड ब्रज कार्पोरेट्स	एफ. 69
51.	,, नन्दलाल भैरूंलाल	एफ. 70
52.	,, रूपी इन्जीनियरिंग वर्क्स	ई. 73
53.	,, जेसवाल आयरन एण्ड स्टील	ई. 74
54.	,, पोरवाल उद्योग	ई. 75
55.	,, एल. बी. स्टील इण्डस्ट्रीज	ई. 78
56.	,, राज. केटल फीड इण्डस्ट्रीज	ई. 79
57.	,, भगवान इण्डस्ट्रीज	ई. 80
58.	,, मित्तल धातु रसायन	ई. 81
59.	,, कमल आटो इण्डस्ट्रीज	बी. 82
60.	,, राजस्थान इण्डस्ट्रीज एण्ड केमिकल कार्पोरेशन	बी. 80
61.	,, बालाजी उद्योग	बी. 81(11)

(242)

1	2	3
62.	मैसर्स मनजीत स्टोन कं.	बी. 85
63.	,, के. जी. इण्डस्ट्रीज	बी. 86
64.	,, श्रीराम राइस मिल	बी. 89
65.	,, श्रीराम राइस मिल	बी. 90
66.	,, मल्होत्रा इन्जीनियरिंग कार्पोरेशन	बी. 93
67.	,, मन्दीलिया इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन	बी. 94
68.	,, कोटा स्टोन क्रेसिंग	बी. 95
69.	,, पर्सनल इन्जीनियरिंग वर्क्स	बी. 96(i)
70.	,, मोहम्मद इसाक मोहम्मद इब्राहीम	बी. 96(ii)
71.	,, एसोसियेटेड इन्जीनियरिंग एलाइड	बी. 97(i)
72.	,, गुरनाम इन्जीनियरिंग रिपेयरिंग वर्क्स	बी. 97(ii)
73.	,, गुरनाम इन्जीनियरिंग रिपेयरिंग वर्क्स	बी. 97(iii)
74.	,, शाह श्याम गुर इण्डस्ट्रीज	ए. 98
75.	,, एस. एल. इन्जीनियरिंग वर्क्स	एफ. 104
76.	,, हिन्द एण्टरप्राईजेज	एफ. 107
77.	,, चौधरी एण्टरप्राइजेज	ए. 108
78.	,, गू इन्जीनियरिंग वर्क्स	ए. 109
79.	,, चम्बल प्रेस्टिज उद्योग	ए. 110
80.	,, हिन्द इन्जीनियरिंग एण्ड एलाइड	ए. 112
81.	,, एस. आर. जी. इन्डस्ट्रीज	ए. 112(ए)
82.	,, शिल्पा इण्डस्ट्रीज	ए. 113
83.	,, इटालियन मोनो ब्लाक	ए. 116
84.	,, अनिता एण्टरप्राइजेज	ए. 115
85	,, ओम मेटल एण्ड मिनरल्स	ए. 117
86.	,, ओम मेटल एण्ड मिनरल्स	ई. 118
87.	,, अशोक इण्डस्ट्रीज	ई. 139
88.	,, लक्ष्मी स्टील इण्डस्ट्रीज	एफ. 126
89	,, राजकलर एण्ड केमिकल्स	एफ. 130
90.	,, मेटल इण्डिया	ई. 135
91.	,, मेटल इण्डिया	ई. 136
92.	,, मूंदड़ा मेटल्स	ई. 140
93.	,, राज रबर इण्डस्ट्रीज	एफ. 141
94.	,, लताजी कोस्मोटिक्स	एफ. 142

1	2	3
95.	मैसर्स इण्डिया क्लोरोकम इण्डस्ट्रीज	एफ. 143
96.	,, गंगाचरण झा	एफ. 145
97.	,, माल टेक्नो. इन्जीनियरिंग	एफ. 146
98.	,, प्लास्टी केम इण्डस्ट्रीज	एफ. 147
99.	,, विरेन्द्र पेक प्लास्ट	एफ. 148
100	,, एन. पी. एस. इन्जीनियरिंग वर्क्स	एफ. 152
101.	,, आदर्श दलिया घर	एफ. 153
102.	,, हरोती इण्डस्ट्रीज	एफ. 154
103.	,, हरोती इण्डस्ट्रीज	एफ. 155
104.	,, मिल्थवे इण्डस्ट्रीज	एफ. 156
105.	,, गोरा इण्डस्ट्रीज	सी. 159(i)
106.	,, अर्चना स्टील इण्डस्ट्रीज	सी. 159(ii)
107.	,, बी. एम. इण्डस्ट्रीज	एफ. 178
108.	,, राजलक्ष्मी उद्योग	एफ. 185
109.	,, बी. एम. एग्रो इण्डस्ट्रीज	एफ. 186
110.	,, ओसेगा इलेक्ट्रिकल्स	ए. 160
111.	,, मिन्द्रा मोटर्स	ए. 161
112.	,, प्रभात स्टील लिमिटेड	ए. 170–171
113.	,, कोटा फार्मासिटीकल	एफ. 188
114.	,, डाइमण्ड सीमेंट टाइल्स	एफ. 189
115.	,, डाइमण्ड स्टोन पोलिशिंग	एफ. 190
116.	,, यूनिवर्सल केमिकल्स	एफ. 191
117.	,, गोल्डन एग केमिकल्स	एफ. 195
118.	,, इन्डोप्लास्ट इन्डस्ट्रीज	एफ. 197
119.	,, पेक प्लास्ट इन्डस्ट्रीज	एफ. 198
120.	,, डेन्टो प्लास्ट इन्डस्ट्रीज	एफ. 199
121.	,, मयूर लिमिनेटर्स	एफ. 200(ए)(बी)
122.	,, राज केमीयल केमिकल्स	एफ. 202(ए)
123.	,, मोडर्न स्टील इन्डस्ट्रीज	एफ. 202(बी)
124.	,, रूपचन्द्र जैन	ए. 487(ए)